राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

प्रंक 1 चतुर्थ विधान सभा के प्रथम सत्र का 24 वां दिवस संख्या 9

शुक्रवार दिनांक 26 मई, 1967

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.03 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(सामान्य प्रशासन, सार्वजनिक निर्माण, शिक्षा, चिकित्सा, यातायात और गृह विभाग)

श्री अध्यक्ष : श्री खेतसिंह।

जिलाधीशों के लिये कार्यालय का समय

69. **श्री खेतसिंह** -(शेरगढ) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या जिलाधीशों के लिए उनके कार्यालय में आने का समय राज्य सरकार द्वारा निश्चित किया हुआ है ? यदि हां, तो क्या ? तथा जो इसकी पालना नहीं करते हैं उनके लिए क्या दण्ड है ?

(2) क्या राज्य सरकार ने जिलाधीश के जनता से मिलने व उनकी बात सुनने के लिए भी कोई समय निश्चित कर रखा है ? यदि हां, तो कितने बजे से कितने बजे तक का ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं निश्चित किया है ?

(3) क्या राज्य सरकार के ऐसे भी आदेश हैं कि जनता द्वारा कोई प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर जिलाधीश को अमुक समय पर उस पर निर्णय दे देना चाहिये तथा क्या जनता को वापिस जवाब भेजने का भी प्रावधान है ? क्या जिलाधीश के कार्यालय की जांच व निरीक्षण भी किया जाता है ? यदि किया जाता है तो कितने समय में कौन करता है ?

उप मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जी हां। जिलाधीशों के लिये कार्यालय में आने का समय 9.00 बजे पूर्वान्ह है। अकारण समय पर उपस्थित न होने का मामला सरकार के समक्ष आने पर परिस्थिति के अनुकूल दण्ड के औचित्य पर विचार किया जा सकता है।

(2) जी हां। जनता से मिलने व उनकी बात सुनने के लिये 12.00 बजे से 1.00 बजे तक का समय निश्चित किया गया है।

(3) जी हां। जिलाधीश के कार्यालय की जांच व निरीक्षण निम्नलिखित अधिकारी कर सकते हैं :—

(अ) जिलाधीश एवं जिला मजिस्ट्रेट वर्ष में एक बार।

(श्री गंगाराम चौधरी)

(आ) जहां अतिरिक्त जिलाधीश हैं वहां अतिरिक्त जिलाधीश द्वारा वर्ष में एक बार निरीक्षण किया जाता है।

(इ) राजस्व मण्डल के सदस्यों द्वारा जिलाधीश के कार्यालय का निरीक्षण वर्ष में एक बार किया जाता है।

श्री खेतसिंह : क्या माननीय मंत्री महोदय इसे उपयुक्त नहीं समझते कि जनता से मिलने का समय 10 से 11 व दोपहर को 3 से 4––दो दफा होना चाहिए ?

श्री गंगाराम चौधरी : अब तक यही विचार किया गया था। यह 12.00 से 1 बजे तक का समय उपयुक्त है। अगर इस प्रकार का प्रस्ताव होगा तो उस पर विचार कर लिया जायगा ?

श्री खेतसिंह : प्रस्ताव कौन करेगा ? हम यह प्रस्ताव कर रहे हैं कि यह टाईम ठीक नहीं है इसलिये 10 से 11 व दोपहर को 3 से 4 बजे तक का समय–दो दफा जनता को मिलने का दिया जाय ?

श्री गंगाराम चौधरी : इस पर विचार कर लिया जायगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : आपने बताया कि मामला सरकार के समक्ष आने पर परिस्थिति के अनुकूल दण्ड के औचित्य पर विचार किया जा सकता है। तो क्या इस प्रकार की लिखित शिकायतें आने पर कोई दण्ड दिया गया ?

श्री गंगाराम चौधरी : अब तक ऐसी कोई शिकायत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री खेतसिंह : क्या सरकार को यह मालूम है कि जोधपुर के जिलाधीश श्री आनन्द मोहन सक्सेना रात को बहुत देर से सोते हैं और दिन के ग्यारह बजे जागते हैं ?

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर) : हिअर–हिअर !

श्री गंगाराम चौधरी : यह सरकार की जानकारी में नहीं है।

श्री खेतसिंह : क्या इसकी जानकारी कराने की कोशिश करेंगे ?

श्री गंगाराम चौधरी : जानकारी प्राप्त कर ली जायगी।

श्री खेतसिंह : यदि यह बात सही होगी तो क्या आप उसके खिलाफ एक्शन लेंगे ?

श्री गंगाराम चौधरी : यदि अपराध होगा तो अवश्य एक्शन लिया जायगा।

श्री खेतसिंह : आज तक सरकार के पास ऐसी कई शिकायतें आने पर क्या सरकार ने उनके सम्बन्ध में जांच की है ?

श्री अध्यक्ष : ऐसी शिकायतें आने पर क्या सरकार ने मामले की जांच की है ?

श्री गंगाराम चौधरी : अब तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है।

श्री खेतसिंह : ऐसी शिकायतें आने पर सरकार ने जांच क्यों नहीं की ?

श्री गंगाराम चौधरी : अब तक ऐसी कोई शिकायत सरकार के पास नहीं है–यह मैंने निवेदन किया।

Page No. 3

श्री खेतसिंह : क्या ?

श्री गंगाराम चौधरी : कोई भी इस प्रकार की शिकायत मेरे नोटिस में नहीं है।

श्री खेतसिंह : इनके पास कई ऐसी शिकायतें आई हैं।

महाराज श्री केसरीसिंह हाडा (हिन्डोली): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न कर्ता स्वयं मंत्री रह चुके हैं। उन्हें सब बातों की जानकारी है।

श्री गंगाराम चौधरी : जी।

महाराज श्री केसरीसिंह हाडा : प्रश्नकर्ता स्वयं मंत्री रह चुके हैं। इन्हें अपने टाइम की याद है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट! महा श्री केसरीसिंह।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 69 के सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन करना है कि यह आम शिकायत राजस्थान में है। क्योंकि यह बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव मेटर है इसलिये इस सम्बन्ध में सरकार को कोई न कोई व्यवस्था, मेरे ख्याल से, ऐसी करनी चाहिये जिससे आम जनता को यह मालूम हो कि अमुक दिन हफ्ते में करीब करीब अनिवार्यरूपेण कलेक्टर साहब अपने हैड क्वार्टर में होंगे। अब अनिवार्यरूपेण तो मैं कहता हूं लेकिन कोई असाधारण स्थिति उत्पन्न हो जाय तो बात दूसरी है लेकिन अमूमन लोग आते हैं और पूछते हैं कि कलेक्टर साहब कहां हैं? तो कहा जाता है कि बाहर गये हैं। कई दफा इस तरह आने जाने में लोगों को बड़ी परेशानी होती है। इसलिये मैं समझता हूं कि सरकार को कोई न कोई उचित रूप से व्यवस्था करनी चाहिये कि हफ्ते में अमुक दिन अनिवार्य रूप से कलेक्टर साहब हैड क्वार्टर में रहें और अवश्य रहें। क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था करने का विचार नहीं करेगी?

गृह मंत्री (श्री दामोदर लाल व्यास) : अध्यक्ष महोदय, आम तौर पर, जैसा कि माननीय सदस्य खुद जानते हैं, विरोधी दल के नेता जानते हैं कि कलेक्टर की ड्यूटीज ऐसी होती हैं कि उनको बगैर किसी प्रायर प्रोग्राम के अपने हैड क्वार्टर से रवाना हो जाना पड़ सकता है, लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन की वजह से या कोई और वजह हो सकती है। ताहम सरकार की तरफ से ऐसे आदेश हैं पहले से कि कलेक्टर हैं, एस. डी. ओ. हैं और मजिस्ट्रेट हैं जिनके पास पब्लिक के केसेज पेन्डिंग होते हैं, उनको यदि किसी तारीख को कहीं बाहर जाना पड़े तो पहले से वह डेट्स को एडजोर्न करके पार्टीज को इन्फार्म कर दें। अनिवार्य रूप से यह कैसे कर दिया जाय कि वह वहीं रहें। वैसे यह कोशिश की जायगी, जहां तक हो, इस आदेश का वह पालन करें कि किसी न किसी दिन वह अपने हैड क्वार्टर पर रहने की कोशिश करें। बावजूद ऐसा कोई जरूरी काम आ जाय तो हैड क्वार्टर छोड़कर बाहर जाना पड़ेगा।

श्री भीम सेन (लूणकरणसर) : क्या सरकार के आदेशों का पालन होता है?

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसी विषय पर तृतीय विधान सभा में एक दफा चर्चा हुई थी और मंत्री महोदय ने अभी जो उत्तर दिया है वह पर्याप्त है, सन्तोषजनक है। साधारणतया मैंने कहा था। वैसे यदि लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन है तो वहां जाना जरूरी है और कलेक्टर ऐसी स्थिति में हैड क्वार्टर में नहीं रह सकते। लेकिन

Page No. 4

(महरावल श्री लक्ष्मणसिंह)

ऐसी स्थिति में, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि कोई उनको डेपुटाइज करने के लिये भी तो होना चाहिए। मेरे ख्याल से यह ऐसी व्यवस्था है जो एडमिनिस्ट्रेटिव है और यह असम्भव नहीं है। इसे आप कर सकते हैं।

श्री रामकिशन (वैर) : मंत्री महोदय, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या जिलाधीश शब्द उपयुक्त है? क्या जिलाधीश के बजाय जिला सेवक नहीं हो सकता?

श्री अध्यक्ष : आर्डर! आर्डर प्लीज!

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। आप सब डूब रहे हैं इससे।

श्री अध्यक्ष : श्री केसरी सिंह!

जजावर (जि. बूंदी) के पास सड़क का कार्य

70. **श्री केसरी सिंह** (हिन्डोली): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि जिला बूंदी, हिन्डोली तहसील में जजावर के पास सड़क का काम चुनाव से पहले बड़ी तेजी से चला था?

(2) इस काम में कितनी धनराशि खर्च हो चुकी है?

(3) चुनाव के बाद में यह काम क्यों बन्द कर दिया गया?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन) : (1) बाबत काम 27-12-66 को मंजूर हो कर 15-7-64 तक हुआ है।

(2) 15-4-67 तक 29694 रु. खर्च किया गया है।

(3) अकाल समिति की राय के मुताबिक काम बन्द कर दिया गया।

श्री केसरी सिंह : क्या यह सही नहीं है कि वहां पर अब भी लोग-बाग अकाल से पीड़ित हैं? जब यह अकाल सहायता सड़क बन रही थी उसके बन्द में अब भी लोग अकाल से पीड़ित हैं और अकाल राहत कार्य बन्द होने से लोगों को परेशानी हो रही है।

श्री अमीनुद्दीन : हमने काम बन्द कर दिया पी. डब्ल्यू. डी. ने, वह कमेटी के हुक्म के मुताबिक किया है। यह देखना कमेटी का काम है कि गोया वहां क्या हालत है?

श्री श्रवण लाल (हिन्डौन) : यह काम कब से बन्द किया है?

श्री केसरी सिंह : चुनावों के दौरान में वहां पर अकाल था और चुनाव खत्म होते ही वहां अकाल खत्म हो गया, कृपया इस पर रोशनी डालें।

श्री अमीनुद्दीन : इसका भी ताल्लुक कमेटी से है। हम तो एजेन्सी की तरह हैं। हमें जब कह दिया जाता है कि काम खत्म करो तो कर देते हैं।

एक माननीय सदस्य : यह एजेन्सी कौन सी थी?

श्री अमीनुद्दीन : यह गवर्नमेन्ट की।

श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : अकाल सहायता कमेटी ने इस प्रकार का कब निर्णय लिया?

श्री अमीनुद्दीन : यह 15-4-67 को लिया।

श्री केसरी सिंह : जब चुनाव खत्म हो गये थे।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : वर्षा हो गई थी ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री केसरी सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस पर पूरे प्रश्न होने चाहियें। पूरे प्रश्न नहीं होने से पूरा सार नहीं निकलता है।

श्री अध्यक्ष : यह मेरे ध्यान में है कि पूरा प्रश्न हो और उसका सारान्श निकले।

श्री रामचन्द्र आर्य : इस कमेटी में कौन कौन सदस्य थे यह आप कृपया बता दें।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : इसके सदस्य तो उसमें एक कलेक्टर तो जरूर होता है और बाकी की जानकारी मुझे नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : मुझे जानकारी है कि उस क्षेत्र के एम. एल. ए. हैं उनको भी उसमें नहीं लिया गया। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर ऐसी स्थिति में ऐसी समितियों में वहां के एम. एल. ए. को भी उसमें शामिल कर लिया जाए तो वहां की परेशानियां जरूर दूर हो सकती हैं।

श्री अमीनुद्दीन : यह रेवेन्यू मिनिस्टर के ताल्लुक का है इसलिये उनको यह तजवीज दी जावे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

(बहुत से माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अध्यक्ष द्वारा श्री जुझारसिंह का नाम पुकारा गया)

श्री जुझारसिंह (रामगंज मन्डी) : 30 हजार रुपये खर्च हुए। मैं यह जानना चाहता हूं कि कितनी कितनी राशि किन किन महीनों में खर्च हुई। जनवरी में कितनी, फरवरी में कितनी और मार्च में और अप्रेल में कितनी धन राशि खर्च हुई ?

श्री केसरी सिंह : चार महीनों में कितनी धन राशि हर माह खर्च की गई यह आप बता दें।

श्री अमीनुद्दीन : यह डिटेल्स भी आपको मिल सकते हैं

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह रुपया कौनसे महीनों में खर्च हुआ यह जानना चाहता हूं। जनवरी में खर्च हुआ या फरवरी में हुआ ? अगर जनवरी और फरवरी में खर्च हुआ तो इसका अर्थ यह निकलता है कि चुनावों के समय में खर्च हुआ और मार्च और अप्रेल में खर्च हुआ है तो वह राहत कार्य में खर्च हुआ। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि आपका यह ज्यादा खर्चा किस महीने में हुआ ?

श्री अध्यक्ष : ज्यादा खर्चा कौनसे महीनों में किया गया यह जानना चाहते हैं।

श्री अमीनुद्दीन : यह जानकारी मैं आपको मुहैया करा दूंगा।

श्री श्रवणलाल : यह कार्य कौनसी तारीख को बन्द किया है ? क्या वहां पर कोई अकाल किसी प्रकार का नहीं है ?

श्री अमीनुद्दीन : इससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है।

(श्री रामचन्द्र, श्री लादूराम व श्री श्रवण कुमार प्रश्न पूछने खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन : श्री लादूराम।

Page No. 6

ग्राम रेनवाल माजी में हायर सेकन्डरी स्कूल.

71 ~~74.~~ **श्री लादूराम मुलाणिया** (फागी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम रेनवाल माजी, तहसील फागी में तथा उसके आस पास के क्षेत्रों में कोई हायर सेकन्डरी स्कूल नहीं होने के कारण वहां के छात्रों को जयपुर आना पड़ता है ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम रेनवाल में हायर सेकेण्डरी स्कूल खोले जाने के लिये वहां की जनता द्वारा सरकार को प्रार्थना-पत्र दिये गये हैं ? यदि हां, तो वहां कब तक स्कूल खोले जाने की योजना है ?

(3) ग्राम रेनवाल में हायर सैकन्डरी स्कूल खोले जाने से वहां की तथा उसके आस पास की मिडिल स्कूलों के कितने छात्र अनुमानतः शिक्षा पा सकेंगे ?

उप मंत्री, शिक्षा (राव श्री धीर सिंह) : (1) जी नहीं, राजकीय उच्चतर माध्यमिक शाला फागी रेनवाल माजी से केवल 10 मील दूर है और राज्य की माध्यमिक शाला सांगानेर केवल 11 मील दूर है ।

(2) इस प्रकार का न तो कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है और न ही राज्य सरकार का इस समय उच्चतर माध्यमिक शाला खोलने का विचार है ।

(3) इस समय जब उच्चतर माध्यमिक शाला खोलने का विचार ही नहीं है इसलिए अनुमान तैयार नहीं करवाया गया है ।

श्री लादूराम मुलाणिया : आपने यह बताया कि 10 मील फागी दूर है । 10 मील तक कोई हाई स्कूल नहीं है । वहां विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए क्या यह उचित नहीं है कि वहां पर हाई स्कूल खोला जाय ?

राव श्री धीरसिंह : यह विचाराधीन है । जब खोलने की बात होगी तो अनुमान तैयार कर लिया जावेगा ।

श्री लादूराम मुलाणिया : आपने प्रार्थना-पत्र के लिये बताया कि कोई प्रार्थना-पत्र नहीं आया । मैं यह निवेदन करूंगा कि हर साल प्रार्थना-पत्र आये हैं आप देख लें प्रार्थना-पत्र आपको मिलेंगे ।

राव श्री धीरसिंह : प्रार्थना-पत्र प्रेसक्राइब्ड फार्म पर नहीं थे इसलिये फार्म पर आवेंगे तब विचार करेंगे ।

श्री लादूराल मुलाणिया : मैं यह निवेदन करूंगा कि प्रार्थना-पत्र आते हैं और हर साल आते हैं । इस वर्ष भी उपयुक्त समझें तो आ जावेंगे ।

शिक्षा मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : माधोराजपुरा, फागी और सांगानेर करीब करीब पास में हैं । इनके बीच में रेनवाल भी आता है । नये स्कूल खोले जायेंगे तो क्या होगा ? आर्थिक स्थिति को देखते हुए निर्णय लिया जा सकता है । इसलिये मेरा आपके द्वारा कहना है कि जब प्लान आवेगा और जब हमें रुपया मिलेगा तब एक्सटेन्शन होगा ।

श्री लादूराम मुलाणिया : मैं माननीय मंत्री की जानकारी के लिये बता दूं कि आपका बजट का प्रश्न नहीं है । बिल्डिंग हम देते हैं ।

(श्री लादूराम सुलाणिया)
दस दस हजार रुपया हम जमा कराते हैं। इसलिये बिल्डिंग की आपको कोई दिक्कत नहीं है। 10 मील दूर बच्चे पढ़ने को आवें इसमें उनको दिक्कतें होती हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर मिडिल स्कूल है और हायर सेकन्डरी स्कूल इस साल खोल दी जाए।

श्री देवीदत्त गाडिया (बांरा) : क्या 10 मील के एरिया का पूरी तरह पालन किया जाता है ?

श्री बरकतुल्लाखां : बिल्डिंग आप देते हैं। मगर दूसरे एक्सपेन्सेज आप नहीं देते हैं वह तो सरकार से आते हैं। यह नहीं है कि सारा खर्चा आपको करना पड़े। सारा खर्चा सरकार को बर्दाश्त करना पड़ता है।

एक माननीय सदस्य : क्या यह सही है कि पिछला पूरा पैसा खर्च किया जा चुका है ? वह तो चुनावों के कारण था। अब शिक्षा का कारण है, क्या आप इसके लिये कोई व्यवस्था करेंगे कि अब तक वोट के लिये पैसा दिया गया था अब शिक्षा के लिये दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर प्लीज।

श्री दुर्गालाल बाड़दार (हवामहल जयपुर) : क्या सरकार इस 10 मील के एरिया के काइटेरिया को मानती आई है और उसी स्तर पर कायम रहेगी ?

श्री अध्यक्ष : 10 मील के एरिया में सरकार ऐसी स्कूलें खोलेगी ?

श्री बरकतुल्लाखां : अध्यक्ष महोदय, सरकार इस काइटेरिया को ध्यान में रखती है। इस तरह के काइटेरिया 10–20 जगह लागू हो सकते हैं। प्रावधान कम का है और वहां ज्यादा हो तो वहां खोले जाते हैं।

(श्री लादूराम के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अभी चार ही प्रश्न हुए हैं।

प्रश्न संख्या 72

श्री अमीलाल यादव

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री नत्थीसिंह।

(श्री लादूराम के बोलने के लिये खड़े होने पर)

(माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें)

श्री लादूराम सुलाणिया : हम रुपया देने को तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

ग्राम लुवाबई में रोडवेज का स्टेन्ड

73. **श्री नत्थीसिंह** (भरतपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति सेवर के ग्राम लुवाबई को राजस्थान रोडवेज का पब्लिक स्टेन्ड बनाये जाने के आदेश रोडवेज कारपोरेशन की ओर से जारी किये जा चुके हैं ? यदि हां, तो ये आदेश कब दिये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त आदेशों के बावजूद भी लुवाबई पर यात्रियों की प्रार्थना पर भी रोडवेज की बस को न तो रोका जाता

(श्री नत्थीसिंह)
हैं और न वहां के टिकिट ही जारी किये जाते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत लुधाबई द्वारा इस सम्बन्ध में राजस्थान रोडवेज निगम के उच्चाधिकारियों को शिकायतें भी की हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

यातायात मंत्री (श्री अमीनुद्दीन) : (1) जी हां, लुधाबई में बस स्टेन्ड बनाने के आदेश निगम द्वारा पत्र संख्या 5755 दिनांक 28-10-65 को जारी किये गये थे।

(2) यह सही नहीं है कि इस बस स्टाप पर प्रार्थना करने पर गाडी नहीं रुकती है, जहां तक टिकट बनाने का सम्बन्ध है चूंकि यह स्टेन्ड स्थायी नहीं है इसलिये टिकिट स्टेन्ड से स्टेन्ड तक के लिये बनाये जाते हैं।

(3) ग्राम पंचायत लुधाबई के द्वारा प्रार्थना-पत्र पर बस न रोकने की शिकायत निगम के कार्यालय में प्राप्त हुई थी, जिस की उसी समय कार्यवाही कर समस्त सम्बन्धित कर्मचारियों को सख्ती से पालन कराने हेतु निर्देश दे दिये गये थे।

श्री नत्थीसिंह : आपने जवाब दिया है कि वहां स्टेन्ड बनाया है, पर वहां के टिकिट नहीं बनाये जाते। जब टिकिट नहीं बनाते तो स्टेन्ड बनाने से क्या फायदा ?

श्री अमीनुद्दीन : सात-सात माइल के स्टापेज तक के लिये टिकिट छपे हुए हैं, कहीं दो-दो, तीन-तीन माइल पर स्टाप करती है तो पिछली जगह से किराया लिया जाता है, अगले स्टाप तक का।

श्री नत्थीसिंह : क्या आपको मालूम है कि सेवर कितनी दूर है भरतपुर से ?

श्री अमीनुद्दीन : लुधाबई जयपुर से 157 किलो मीटर है।

श्री नत्थीसिंह : भरतपुर से कितनी है ? भरतपुर से सेवर पहले पडता है, लुधाबई आगे पडता है, टिकट सेवर के दिये जाते हैं, कै मोल के टिकट देते हैं ?

श्री अमीनुद्दीन : 167 से 170 किलो मीटर के हिसाब से यानि 13 किलोमीटर के ऊपर टिकट मिलते हैं। यह छपे हुए टिकट हैं। इसके मुतल्लिक अगर आप दुबारा फरमायेंगे तो मैं और इन्फॉरमेशन फिर मालूम करके देखूंगा।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) आखिर उस स्थान के टिकट इश्यू करने में सरकार को क्या दिक्कत आती है ?

श्री अमीनुद्दीन : मैं यह यकीन दिलाता हूं कि इसमें अगर कोई दिक्कत है तो इस तरह की व्यवस्था कर दी जायगी कि मिनिमम माइलेज हो उसका टिकट इश्यू करें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 74 : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

प्राच्य विद्या, प्रतिष्ठान, जोधपुर में ग्रंथों की चोरी

74. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

Page No. 9

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

(1) प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर से पिछले महीने में कितने ग्रन्थों की चोरी हुई है ?

(2) क्या यह सही है कि कल्पसूत्र जैसा प्राचीन ग्रन्थ चोरी चला गया है ?

(3) उस ग्रन्थ में कितने चित्र थे और किस सदी के बने हुए ?

(4) चोरी का पता लगने के बाद ग्रन्थों का सत्यापन किया गया या नहीं ?

(5) सत्यापन की रिपोर्ट क्या रही है ?

(6) कल्प सूत्र के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

उप मंत्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) :

(1) पिछले महीने नहीं बल्कि पिछले वर्ष चार हस्त लिखित ग्रन्थों की चोरी हुई थी ।

(2) जी हां ।

(3) चोरी गये चार कल्प सूत्रों में कुल 175 चित्र थे जो सोलहवीं एवं सत्रहवीं शताब्दी के हैं ।

(4) सत्यापन का कार्य चालू है ।

(5) सत्यापन पूरा होने पर ही रिपोर्ट तैयार हो सकेगी ।

(6) केस पुलिस व गुप्तचर विभाग को दे दिया गया है और वह अभी जेर तफतीश है ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : क्या यह सही है कि कल्पसूत्र के चित्र राजस्थान के प्राचीनतम चित्रों में माने जाते हैं ?

राव श्री धीरसिंह : जी हां ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : तो क्या यह सही है कि जिन अलमारियों में से ये चित्र और ग्रन्थ गायब हुए हैं, चोरी गये हैं, उन अलमारियों के ताले तोड कर चोरी की गई है ?

राव श्री धीरसिंह : एक कमरे से दूसरे कमरे में चेंज कर रहे थे उस समय इनकी शार्टेज हुई है । सत्यापन की कार्यवाही चल रही है ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग में कई बार ऐसे प्राचीन ग्रन्थों की और चित्रों की चोरियां हुई हैं और उदयपुर के सरस्वती भंडार में चोरी हुई है ?

राव श्री धीरसिंह : इस बारे में तो अलग से प्रश्न पूछें तो जानकारी दी जा सकती है ।

शिक्षा मंत्री (श्री बरकतुल्लाखां) : जी हां चोरी हुई है उदयपुर में ।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि जिन आलमारियों में ग्रन्थ रखे हुए थे उन आलमारियों के ताले नहीं टूटे हैं इससे साफ प्रकट होता है कि वहां के लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं फिर भी इन्चार्ज को अभी तक सस्पेन्ड नहीं किया गया है ।

श्री बरकतुल्ला खां : यह भी मालूम है कि ताले नहीं टूटे हैं, यह भी मालूम है कि ग्रन्थ चोरी गये हैं, गवर्नमेन्ट इस मामले में जागरूक है और गवर्नमेंट ने ओनरेरी डायरेक्टर को लिखा था कि जिस व्यक्ति की डायरेक्ट

(श्री बरकतुल्ला खां)
रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनको सस्पेन्ड कर दें। पर अभी तक सस्पेन्ड नहीं किया गया है, हमने दुबारा आनरेरी डायरेक्टर को लिखा है कि जो रेस्पॉन्सिबल हैं उनको सस्पेन्ड कर दें वरना गवर्नमेंट को एक्शन लेना होगा।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत: क्या यह सही है कि चोरी हो जाने के 2 महीने बाद पुलिस को रिपोर्ट दी गई, दो महीने तक मामले को दबाया गया?

श्री बरकतुल्ला खां: चोरी की जानकारी नहीं थी, आनरेरी डायरेक्टर साहब थे उनको 22 नवम्बर, 66 को पता चला।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत: इस सत्यापन को करते हुए 4 महीने हो गये, इतने कीमती चित्रों और ग्रन्थो की चोरी हो गई और सत्यापन में इतना समय लग गया तो क्या कारण बतायेंगे कि इतना अधिक समय क्यों लगा?

श्री बरकतुल्ला खां: हम इससे सहमत हैं कि जो हमारे प्राचीन मैनिस्क्रिप्ट्स हैं, उनको बचाना चाहिये। ये हमारे पुराने कल्चर के प्रतीक हैं, यह चीज खो जाय तो यह चीज कभी रिप्लेस नहीं हो सकती, पर 35 हजार मैन्सिक्रिप्ट्स हैं, एक एक सफा और एक एक चित्र को देखना पडता है और.....

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह नहीं है, आपका प्रश्न यह है कि एन्क्वायरी इन्चार्ज के खिलाफ चल रही है या नहीं।

श्री बरकतुल्ला खां: चोरी की इत्तल्ला मिलते ही गवर्नमेंट को लिखा, पुलिस को लिखा, डी.आई.जी. को लिखा कि इसमें हमारी पूर्ण रूप से मदद करनी चाहिए। चोरी का केस रजिस्टर कराया गया और डी. आई. जी. और सी. आई. डी. को लिखा गया कि इसमें मदद करें। हम जागरूक हैं। हम सारी इन्वेन्टरीज का पता लगा रहे हैं कि कितने गायब हुए हैं और जो लोग जिम्मेदार होंगे उनको कडी से कडी सजा देंगे।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत: अध्यक्ष महोदय मैं विश्वास दिलाती हूं कि विभाग बिल्कुल जागरूक नहीं है। इन्चार्ज को एक दम हटा कर इस सारे मामले की एन्क्वायरी की जाय, इन्चार्ज को फौरन सस्पेन्ड किया जाना चाहिये। हमारे प्राचीनतम रत्न हैं उनकी चोरी होती है और वे विदेशों में, अमेरिका तक बिकने जाते हैं।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन): जांच करने वाले चोर होंगे तो क्या जांच करेंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): क्या सरकार को अनुमान है कि जो अद्वितीय पुस्तकें गायब हुई हैं, उनका अनुमानतः क्या मूल्य होगा?

श्री बरकतुल्ला खां: यह तो ऐसी अमूल्य चीजें हैं कि इनका मूल्य रुपयों में नहीं आंका जा सकता। वैसे गवर्नमेंट ने 3,567 रुपयों में खरीदी थीं, वैसे कीमत 6 हजार भी हो सकती है पर मैं इसको रुपये से लिंक नहीं करता। हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है उसको हमें प्रिजर्व करना चाहिए, मैं इसको रुपयों से नहीं जोडता।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: क्या सरकार नहीं जानती कि फोरिन गैंग इस देश में वर्क करते हैं, फोरिन एक्सचेन्ज के श्रू षडयन्त्र रच कर हमारी प्राचीनतम अमूल्य चीजें हैं

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
उनको चोरी से विदेशों में भेजते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि हमारी इन अमूल्य निधियों को प्रिजर्व करने के लिये क्या सरकार ने डबल लोक सिस्टम किया है, जिससे कि कोई हमारे मिनिस्क्रिप्ट्स पर हाथ डाल कर डाका न डाल सके ?

श्री बरकतुल्ला खां : जहां तक मिनिस्क्रिप्ट्स को प्रिजर्व करने का सवाल है सरकार विचार कर रही है। कि डबल चैक; डबल लाक का सिस्टम रखा जाय।

जहां तक चोरी का सवाल है, देश भर में ऐसी चोरियां हुई हैं और हमने शिक्षा विभाग ने–सी. आई. डी. को इसकी जांच के लिये लिखा है, ताकि कोई इस प्रकार का गैंग हो तो उसका पता चल जाय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जो ऐसे बहुमूल्य डोक्यूमेंट्स हैं, उनकी फोटोस्टेट कापीज करवा ली जायं और जो लोग रिसर्च करने के लिये जायं उनको फोटोस्टेट कापीज दी जायं। टाम, डिक एण्ड हैरी के सामने ऐसी बहुमूल्य चीजें रख कर आप खिलवाड़ कर रहे हैं। आप पर यदि यह आरोप लगाया जाय कि आप इन अमूल्य निधियों को प्रिजर्व करने में अनफिट हुए हैं तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं तो चाहता हूं कि फोटोस्टेट कापी नहीं इनका माइक्रोफिल्म कराया जाय। इसके लिये हम एक आफीसर को नेशनल आरकाइव्ज में भेजना चाहते हैं जो यह स्टडी करे। बजाय फोटोस्टेट कापीज कराने के माइक्रोफिल्म करा लिया जाय ताकि ये चीजें अच्छी तरह प्रिजर्व हो सकें।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल।

(फैलीकापुर–कोटरी सड़क)

75. **श्री श्रवणलाल** (हिण्डौन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि फैलिकापुर से कोटरी सडक पत्थर के उद्योग के लिये काफी महत्वपूर्ण सडक है और इसकी हालत खराब हो गई है, यदि हां, तो सरकार उस पर कब तक डामर कराने का विचार रखती है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन) : सडक के कुछ मीलों की हालत ठीक नहीं है। मील 6 और 7 में मरम्मत हो रही है, डामर का काम योजना में शामिल नहीं है।

श्री श्रवणलाल : इससे सालाना कितनी आय होती है ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री अमीनुद्दीन : यह मुझसे ताल्लुक नहीं रखता है।

श्री श्रवणलाल : आपने बताया कि कुछ मीलों की हालत खराब है। कितने मीलों का टुकडा है और कितने मील खराब है ?

श्री अमीनुद्दीन : 7 मील का टुकडा है और 4 मीलों की हालत खराब है। इसमें दो मीलों का काम ठेके पर दे दिया गया है।

श्री श्रवणलाल : क्या यह सही है कि जो दो मील इन चुनावों से पहले बनाई गई थी वह भी, जो पहले बनी हुई सडक है, उससे भी ज्यादा खराब हो चुकी है ?

श्री अमीनुद्दीन : जैसा मैंने कहा, 4 मील खराब है, दो मील पर इस समय काम चालू है ।

श्री श्रवणलाल : इस समय काम चालू नहीं है । मैं कल ही वहां से होकर आया हूं । अफसोस से कहना पडता है कि इस सडक के लिये जब वोटों का समय आता है तो एक दो मील के टुकडे पर मरम्मत करा लेते हैं.............

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछा जाय, भाषण नहीं ।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय ,....

श्री अध्यक्ष : श्री ओमदत्त भाटी ।

श्री श्रवणलाल : सबसे बडी बात अध्यक्ष महोदय......

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

श्री श्रवणलाल : इसमें सबसे बडा सवाल यह है कि.....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! श्री ओमदत्त भाटी ।

जोधपुर मेडीकल कॉलेज का निरीक्षण

76. **श्री ओमदत्त भाटी** (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि तीसरे वर्ष जोधपुर मेडीकल कालेज के विद्यार्थियों के लिये ओपरेशन देखने की कोई व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या व्यवस्था की जा रही है या की गई है ?

(2) क्या यह सही है कि आल इंडिया मेडीकल काउन्सिल के इन्सपेक्टरों ने दो तीन बार जोधपुर मेडिकल कालेज का निरीक्षण किया था ? यदि हां, तो उन्होंने क्या रिपोर्ट पेश की है व उनकी सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उप चिकित्सा मंत्री (राव श्री वीरसिंह) : (1) आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जोधपुर एक नया विद्यालय है जिसके लिए नई बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है । जो प्रस्ताव इस विषय में स्वीकृत किये गये हैं उनमें स्टूडेण्ट्स गैलरी, एक नया आपरेशन थियेटर भी सम्मिलित है । इस कार्य हेतु बजट प्रावधान् कर दिया गया है । आशा है यह कार्य इस वर्ष पूर्ण हो जायेगा ।

(2) जी हां, अखिल भारतीय मेडिकल परिषद् के अध्यक्ष और विजिटर ने उक्त विद्यालय का पृथक् 2 निरीक्षण किया था । निरीक्षणों में इक्विपमेण्ट एवं फर्नीचर आदि की कमी, विभिन्न डिपार्टमेंट्स के लिए भवन निर्माण तथा अध्यापन कार्य के लिये अध्यापकों की नियुक्ति के बारे में रिपोर्ट दी थी । इक्विपमेंट एवं फर्नीचर के लिए 7 लाख की स्वीकृति दी जा चुकी है । भवन निर्माण हेतु भी स्वीकृति अब दी जा चुकी है ।

जोधपुर और अजमेर नये विद्यालय हैं । अत: इनमें अध्यापन हेतु एक पैटर्न निश्चित किया जा चुका है जिसके

(राव श्री वीरसिंह)
आधार पर स्टाफ भी स्वीकृत किया जा रहा है। इस प्रकार निरीक्षण प्रतिवेदनों पर लगभग पूर्ण कार्यवाही की जा चुकी है।

श्री ओमदत्त भाटी : विद्यार्थी जो तीसरे साल में आए हैं, उनको ऑपरेशन देखने के लिये कोई इन्तजाम नहीं है। दुख की बात है कि मंत्री महोदय कह रहे हैं कि कालेज बन रहा है। तब तक तो जो लडके पास हो जायेंगे तो वे कैसे डाक्टर्स होंगे ?

राव श्री वीरसिंह : महात्मा गांधी अस्पताल में जाकर देख सकते हैं।

श्री ओमदत्त भाटी : वहां गैलेरी नहीं है।

राव श्री वीरसिंह : गैलेरी बनी हुई है।

श्री ओमदत्त भाटी : 50 लडके 30-40 के कमरे में कैसे खडे हो सकते हैं ?

राव श्री वीरसिंह : बाई रोटेशन वहां भेजते हैं।

श्री ओमदत्त भाटी : बिल्कुल गलत है।

श्री खेतसिंह (शेरगढ) : भवन निर्माण कब प्रारम्भ हुआ ?

श्री अध्यक्ष : माननीय भाटी साहब आप स्थान ग्रहण करें। दूसरे माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

राव श्री वीरसिंह : नए कार्य के लिए स्वीकृति दी गई है, हम जल्दी कर रहे हैं।

श्री खेतसिंह : आपने फरमाया कि कार्य प्रारम्भ हो चुका है, कौनसी तारीख को कार्य प्रारम्भ हुआ है ?

राव श्री वीरसिंह : एक साथ स्वीकृति नहीं है, उसकी स्वीकृति स्टेजेज में दी गई है। एक साथ कार्य चालू नहीं हुआ। जब पूरा कम्पलीट हो जायगा उसके बाद काम में लेंगे।

श्री खेतसिंह : मतलब अभी तक भवन निर्माण का कार्य शुरू नहीं हुआ है ?

राव श्री वीरसिंह : शुरू हो गया है लेकिन पूरा नहीं हुआ है।

श्री ओमदत्त भाटी : मैं उनकी रिपोर्ट से दो पैराज पढ़ कर सुनाता हूं।

"Students have now come to the third year. No preparations have been made to receive them except the appointment of a Professor of Pathology and a Professor of Pharmacology. These Professors have no Assistants or Demonstrators, nor do they have any class room or laboratories to teach the students."

श्री अध्यक्ष : क्या कोई पुस्तिका है ?

श्री ओमदत्त भाटी : किताब नहीं है, मेडिकल इन्सपेक्शन की रिपोर्ट है।

श्री अध्यक्ष : कापी है क्या ? आथेन्टिक है ?

श्री ओमदत्त भाटी : जी हां।

श्री अध्यक्ष : रख दीजिए।

श्री ओमदत्त भाटी : मैंने रिपोर्ट मंगाई है।

श्री अध्यक्ष : यह सदन की मेज पर रख दें। श्री जुझारसिंह।

Page No. 14

(रिपोर्ट विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कनवास-धूलेट सडक का निर्माण

77. **श्री जुझारसिंह** (रामगंज मंडी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कनवास-धूलेट सड़क मंजूर की गई और उस पर अब तक क्या काम हुआ है ?

(2) प्रथम पंचवर्षीय योजना में मंजूर की गई इस सडक का निर्माण अब तक शुरू नहीं किये जाने का क्या कारण है ? यह सडक कब तक शुरू कर दी जावेगी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन) : (1) ग्रेवल रोड पहली योजना में तथा पक्की रोड तीसरी योजना में मंजूर की गई। 16 पुलियां और खरूजे बनाये गये हैं और कनवास की तरफ से 6 फर्लांग मिट्टी का काम और 4 फर्लांग में गिट्टी का काम हुआ है।

(2) कुछ काम कर दिया है बाकी काम धन की कमी के कारण बन्द है। धन की कमी की वजह से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री जुझार सिंह : आपने कहा कि पहली योजना में ग्रेविल रोड सेंक्शन हुई तो वह पूरी हो गई क्या ?

श्री अमीनुद्दीन : नहीं।

श्री जुझारसिंह : आपने फरमाया कि पहली योजना में ग्रेविल रोड मंजूर हुई और तीसरी में मेटल रोड सैंक्शन हुई। मेरा निवेदन है कि पहली योजना में जो सैंक्शन मिली उसका काम पूरा हो गया है ? आज तक उस पर एक कंकड भी नहीं पडा, कोरी सैंक्शन है। काम बिल्कुल नहीं हुआ। अब कब तक पूरा करने का विचार है ?

श्री अमीनुद्दीन : मैंने आपसे कहा कि जो काम जितना मंजूर हो सका, तीसरी योजना में हो चुका है।

श्री जुझारसिंह : लेकिन काम कितना हुआ ?

श्री अमीनुद्दीन : काम फण्ड्स से ताल्लुक रखता है।

श्री जुझारसिंह : जो पहली योजना में स्वीकृत हुआ, वह काम नहीं हुआ, उसके बाद तीसरी योजना में मंजूर हुआ है, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर योजना में रखने से कोई फायदा नहीं है जब तक काम नहीं होता है।

श्री अमीनुद्दीन: अब तक 1,80,000) रुपए इस पर खर्च हो चुके हैं, यह नहीं कि काम नहीं हुआ है।

श्री जुझारसिंह : मंत्री महोदय की जानकारी के लिए मैं निवेदन करू कि पुलियाओं को मंजूरी नहीं, इंजीनियर्स ने बिना मंजूरी के पुलिया बना दी हैं, वह टूट रही हैं, उनके मेन्टीनेन्स के लिए कोई फंड्स आपके पास नहीं हैं ?

श्री अमीनुद्दीन : पुलियाओं का सवाल दूसरा है।

श्री अध्यक्ष : ये पुलियाएं सडक पर आती हैं क्या ?

श्री जुझारसिंह : इन पुलियाओं का कोई मेन्टोनेन्स नहीं हो रहा है, इसलिए टूट रही हैं। इनके मेन्टोनेन्स के लिए फंड्स हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष: पुलिया मेन्टोनेन्स के लिए पैसा है क्या ?

श्री अमीनुद्दीन: अलग महकमा नहीं है। सडक का मेन्टोनेन्स होता है तो पुलिया भी उसी में है काजवेज भी उस मेन्टोनेन्स में आयेंगे।

श्री जुझारसिंह: सडक तो अभी नहीं है, न ग्रेवल रोड बनी है, न मेटल रोड बनी है। जो पुलिया बनाई गई है उनका मेन्टोनेन्स नहीं हुआ है।

श्री खेतसिंह (शेरगढ) : पुलिया और सडकों का डेफिनेशन बताइए।

श्री अध्यक्ष: सडक के साथ नत्थी है। नेक्स्ट।

नागौर में डिग्री कालेज

78. **श्री मोहम्मद उस्मान** (नागौर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या राज्य सरकार की नीति है कि राजस्थान के सभी जिलों के मुख्यालयों पर डिग्री कॉलेजों की स्थापना की जावे ? यदि हां, तो कौन कौन से जिलों के मुख्यालयों पर डिग्री कॉलेजों की स्थापना अभी तक नहीं हुई है ?

(2) क्या नागौर जिले के मुख्यालय पर कॉलेज की स्थापना का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त कालेज की स्थापना कब तक हो जायेगी ?

उप मंत्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) : (1) राज्य सरकार का लक्ष्य प्रत्येक जिले में एक महाविद्यालय की स्थापना करने का है। जैसलमेर, नागौर व सवाईमाधोपुर के मुख्यालयों में महाविद्यालय नहीं हैं। परन्तु नागौर और सवाईमाधोपुर जिलों में क्रमशः डीडवाना और करौली में महाविद्यालय हैं।

(2) जी हां। आर्थिक सुविधा होने पर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में नागौर शहर में महाविद्यालय की स्थापना की संभावना है।

श्री मोहम्मद उस्मान : नागौर में कब तक खोलेंगे ?

राव श्री धीरसिंह : कुछ भी सुनाई नहीं दिया।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : नागौर में डिग्री कॉलेज कब खोल दिया जावेगा ?

राव श्री धीरसिंह : योजना में है। योजना में फण्ड्स उपलब्ध हुए तो खोलने की व्यवस्था की जायेगी।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : कॉलेज तो खोल दिये जावेंगे लेकिन जो शिक्षित होकर बेकार रहते हैं उनका क्या होगा ?

राव श्री धीरसिंह : उनको भी लगा दिया जावेगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : (डूंगरपुर) : मेरे ख्याल से सरकार के लिये यह शोभनीय

Page No. 16

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
व्यवस्था नहीं है। तृतीय विधान सभा के समय भी दो तीन बार इस विषय पर चर्चा हुई कि हर एक डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर कम से कम एक कालेज की व्यवस्था हो। मंत्री महोदय के उत्तर से स्पष्ट है कि नागौर में अब तक कालेज नहीं खोला गया है। अगर इस प्रकार की व्यवस्था है कि डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर एक कालेज की व्यवस्था होना अनिवार्य है तो इस काम को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने की चेष्टा करना है न कि मंत्री महोदय की ओर से इस प्रकार की बात हो जाय कि चतुर्थ योजना के अन्तर्गत कॉलेज खोल दिया जावेगा। मंत्री महोदय की ओर से निश्चित रूप से संकेत होना चाहिए कि कितने दिनों में कालेज खोल दिया जावेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : मैं सदन के विरोधी दल के नेता को विश्वास दिलाता हूं कि पांच साल के अन्दर कालेज खोल दिया जावेगा।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ) : जिस प्रकार नागौर आदि में कालेज खोलने के लिये योजना थी उसी प्रकार लाडनूं और जसवन्तगढ में भी कालेज की व्यवस्था करने की योजना थी तो वहां पर क्यों नहीं खोला गया ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! यह अलग से प्रश्न है। यह व्यवस्था आसन की है।

श्री रामकिशन (वैर) : कालेज खोलने के सम्बन्ध में युनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन की क्या सिफारिशें हैं ?

श्री बरकतुल्ला खां : युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन युनिवर्सिटी कालेज को ही मदद देता है दूसरों को नहीं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री विट्ठल।

बांसवाडा से रतलाम सड़क पर डामर का ठेका

79. **श्री विट्ठल** (पिपलखूंट) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला बांसवाडा में बांसवाडा से रतलाम रोड पर डामर करने का ठेका किसी ठेकेदार को दिया गया है ? यदि हां, तो कहां से कहां तक का ?

(2) कब से उक्त ठेकेदार को ठेका दिया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त सडक का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है ?

(4) यदि हां, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन अहमद) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की सूचना प्राप्त की जा रही है। इस कारण निवेदन है कि इसके लिये दस दिन की मोहलत दी जाय।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

प्रश्न संख्या 80

श्री हरजीराम बुरडक

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा!

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है और इसको आप अपनी ओर से ही इजाजत दे दें।

श्री अध्यक्ष : श्री विट्ठल प्रसाद।

मनोहरथाना--सालपुरा मार्ग पर बसें

81. **श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा** (अकलेरा) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मनोहर थाना–सालपुरा मार्ग पर कितनी बसेज् पास हैं और क्या वे नियमित तौर पर चल रही हैं ?

(2) यदि वे नियमित तौर पर नहीं चल रही हैं तो क्या बस मालिकान के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

यातायात मंत्री (श्री अमीनुद्दीन): (1) मनोहर थाना-सालपुरा मार्ग पर 10 बसें पास हैं। इनमें सात बसें इस समय नियमित रूप से चल रही हैं।

(2) जो बसें नियमित रूप से नहीं चल रही हैं उनके मामलों पर आर. टी. ए. ने विचार किया और उन पर जुर्माना किया और परमिट सस्पेन्ड किये हैं। अवसर देने के बावजूद जिन बस वालों ने नियमित रूप से चलाना शुरू नहीं किया, उन पर 10-11 जनवरी, 67 को आर. टी. ए. ने फिर विचार किया और कुछ मुद्दों की जांच कर अगली बैठक में विचार के लिये निर्देश किया है।

श्री गिरधारी लाल व्यास (आर्मीन्द) : कितने अर्से से ये बसेज बन्द पड़ी हुई हैं?

श्री अमीनुद्दीन : तीन बसें कुछ अर्से से बन्द पड़ी हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : लोग परमिट इश्यू करा लेते हैं और बसों को चलाते नहीं हैं। परमिट का ब्लेक मार्केट करते है। जो बसें नहीं चलाते हैं उनके परमिट कैन्सिल होने चाहियें। और टी. ए. और आर. टी. ओ. सस्पेन्ड करके कार्यवाही लम्बी करते रहते हैं। इसलिये इस ओर आपको ध्यान देना चाहिये, और कोई आवश्यक और उचित कार्यवाही शीघ्र करनी चाहिये।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : मनोहरथाना-सालपुरा, वाया हरनोदा चलती हैं। सालपुरा तक चलती हैं या मनोहर थाना तक?

श्री अमीनुद्दीन : तीन रूट हैं। मनोहर-थाना-सालपुरा, वाया लासा, वाया हरनोदा।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : यह मनोहर-थाना-सालपुरा-वाया हरनोदा है इसकी संख्या कितनी है ?

श्री अमीनुद्दीन : चार।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : एक दिन भी नहीं चली है। उनके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया है ? क्या उनका परमिट कैन्सिल किया ?

श्री अमीनुद्दीन : जो बसेज नहीं चलती थीं उनको टैक्स देने से रोक दिया गया था। एक साल में टैम्परेरी परमिट से रिप्लेस की गई। जो बसेज जल्दी नहीं चल रही हैं उनके बजाय दूसरी बसेज चलाई जांय इसके लिये कोशिश की जायगी।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : मनोहरथाना और सालपुरा में चार सौ गांव हैं। अकलेरा में एस. डी. ओ. कोर्ट मौजूद है। लोगों को इस दृष्टि से आप ही ख्याल करें कि कितनी तकलीफ होती है ?

श्री अमीनुद्दीन : मैं यकीन दिलाता हूं कि इसकी जांच करायी जायगी।

श्री अध्यक्ष : श्री हरलाल सिंह खर्रा।

श्री माधोपुर में कॉलेज

82. **श्री हरलाल सिंह खर्रा** (श्रीमाधोपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मुख्य मन्त्री महोदय द्वारा जनवरी, 1967 में श्री माधोपुर की आम सभा में आने वाले सत्र से कॉलेज चालू करने की घोषणा की गई थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सभा में ही दान-दाता ने कॉलेज के भवन-निर्माण हेतु 10 लाख रुपयों के दान की घोषणा भी की थी ? यदि हाँ, तो क्या दानदाता ने सरकारी कोष में रुपये जमा करा दिये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मन्त्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) : (1) जी नहीं, मुख्य मन्त्री जी द्वारा यह कहा गया था कि अगर दानदाता भवन बनवा देंगे तो सरकार श्री माधोपुर में कॉलेज खोलने पर पूरा ध्यान देगी।

(2) जी नहीं।

श्री रामकिशन (वैर) : यह आपने किस प्रकार से जवाब दिया "जी नहीं"। क्या आपके पास मुख्य मन्त्री के भाषण का टेप रिकार्ड है ?

श्री हरलाल सिंह खर्रा : मैं मुख्य मन्त्रीजी से पूछना चाहूंगा कि क्या दानदाता ने उस समय दस लाख रुपयों की घोषणा नहीं की थी ?

राव श्री धीरसिंह : सरकार के पास में गई रिकार्ड नहीं है।

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : मैं सूचना दे दूं कि दानदाता ने यह कहा था। उसके बाद दानदाता ने धन जमा नहीं कराया और न भवन का निर्माण कराया ऐसी स्थिति में सरकार के सामने यह प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

श्री मदनसिंह दांता (दांतारामगढ़) : क्या यह सही है कि एक कांग्रेसी नेता वहा से खड़े हुए थे और वहां से वे नहीं जीते इस कारण से वहां पर आप कॉलेज नहीं खोल रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हो सकता है दानदाता अब न दें। कन्डीशन दानदाता की ही थी। कांग्रेस हार गयी और दानदाता भी दान न दे तो मुख्य मन्त्री कैसे दे ?

श्री मदनसिंह दांता : मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों से, पार्टी के लोगों से विश्वास दिलायें तो यह जनता के साथ एक मखौल हो रहा है कि कांग्रेस जीतें तो वहा कॉलेज बनायें वरना नहीं जीते तो नहीं बनायें ?

श्री हरलाल सिंह खर्रा : भवन-निर्माण होने पर कॉलेज खोलने की व्यवस्था करेंगे ?

Page No. 19

राव श्री वीरसिंह : भवन बना देंगे तो विचार करेंगे।

श्री देवीदत्त गाझुंवा (बारां) : जहां भवन निर्माण करा रहे हैं वहां घोषणा क्यों नहीं कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह हाइपोथेटिकल है।

श्री रामकिशन : मुख्य मन्त्री आम जनता के सामने इस प्रकार की घोषणा करते हैं। इस प्रकार की जाली घोषणा मुख्य मन्त्री महोदय के द्वारा कर देना और फिर वहां पर कॉलेज न खोलना क्योंकि वहां से कांग्रेस का कैन्डीडेट नहीं जीता यह एक करप्शन को बढ़ावा देना मात्र है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : दानदाता कहे और आवश्यकता महसूस हो और जनता के हित में काम होने वाला हो तो उस समय कहने में कोई एतराज की बात नहीं होती है।

श्री रामकिशन : दस लाख रुपया जमा कराऊंगा और इस पर राज्य का मुख्य मन्त्री घोषणा करे और फिर इस प्रकार की बात हो तो यह क्या बात हुई ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर!!

श्री भीमसेन !

बीकानेर लूणकरणसर सड़क की मरम्मत

83. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर-लूणकरनसर रोड का माइल 12 से 15 व 39 से 44 तक का हिस्सा काफी टूट-फूट गया है ?

(2) क्या सरकार उपरोक्त सड़क की मरम्मत हेतु मेन्टीनेन्स फंड से उचित राशि स्वीकृत करने का इरादा रखती है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन) :

(1) सड़क की हालत अच्छी नहीं है।

(2) विचाराधीन है।

श्री भीमसेन : विचाराधीन कब तक रहेगा ?

श्री अमीनुद्दीन : इसे देख लिया है। जल्दी ही कर देंगे।

श्री रामकिशन (वैर) : यह जब तक रहेंगे इनके सारे मामले विचाराधीन रहेंगे।

अध्यापकों के स्थानान्तरण की अवधि

84. **श्री भगवान दास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

अध्यापकों की असुविधा को मिटाने के दृष्टिकोण से सरकार इस बात का सुनिश्चय करने के लिए कि किसी अध्यापक का स्थानान्तरण तीन वर्ष से पूर्व न हो, क्या विशेष व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उपमन्त्री, शिक्षा (राव श्री वीरसिंह) : सामान्यतया किसी भी अध्यापक का एक स्थान से दूसरे स्थान को तीन वर्ष से पहले स्थानान्तरण नहीं किया जाता। परन्तु किसी शिकायत पर जो उसके विरुद्ध साबित हो या किन्हीं और प्रशासनिक कारणों से

(राव श्री धीरसिंह)
तीन वर्ष से पहले भी स्थानान्तरण किया जाता है और ऐसा किया जाना आवश्यक है।

श्री भगवान दास शास्त्री : जितने अध्यापकों का स्थानान्तरण किया है, उनकी संख्या बता सकते हैं ?

राव श्री धीरसिंह : इन पर अलग से प्रश्न पूछ लीजियेगा तो बता सकेंगे।

श्री भगवानदास शास्त्री : यह तो इसमें निहित है। लिमिट से बाहर जब जाकर तबादले होते हैं तो उनके पीछे रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार आदि छिपे रहते हैं।

राव श्री धीरसिंह : किसी अध्यापक के बारे में पूछना चाहते हों तो बताईये ?

श्री भगवानदास शास्त्री : मैं तो यह जानना चाहता था कि ऐसे कितने अध्यापक हैं जिनका तीन साल से पूर्व स्थानान्तरण किया गया है लास्ट सेशन में ?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय के पास इस समय जानकारी नहीं है। दूसरा प्रश्न पूछ लीजिये।

नैक्स्ट।

तख्तगढ़ मोकलसर सड़क का काम

85. **श्री माधोसिंह** (आहोर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तख्तगढ़ से मोकलसर जाने वाली सड़क का काम कब चालू होगा। ?

(2) तख्तगढ़ से चांदराई तक इसी सड़क का काम कब चालू किया जावेगा ?

(3) चांदराई से सांखवाली सड़क के बीच जो काम अधूरा छोड़ा गया है वह कब पूरा किया जावेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन) : (1),(2) व (3) ये सड़कें योजना में शामिल नहीं हैं और न इन सड़कों की मन्जूरी अकाल राहत सड़कों में हुई है लिहाजा इन सड़कों का काम कब शुरू होगा नहीं कहा जा सकता।

श्री माधोसिंह : मरम्मत के पैसों में से तो खर्च किया जावेगा ? अगर अकाल के काम में इसे नहीं लिया जा सकता तो ?

श्री अमीनुद्दीन : अकाल की सैन्कशन का जहां तक सवाल है, पी.डब्ल्यू. डी. से उसका ताल्लुक नहीं है।

धौलपुर–भरतपुर सड़क की मरम्मत

86. **श्री बनवारी लाल** (धौलपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) धौलपुर से भरतपुर वाया सेपऊ की सड़क क्या मरम्मत-तलब है ? यदि हां, तो इस सड़क की मरम्मत बावत कोई टेण्डर लिए गए हैं ?

(2) अगर टेण्डर लिए गए हैं तो किस पार्टी के ? यदि नहीं लिये गये हैं तो क्यों ?

(3) राज्य सरकार ने इस सड़क की मरम्मत के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान रखा है ?

Page No. 21

(श्री बनवारीलाल)

(4) इस सड़क की मरम्मत का कार्य किस तारीख को प्रारम्भ कर दिया जावेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन अहमद): (1) भरतपुर से रूपवास सड़क की हालत ठीक है। धौलपुर से सेपऊ सड़क के 18 मीलों में से 8 मील की हालत अच्छी नहीं है। 6 मील के टेन्डर मन्जूर कर दिये हैं।

(2) धौलपुर-सेपऊ रोड के मील 11 से 14 तक का ठेका श्री ओमप्रकाश ठेकेदार को और मील 15 से 16 का ठेका श्री राधेलाल ठेकेदार को दिया गया है।

(3) मरम्मत की रकम सड़कवार मन्जूर न की जाकर इकजाई मन्जूरी दी जाती है।

(4) आशा है निकट भविष्य में काम शुरू हो जावेगा।

श्री बनवारी लाल : अच्छी हालत से मन्त्री महोदय का क्या मतलब है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : इसका मतलब यह है कि सड़क पर मोटर चल सकती है।

श्री बनवारी लाल : जब इसके टेण्डर दिये तो काम शुरू क्यों नहीं कराया गया ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : काम शुरू होगा। अभी तो टेन्डर लिये गये हैं।

श्री बनवारी लाल : टेण्डर कब दिये गये ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : इसकी जांच कराली जावेगी।

श्री रामकिशन (वैर) : आपको तारीख की नहीं मालूम है। यह तो सरकारी अफसरों ने मुगालते में रखा है।

श्री अध्यक्ष : 67 में दिये गये हैं टेण्डर।

श्री बनवारी लाल : अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय को यह जानकारी है कि धौलपुर से भरतपुर वैसे अभी 75 मील पड़ता है और सेपऊ होकर धौलपुर से भरतपुर 47 मील ही पड़ता है तो 28 मील का रास्ता कम होता हो तो क्या उसे प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : पर इसमें एक दिक्कत आती है बीच में यू.पी.का कुछ टुकडा पडता है।

श्री बनवारी लाल : वह तो बना हुआ है।

श्री अमीनुद्दीन : इसको देखेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

टोपीदार बन्दूकों के लाइसेंस का प्रयोजन

87. **श्री खेतसिंह** (शेरगढ़) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) टोपीदार बन्दूकों का लाइसेन्स करने से सरकार का क्या प्रयोजन था ?

(2) क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि जनता को इस लाइसेन्स को बनाने में कितनी कठिनाइयां उठानी पडती हैं ?

(श्री खेतसिंह)

(3) क्या सरकार इस लाइसेन्स की पद्धति को रद्द करने का कोई इरादा कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार इस लाइसेन्स को बनाने व रिन्यू करने के अधिकार पुलिस थानों को देने का सोच रही है? यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह मन्त्री (श्री दामोदर लाल व्यास) (1) व (2) यह विषय केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित है, क्योंकि भारतीय शस्त्र नियम तथा अधिनियम भारत सरकार द्वारा बनाये गये हैं।

(3) यह विषय केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित होने के कारण यह प्रश्न नहीं उठता है।

(4) टोपीदार बन्दूकों के अनुज्ञा-पत्रों को बनाने तथा नवीनीकरण करने के अधिकार तहसीलदारों को दे दिये गये हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : इस सम्बन्ध में एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। मेरे ख्याल से यह जो टोपीदार बन्दूक के लाइसेन्स की व्यवस्था है वह केन्द्र से ताल्लुक रखती है, मैं मानता हूं। लेकिन सीमा के क्षेत्रों में बाडमेर है उदयपुर डिवीजन में भी बहुत से आदिवासियों के पास टोपीदार बन्दूकें हैं। आज का युग अणुयुग है अगर टोपीदार बन्दूक कोई मसकट है तो मैं मानता हूं लाइसेन्सिग व्यवस्था की जावे पर जो ऑबसोलीट रही एक नाली नाम मात्र की बन्दूक है उसके ऊपर भी लाइसेन्स की व्यवस्था करके सैंकड़ों की तादाद में आदिवासी गरीब लोगों को तहसील हैड क्वार्टर में सारी रात-रात भर बिठाये रखना लाइसेन्स के नाम पर ऐसी व्यवस्था है कि जो खामी से भरपूर है। इस सम्बन्ध में सुविधा कोई न कोई आप अवश्य दें। और उदयपुर डिविजन में तो, सलूम्बर का उदाहरण में दूं, आदिवासी बहुत तादाद में सारी रात बिठाये रक्खे गये उनकी बन्दूकों के कुन्दे तोड़कर आग लगाकर उन लोगों ने अपने आपको सेका और सुबह मालूम हुआ कि तहसीलदार साहब तो बाहर चले गये हैं। ऑब्सोलीट नाम मात्र का हथियार है और आज के जमाने में जब आपके पास मौडर्न वेपन्स हैं, यह सो काल्ड मस्कट और टोपीदार बन्दूक, बन्दूक की ही श्रेणी में नहीं आती। यह निवेदन करूंगा कि केन्द्रीय सरकार का राजस्थान सरकार के द्वारा इस ओर ध्यान आकर्षित किया जावे कि यह सो काल्ड मसकट या टोपीदार बन्दूक, बन्दूक नहीं है। बन्दूक की परिभाषा में नहीं आती है।

जो हथियार बन्दूक की परिभाषा में आवे उसके लिये आप दो साल में एक दफा लाइसेन्सिग का सिस्टम करदें तो सुविधा-जनक रहेगा। इसके अतिरिक्त जो बोर्डर पर रहने वाले लोग हैं वहां पर भी किसी किस्म का ऐसा वेपन रखते हैं तो मेरे ख्याल में इस सम्बन्ध में सरकार को चाहिये कि वह उदारतापूर्वक व्यवस्था करे।

आदिवासियों के लिये व्यवस्था को लेकर मेरा निवेदन है कि उनके लिये भी उदारतापूर्वक व्यवस्था करनी चाहिये। इसके सम्बन्ध में सरकार की ओर से कोई न कोई व्यवस्था करना परमावश्यक है

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

और केन्द्र को वास्तविक स्थिति से अवगत कराना आवश्यक है।

श्री दामोदर लाल व्यास : इसके सम्बन्ध में जैसा मैंने निवेदन किया इसका सम्बन्ध भारत सरकार से है पर जो बातें माननीय सदस्यों ने कही है उनको खुद मैं महसूस करता हूँ और इसके लिये भारत सरकार को लिखकर हमने भी चाहा था कि इस तरह की टोपीदार बन्दूकों को लाइसेन्स से मुक्त कर दिया जावे। जहां तक नाली वगैरह है तो बहरहाल नाली को एग्जम्प्ट करना तो गलत होगा इसलिये कि नालीदार से बन्दूक को मरम्मत कराकर तैयार कराया जा सकता है इसलिये इसको एग्जम्प्ट करने के लिये सरकार कतई तैयार नहीं है। ऐसी परिस्थिति में यह तो सरकार कर नहीं सकती। अलबत्ता दिक्कतें जो तहसीलदार या अन्य अधिकारी पैदा करते हैं ऐसी बातें अगर ध्यान में लाई जायेंगी तो तुरन्त कार्यवाही की जावेगी। अहतियातन तहसीलदार को और आगाह कर दिया जावेगा कि जो तारीख मुकर्रर करें उस तारीख को वहां रहकर बराबर उनका काम किया जाना चाहिये। और कोई नया रास्ता आप बतावेंगे तो सरकार उस पर भी अवश्य विचार करेगी।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मन्त्री महोदय ने कहा कि वह कुछ करने को तैयार है पर आदिवासी क्षेत्र में दो-तीन हजार बन्दूकें इस तरह की लोगों के पास होंगी। आज वे अस्सी गज भी गोली नहीं फेंक सकतीं। चकोर तक नहीं मार सकते। खाली नाम को बन्दूक है। तो क्या यह बन्दूक की परिभाषा में वास्तविक रूप में आ सकती है तो आप जाने आपका खुदा जाने।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, जो अभी बात बन्दूकों के बारे में कही गई....

श्री दामोदर लाल व्यास : मैं तो यही कह सकता हूं कि भारत सरकार को हम और इस पर लिखेंगे। आदिवासी क्षेत्र के लिये भी लिखेंगे।

श्री मदनसिंह दांतारामगढ़ : एक मेरा भी कान्क्रीट सुझाव है। जहां तक आर्म का सवाल है पांच गज मार करे या दो गज करे यह आर्म है। और आर्म की दृष्टि से लाइसेंस बनाना जरूरी है। मेरा सुझाव है कि इसके लिये वे ऐसा करें कि एक बार उनको लाइसेन्स बना दिया जाय पैसा लेकर फिर बाद में रिन्यूअल में कोई पैसा न लें। बार-बार जो लाइसेन्सिंग फीस की दिक्कत है वह गलत है इसके लिये इस तरह से एक लाख भी हथियार हों तो उनका एक बार लाइसेन्स हो जावे। फिर बार-बार हर साल जो होता है इसमें दिक्कत है वह दूर होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : यही पर्याप्त होगा। सुझाव आपने दे दिया।

सिंधी भाषा स्कूलों में सिंधी अध्यापक

88 **श्री भगवान दास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

क्या सरकार सिन्धी भाषी प्राईमरी एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में सिन्धी

(श्री भगवानदास शास्त्री)
अध्यापक ही नियुक्त करने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब ऐसी व्यवस्था हो सकेगी ?

उप मन्त्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह): राज्य सेवा में किसी भी स्थान को वर्ग विशेष के व्यक्ति द्वारा ही भरे जाने की व्यवस्था नहीं की जा सकती। अलबत्ता मातृभाषा में शिक्षा देने के लिये निर्धारित मापदण्डों की जो शालाएं पूर्ति करती हों, उनमें उन भाषाओं को जानने वाले अध्यापक नियुक्त किये जा सकते हैं।

श्री भगवानदास शास्त्री : क्या आपको मालूम है कि अभी केन्द्र में सिन्धी भाषा को आठवीं शिड्यूल में शामिल कर लिया गया है उसको ध्यान में रखते हुए अगर एक लोकल अध्यापक जो सिन्धी नहीं जानता और सिन्धी माध्यम से जहां पढ़ाने की व्यवस्था हो तो वहां लड़कों की सुविधा को देखते हुए अध्यापकों के छुट्टी पर जाने पर वेटिंग लिस्ट के लिये सिन्धी भाषी मास्टर ही रखा जायेगा ? जातिवाद की दृष्टि से मैं इसे नहीं रख रहा हूं पर बालकों की सुविधा की दृष्टि से निवेदन कर रहा हूं।

राव श्री धीरसिंह : ऐसा है कि सिन्धी जानने वाले अध्यापक को ही लगाने की हम चेष्टा करते हैं अगर उपलब्ध हो सके तो। नहीं होता है तो दूसरे को लगाते हैं। फिर आपने जो सुझाव दिया है उस पर सरकार और विचार कर सकेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सिन्धी भाषा जब कान्स्टीट्यूशन में शामिल कर ली गई है तो क्या अब उसे भी वही स्टेटस देने को सरकार तैयार है जो उर्दू को दिया हुआ है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। यह अलग से प्रश्न है।

इमारतों पर व्यय, जिला बूंदी

89. **श्री केसरीसिंह** (हिंडोली): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य के निर्माण के परिणामस्वरूप जिला बूंदी की जो इमारतें सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन आईं वे किस किस विभाग के उपयोग में आ रही हैं ?

(2) इन इमारतों पर हर साल विभाग द्वारा कितनी रकम खर्च की जा रही है और अब तक कुल कितनी रकम खर्च की गई है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन) : (1) सूची (क) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जो इमारत निर्माण विभाग की मरम्मत सूची पर है उसका तीन साल का औसत खर्च सूची (ब) में दर्ज कर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 1 व 2 देखिये)

श्री केसरीसिंह : इन तीन इमारतों पर 376.99 पैसा लिखा है। मैं पूछता हूं जब से राजस्थान बना है कितनी रकम उस पर खर्च की गई है ?

श्री अमीनुद्दीन : तीन इमारतों पर क्या खर्चा किया गया या किस तरह से खर्च किया गया अगर आप पैसा देने के लिये पूछते हैं तो इसका बाद में जवाब दे दूंगा।

श्री केसरीसिंह : आपकी तालिका में मौजूद है कि पैसा खर्च नहीं किया गया। 66 में 376.99 पैसा खर्च हुआ और 67 में खर्च नहीं हुआ। पूर्व भी नहीं हुआ। फिर तीन सालों में से एक साल में खर्च हुआ है और वह भी मामूली खर्चा हुआ है। इतनी बडी बिल्डिंग होते हुए क्या बात है इतनी कम रकम खर्च हुई ?

श्री अमीनुद्दीन : यह जानकारी इस समय मेरे पास नहीं है। मालूम करके निवेदन कर सकता हूं।

श्री केसरीसिंह : आखिरी पेज में आप देखें। आइटम 37 को।

श्री अमीनुद्दीन : यह मैं देख लूंगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए। शेष प्रश्नों के उत्तर माननीय सदस्यों के पास पहुंच जावेंगे।

(शेष प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट —3 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम गन्डाला (बहरोड़) के पब्लिक हैल्थ सैन्टर में स्टाफ

72. (24।गृह. मं.) **श्री अमीलाल यादव** (बहरोड़)—क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जिला अलवर, तहसील बहरोड़ में ग्राम गण्डाले के पब्लिक हैल्थ सेन्टर में स्टाफ अब तक नहीं भेजा गया है ?

उत्तर

ग्राम गण्डाला के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में निम्नलिखित स्टाफ कार्य कर रहा है।

क्र. सं.	पद	
1	कम्पाउण्डर ग्रेड द्वितीय	1
2	कम्पाउण्डर ग्रेड तृतीय	1
3	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1

शेष स्टाफ की नियुक्ति ट्रेन्ड स्टाफ के अभाव के कारण नहीं की जा सकी है। ट्रेन्ड स्टाफ के उपलब्ध होते ही नियुक्ति कर दी जायेगी।

पंचायत समितियों के अध्यापकों की पदोन्नति

80. (8।शि.मं.) **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं)—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा नियमों में यह व्यवस्था है कि पंचायत समितियों में कार्य करने वाले कर्मचारी भी राज्य सेवा के समान ही पदोन्नति के हकदार होंगे ? यदि हां, तो पंचायत समितियों में कार्य कर रहे अध्यापक जिन्होंने बी. ए. या एम. ए. की परीक्षाएं पास की हैं उनकी मिडिल व सैकन्ड्री स्कूलों में नियुक्ति न करके शिक्षा विभाग द्वारा सीधी भर्ती क्यों की जाती है ?

उत्तर

जी हां। शैक्षणिक दृष्टि से यह आवश्यक माना गया है कि अध्यापक श्रेणी 2 तथा इससे ऊंचे पदों के 50 प्रतिशत रिक्त स्थानों की पूर्ति सीधी भर्ती द्वारा होनी चाहिए। सीधी भर्ती और पदोन्नति में भी पंचायत समितियों में कार्य करने वाले अध्यापकों में और राजकीय संस्थाओं में कार्य करने वाले अध्यापकों में कोई भेदभाव नहीं है।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव रक्खा है।

श्री अध्यक्ष : हां, मेरे पास है।

श्री व्यास।

श्री रघुनाथ विश्नोई : स्थगन प्रस्ताव होते हैं उनका आखिरी टाइम में ही जवाब दिया जाता है। आज ये दो स्थगन प्रस्ताव हैं क्या भविष्य में वही व्यवस्था रहेगी या कुछ दूसरी होगी ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर !

(12.03 म. प.)

कार्य सलाहकार समिति का द्वितीय प्रतिवेदन

श्री दामोदर लाल व्यास (गृह मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के दूसरे प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ।

श्री दामोदर लाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के दूसरे प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री भैरोंसिह : अध्यक्ष महोदय, जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें कुछ भ्रम के कारण से मैं समझता हूं कि सही ढंग से वह नहीं रखा गया है। इसमें पी. ए. सी. की जगह अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया है। वह आर्डर आफ प्रायोरिटीज में किन किन डिमाण्ड्स को लिया जावे तै करें। लिखा है रूल्स में कि लीडर आफ दी हाउस विथ दी एप्रूवल आफ दी पी. ए. सी.

श्री अध्यक्ष : अब एडवाइज किसकी होनी चाहिये ?

श्री भैरोंसिह : एडवाइज होनी चाहियें स्पीकर महोदय की और लीडर आफ दी हाउस इसे लेंगे।

श्री अध्यक्ष : हां मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री भैरोंसिह : अध्यक्ष द्वारा सदन के नेता महोदय के परामर्श से On the advice of the leader of the house यह है।

श्री हरिदेव जोशी : पी. ए. सी. की जगह पर अध्यक्ष महोदय को रख दिया है। यह तो है न ?

श्री भैरोंसिह : अध्यक्ष आपके नेता महोदय से सलाह लें।

श्री हरिदेव जोशी : येह लिखा है न इसमें।

श्री भैरोंसिह : अध्यक्ष महोदय नेता महोदय से सलाह लें।

श्री हरिदेव जोशी : This is alright.

श्री भैरोंसिह : इसमें लिखा है नेता महोदय अध्यक्ष महोदय से सलाह लेंगे। तो नेता महोदय अध्यक्ष महोदय से सलाह लेंगे या अध्यक्ष महोदय नेता महोदय से सलाह लेंगे ?

श्री दामोदर लाल व्यास : हां ठीक है।

श्री अध्यक्ष : तो सदन की क्या यह अनुमति है कि इस संशोधन के साथ इसे स्वीकार किया जावे ?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

प्रतिवेदन स्वीकार किया जाता है।

स्थगन प्रस्ताव।

श्री रामाकिशन का 6 व्यक्तियों के अपहरण करने के सम्बन्ध में। यह स्थगन प्रस्ताव लोक महत्व का न होने के कारण से अस्वीकृत किया जाता है। मन्त्री महोदय सुविधानुसार अपना स्टेटमेन्ट इस पर देंगे।

दूसरा स्थगन प्रस्ताव श्री रामानन्द अग्रवाल का है। मन्त्री महोदय इसका स्पष्टीकरण करेंगे।

श्री हरिदेव जोशी : (विद्युत् मंत्री) यह स्थगन प्रस्ताव तो एक दम गलत सूचना के आधार पर दिया गया है। राज्य सरकार चाहती है कि दिल्ली से लेकर अलवर तक लाइन लगायी जावे। जब कि इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार ने अस्वीकार किया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात को रखने दें तो स्थिति क्लियर होगी।

अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय पावर एण्ड वाटर बोर्ड ने दिल्ली से जयपुर तक 132 के. वी. की ट्रान्समिशन लाइन डालने का निर्णय दिसम्बर, 1966 में लिया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज ! मैं इस स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार करता हूं लोक महत्व का न होने के कारण मन्त्री महोदय, इस पर स्टेटमेन्ट दे दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, आप इसके बारे में सुनें तो सही कि सारे राजस्थान में जहां बिजली का इतना बड़ा संकट हो रहा है, केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेष सुविधा देने के लिए श्री के. एल. राव ने 20 मेगावाट पॉवर केन्द्र से देने का निर्णय किया उसके लिए धनराशि केन्द्र से देने का निर्णय किया। उसके लिए राजस्थान विद्युत् मण्डल ने एक सर्किल अलग नियुक्त किया 5 डिविजन्स नियुक्त किये और आफिसर्स नियुक्त कर दिये मैटीरियल तैयार करवा लिया गया, मैटीरियल भेज दिया गया और उसके बाद में गवर्नमेन्ट ने उस काम को रोक दिया

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कुछ निवेदन करना चाहता हूं

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, पहले आप सुनिये तो सही ! आप अपनी रूलिंग देने के पहले मुझे सुन तो लें उसके बाद में कुछ कहें।

श्री अध्यक्ष : रूलिंग के सम्बन्ध में मुझे नहीं कहना है। आपका जो स्थगन प्रस्ताव यहां आया है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। अब प्रस्ताव के रिजेक्ट होने के बाद पहले उस प्रस्ताव पर ही आप बहस करने लग जायें यह रूल्स के अन्तर्गत नहीं आता इसलिये मैंने मन्त्री महोदय से यह निवेदन किया है कि वह इस पर एक स्टेटमेन्ट दे दें। स्टेटमेन्ट देने पर आप इनफर्मेशन इनसे सीक कर लें वह आपका अधिकार है। यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि फ्लोर पर आज डिबेट हो और आप उसमें भी समय लेंगे और यदि अभी समय ले लेते हैं तो उस समय

(श्री अध्यक्ष)

करटेलमेन्ट करना होगा और उससे माननीय सदस्यों को दिक्कत उठानी पड़ेगी। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से एक स्टेटमेन्ट देने के लिये कह रहा हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कब स्टेटमेन्ट देंगे ?

श्री हरिदेव जोशी : 29 को दे दूंगा। I am Sorry. उस दिन तो बजट है इसलिए 31 मार्च को दे दूंगा।

श्री भैरोंसिंह व श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आज शाम के लिए रख लिया जाये।

श्री हरिदेव जोशी : यह फेक्ट्स पर आधारित नहीं है, मैं, 31 को ही दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : खाद्य स्थिति पर विचार–श्री पी. के. चौधरी।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव रखा है और उसके अन्दर कोटा नगर के अन्दर जो आणविक शक्ति केन्द्र है····

श्री अध्यक्ष : जानकारी प्राप्त की है।

श्री भैरोंसिंह : यह इतना इम्पोरटेन्ट मैटर है कि माननीय मन्त्री महोदय को खुद अपने आप इनफर्मेशन देनी चाहिये।

श्री हरिदेव जोशी : इसको भी 31 तारीख को ही रखदें।

श्री देवीदत्त : अध्यक्ष महोदय, उसके अन्दर भयंकर आग लगने के कारण एक करोड रुपये का नुक्सान हुआ है····

श्री हरिदेव जोशी : यह सही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

यस। श्री पी. के. चौधरी।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ) : on a point of clarification sir.

श्री अध्यक्ष : Clarification in the chamber please.

श्री मदनसिंह : On a point of privilege, sir.

अभी अभी एक ऐसी घटना हुई। कल जिस समय फौजियों के सम्बन्ध में बातचीत हो रही थी तो चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद कहा कि ऐसे फौजी जिनके साथ में अलॉटमेन्ट के सम्बन्ध में अन्याय हो रहा है उनको कल तक मेरे पास ले आयें और आज वह यहां आये हैं और फौजियों को कार्डस् मिल गए और एक फौजी जो कि सोल्जर है उसको रोका गया, उसकी टोपी उतारी गयी, बुश शर्ट उतारी गयी और उसकी ड्रेस उतारी गयी। मैं समझता हूं कि एक फौजी जो कि कार्ड लेकर आता है वह कार्ड ही काफी मान रखता है। उसके बाद में कार्ड प्राप्त करने के बाद में फौजी की ड्रेस उतारना मैं समझता हूं कि एक सदस्य के लिए नहीं बल्कि भारत की तमाम आर्मी के लिए शर्म की बात है और वह भी पुलिस के द्वारा उतारी जाय और सिविल ड्रेस में यहां लाया जाये····

श्री अध्यक्ष : मैं इसकी विशद् रूप से जानकारी प्राप्त करूंगा।

श्री भवनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, जानकारी मौजूद है, आदमी मौजूद हैं ।

श्री अध्यक्ष : लेकिन मुझको तो जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी और आपकी भी जानकारी की बुनियाद लूंगा उसके ऊपर मैं अपनी जानकारी प्राप्त करूंगा।

एक माननीय सदस्य : (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : Order in the Chamber.

श्री पी. के. चौधरी।

(12.15 म. प.)

राज्य की खाद्य स्थिति पर अग्रेतर विचार

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, आज दो दिन से खाद्य स्थिति पर विचार हो रहा है और सदन में मैंने इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव भी रखा है राज्य सरकार की खाद्य नीति का समर्थन करते हुए। जहां तक सदन में विचार चला उसमें मैं जहां तक देख पाता हूं विरोधी पक्ष के नेता की तरफ से जो विचार व्यक्त किये जा रहे हैं उनमें बहुत कुछ विरोधाभास है। जैसा कि विरोधी दल के नेता ने कहा कि दरअसल राज्य में खाद्य संकट नहीं है, खाद्य की कमी नहीं है और यह डिस्ट्रिब्यूशन की ही कमी उन्होंने बताई। मैं चाहूंगा कि कम से कम जब हम खाद्य स्थिति पर विचार कर रहे हैं तो हमारे प्रान्त में टोटल प्रोडक्शन क्या है और फूडग्रेन्स की एक्च्युअल पोजीशन क्या है, उसकी जो एक्चुअल पोजीशन है उसके सम्बन्ध में हमको जानकारी रखनी चाहिये । सिर्फ गवर्नमेन्ट को क्रिटिसाइज करने के लिए और समालोचना करने के लिए एकदम से बात कहना उचित नहीं होगा। जैसा कि गवर्नमेन्ट ने एक किताब सरकुलेट की है उसको देखते हुए यह मालूम होता है कि इस साल का जो हमारा प्रोडक्शन है वह करीब 33.4 लाख टन का है और हमने यह हिसाब लगाया कि एवरेज जो 500 ग्राम पर हैड हिसाब लगायें तो लगभग राजस्थान का रिक्वायरमेन्ट साल का जो आता है वह करीब करीब 41 लाख टन का बैठता है। वेस्टेज और दूसरी चीजें मिलाकर देखें तो वह 42 लाख टन का साल का रिक्वायरमेन्ट है। अब इस दृष्टि से हम देखें इस साल का हमारा प्रोडक्शन····

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : इसमें सब्जी, मांस, अन्डे वगैरह सब कुछ गिन लिया ?

श्री पी. के. चौधरी : हां, सब कुछ।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : बूढ़े और बच्चों की गिनती और महिलाओं की भी गिनती करली ?

श्री पी. के. चौधरी : आपको जो कुछ कहना है बाद में कहें। अभी बीच में क्यों बोलते हैं।

तो यह जो पर हैड 500 ग्राम का रखा है उसमें चिल्ड्रन भी आते हैं, वेस्टेज भी आता है। यह 500 ग्राम का एवरेज रखा गया है वैसे तो एक एक किलो खाते हैं गांवों में। पर 500 ग्राम का एवरेज रखा है, वह तो एवरेज का नियम है उसके अनुसार रखा गया है। अब 500 ग्राम के हिसाब से लगाया है तो 2 करोड़ 25 लाख की हमारी

(श्री पी. के. चौधरी)

राजस्थान की आबादी के लिए 41 लाख टन बैठता है। इसके अन्दर बीज भी आता है, वेस्टेज भी जो लगभग 10 पर्सेन्ट और 20 पर्सेन्ट के बीच होता है फूड ग्रेन्स का यह सब शरीक करके 41 लाख टन का हमारा साल का रिक्वायरमेन्ट होता है। इसमें सीड्स का भी रिक्वायरमेन्ट लेते हैं तो 42 लाख टन का होता है। इसमें जो खाना मवेशी को देते हैं वह भी शरीक है। हमारा जो प्रोडक्शन है इस साल का वह एस्टीमेट बताया गया है 33.60 लाख टन, मतलब 33।। लाख टन का हमारा इस साल का प्रोडक्शन है जब कि पिछली साल 34 लाख टन था। इसके हिसाब से हम देखते हैं और हमारा जो रिक्वायरमेन्ट है उससे हमारा प्रोडक्शन करीब 8लाख टन सालाना कम पड़ता है तो इस हिसाब से हमारा मन्थली 70 हजार टन कम आता है। और यह 70 हजार टन हमें बाहर से इम्पोर्ट करना चाहिए। लेकिन एक्चुअल परिस्थिति यह है कि आज हमको सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से जो फूडग्रेन मिलता है वह 70 हजार टन मन्थली नहीं मिलता है। मेरी जानकारी से पिछले महीने में जो कोटा मिला है वह 24 हजार टन का मिला है और सदन के विरोधी पक्ष को भी कहना चाहूंगा कि सदन में जो विवरण दिया जाता है और वातावरण पैदा किया जाता है कि जैसे पहले धन्यवाद प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के समय विरोधी दल के नेता ने खास तौर से कहा था कि राजस्थान में फेमिन नहीं था बल्कि चुनावों के लिए खर्चा किया गया है और फिर फेमिन कन्डीशन्स नहीं होते हुए भी चुनावों के नाम से खर्च किया है तो उसका रिपरक्शन होता है। आखिर हम सेन्टर से खाद्यान्न मांगते हैं और हमारे यहां पर जो डिस्कशन्स होते हैं उनका भी इम्पैक्ट पड़ता है। विरोधी पक्ष कहता है कि अकाल की स्थिति नहीं है और चुनावों के लिए पैसा खर्च किया है तो इसका इम्पैक्ट होता है। आपको 70 हजार टन का अनाज मन्थली कम पड़ता है जो कि आपको बाहर से लाना चाहिये। अब उस हालत में जो अकाल की स्थिति है उसको फेस करने के लिए हम कोई कन्स्ट्रक्टिव सुझाव दें, कोई अच्छी बात कहें वह नहीं करके हम आर्टिफिशियल वातावरण पैदा करते हैं इससे पब्लिक में यह धारणा बनती है फूडग्रेन्स की कमी नहीं है और बाहर से जो हम इम्पोर्ट करते हैं उसके लिये भी दिमाग में यही बैठता है कि कमी नहीं है। तो इसका गलत इम्प्रेशन होता है। तो मेरा निवेदन यही है कि हम यहां पर जो भी भाषण दें और जो भी विचार व्यक्त करें वह तथ्यों के आधार पर हमको करने चाहिये।

आज जो हमारी कमी आती है वह लगभग 70 हजार टन की कमी है। मैं मानता हूं कि हमारा मन्थली डैफिसिट है 70 हजार टन फूड ग्रेन्स का है और स्टेट गवर्नमेन्ट ने हिसाब लगाया है उसके अनुसार 35 लाख जन संख्या पीड़ित है फेमिन से। जो डैफिसिट 51 हजार टन का मन्थली होता है और 51 हजार टन के हिसाब से 38 हजार टन सेन्टर से हर महीने में फूड ग्रेन्स हमको मिलता है। वह भी हमको 24 हजार टन ही मिला है इस महीने में। इन स्थितियों को देखते हुए हमको जो डैफिसिट है उसको बाहर से लेना पड़ता

(श्री पी. के. चौधरी)

है और उसके लिए कम से कम विरोधी पक्ष की तरफ से हम उम्मेद रखेंगे कि वह ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश करें कि जिससे और अधिक फूड ग्रेन्स मिल सकें न कि इस तरह का वातावरण बनायें कि फूड ग्रेन्स की कमी ही नहीं है, यह तो आर्टिफिशियल स्केयरसिटी है।

यह बात सही है कि फूड ग्रेन्स की जो कमी है उसका एक कारण प्रोडक्शन की कमी है। लेकिन इसकी दूसरी वजह फूड हैबिट्स में चेन्ज आना भी है। जैसे-जैसे स्टेन्डर्ड आफ लिविंग बढा है, लोगों की पर कैपिटा इन्कम बढी है, जो लोग पहले गेहूं नहीं खाते थे वे आज गेहूं खाने लगे हैं। जो लोग ज्वार खाते थे आज वे बाजरा और गेहूं खाते हैं। यह फैक्ट है। इसको इन्कार नहीं कर सकते। फूड हैबिट्स में चेन्ज हुआ है। इसका नतीजा यह हुआ है कि सुपीरियर ग्रेन्स जिसको हम कहते हैं गेहूं या जौ इसका कन्जम्पशन ज्यादा हुआ है। दूसरी तरफ पिछले पांच साल का हम एवरेज देखते हैं तो जो फूड प्रोडक्शन के आंकडे दिए हुए हैं उनसे यह साफ जाहिर होता है कि व्हीट का प्रोडक्शन जो 61-62 में साढे बारह लाख टन था वह 66-67 में करीब 5 लाख टन का रहा है। बार्ली का प्रोडक्शन जो 61-62 में साढे छः लाख टन था वह सवा दो लाख टन रह गया है। ग्राम जो 61-62 में करीब 10 लाख टन था वह करीब सवा तीन लाख टन का होता है। यानी पिछले पांच सालों का एवरेज देखते हुए हैं तो इस साल हमारा व्हीट का, जौ का, और ग्राम का जो प्रोडक्शन है वह 1/3 या हाफ हो गया है। फिफ्टी पर्सेन्ट प्रोडक्शन रह गया है और दूसरी तरफ यह जो तीन तरह का सुपीरियर फूड ग्रेन है उनका कन्जम्पशन बढ गया है। यह ठीक है कि बाजरे का प्रोडक्शन बढा है मीलो है उसका प्रोडक्शन भी कुछ बढा है लेकिन दूसरी तरफ सुपीरियर फूड ग्रेन्स का कन्जम्पशन ज्यादा बढा है और ज्यादा नम्बर आफ पीपुल फूड ग्रेन्स को लेते हैं या इनको लेने वालों की संख्या बढी है और इसके साथ-साथ फूड हैबिट्स में चेन्ज आई है। दूसरी तरफ इन फूड ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन है उसमें पिछले पांच साल के एवरेज में, 61-62 से लेकर 66-67 के पीरियड को हम लेते हैं तो उसके एवरेज प्रोडक्शन में प्रत्येक कमोडिटी के अन्दर फाल हुआ है। व्हीट का प्रोडक्शन जो बारह लाख टन का था उसका अब पांच लाख टन के करीब रह गया है। बार्ली का, जौ का जो एवरेज आता है वह पांच लाख टन का था वह इस साल सवा दो लाख टन है। इसी तरह से चने का जो एवरेज प्रोडक्शन सवा सात लाख टन था उसका एवरेज इस साल एस्टीमेटेड प्रोडक्शन जो फाईनल फीगर्स हैं उसके अनुसार सवा तीन लाख टन का है। जिस फूड का हम ज्यादा कन्जम्पशन करेंगे उसका प्रोडक्शन घट गया है, हाफ ही रह गया है। तो हमारे फूड प्रोडक्शन में सिर्फ जो आठ लाख टन की कमी हुई है उस कमी के अन्दर बाजरे का प्रोडक्शन बढा है। जो बाजरा दस लाख टन होता था उसकी जगह तेरह लाख टन का प्रोडक्शन एन्टीसिपेट करते हैं लेकिन उसका कन्जम्पशन नहीं बढा है। लेकिन व्हीट का ग्राम का, जौ का कन्जम्पशन पहले के मुकाबले में बढा है और इनका प्रोडक्शन कम हो गया है। तो इससे जो आज स्केयरसिटि है उसको ज्यादा महसूस करते हैं। जो कुल

(श्री पी. के. चौधरी)

प्रोडक्शन होता है उसमें सारी सीरियल्स वगैरह को मिला कर जो प्रोडक्शन होता है उसमें सुपीरियर ग्रेन्स की कमी ज्यादा महसूस होती है। इन पर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इसका लेकिन अन्दाज यह लगता है कि फूड प्रोडक्शन में कमी नहीं है लेकिन यह तथ्यों से परे है। तो मैं निवेदन करूंगा कि खाद्य-स्थिति पर जब यहां पर विचार कर रहे हैं तो इन बातों को ध्यान में रखा जाय।

दूसरी बात जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है फूड ग्रेन्स का वह भी डिफेक्टिव है। कहते हैं कि एक तरफ तो फूड ग्रेन्स की कमी है और दूसरी तरफ डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है, जो फूड ग्रेन्स के वितरण का सिस्टम है, उस सिस्टम में भी कमी है और वह कमी हमको बहुत दुःख देती है। इसमें हम देखेंगे कि जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है उसमें बहुत थोड़ी तादाद में गवर्नमेन्ट के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है और वह फेयर प्राइज शॉप्स के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन मेजर पोर्शन आफ दी फूड ग्रेन्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन प्राईवेट व्यापारियों के हाथ में है। आज इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में वो गलती है वह हमको सबसे ज्यादा दुःख देती है, यह हमको सबसे ज्यादा कष्ट देती है और दिक्कत पैदा करती है। अब इसमें भी....

श्री भैरोंसिंह : what about distribution by the Government Agency ?

श्री पी. के. चौधरी : वह तो एक छोटासा पार्ट प्ले करती है बाकी तो प्राईवेट पार्टीज ही करती हैं। अगर आप चाहते हैं कि सारा डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेन्ट करे, गवर्नमेन्ट का मोनोपोली डिस्ट्रीब्यूशन हो तो क्या इसके लिए आप तैयार हैं ? सदन क्या इसके लिए तैयार होगा ? आप यूनानिमसली तय कर दें कि फूडग्रेन्स नेशनलाईजेशन कर दिया जाय। सवाल तो यह है कि फूडग्रेन्स का बफर स्टाक सभी चाहते हैं। हम भी कहते हैं कि बफर स्टाक होना चाहिये और आप भी कहते हैं कि बफर स्टाक होना चाहिये। लेकिन बफर स्टाक किस तरीके से हो। बफर स्टाक करने के लिए प्रोक्योरमेन्ट करना पड़ेगा, और प्रक्योरमेन्ट के तीन तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि ओपन मार्केट से पर्चेजेज करिए। ओपन मार्केट से पर्चेज करने का मतलब यह होगा कि जो सौ और सवा सौ रुपये क्विन्टल गेहूं ओपन मार्केट में मिल रहा है और 100 और 85 रु. में जो ग्राम बाजार में मिल रहा है उसको गवर्नमेन्ट खरीदे और उसके बाद में फेयर प्राईसेज शॉप्स पर कम कीमत में सब्सिडाइज्ड रेट पर उनको बेचे तो क्या सदन इसके लिए तैयार है कि करोड़ों रुपया फूड सब्सिडी के लिए रख दिया जाय ? जो घाटा इसमें होगा उसका इन्तजाम करने के लिए क्या यह सदन तैयार है ? अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो गवर्नमेन्ट भी तैयार हो जाएगी कि वह ओपन मार्केट से पर्चेज करले। मैं मानता हूं कि ओपन मार्केट से पर्चेज करने की हिम्मत अगर हम करलें तो सारे व्यापारी ठिकाने आ सकते हैं। हो सकता है कि पहले कुछ महीनों के अन्दर प्राइसेज ऊपर जायं लेकिन अल्टीमेटली हम व्यापारियों को डाउन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हिम्मत सदन की होनी चाहिये कि वह इसके लिए युनानिमसली सपोर्ट करे।

दूसरा तरीका प्रोक्योरमेन्ट का यह है-मोनोपोली प्रोक्योरमेन्ट जो ओपन मार्केट

Page No. 33

(श्री पी. के. चौधरी)
में परचेज नहीं कर सकें तो फिर मोनोपोली प्रोक्योरमेन्ट करें। मोनोपोली प्रोक्योरमेन्ट यह होता है कि गवर्नमेन्ट के अलावा एग्रीकल्चरिस्ट किसी को अपनी प्रोड्यूस नहीं बेच सकता और जो भी भाव गवर्नमेन्ट उसको दे, उसे लेना पड़ेगा। लेकिन इस तरीके के लिए भी आप एग्री नहीं कर सकते हैं। आप सिर हिला सकते हैं लेकिन इसके लिए एग्री नहीं हो सकते हैं। न तो इस तरह से प्रोक्योरमेन्ट कर सकते हैं और न ही गवर्नमेन्ट इसके लिए तैयार होगी। तो दूसरा तरीका यह मोनोपोली प्रोक्योरमेन्ट का है इसके लिए भी आप तैयार नहीं हो सकते हैं।

तीसरा तरीका लेवी का है। लेवी का जो तरीका है वह एक मोडियन कोर्स है और इस लेवी के जरिए ही बफर स्टाक · · ·

श्री मदनसिंह दांता (दांतारामगढ) : Why not have it in kind instead of levy ?

श्री पी. के. चौधरी : इसमें भी इन्टरेस्ट का सवाल है, प्रोटेक्शन चार्जेज, वेस्टेज, स्टोरेज, ट्रान्सपोर्टेशन, इट इज ए ट्रीमेण्डियस प्रॉब्लम, इसको आप फेस नहीं कर सकते हैं। जो लेवी लगाई गई है और लेवी से जो कलेक्शन करेंगे वह 15 से 20 हजार टन के आसपास कलेक्शन करेंगे। आपके डेफिसिट की 15 दिन की खुराक का कलेक्शन कर रहे हैं। आपके डेफिसिट एरिया की जो रिक्वायरमेन्ट है और जिसको फूड्ग्रेन्स आपको सप्लाई करना है उसकी पन्द्रह दिन की रिक्वायरमेंट इस लेवी से आप कलेक्ट करेंगे। दूसरी तरफ इस लेवी का इफेक्ट किसको होता है। It will effect each and every agriculturist.

आज जो लगान देते हैं उन सब को इफेक्ट होगा। Large number of people are involved in it. जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं और जिसके पास दो एकड से ज्यादा जमीन है, दो एकड से ज्यादा जमीन पर गेहूं बोयेगा उससे लेवी ली जायेगी। जो कम से कम आज 10 बीघा जमीन पर गेहूं बोयेगा उससे लेवी ली जायगी, यह नहीं है कि 50 बीघा जमीन है तो उससे ली जायगी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : 2 एकड मीन्स 5 बीघा।

श्री पी. के. चौधरी : 5 बीघे से ज्यादा जो गेहूं बोयेगा · · ·

श्री कृष्णकुमार गोयल : 5 और 5 बीघे से ज्यादा जो गेहूं बोयेगा एग्रीकल्चरल लैण्ड के ऊपर उससे लेवी ली जायगी।

श्री पी. के. चौधरी : ठीक है। हमें एक एक पंचायत में 5 या 10 आदमी ऐसे मिलते हैं सिवाय इरिगेटेड एरिया के—चम्बल की मुझे जानकारी नहीं है। भाखरा को यानि जो इरिगेटेड एरिया है उसको छोड दें तो तमाम राजस्थान में एक-एक पंचायत में 5 या 10 काश्तकार ऐसे मिलेंगे जिनके पास से लेवी आ सकती है।

श्री सहदेव (आमेर) : आपको फुलेरा की तो जानकारी है ?

श्री अध्यक्ष : आप आरम्भ रखिये।

श्री पी. के. चौधरी : You need not remind me all this.

श्री कृष्णकुमार गोयल : जिस आॅर्डर के तहत जो डिस्ट्रिक्ट्स गवर्नमेन्ट ने इसके लिए तय किये हैं और जिन डिस्ट्रिक्ट्स के अन्दर यह लेवी आॅर्डर लगेगा उन डिस्ट्रिक्ट्स को लेकर बतायें आप। अभी जो 8 डिस्ट्रिक्ट्स तय किये हैं जहां पर लेवी ली जायगी वहां पर 2 एकड के ऊपर इस प्रकार से लेवी वसूल करेंगे। उसको देखकर आप उस एरिया के लिए बताएं।

श्री अध्यक्ष : श्री चौधरी, आप आरम्भ रखिये।

श्री लादूराम सुलानिया : आपको उनकी जानकारी है या नहीं?

श्री पी. के. चौधरी : जानकारी सब कुछ है। गांवों में ऐसे बहुत कम आदमी मिलेंगे, यदि आप पता करेंगे तो आप भाषण में कुछ भी कह दें। आप जाकर उस एरिया को देख लें। 50 बीघा की अगर जो होल्डिंग होगी तो 5 बीघे से ज्यादा जमीन पर गेहूं बोना बहुत मुश्किल से होगा। भाषण करने और लोगों को गुमराह करना और बात है जो लोग गेहूं बोते हैं उन पर यह होगा। कहना चाहता हूं कि गेहूं पैदा कर रहा हैं और ज्यादा होल्डिंग है तो उनके ऊपर लेवी होने से आपत्ति क्या है। जो एक बीघे में गेहूं बोता है या 4 बीघे में बोता है और जिनकी शक्ति नहीं है उन पर इसका क्या इफैक्ट होगा?

डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है उस सस्टम में कमी है यह हमें महसूस होता है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कमी होने की वजह होल्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग है। उसको रोकने के लिए जो शिड्यूल्ड बैंक्स हैं उन्हें फूडग्रेन्स पर एडवान्स बन्द कर देना चाहिये। इसके लिये 15-20 रोज हुए रिजर्व बैंक ने इन्स्ट्रक्शन्स जारी कर दिये हैं, महीना भर हुआ होगा और फूडग्रेन्स पर एडवान्स देना कतई बन्द कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद जहां फूडग्रेन्स पर एडवान्स बन्द हुआ है वहां पर अंदर कॉमर्शियल क्राप्स के नाम से फूडग्रेन्स के गोडाउन्स पर लाखों रुपया एडवान्स देते हैं। वह चालू है। उसकी भी हमको जानकारी है। फूडग्रेन्स के नाम से देना बन्द कर दिया तो कॉमर्शियल क्राप्स का नाम देकर फूडग्रेन्स के गोडाउन्स को रखकर व्यापारी लोग एडवान्स लेते हैं।

एक माननीय सदस्य : बैंक का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं करते हैं?

श्री पी. के. चौधरी : करेंगे।

एक माननीय सदस्य (सरकारी पक्ष) : आप आजाइये इधर।

श्री पी. के. चौधरी : इसके ऊपर गवर्नमेन्ट की तरफ से विजिलेन्स होना चाहिये। जैसा कि लेवी के लिए हमने कहा है कि लेवी जो देता है उसके ऊपर गवर्नमेन्ट का आदमी जो रहता है उसको अधिकार रहेगा इन्सपैक्शन करने का उसी तरह से इसके लिए होगा कि कॉमर्शियल क्रॉप्स के नाम से गोडाउन्स में फूडग्रेन्स बन्द करते हैं और एडवान्स लेते हैं उनको भी सरप्राइज चैकिंग का इन्तजाम करना होगा। इससे कोई इस प्रकार की होल्डिंग होती है वह भी नहीं कर सकेगा।

(श्री पी. के. चौधरी)

दूसरी बात लेवी के साथ मैं चाहूंगा कि जिस प्रकार से लेवी के लिए कहा जाता है कि इस प्रकार के होर्डर्स का प्रॉपर चैकिंग होना चाहिये । उनकी एक्टीविटीज को प्रॉपर्ली वाच करना चाहिये । मैं समझता हूं कि इससे डिस्ट्राब्यूशन का जो प्रोब्लम है वह ठीक होगा और होर्डिंग आफ फूडग्रेन्स अनअर्थ हो जाय, वह बाहर निकल जाय तो हमें काफी सहायता मिल सकती है ।

दूसरी बात, यह जो खाद्य-स्थिति है यानि फूड सिच्युएशन है, इसका सॉल्यूशन जो है वह तीन तरह से है–एक तो इन्क्रीज्ड प्रोडक्शन से, दूसरा प्रोक्योरमेन्ट से और तीसरा नेशनेलाइजशन से होता है । तो इसके लिए हमें निर्णय लेना है कि आया नेशनेलाइजेशन आफ फूडग्रेन्स आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते है ? मैं मानता हूं कि किसी आइडियोलिज्म का बहाना लेकर पहुंच जांय तो नहीं चलता है । समाजवाद के नाम पर यह नहीं है कि हम नहीं चाहते हैं कि इसका नेशनलाइजेशन न हो, लेकिन हम महसूस करते हैं कि आज जो मशीनरी है, जो इम्प्लीमेन्ट करने की मशीनरी है वह हमारी खराब है । उसकी स्थिति ऐसी है कि आज नेशनेलाइजेशन कर दें तो आज की हालत से भी बुरी हालत हो जायगी। इसलिये हम नेशनेलाइजेशन नहीं कर रहे हैं ....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : मशीनरी की जो आप शिकायत करते हैं तो उसमें ऑफीसर्स को मानते हैं या मिनिस्टर को भी शामिल करते हैं ?

श्री पी. के. चौधरी : मशीनरी आफ इम्प्लीमेन्टेशन उसमें कुछ भी समझ लें। उसमें इतनी खामियां हैं कि आज हम हिम्मत नहीं कर सकते हैं कि इसको नेशनलाइज करें और उसको चला सकें और चलाकर रिजल्ट दिखा सकें । वह हम नहीं मानते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास कैसा मेटीरियल है। आज जो मशीनरी है आपका एन्फोर्समेन्ट आफिसर है ज्योंही उसका अपाइन्टमेन्ट होता है वह अपना धन्धा शुरू कर देता है। लेवी का नाम लेते ही पटवारी लोग एक्टिव हो गये। पटवारीज और एक्टिव। लोगों से पैसा बनाने का धन्धा शुरू कर देते हैं। यह बात सही है कि लेवी के नाम से असन्तोष आज जो ज्यादा फैलता है वह पटवारी की वजह से है । लेवी का नाम आते ही उन्होंने गांवों के लोगों से हिसाब-किताब लेना शुरू कर दिया कि तेरा 5 एकड है तो 3 एकड कर देंगे, तेरा 2 एकड है तो 1 एकड कर देंगे। ये सारी कार्यवाहियां शुरू हो गई हैं। Patwaris are more active than the Government here. उसमें जो दिक्कत आती है वह इन लोगों की वजह से आती है लेवी के देने में दिक्कत नहीं है।

दूसरी बात इस सिलसिले में यह कह देना चाहता हूं कि पटवारी की रिपोर्ट के ऊपर जो एसेसमेन्ट किया जाता है तो मान लो कि उसने पहले 5 एकड लिखा है लेकिन यह हो सकता है कि पटवारी ने जिस समय रिपोर्ट दी है उसके बाद क्रोप फैल होगई हो तो इसके लिए लेवी का जो कानून है उसमें इसका प्रोवीजन होना चाहिये। मान लो कि लिखा है 5 एकड और पैदा दो एकड में ही हुआ हो या डेढ एकड में ही हुआ हो तो इसका कोई तरीका होना चाहिये इसके

(श्री पी. के. चौधरी)
एक्जेम्प्शन का तो इस बात को करना चाहिये।

दूसरी बात आती है इन्क्रीज्ड प्रोडक्शन की। इन्क्रीज्ड प्रोडक्शन के लिए यह तो ठीक है हम मानते हैं कि विरोधी लोग शिकायत करेंगे, लेकिन प्रोडक्शन बढाने के लिए काफी कोशिश की है और पिछले तीन प्लान में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढाने के लिए काम किया गया है या नहीं किया गया है वह किसी से छिपा नहीं है। कितने बान्ध बनाये गये, कितने कुए खोदे गये, कितनी नहरें बनीं, माननीय विरोधी दल के सदस्यों को मालूम है। पब्लिक को मालूम है कि यह यह काम किये गये हैं, लेकिन इतना करने के बावजूद भी जितना रिजल्ट चाहिये उतना रिजल्ट नहीं मिला है।

एक बात हम कहते हैं कि आज जो इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है जैसे कि कपड़ा बनता है तो इसके कास्ट आफ प्रोडक्शन का सब हिसाब लगाते हैं, जैसे रूई खरीदने में कितना पैसा खर्च हुआ, उसके स्पिनिंग में कितना खर्च हुआ, उसके वीविंग में कितना खर्च हुआ, उसमें काण्डी लगाने में कितना खर्च हुआ, इन सब का पता लगाते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर में कोस्ट आफ प्रोडक्शन का कोई हिसाब नहीं लगाता है। हम सब सस्ता अनाज मांगते हैं। हम चाहते हैं कि सस्ता अनाज मिले, लेकिन एक मन गेहूं पैदा करने में कोस्ट आफ प्रोडक्शन क्या होता है इसका पता कोई नहीं लगाता है। एक इन्डस्ट्रियलिस्ट जब कोस्ट लगाता है तो उसमें तीन साल का घाटा मिलाकर कोस्ट लगाता है।

उसमें डेप्रीसियेशन इन्क्लयूड होता है, सब इन्क्लयूड करके उसका मूल्य निर्धारित होता है।

यहां गेहूं की कोस्ट किस तरह से निर्धारित होती है इस बारे में राज्य सरकार बता सकती है। मैं तो यह मानता हूं कि आज जो भाव है, जिसको गिराने की बातें हैं तो पहले आपको चाहियें कि पहले इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन के भाव गिरावें तभी यह हो सकता है, पहले इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन के भाव गिरावे उसके बाद फूडग्रेन के भाव गिराने की बात कहिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि फूडग्रेन के भाव नहीं गिरेंगे, डवलेपिंग इकोनोमी में आप किसी पर्टिक्यूलर कोमोडिटी के भाव नहीं गिरा सकते जहां पर प्राइसेज का राइजिंग का ट्रेन्ड रहता है उस समय में भाव गिर नहीं सकते। यदि गिरते हैं तो सारी इकोनोमी स्टेगनेन्ट हो जायगी, स्थिर हो जायगी।

श्री सहदेव (आमेर) : तो क्या आप एक रुपये के तीन पाव गेहूं रखना चाहते हैं?

श्री पी. के. चौधरी : मैं तो यह चाहता हूं कि मौजूदा भाव रहने चाहियें। आज जो हमारी करेन्सी है उसकी जिस प्रकार की पर्चेजिंग पावर है उसी के अनुसार भाव रहते हैं। आज के रुपये का मूल्य दस साल पहले था उससे कम हो गया है, उसी के कारण चीजों के भाव बढ़े हैं, इसको गिराने का एक ही रास्ता है और वह है जरूरत की जो चीजें हैं वे प्रचुर मात्रा में जनता को मिलें। जहां पहले पचास रुपये क्विन्टल अनाज मिलता था आज उसी का भाव सवा सौ रुपया काश्तकार लेते हैं तो जो कपड़ा वह

(श्री पी. के. चौधरी)

पहले पांच रुपये का लाता था उसको आज उतने ही कपड़े का मूल्य दस रुपया देना पड़ता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। भाव तो पहले जितने ही हैं। The price will fall. **ज्यों ज्यों रुपये की कीमत गिरती जायगी। चीजों के भाव उसी अनुपात** में बढ़ते जायेंगे। उसको यदि रोकने की कोशिश करेंगे तो सारी इकॉनोमिक एक्टीविटीज, इन्डस्ट्रियल एक्टीविटीज सारी रुक जायेंगी। अगर प्राइसेज कन्ट्रोल कर देते हैं, आजकल ज्यादातर उद्योग प्राइवेट इकॉनोमी में है। आज जितने भी उद्योगपति हैं जो उद्योगों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वे यह देखकर पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि जितना पैसा वे लगाते हैं उतना पैसा पांच साल में वे वसूल कर लेंगे। कोई दस लाख या करोड़ रुपया इन्वेस्ट करता है तो वह पांच साल में उतना वसूल कर लेता है, उसको यह भरोसा होता है कि इतना रुपया वह पांच साल में प्राप्त कर लेगा तभी वह लगाता है और उस पर बीस प्रतिशत मुनाफा मिले तभी वह लगाता है। चाहे छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी हो, वह इस बात को ध्यान में रखकर पैसा लगाता है कि आज गेहूं का भाव सौ रुपया क्विन्टल है तो उस भाव में वह लेकर सोचता है कि साल के आखिर में इसी का भाव 150 रु. हो जायगा। इसी उम्मीद से व्यापारी लोग होर्डिंग करते हैं। राइजिंग प्राइस टेन्डेन्सी डेवलेपिंग इकोनोमी में रहेगी। वैसी हालत में यह कहना कि हम प्राइजेज को गिर देंगे उचित नहीं प्रतीत होता।

अध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चरिस्ट को जो फैसिलिटीज दी हैं उनके बारे में मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं। पहली चीज यह है कि जिस प्रकार शिड्यूल्ड बैंक्स व्यापारी की **चीज** मोर्टगेज रख कर के स्टोर में बन्द करके, जितने का वह माल होता है उसका 75 प्रतिशत मूल्य बैंक उसको एडवान्स कर देता है। इस तरह से बैंक्स उद्योगपतियों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, इससे उनको जितना प्रचुर मात्रा में धन मिलता है उसी प्रकार से प्रचुर मात्रा में एग्रीकल्चरिस्ट को बैंकों द्वारा नहीं मिलता।

कभी कभी हमें अखबारों में यह पढ़ने को मिलता है कि स्टेट बैंक्स एग्रीकल्चरिस्ट को देने के लिये तैयार है लेकिन वे बैंक्स भी दो एकड़ जिसके पास जमीन है उसको कभी एडवान्स नहीं देगी। इसके लिए गवर्नमेन्ट मदद देती है लेकिन उसके रिसोर्सेज काफी नहीं हैं उसके पास तकावी देने के लिये भी सफीशियेन्ट पैसा नहीं है। सहकारी समितियों के जरिये, या सहकारी बैंकों के जरिये एग्रीकल्चरिस्ट की जो नीड्स हैं उसका बीस प्रतिशत भी आप प्रोवाइड नहीं कर पाते उनकी क्रेडिट नीड को पूरा नहीं कर पाते। इस तरह से गवर्नमेन्ट के जरिये उनकी नीड पूरी होती है वह बहुत कम होती है। इस लिये हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चरिस्ट को जो आवश्यक जरूरतें हैं लोन आदि की वह पूरी होनी चाहिये। उसकी क्रेडिट की नीड को पूरा किया जाना चाहिये।

आज जिस प्रकार उद्योगपति हैं वे कोई भी अपना पैसा उद्योग में नहीं लगाते चाहे बिड़ला हो, टाटा हो, पोद्दार हो सभी बैंक द्वारा पैसा लेकर लगाते हैं, वे सारा पैसा बैंक से लेकर धन्धा करते हैं। इसी तरह से एग्रीकल्चरिस्ट को अपना प्रोडक्शन बढाने के लिये बैंक द्वारा पैसा **मिलना**

(श्री पी. के. चौधरी)

चाहिये। जिस प्रकार की सहूलियतें बैंक उद्योगपतियों को देते हैं उसी प्रकार की सहूलियतें एग्रीकल्चरिस्ट को भी मिलनी चाहिये। अगर एग्रीकल्चरिस्ट की क्रेडिट नीड्स को आप पूरा कर सकेंगे तो वह प्रोडक्शन की ओर ज्यादा ध्यान देगा। आज आप किसान को तकावी देते हैं वह उसकी पचास प्रतिशत जरूरत भी पूरा नहीं करती ट्रैक्टर के लिये लोन देते हैं पचास प्रतिशत लेकिन एक ट्रैक्टर की कीमत बाईस हजार रुपया है बाकी का रुपया वह कहां से लायेगा। इसी प्रकार एक कुए पर दो हजार रुपया देते हैं जब कि उसको चार पांच हजार रुपया उस पर खर्च करना होता है। पम्पिंग सैट के लिये दो हजार देते हैं जब कि उसमें चार हजार लगता है। आज किसान की यह हालत नहीं है कि वह आधा पैसा अपने पास से लगावे। ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि किसान को उसकी जरूरत का पूरा पैसा सरकार दे या बैंक के द्वारा दिलवाये। आप इस प्रकार का प्रबन्ध कर देखिये। आज जब कि बड़े बड़े उद्योगपति बिड़ला, टाटा आदि बैंक्स से इस प्रकार की फैसिलिटीज अवेल करते हैं आप तो कुए खोदने के लिये पम्पिंग सैट के लिये पैसा बैंकों द्वारा दिलवाइये तो आपका यह प्रोडक्शन काफी मात्रा में बढ़ सकता है।

दूसरी बात प्रोडक्शन बढ़ाने की है उसके लिये लैण्ड रिफोर्म्स जैसे सीलिंग के कानून को सख्त रूप से इम्प्लीमेन्ट करिये और जल्दी से जल्दी किया जाय।......

श्री रामकिशन : जल्दी से जल्दी की परिभाषा बतला दीजिये। 56 से लेकर आज 67 हो गया।

श्री पी. के. चौधरी : लोन्स के डिस्ट्रिब्यूशन में, तकावी के डिस्ट्रिब्यूशन में काफी देरी हो जाती है। चार पांच आदमियों के वेरीफिकेशन के बाद तकावी मिलती है। इसके लिये सिम्पल सिस्टम हो। हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चरिस्ट को जो फैसिलिटी मिले वह ऐसी होनी चाहिये जिससे किसान को कम से कम दिक्कत हो। इसके लिये सरकार को चाहिये कि उनका अधिकारी किसान के पास जाकर उसको वेरीफाई करके हफ्ता या पन्द्रह दिन में उसको लोन आदि दिलाने की व्यवस्था करे। आज किसान को बी. डी. ओ. के पास, ग्राम सेवक के पास, तहसीलदार के पास जाना पड़ता है उसकी वजह से उसको काफी परेशानी होती है। उसके लिये चाहिये सरकार का अधिकारी खुद जाकर सब वेरिफाई करके पन्द्रह दिन के अन्दर सब प्रकार के लोन आदि दिलादे ताकि प्रोडक्शन में ज्यादा वृद्धि हो सके।

छोटे एग्रीकल्चरिस्ट को डवलपमेन्ट का फायदा पहुंचे इसके लिये आवश्यक है कि उसको समय पर तकावी दी जाय। आज हालत यह है कि जिसके पास छोटी होल्डिंग है उसको किसी प्रकार की सहूलियत नहीं मिल पाती, जब कि उसके पास उत्पादन की वृद्धि करने के लिये मेहनत करने के लिये मेन पावर है। लेकिन उसकी इनपुट है, पैसा है, रुपया है—यह उपलब्ध नहीं होता है इसलिये वह ज्यादा तरक्की नहीं कर पाता है। मैं समझता हूं कि यदि आप तकावी की और क्रेडिट फैसिलिटी मिलने की व्यवस्था कर देंगे तो प्रोडक्शन में काफी तरक्की होगी

(श्री के. पी. चौधरी)

और प्रोडक्शन काफी बढ़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं राज्य सरकार की खाद्य पालिसी का समर्थन कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह! माननीय भैरोंसिंह!

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल) : सुन लिया!

अध्यक्ष महोदय, खाद्य स्थिति पर मैंने एक प्रस्ताव इस सदन के सामने कल प्रस्तुत किया था। इस प्रस्ताव के माध्यम से मैं सदन के समक्ष यह निवेदन करना चाहूंगा कि "सरकार खाद्य समस्या का समाधान करने में पूर्णतया असफल रही है।" अभी पूर्व वक्ता एक ऐसे ही प्रस्ताव के पक्ष में बोल रहे थे जिनका आशय मेरे प्रस्ताव से बिल्कुल विपरीत था। लेकिन उन्होंने जो भाषण दिया, उनके भाषण से एक बात स्पष्ट हुई है कि उन्होंने सरकार की खाद्य नीति के किसी भी आइटम का अभी तक समर्थन नहीं किया है····

श्री पी. के. चौधरी : किया है।

श्री भैरोंसिंह Not a single item has been supported by yours yet.

इससे साफ है कि जिन माननीय सदस्यों ने सरकार की खाद्य नीति का समर्थन करना चाहा है उन्होंने अनुशासन के कारण से सरकार की नीतियों के समर्थन में अपना मत देने का निर्णय ले लिया है लेकिन वह अपने मन में यह महसूस करके चलते हैं कि सरकार की खाद्य नीति डिफैक्टिव है और इस नीति के माध्यम से खाद्य समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय····

श्री पी. के. चौधरी : डिफैक्टिव हो सकती है, असफल नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मुझे इस बात की खुशी है कि श्री पी. के. चौधरी सरकार को डिफैक्टिव पौलिसी का भी समर्थन करते हैं। (हंसी)

श्री पी. के. चौधरी : यह नहीं है। समर्थन नहीं करता हूं।

श्री भैरोंसिंह : खाद्य समस्या का प्रश्न है, यह कोई विवाद का प्रश्न नहीं है, न ही यह कोई बहस का प्रश्न है, न इससे ऊपर आंकडे प्रस्तुत करने और आंकडों का विवाद खड़ा करने का प्रश्न है। इसकी वास्तविकता हर व्यक्ति आज के दिन अनुभव करके चलता है, चाहे वह विधान सभा का सदस्य हो और चाहे वह विधान सभा का सदस्य नहीं हो। आज कोई भी व्यक्ति हिन्दुस्तान में ऐसा नहीं है, जो खाद्य समस्या के कारण उसके परिवार में, उसके रहन-सहन में और उसकी आर्थिक स्थिति में किसी प्रकार का जो भयंकर संकट खडा हुआ है–उसको महसूस करके नहीं चलता हो। और किसी कारण से आम तौर पर यह आज मानी हुई चीज है कि भारत सरकार और उसमें अपने राजस्थान प्रदेश की सरकार-यह दोनो सरकारें खाद्य समस्या का समाधान करने में पूर्णतया असफल रही हैं। इसका एक सबसे बडा सबूत मैं इस सदन के सामने रखना चाहूंगा और वह है कि पिछले आम चुनाव से पूर्व भारत सरकार ने और अलग अलग प्रदेशों की सरकारों ने जो खाद्य नीति अपनाई,

(श्री भैरोंसिंह)

उसको यदि हम एक सिम्बालिक रूप से स्वीकार करके चलें तो सारे हिन्दुस्तान के अलग अलग राज्यों के खाद्य मन्त्री और केन्द्र के खाद्य मन्त्री–जितने भी चुनाव में खड़े हुए थे, उनमें से केवल एक मन्त्री जीता है, बाकी के सम्पूर्ण देश के भिन्न भिन्न राज्यों के खाद्य मन्त्री पराजित हुए हैं, और केन्द्र के खाद्य मन्त्री भी चुनाव में पराजित हुए हैं। यह इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि केन्द्र ने और हिन्दुस्तान के अलग अलग राज्यों ने पिछले पांच सालों में जो खाद्य नीति अपनाई उसका जनता ने समर्थन नहीं किया है बल्कि केन्द्र और राज्यों के खाद्य मन्त्री को हरा कर उनकी खाद्य नीति को असफलता की ओर कांग्रेस के नेताओं का ध्यान आकर्षित किया है। ऐसी हालत में, अध्यक्ष महोदय, यह समझ कर चलें कि आज जो अनाज के और बाकी की चीजों के भाव बढ गये हैं उन भावों के बढने में हमने कोई किसी प्रकार की रोकथाम की हो, तो यह समझना गलत है।

मुझे याद है, इस सदन में सबसे पहले जब फूडग्रेन लाइसेन्सिग आर्डर पेश किया गया था उस समय राजस्थान में गेहूं के भाव 70 और 65 रुपये के बीच में थे। लेकिन जैसे ही यह फूडग्रेन लाइसेन्सिग आर्डर लागू किया गया, राजस्थान में अनाज के भाव कुछ बढे। और भाव बढने के बाद में सरकार ने अनाज के भाव निर्धारित किये तो जैसे ही अनाज के भाव सरकार ने निर्धारित किये, अनाज के भाव और आगे बढ गये। और पिछले पांच वर्ष में जो सरकार की खाद्य नीति रही उसका परिणाम यह है कि जिस जयपुर शहर में गेहूं के भाव 1961-62 के अन्दर 65 रुपये प्रति क्विन्टल थे, 65 रुपये प्रति क्विन्टल के भाव से गेहूं बिकता था, वहां आज इस राज्य सरकार की तथाकथित खाद्य नीतियों के कारण वह 65 रुपये प्रति क्विन्टल मिलने वाला गेहूं जयपुर शहर के बाजारों में 128 रुपये प्रति क्विन्टल मिलता है। इसके बाद भी कांग्रेस के नेता यह कहें कि हमारी खाद्य नीतियां सफल रही हैं तो मैं आपको इस सफलता के लिए मुबारकबाद देता हूं। और इसका कारण यह है कि मैं यह आशा करता हूं, यदि आपकी यही खाद्य नीति रही तो आज जैसे बीमार आदमी बीमारी के समय में चावल खाने को मजबूर होता है, उसी तरह से आपकी खाद्य नीति के कारण राज्य के अन्दर यह हालत होगी कि बीमारी के समय के अन्दर बीमार आदमी गेहूं खाने लगेंगे और बाकी समय में उनको गेहूं उपलब्ध नहीं होगा।

अब आप यह कह कर चलें कि देश के अन्दर कांग्रेस की सरकार की खाद्य नीति सफल रही है तो वह किस तरह से सफल हो गई है, आपकी नीतियों के कारण अनाज के भाव घटे नहीं हैं, और आप समझते हैं कि अनाज का प्रोडक्शन बढ़ा है तो अनाज का प्रोडक्शन भी बढ़ नहीं पाया है। बाकी दुनियां के दूसरे देश तरक्की कर रहे हैं पिछले वर्षों के मुकाबले में, लेकिन आज हिन्दुस्तान के अन्दर हमारी सरकार राजा-महाराजाओं का नाम लेकर कहती है कि राजा-महाराजाओं के समय के अन्दर देश के अन्दर खाद्यान्न का उत्पादन कम होता था और हमने खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा दिया है। आपने उत्पादन बढ़ाया है या घटाया है यह मैं आपके आंकड़ों के आधार पर ही बताता हूं, जिनमें आपने यह स्वीकार

(श्री भैरोंसिंह)

किया है कि 1961-62 के अन्दर 50 लाख टन का उत्पादन होता था। उसके बाद में वह उत्पादन बढ़ना चाहिये था लेकिन वह 1966-67 के अन्दर 50 लाख से घट कर 33 लाख टन उत्पादन हुआ है। इस उत्पादन घटने में कौनसे राजा-महाराजा आ गये? अब आप कहेंगे कि अकाल का प्रकोप आया तो मैं कहना चाहूंगा कि आज अकाल और प्राकृतिक प्रकोप को कन्ट्रोल करने के लिए आप योजना बना कर चलते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात मैं इस समय यह बताना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मन्त्री ने अपनी योजनाओं की असफलता का दोष अपने ऊपर न लेकर अपनी योजनाओं की सफलता और असफलता को इन्द्र भगवान के सामने सरेन्डर कर दिया और खुले शब्दों में उन्होंने कहा कि हमारी यह योजनायें इन्द्र भगवान को समर्पित हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जब अपनी योजना को इन्द्र भगवान को समर्पित कर दिया तो आप बीच के अन्दर एक ट्रेडर के रूप में कैसे बैठे हैं? जनता और इन्द्र के बीच में आप एक बिजनेसमैन, एक एजेन्सी बन कर क्यों बैठे हैं? आप एजेन्सी के नाते किसी चीज को कन्ट्रोल कर नहीं सकते हैं और सब चीजों की सफलता और असफलता प्रकृति पर छोड़ कर चलना चाहते हैं। यदि कल हिन्दुस्तान में कोई भूख से मौत होती है तो आप कहेंगे कि यह प्रकृति का प्रकोप है। भूख से मारने का दोष ब्रह्मा का है, शिवजी का है, इन्द्र का है। कांग्रेस के नेताओं को इसका दोष देने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर आप वह बतला दीजिये कि आपकी योजनाएं और आपके सारे काम आपके नहीं हैं, आपकी योजना और काम सफल या असफल होते हैं यह काम भी आपका नहीं है—यह तो ब्रह्मा का है, विष्णु का है और महेश का है। अब यदि कोई मरता है तो वह मारता है, अगर वर्षा कम या ज्यादा करता है तो वह करता है, योजना आपकी सफल या असफल होती है तो उसके कारण ही सफल या असफल होती है और यदि उत्पादन बढ़ता या घटता है तो उसी के कारण बढता-घटता है। जब सब कुछ उसी के कारण है तो आपको किसी भी चीज की कोई योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है और न उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई काम करने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, कल एक माननीय सदस्य बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि यदि विरोधी दल की हुकूमत आ जाय तो क्या वह एक दिन में भाव कम कर देगी। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आप चुनाव के बाद के राजस्थान के भाव उठा कर देख लीजिये। जिस समय राष्ट्रपति के सामने विरोधी दल के 93 सदस्य उपस्थित हुए थे तो जनता में एक भावना आई थी . . .

कई माननीय सदस्य : वाह! वाह!!

श्री भैरोंसिंह : आप सुनिये! सुनिये! मैं समझता हूं कि आपको ऐसी बातें चुभती हैं।

श्री श्रवण लाल (हिन्डौन) : ऐसी बातें इनको चुभती हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपको ऐसी बातें चुभती हैं तो मेरा उसमें दोष नहीं है। दोष केवल इस बात का है कि जिस समय 93 आदमी दिल्ली में गये और राष्ट्रपति के सामने उपस्थित हुए तो राजस्थान की जनता

(श्री भैरोंसिह)
में एक भावना आई और राजस्थान की मन्डियों में अनाज के भाव गिर गये। जो गेहूं 120 रुपये क्विन्टल बिकता था, वह घट कर 105 रुपये पर आ गया। क्या उस समय सरकार की ओर से नया आदेश निकला था ? क्या उस समय किसी ने अचानक अनाज का उत्पादन बढ़ा दिया था ?

श्री बिशम्बर नाथ जोशी : इसका मतलब है कि आप मुनाफाखोरों और जखीरे-बाजों से मिले हुए हैं ?

श्री भैरोंसिह : मैं समझा नहीं, आपने क्या कहा ?

श्री बिशम्बर नाथ जोशी (बांदीकुई) : इसका मतलब है कि आप जखीरेबाजों और मुनाफाखोरों से मिले हुए हैं।

श्री भैरोंसिह : मैं आपको यह बता दूं कि जितने भी मुनाफाखोर और ब्लेक मार्केटिअर हैं उनमें से कुछ उधर तो बैठे हैं। और कहें तो मैं बतादूं।

श्री बिशम्बर नाथ जोशी : इधर नहीं बैठे हैं, उधर बैठे हैं।

श्री भैरोंसिह : आप एक आध नाम बताइये, नहीं तो मैं बताता हूं।

श्री मदनसिंह दांता (दांतारामगढ) : आप एक आध नाम तो दो।

श्री भैरोंसिह : अध्यक्ष महोदय, एक तथ्य है और उस तथ्य को स्वीकार करने में कांग्रेस के सदस्य बेचैन हो रहे हैं। अब यह बेचैन क्यों हो रहे हैं ? वह इसलिये कि हम दिल्ली गये और दिल्ली गये केवल 93 सदस्यों की उपस्थिति के लिए लेकिन केवल इतने से ही राजस्थान की मन्डियों में भाव गिर गये। और भाव इसलिये गिर गये थे कि राजस्थान की जनता ने, राजस्थान के प्रोड्यूसर्स ने और कन्ज्यूमर्स ने यह महसूस किया था कि निश्चित रूप से राजस्थान में ऐसी सरकार आ रही है जिसकी खाद्य नीतियां सफल होंगी, राजस्थान में खाद्य उत्पादन बढ़ेगा और प्राइसेज को कन्ट्रोल किया जायगा, लोगों को सस्ती चीजें उपलब्ध कराई जायेंगी। यह इस बात का संकेत था। लेकिन जिस दिन यह दुर्भाग्य हुआ, जिस दिन कांग्रेस की हुकूमत आई उस दिन ही अनाज के भाव दस-बीस रुपये एकदम बढ़ गये। यह जिस प्रकार से हुआ है यह इस बात का सबूत है कि····

एक माननीय सदस्य : हरियाणा में विरोधी दल····

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : बैठ जाओ ! बैठ जाओ !

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज ! श्री रावत ! शब्दों का थोड़ा सा उपयोग संयम से किया जाय।

वही माननीय सदस्य : हरियाणा में विरोधी दल की सरकार बनी है, वहां भी भाव गिरे नहीं हैं, बढ़ रहे हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : 139 रुपये क्विन्टल हरियाणा में भाव हैं।

वही माननीय सदस्य : विरोधी दल की सरकार हरियाणा में बनी हुई है।

श्री विजयसिंह रावत : आपको ऐसी बातें सुनने में ज्यादा परेशानी होती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! आरम्भ रखिये।

(1 म. प.)

श्री भैरोंसिंह : आपको शायद यह बात चुभती होगी।

अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में भाव बढ़े या नहीं, घटे या नहीं यह मैं नहीं कह सकता वह तो हरियाणा में अनाज जो लोग बेचते हैं उनको पता है यह बिजनेस मैं करता नहीं हूं। लेकिन मैं यह कहूंगा कि राजस्थान में भाव घटे थे उसको कोई चेलेन्ज नहीं कर सकता और जिसके लिये आप चेलेन्ज नहीं कर सकते उसके लिये बेचैन क्यों हो रहे हैं। यह बात सही है कि उस समय भाव अनाज के घटे चाहे। वे किसी कारण से घटे हों। यह फैक्ट था कि विरोधी दल की सरकार आने वाली है इसलिये अनाज का भाव घटा। यह 15) 20) अनाज के भावों में घटना कांग्रेस के लिये और सरकार के लिये कलंक है। 20 वर्षों में कांग्रेस शासन में भाव नहीं गिरे और ज्योंही लोगों को यह शंका हुई कि कांग्रेस का शासन जावेगा और विरोधी दल की हकूमत बनेगी उस आशा से 15) क्विन्टल भाव गिर गये। यह बिल्कुल सही बात है और इसको चेलेन्ज नहीं किया जा सकता।

श्री पी. के. चौधरी : एनार्की होगी।

श्री भैरोंसिंह : आप बंगला भाषा में बोलते हैं समझ में नहीं आता।

अब राजस्थान की स्थिति क्या है? हमारे मुख्य मन्त्री बार बार जहां भी जाते हैं, कहते हैं कि राजस्थान में किसी भी व्यक्ति को भूख से नहीं मरने दिया जावेगा। सुखाड़िया जी चाहे शाहपुरा में अपना भाषण दें, चाहे वे अपना भाषण उदयपुर में दें और चाहे वे अपना भाषण राजस्थान के किसी भी हिस्से में देने जावें, वे यही कहेंगे कि राजस्थान में किसी भी व्यक्ति को भूख से नहीं मरने दिया जावेगा। मैं निवेदन करूंगा कि सन् 1947 में कांग्रेस की हकूमत बनी और उसको आज 20 वर्ष हो गये हैं, 20 वर्षों के बाद भी राजस्थान के मुख्य मन्त्री को बार बार यह कहना पडता है कि किसी भी व्यक्ति को भूख से नहीं मरने दिया जावेगा। इसका मतलब यह है कि हमने इन 20 वर्षों में ऐसी स्थिति पैदा नहीं की कि हमें इस बात को बार बार कहने की नौबत नहीं आए कि किसी को भूख से नहीं मरने दिया जाएगा। आज भी राजस्थान में इस प्रकार की स्थिति है जिसके कारण लोग भूख से मरेंगे।

मैं सरकारी आंकडों के आधार पर आपको बताना चाहूंगा। राजस्थान में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना बनी। उसको मैंने देखा है। आंकड़े उसमें गलत हैं या सही यह सरकार के दिय हुए आंकड़े हैं। सरकार कहती है कि 45 लाख टन की 2 करोड़ 28 लाख जनता के लिये जरूरत रहती है। अब इसमें से सारा मिलावें तो 33 लाख टन तो उत्पादन हो गया, और बाकी जो आपने नये कानून बनाये हैं उसके द्वारा कुछ मिलेगा, कुछ भारत सरकार से इम्पोर्टेड व्हीट मंगा लिया, आपने मिलों और आटा और कुछ बाजरा पंजाब से ले लिया। इस तरह से कुछ और आपको मिल गया। 33 लाख टन तो आपके यहां उत्पादन हो गया और 5 लाख टन हमने खरीदा। इस तरह से 38 लाख टन हुआ। हमारी जरूरतें हैं 45 लाख टन की। मैं सरकार से पूछना

(श्री भैरोंसिंह)

चाहता हूं कि इस 7 लाख टन की कमी को लोगों ने कैसे पूरा किया होगा। दूसरे किसी सोर्सेज से आया नहीं। हमने जो खरीदा और जो उत्पादन हुआ उसको हमने शामिल किया उसके बाद में यह 7 लाख टन की कमी रहती है। तो इसको तो आपको मन्जूर करना होगा कि 45 लाख टन अनाज की जरूरत थी इस लिये 7 लाख टन की कमी महसूस करके चलते हैं। हमारे फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य हैं वे कहेंगे कि लोग अंगूर खा कर भी कमी को पूरा कहेंगे। फ्रूट, सूखे मेवे और अन्डे आदि लोग न मालूम क्या क्या चीजें खाने लगे।

मैं यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान में कई लोग ऐसे हैं जैसे माननीय सदस्य आसीन्द से आये हैं वे महसूस करके चलते थे कि कालेज में जिस समय वे पढ़ते थे उस समय उनकी क्या खुराक थी। वे उस समय कालेज में एक सेर मिठाई खाते थे मगर आज वे एक सेर मिठाई नहीं खा सकते। केवल इसलिये कि खाने की क्षमता समाप्त हो गई। आज यह कह कर चलें कि हैबिट बदल गई। खुराक बदल गई। खुराक बदल गई उसका परिणाम क्या है वह आप आम लोगों की सूरतों को देखलें। चेवट के 6॥ फुट के लोग होते थे। आज खेतसिंहजी को देख कर कोई कह नहीं सकता कि आप शेरगढ़ से आये हैं।

(1.04 म. प.)

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इससे यह स्पष्ट है कि राजस्थान में किसी न किसी रूप में खाने की कमी है। सरकार यह नहीं कह सकती कि यह 7 लाख टन की कमी रही है उसके लिये हमने लोगों को माल खिला कर पूरा किया है। अन्डे, साग सब्जी आदि की बात कही जाती है। मैं कहूंगा कि गवर्नर महोदय के एड्रेस में भी इस बात का उल्लेख था और सरकारी रूप से इसको स्वीकार किया है कि राजस्थान में मुर्गीपालन और सूअर पालन की व्यवस्था की है और यह मांस के लिये व्यवस्था की है। मैं यह कहूंगा कि इस मन्त्रीमन्डल में नवाब लोहारू के होते हुए भी इस पर किस प्रकार से मोहर लगादी। इन सारी कमियों को किस प्रकार से पूर्ति करें। सरकारी आंकड़ों के अनुसार और सरकारी व्यवस्था के कारण जो कमी है इसकी हम कैसे पूर्ति कर सकते हैं। मगर फिर भी लोगों ने इस कमी को किसी न किसी तरह से हल किया ही है। जैसे जिस समय लालबहादुर शास्त्री थे उन्होंने कहा कि सोमवार को एक समय का खाना बन्द किया जाए। उसके बाद मंगल और सोमवार को चावल खाना बन्द किया गया। मैं यह कहूंगा कि सोमवार को अन्न खाना बन्द और मंगलवार को चावल खाना बन्द, इसके अलावा शादियों में खाना बन्द। इतना ही नहीं। इसके अलावा कल हमारे मन्त्री महोदय ने कहा कि इन तीनों से काम नहीं चलेगा इसलिये अब तो बच्चे बन्द। मैं यह कहूंगा कि यह बच्चे बन्द करो, यह कैसे होगा। पहले तो कहते थे महाराष्ट्र बन्द, पटना बन्द, बम्बई बन्द और अब हमारे मन्त्री महोदय कहते हैं कि बच्चे बन्द। किसी दूसरी जगह इनका जोर नहीं चला तो अब कहने लगे कि बच्चे बन्द। बच्चे बन्द नहीं होंगे। अनाज की कमी है उसको कैसे पूरा करेंगे, इसका कोई रास्ता हमारे सामने नहीं आता। हमारी सरकार कहती है हम पूरा

(श्री भैरोंसिंह)
करेंगे और वह कैसे करेंगे उसके लिये हमारी सरकार कहती है कि प्रोक्योरमेन्ट से! मगर मैं यह कहूंगा कि जब इसकी बात भी आती है तो उसमें भी माननीय सदस्य दो भागों में बोले हैं। एक एग्रीकल्चर और दूसरा नोन एग्रीकल्चर पर। नोन एग्रीकल्चर वाले कहते हैं कि किसानों से लेवी लेनी चाहिये। लेकिन अभी तक जो भाषण हुए हैं उसमें कोई ऐसा नहीं बोला है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पर लेवी की स्कीम सरकार ने की है उससे हमें अनाज प्राप्त करना है वह प्राप्त हो सकेगा। आज आप किसान और उपभोक्ताओं की विचार धारा को समझें और जो लोग दावा करते हैं कि वे किसानों के हितों की रक्षा करते हैं वे कह दें कि प्रोक्योरमेन्ट से लेवी लेनी चाहिये। मैं देखूंगा कि कौनसा किसान सदस्य इस बात का दावा करता है कि सरकार की प्रोक्योरमेन्ट स्कीम है वह ठीक है।

श्री पी. के. चौधरी : आपके दांता-रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य...

श्री भैरोंसिंह : मैं आपके उधर बैठे हुए लोगों की बात कहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, अब आप कहते हैं कि किसानों से हमें सस्ता अनाज लेना है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्रोक्योरमेन्ट लेवी के आॅर्डर हैं वे भी अजीब हैं। जितने नोटिफिकेशन्स निकलते हैं और जितने निकले हैं उनमें अन्तर है। किन किन लोगों से लेवी ली जावेगी कितने अनाज पर लेवी ली जावेगी, कितना एरिया होगा उससे अनाज लिया जावेगा इन सारी बातों को छोड़िये। इसमें क्लाज 3 लाये हैं उसमें दो आधार लिये हैं।

"Provided that the Collector or any other officer not below the rank of the Tehsildar, empowered by the Collector in this behalf, may reduce the levy due from a producer in cases of failure of crops, drought, damage by insects or by any other causes beyond the control of the producer."

यहां पर हमने कलेक्टर को और ऐसी आयोरिटी को पावर दे दिया है जिसको कलेक्टर वह पॉवर दे, उसको हमने अधिकार दे दिया है कि किसी भी किसान को वह एग्जेम्प्ट कर सकता है। कहीं पर अकाल नहीं है, यह कौन देख सकता है। एग्जेम्प्शन जिसको मिलेगा, यह तो उन्हीं को मिलेगा जिनके पीछे कांग्रेस वालों का हाथ होगा, जिनके पीछे ताकत होगी। यह ताकत कांग्रेस के नेताओं में है कि अकाल को सुकाल और सुकाल को अकाल बता दें। किस किसान से वसूली करनी है और किस किसान से नहीं करनी और किस किसान को परेशान करना और किसको रिवार्ड देना है यह उनके हाथ की बात है। किसानों को पोलिटिकल एग्जेम्प्शन किस तरह से दिया जावे उसके लिये यह किया गया है। यदि कोई अधिकारी किसानों के नेता या लोकल लीडर के दबाव में नहीं आवे और जिद करके बैठ जावे तो उसके लिये आगे आपने एक क्लाज रख कर ऐसी व्यवस्था करदी कि यदि कोई भी चाहे तो कलेक्टर के मारफत सारी जानकारी करके एग्जेम्प्ट करा सकता है।

Page No. 46

(श्री भैरोंसिंह)

इसमें लिखा है:—

"If the Government, having regard to the conditions prevailing in any area, considers it necessary or expedient so to do in the public interest, may, by notification in the official gazette, exempt, subject to such conditions as it may think fit to impose, such class or classes of producers in that area as it may specify in the notification, from the operation of all or any of the provisions of this order."

तो अब इसका मतलब यह हुआ कि अगर कलेक्टर आपके कहने में आजाय और आप के कहने के अनुसार जिस एरिया को आप अपने लोगों को बेनिफिट पहुंचाने के लिये एग्जेम्प्ट कराना चाहें उस एरिया को लेवी से एग्जेम्प्ट करदें तब तो ठीक, और अगर कलेक्टर ने आपके दबाव को स्वीकार नहीं किया और जिस एरिया को आप एग्जेम्प्ट करना चाहते हैं उसे एग्जेम्प्ट नहीं किया तो गवर्नमेन्ट ने अपने हाथ में ओवर राइडिंग पावर्स ले लिये हैं कि जिस एरिया का हम जिस समय चाहें उसी समय उस व्हीट प्रोड्यूसिंग एरिया को प्रोक्योरमेन्ट से एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपने विक्टिमाइजेशन करने के इरादे से यह प्रोक्योरमेन्ट आर्डर इस तरह से इश्यू किया है। आप खुद मानते हैं, आपने 20 हजार टन गेहूं लेवी से प्रोक्योर करने का अन्दाजा लगाया है। राजस्थान में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है और राजस्थान में गेहूं के कुल उत्पादन को देखते हुए 20 हजार टन गेहूं लेवी से प्रोक्योर किया भी जा सकता है या नहीं यह दोनों चीजें अपना सिग्निफिकेन्स रखती हैं। गेहूं का उत्पादन कितना हुआ इसके आंकड़े सरकार अभी तक एकत्रित नहीं कर पाई है, किस डिस्ट्रिक्ट के किस एरिया में कितना गेहूं पैदा हुआ इसके आंकड़े आपके पास नहीं हैं। आपने केवल डिस्ट्रिक्टस के नाम दे दिये हैं क्या कुछ डिस्ट्रिक्टस में ऐसे एरियाज नहीं हैं जहां गेहूं पैदा नहीं होता? अब इन ओवरराइडिंग पावर्स की माफिक आप अपने लोगों को फेवर करेंगे, उन्हें बेनिफिट पहुंचावेंगे और जो आपके खिलाफ लोग हैं उनको विक्टिमाइज करेंगे।

इस प्रोक्योरमेन्ट आर्डर में सरकार ने भाव निर्धारित किये हैं उन पर आप गौर कीजिये, गेहूं बाजार में मिल रहा है 128) रुपया प्रति क्विन्टल के भाव से और सरकार किसानों से खरीदेगी 65) रुपया प्रति क्विन्टल के भाव से, कौन ऐसा होगा, आज इस विधान सभा में जो बैठे हुए हैं उनमें कौन ऐसा होगा जो अपनी चीज को 50 परसेंट घाटे पर डिस्पोज आफ कर देगा। कोई नहीं चाहेगा। तो मैं कहता हूं कि बाजार के भाव से बिल्कुल आधी कीमत देना यह किसानों के साथ जबरदस्त अन्याय है। आप किसानों से किसी तरह वसूली करें, वह मजबूरी से देगा। मन्त्री महोदय ने स्वयं ने स्वीकार किया कि जिस समय बाजारों में अनाज आया उससे पहले प्रोक्योरमेन्ट का आर्डर निकालते तो ठीक रहता। पर आज अनाज बाजारों में आ गया, किसान के पास अनाज नहीं रहा, आपने प्रोक्योरमेन्ट आर्डर इश्यू कर दिया, किसान के पास अनाज नहीं रहा तो ऐसी दशा में वह बाजार से 125) 128) रु. प्रति क्विन्टल के भाव से खरीद कर 65) रुपया प्रति क्विन्टल के भाव से सरकार को बेचेगा। वह भी कौन किसान? वह

(श्री भैरोंसिंह)

किसान जिस किसान के लिये बिजली देना हो तो सरकार स्वीकार नहीं करती, जिस किसान को खाद देना हो तो सरकार खाद देना स्वीकार नही करती, उस किसान के लिए हम कहें कि उसे पर्याप्त शक्कर दी जाय तो सरकार इसे स्वीकार नहीं करती, अगर उस किसान के लिये कहा जाय कि उसे अच्छा बीज दिया जाय, अच्छा खाद दिया जाय, उसे इरिगेशन की फैसिलिटीज दी जांय, उसे अच्छे इम्प्लीमेन्ट्स दिये जायें तो, सरकार देना स्वीकार नहीं करती, ट्रैक्टर्स के लिये वर्कशोप की मांग करें तो सरकार स्वीकार नहीं करती, अगर किसान अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढाने के लिये कर्ज की मांग करे, और फैसेलिटीज की मांग करे तो सरकार स्वीकार नहीं करती, उन किसानों के लिये इतना सब कुछ स्वीकार नहीं करने के बावजूद सरकार किसान को कहती है कि तुम्हें अपनी प्रोड्यूस हमें सस्ते भाव पर देनी पडेगी। तो यह उसके साथ अन्याय होगा। आप अपनी प्रोड्यूस को मन चाहे मुनाफे पर लोगों को बेचते हैं, वित्त मन्त्री यहां नहीं हैं, आप 3) रु. गैलन में शराब बनाते हैं, उसकी कीमत आप लोगों से 23) रुपया लेते हैं। हम अपनी प्रोड्यूस के लिये तो जितना चाहें मुनाफा बढा कर पैसा वसूल कर लें और जहां राजस्थान के किसान की प्रोड्यूस का सवाल आये तो उससे कहें कि तुम्हें अपनी प्रोडयूस हमें आधी कीमत पर देनी होगी। हम किसानों की उपेक्षा करके उनसे सस्ता अनाज ले लें और बाकी की किसानों के जरूरत की चीजें उन्हें सस्ती मिलें इस बात की व्यवस्था नहीं करें तो यह किसानों के साथ अन्याय होगा।

67-68 का बजट देखें, फर्टिलाइजर का हैड इसमें है, आपको देख कर ताज्जुब होगा कि जहां सरकार किसानों को फर्टिलाइजर सस्ती कीमत पर देने का कहती है उसमें 22 हजार का मुनाफा कमाने की बात को लेकर राजस्थान सरकार चल रही है। यह बजट के फीगर्स हैं। फर्टिलाइजर से सरकार 22 लाख रुपये का मुनाफा किसानों से लेने का सोच कर चल रही है, उन किसानों को सीमेन्ट नहीं देती, अच्छे बीज, अच्छा खाद सस्ती कीमत पर नहीं देती। कृषि के अच्छे औजार नहीं देती, शक्कर आदि चीज जो किसान की जरूरत की चीजें हैं उन्हें नहीं देती, उस किसान से यदि सरकार सस्ते भाव पर अनाज लेने की कोशिश करेगी तो इसका क्या परिणाम निकलने वाला है? इसका परिणाम यह निकलने वाला है कि किसान के पास सेविंग नहीं रहेगी और यदि उसके पास सेविंग नहीं रहेगी तो वह अपनी खेती की उपज के लिये खर्च नहीं कर सकेगा, और जब वह एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिये खर्च नहीं कर सकेगा तो निश्चित रूप से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन घटेगी, उस किसान की कमर दब जायगी, वह खडा नहीं रह सकेगा और इससे देश का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन निरन्तर गिरेगा। राजस्थान में आज तक जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन गिरा है उसमें मेन फैक्टर यही तो है।

दूसरा फैक्टर श्री पी. के. चौधरी ने बताया वह है कि आज किसानों के दिमाग में अनसर्टेन्टी है। राजस्थान में जोत योग्य भूमि कुल 3 करोड़ 11 लाख और कुछ हजार एकड़ है उसमें से 40,67,308 एकड भूमि सिंचित है। 40 लाख एकड सिंचित भूमि में से 19 लाख एकड में खाद्यान्न का

(श्री भैरोंसिंह)

प्रोडक्शन होता है, कुल सिंचित भूमि के 50 प्रतिशत से भी कम भूमि में खाद्यान्नों का प्रोडक्शन होता है। ज्यादा समय नहीं है मैं आपको सारे आंकड़े बताता। यदि आपके पिछले आंकड़ों को देखें सिंचित भूमि के, परसेन्टेज के तो आपको पता चलेगा कि कुल सिंचित भूमि में कार्मशियल क्राप्स के लिये कैश क्राप्स के लिये सिंचित भूमि का रकबा बढ़ता जा रहा है और खाद्यान्नों के लिये जो सिंचित भूमि का रकबा है वह घटता जा रहा है। इसका मुख्य कारण किसानों के दिमाग में अनसर्टेन्टी है। किसान जानता है कि यदि वह अनाज को मन्डी में ले जाकर बेचता है तो जब तक वह अधिकारियों को सन्तुष्ट नहीं कर देता तब तक बेच नहीं सकता। किसानों को कई प्रकार की कानूनी उलझनों में उलझा दिया गया है। उसके पास कितना अनाज है, उसका डिक्लेरेशन दे, अनाज का 15 दिन में डिक्लेरेशन नहीं आये तो मारा गया, अधिकारी किसी भी समय उसे फंसा सकता है, यह भय आज किसान के दिमाग में घर कर गया है और आज जो इसका रिजल्ट है वह हमारे सामने है। किसान देखता है कि वह क्यों गेहूं पैदा करे और इतनी आफतें मोल ले। वह सोचता है कि वह क्यों गेहूं पैदा करे जिसके मूवमेन्ट को कलेक्टर बान करेगा, जिसकी उपज का डिक्लेरेशन उसे देना पड़ेगा, मन्डी में बेचने जायगा तो बिक्री कर देना पड़ेगा, उस गेहूं पर लेवी लगेगी मैं पैदा करूंगा लहसुन, मैं पैदा करूंगा मिर्च, मैं पैदा करूंगा जीरा जिसके ऊपर न कन्ट्रोल है और न मूवमेन्ट पर किसी प्रकार की बान है, न डिक्लेरेशन देना पड़ेगा न बाजार में उलझूंगा और पूरी कीमत मिलेगी घर बैठे। यही कारण है कि राजस्थान में खाद्यान्न का उत्पादन घट रहा है और कार्मशियल क्राप्स का उत्पादन बढ़ रहा है।

तो यदि खाद्य समस्या का सही हल करना चाहते हैं तो वह अनसर्टेन्टी किसानों के दिमाग से रिमूव करें। आपने नोटिफिकेशन इश्यू किया है, मैंने आपके नोटिफिकेशन की गिनती की है, गजट्स में इश्यू हुए हैं जिनकी कापी मेरे पास मिल गई उससे मैंने आपके नोटिफिकेशन्स की रफली गिनती की है, आपने 1963 से अब तक 704 नोटिफिकेशन्स इश्यू किये हैं।

पहले गेहूं के भाव जो 65) रुपये क्विन्टल थे वह 704 नोटिफिकेशन्स के बाद 128) रु. क्विन्टल पर पहुंच गए। इतने नोटिफिकेशन्स के बावजूद भी अनाज को सस्ता नहीं कर सके, किसान को राहत नहीं दे सके, उपभोक्ता को राहत नहीं दे सके इन सब का परिणाम किसान पर तो निश्चित रूप से पड़ा ही लेकिन और भी कुछ हुआ। रेडियो पर शाम को आता है कि आज सरकार ने यह आदेश निकाला, आज यह वापस ले लिया। इन नोटिफिकेशन्स की हालत यह है कि इनका अन्दाज ही नहीं लगा सकते कि कब निकला था और कब वापस ले लिया, कब संशोधन हुआ और कब इम्प्लीमेन्टेशन हुआ, कब बन्द हुआ। इन सारी चीजों की जानकारी किसान को नहीं हो सकती। उस किसान को कानूनी झंझटों में फंसाने की कोशिश की जिस से अनाज का उत्पादन तो नहीं बढ़ सका, बाकी के लिए तो मैं नहीं कह सकता।

सरकार ने कुछ आदेश जारी किए हैं प्रोक्योरमेन्ट के साथ साथ सरकार ने पिछले दिनों चने का एक कानून बनाया था। मैं एक

(श्री भैरोंसिंह)

उदाहरण देना चाहता हूं ताकि कांग्रेस के माननीय सदस्य कन्विन्स हो जायं। यह मानी हुई बात है और गांधीजी भी कहते थे कि कन्ट्रोल से करप्शन बढ़ता है। आप गांधीजी के अनुयायी हैं। पिछले दिनों आपने चने की निकासी बन्द की, राजस्थान से चना बाहर नहीं जा सकता। फिर आर्डर निकाला कि चना बाहर जा सकता है लेकिन कुछ प्रतिशत सरकार की प्रेस्क्राइब्ड कीमत पर देना पड़ेगा और देने के बाद में कलेक्टर से नान-प्रोक्योरमेंट सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। वह प्रक्रिया चालू हुई, उस प्रक्रिया के चालू होने में कई झगड़े हुए। एक दिन शाम को 6 बजे रेडियो बोल गया कि आज से चने की निकासी बन्द। चना चला गया सरकारी गोदामों में। चने की बोरियां भरी गई, वैगन्स लादे गये और रेडियो बोल गया। ज्यों ही रेडियो बोल गया तो जो होशियार थे उन्होंने सोचा रेडियो वाले कोई चिन्ता नहीं, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन प्रकाशित हो चिन्ता नहीं। रेडियो अलग, प्रेस नोट अलग, सरकार की धारणा अलग। कइयों के डिब्बे रवाने हो गए। जो ईमानदारी से काम करना चाहते थे उन सबने चना रोक लिया। सरकार को एक अधिकार था रोकने का। उस अधिकार के बाद लोगों ने कहा चना रोका तो उसको खरीदो। तो कहा नहीं खरीदेंगे। लोक सभा में सवाल हुए। भारत सरकार को लिखा गया तो कहा कि खाद्य निगम चने को खरीदेगा। अब खाद्य निगम ने आधी कीमत पर चना खरीदने की कोशिश की। व्यापारियों ने नहीं दिया तो सरकार ने आर्डर निकाला "राजस्थान ग्राम (सेल एण्ड स्टाक) आर्डर" जिससे, जिसके पास 50 टन से ज्यादा चना निकले उसका तीसरा हिस्सा हम लेंगे। वनथर्ड को उन्होंने लिया। मेरी जानकारी के अनुसार लगभग 12,000 टन इस प्रकार से उन्होंने खरीदा जब कि टोटल डिक्लेरेशन 35 हजार टन का था।

कांग्रेस के माननीय सदस्य जो चुनाव लड़कर आए हैं और यह भी महसूस करते हैं कि चुनाव बहुत महंगा हुआ है, इस चुनाव पर बहुत खर्चा हुआ। हम पर तो आरोप लगाते हैं कि बिडलाजी से पैसे आगए, हम पर यह आरोप लगाते हैं कि टाटा, बिडला और सारे सेठों ने राजस्थान के विरोधी दलों को पैसे से भर दिया लेकिन आपके पास किसका आया? राजस्थान की गरीब जनता जो आपको धरोहर देकर चल रही है उनका एक्सप्लाइटेशन नहीं किया? भारत सरकार के लाइसेन्स से, उनकी अनुमति से किया, उसकी आंखों के नीचे किया। उन बिडला के खिलाफ बोलते हैं तो हाजिरी की रिपोर्ट जो संसद में डिस्कस हो रही है, वहां के कांग्रेस नेताओं से कहिए, बिडला ने जो मोनोपाली कर रखी है, उसको कन्ट्रोल किया जाए। आपको तो बिडला के पैसे का भूत लग रहा है। आपने जो चुनाव में लाखों रुपए खर्च किए हैं, वे कहां से आ गए? जमीन में से निकला, अगर ऐसा है तो बताइए कौनसे फव्वारे से निकला, यदि आसमान से छत फटी तो कौनसी पोइन्ट से फटी? इस चने के प्रश्न को लेकर व्यापारी हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने कहा कि इसमें जो क्लेम्स हैं, वे लीगली स्टैण्ड नहीं करते व्यापारियों ने कहा कि लीगल स्टैण्ड करे या नहीं इसका काम्पेन्सेशन दो। इन्कार किया। विधान सभा की कार्यवाही निकालकर देखें तो आपको बतादूं कि जब मैं ने कहा था कि व्यापारी क्लेम करेंगे तो मन्त्री महोदय

(श्री भैरोंसिंह)
कहा कि व्यापारी क्लेम करें या नहीं, उनका लीगल स्टेटस नहीं है।

उसके बाद चुनाव आया तो खर्चे का सवाल पैदा हुआ। खर्चे के लिए पैसा कहां से आये तो चना याद आया। चने में पैसा है, या तो चने में घुन लगता है या पैसा। तो उसमें से भी पैसा निकाल लिया कांग्रेस के नेताओं ने। नासिक में नोट छपते हैं लेकिन उनको पता नहीं कि चने में से भी नोट छपते हैं। चने की निकासी पर क्लेम्स का सवाल आया। क्लेम्स के प्रश्न को लेकर कई जगहों से पूछा गया कि क्लेम्स वाजिब हैं या नहीं। लॉ डिपार्टमेन्ट ने कहा कि वाजिब नहीं हैं, उसके बाद खाद्य विभाग ने कहा कि वाजिब नहीं हैं, हाई कोर्ट का जजमेन्ट हो गया कि क्लेम्स वाजिब नहीं हैं। एडवोकेट जनरल के पास पेपर्स गए तो उन्होंने कहा कि क्लेम्स वाजिब नहीं हैं। जब सरकार ने देखा कि राजस्थान में सब रास्ते बन्द हो गए तो उन्होंने इन पेपर्स को दिल्ली भेजा और एक एडवोकेट की पर्टिक्यूलर पोइन्ट पर राय लेकर कहने लगे कि वाजिब हैं। फिर सरकार ने काम्पेन्सेशन की हवा बनाई कि देना चाहिये। जांच की जाय कि कांग्रेस पार्टी का चुनाव लड़ने के लिए इन व्यापारियों ने दो लाख रुपए दिए हैं। हिम्मत हो तो इसकी जुडिशियल जांच कराइये। मैं इसके भी आगे बढ़ कर कहता हूं कि एक मन्त्री ने एक लाख रुपए ले लिये। जब काम्पेन्सेशन की पेमेन्ट नहीं की जा सकती तो मैं उनकी ईमानदारी की तारीफ करूंगा कि उन्होंने 100) रखे और बाकी पैसे वापस किए।

इस प्रकार राजस्थान के किसान को, जनता को ठग करके पोलिटिकल एक्सप्लोइटेशन करके पैसा लिया और खाद्य समस्या के नाम को लेकर पैसे लेकर, राजस्थान की जनता को गुमराह करके आप कहते हैं कि हम बिरला के मान पर जीत कर आए।

श्री शिवचरणसिंह : बारगेनिंग का पता आपको है क्या ?

श्री भैरोंसिंह : आप कहते हैं तो मैं बीच में हूं।

श्री शिवचरणसिंह: तो फिर हो सकता है कि आपका कहना सही हो।

श्री भैरोंसिंह : अगर मैं बीच में हूं तो सही है इस बीच में एडवाईजर्स आये। इन्होंने भी ऐसा काम कर डाला कि जो सरकार ने 15 वर्ष में भी नहीं किया। इन एडवाइजर्स के सामने यह फाइल गई उन्होंने आर्डर किया कि क्लेम्स वाजिब नहीं हैं। आज व्यापारी घूम रहे हैं। कभी सरकार कहती है कि मोठ की निकासी बन्द, परमिट से ले सकते हैं, कभी कहते हैं कि ग्वार की निकासी बन्द, परमिट से ले सकते हैं। नए ऑर्डर्स की व्यवस्था की जा रही है।

चुनाव के दिनों में मन्डी कानून का प्रश्न आया, व्यापारियों ने विरोध किया कि मन्डी कानून नहीं लागू होना चाहिये। मेरी समझ में नहीं आता कि चुनाव के दिनों में मन्डी कानून को सरकार ने वापस कैसे ले लिया। उस मन्डी कानून को वापिस लेकर उस सरकार ने ज्योंही इलेक्शन खतम हुए उस मन्डी कानून को फिर से लागू कर दिया। उस व्योपारी के वोट लेने थे जिसको सरकार ब्लैक मार्केटियर कहती है, उस व्योपारी के वोट लेने थे जिसको सरकार होर्डर कहती है, उस व्योपारी के वोट लेने थे जिसको सरकार

(श्री भैरोंसिह)

एन्टी सोशियल कहती है। उन व्योपारियों ने जब रिप्रेजेन्टशन किया कि मन्डी कानून खत्म होना चाहिये वरना हम आपको वोट नहीं देंगे, तो कह दिया कि मन्डी कानून खत्म हो रहा है आप वोट दें। मन्डी कानून खत्म किया, वोट उनसे ले लिया और फिर मन्डी कानून वापिस लागू कर दिया। राजस्थान सरकार के पास कौनसा जस्टिफिकेशन था कि बीस दिन के लिये उसने उस कानून को खत्म कर दिया और फिर से उसको वापिस लागू कर दिया? मन्त्री महोदय कहेंगे, कि हाई कोर्ट का आर्डर था। उस आर्डर में क्या संशोधन की अपेक्षा की गई थी? जो अपेक्षा उस आर्डर में की गई थी वह तो उस संशोधन के द्वारा लागू नहीं किया। किन्तु जिस प्रकार से उसमें संशोधन किया उससे यह सरकार ने स्पष्ट रूप से प्रकट कर दिया कि केवल चुनावों के लिये ही मन्डी कानून उठा लिया था और फिर उसको लागू कर दिया, इस प्रकार उस संशोधन की बाकी आवश्यकता नहीं थी।

आज राजस्थान की स्थिति ऐसी है जैसा मैंने कहा, किसान पैदा करे, किसान पैदा तो करे लेकिन उसके लिये ऐसी हालत पैदा करदी है कि किसान अपनी पैदावार को बेच नहीं सकता। जब तक मन्डी कानून के अन्तर्गत प्रोक्योरमेन्ट का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, वह नहीं बेच सकेगा। किसान तब तक नहीं बेच सकता जब तक कि उसको मन्डी कानून के अन्तर्गत क्लियरेन्स नहीं मिलेगा। प्रोड्यूसर बेच नहीं सकता और भाव इतने बढ़ गये हैं कि राजस्थान में अनाज के खाने वाले अनाज नहीं खरीद सकते। यह सारी चीज का आपका रिजल्ट है। तो दुर्भाग्य से मैं यह कहूंगा कि अब तक जो आपकी नीतियां हैं वे किसी भी प्रकार से सफल नहीं रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में हालत कैसी है? सब जगह त्राहि माम् त्राहि माम् मचा है। गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स में त्राहि माम् मचा हुआ है, पब्लिक में त्राहि माम् मचा हुआ है, किसानों में चले जाएं तो वहां भी त्राहि माम् मचा हुआ है, व्यौपारियों में चले जायें तो वहां भी त्राहिमाम् मचा हुआ है। और यदि कांग्रेस के विधायकों में चले जाएं तो वहां भी त्राहि त्राहि माम् मचा हुआ है। सुखाडियाजी ने वादा कर लिया था कि 22 तारीख को मंत्रियों की संख्या बढ़ाने वाला हूं, फिर कहा कि 24 को बढ़ाने वाला हूं, वह नहीं बढ़ायी इसलिए कांग्रेसी विधायकों में त्राहि माम् त्राहि माम् मचा हुआ कि आगे जाकर उनके क्लेम खत्म कर देंगे। तो कांग्रेस में भी त्राहि माम् त्राहि माम्। व्यौपारियों में त्राहि माम्, उपभोक्ताओं में त्राहि माम् मचा हुआ है ...

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : जो लोग जनसंघ को छोड़ कर आ रहे हैं उनमें भी त्राहि माम् त्राहि माम् मचा हुआ है।

श्री भैरोंसिह : यह बिल्कुल सही है कि जनसंघ में भी त्राहि माम् है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। दो जनसंघी विधायक उधर जाकर मिल गये हैं। चने के ब्लैक का पैसा है, न जाने क्या क्या गड़बड़ी वहां करने वाले हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि राजस्थान में अनाज के प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेन्ट की प्रोब्लेम तो है ही, मैं कहना

(श्री भैरोंसिंह)

चाहता हूं कि जैसा उन्होंने इन्डीकेट किया कि सबसे बड़ी प्रोब्लम जो है वह अनाज के डिस्ट्रिब्यूशन की प्रोब्लम है। यदि इस प्रोब्लम को सही ढंग से टैकल करें, सही ढंग से उसको लागू करने की कोशिश करें तो आधी समस्या का समाधान इससे हो सकता है। यह बात सही है कि व्यापारियों में कई ब्लैक मार्केटियर्स हैं, यह बात सही है कि व्यापारियों में कई होर्डरर्स हैं। लेकिन यह ब्लैक मार्केटियर्स और होर्डरर्स विरोधी दल की कृपा से जिन्दा हों आप ऐसा नहीं मानिये। हम कभी किसी की सिफारिश लेकर आपके पास नहीं गये कि अमुक व्यापारी पकड़ा गया इसलिए उसको छोड दो। सरकार के पास में एन्फोर्समेन्ट ओफिस है, सरकार के पास में पूरे कानून हैं, कोई होर्डरर हो, ब्लैक मार्केटियर हो और उसको सरकार न पकडे तो यह दोष किसका है? यह आपका ही दोष है। बीकानेर से आये माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि पिछले दिनों कोटपूतली में एक व्यापारी के यहां 6 कोठे अनाज के पकडे गये। इतने बडे बडे गोदाम जिसके लिए अनुमान से कहना चाहता हूं, जैसी मुझे सूचना मिली है, कि एक लाख रुपये का अनाज पकडा गया। एस. डी. एम. साहब वहां गये। उसको पकडने के बाद उम्मीद यह थी कि उनको तुलवाया जावेगा लेकिन कहा कि इतने बडे गोदाम तुलवाये नहीं जा सकते। इसलिए सील लगा दी। उपाध्यक्ष महोदय, आपको ताज्जुब होगा कि उसमें सील इसलिए लगायी कि तुलवाया नहीं जा सकेगा लेकिन जब उस कोठे की सील खोली तो उसमें एक क्विन्टल अनाज भी नहीं था। यह अनाज कहां गया? जिस प्रकार मुनि अगस्त समुद्र का चूस कर गये आप में से भी मुनि अगस्त पैदा हो गये जो अनाज ले गये। उसके बाद यह तय हुआ कि प्रोसिक्यूशन किया जाय। एस. डी. एम. ने उसका प्रोसिक्यूशन नहीं किया। एस. डी. एम. ने उस अनाज को रिलीज कर दिया और स्मगलिंग कर गये। मैं रिपोर्ट उसके खिलाफ नहीं करता, खुद मन्त्री महोदय सुनलें, पुलिस ने रिपोर्ट की। पुलिस ने कहा एस. डी. एम. पैसा खा गया। राजस्थान की यह सरकार उसको बचा रही है। सरकार ने एस. डी. एम. को लगा रखा है कि कोटपूतली से श्री राम चुन कर आये हैं उनको तोड कर कांग्रेस में लाओ इसलिये सरकार की उन पर कृपा है। यह जुल्म चल रहा है। गोकुलप्रसादजी, ये कागज पुलिस के विभाग में हैं। ये कागज सब जगह पडे हैं। पब्लिक के लोगों को आप ब्लैक मार्केटियर कहते हैं खुद एस. डी. एम. ने अपने रिश्तेदारों को परमिट दे देकर चीनी और अनाज का ब्लैक कराया। आज उसका प्रोसिक्यूशन आपने नहीं कराया।

ऐसी हालत में कहना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार की यह स्थिति है। अनाज चीनी की डिस्ट्रिब्यूशन की जो व्यवस्था है, आपने कोओपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा डिस्ट्रिब्यूशन कराया कोई मन में कह दे, सिद्धान्तों के आधार पर कह दे कि कोओपरेटिव सोसाइटी से डिस्ट्रीब्यूशन कराया जाय लेकिन उस डिस्ट्रिब्यूशन से उनको कोई संतोष नहीं है और यह सब मन में जानते हैं वे। गवर्नमेन्ट एजेन्सी के मार्फत डिस्ट्रिब्यूशन कराया तो उससे भी उनको सन्तोष नहीं है। उसके लिये अब किसकी आवश्यकता है? उसके लिये आज आवश्यकता है वह है नेशनल करेक्टर की।

(श्री भैरोंसिंह)

गवर्नमेन्ट इस देश का करेक्टर नहीं बना पायी। पब्लिक में करेक्टर नहीं रहा, और गवर्नमेन्ट में करेक्टर नहीं रहा। इसलिये आज ये सारी समस्याएं सामने खडी हैं। यदि गवर्नमेन्ट कोआपरेटिव सोसाइटीज से डिस्ट्रिब्युशन कराना चाहती है तो उसको सफलता मिलेगी या नहीं? कोई रोज ऐसा नहीं जाता कि एक दो चिट्ठियां मेरे पास ऐसी नहीं आती कि अमुक कोओपरेटिव सोसाइटी को इतना अनाज और इतनी चीनी दी गई, उसके डिस्ट्रिब्यूशन में पक्षपात किया, अमुक दूकान पर पक्षपात हुआ और ब्लेक मार्केट हुआ, राशन मिलता है उसको एप्रिशियेट नहीं किया। ये शिकायतें आम तौर पर मुझे और उन माननीय सदस्यों को जिनको जानकारी है उनको भी मिलती रहती है। मैं स्वयम् चक्कर में हूं कि जब मशीनरी के मार्फत आप व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, जब कोआपरेटिव सोसाइटी के मार्फत आप व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो फिर यह कैसे होगा। ब्लैक मार्केट के नाम पर केवल ट्रेडर्स को दोष देते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान का ट्रेडर, राजस्थान की गवर्नमेन्ट और कोओपरेटिव सोसाइटी जिन पर ये आरोप हैं ये तीनों ही एक कैटेगरी में हैं। हिन्दुस्तान में आज इस प्रकार की फिजा पैदा करदी है जिसका मेजर ओपरेशन नहीं किया तो आप मान कर चलिये कि कोई बात ठीक ढंग से नहीं होगी। मेजर ओपरेशन यदि करना है तो उच्च स्तर से करना है। वह ओपरेशन क्या करना है वह अलग सब्जेक्ट है और उस पर जब मौका मिलेगा मैं इस सदन में अपनी बात रखना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ बातें इस डिस्ट्रिब्यूशन के सम्बन्ध में और निवेदन करना चाहूंगा जो जरूरी हैं। राजस्थान में अकाल पडा और अकाल के नाम पर बहुत राहत के काम किये। मैं सदन को इस समय उनको डिटेल्स में नहीं लेजाना चाहूंगा कि किस किस जिले में कितने राहत के काम हुए, किन किन जिलों में अकाल से कितनी कितनी जन संख्या प्रभावित थी। कितने अनाज की आवश्यकता थी और कितना अनाज दिया गया यह जरूर मैं बताना चाहूंगा। गोकुल प्रसादजी बीकानेर से आते हैं। अकाल के माने म एक्सपर्ट। यह जहां बिराजते हैं वहीं अकाल पडता है। अकाल के माने में उनको पूरी जानकारी है। वह एक बात अवश्य मन्जूर करेंगे कि अकाल का पीरियड मई और जून होता है। इसमे कोई भी इन्कार नहीं कर सकता। अकाल का पीक पीरियड मई और जून का है लेकिन राजस्थान में अकाल आया उसका पीक पीरियड फरवरी का है। यह चुनाव की दृष्टि से था और यह आंकडे इस बात को सिद्ध करेंगे कि अजमेर में उपाध्यक्ष महोदय, अकाल के दिनों में 3,500 टन अनाज दिया गया और यह दिया गया फरवरी के महीने में। यह कहां से आया कोई अनाज की फसल कटकर तो अजमेर में नहीं पहुंच गयी, और उपाध्यक्ष महोदय, जब चुनाव समाप्त होगये और मार्च का महीना आया तो उस अनाज को घटाकर 1356 टन कर दिया। इसी तरह से बाडमेर में फरवरी में 1,210 टन दिया गया और मार्च में 112 टन रह गया बांसवाडा में फरवरी के महीने में 332 टन अनाज दिया गया और मार्च के महीन में केवल 92 टन दिया गया। और उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बडी बात तो जोधपुर में हुई। जोधपुर में फरवरी मास में 2,630 टन दिया गया और मार्च के अन्दर केवल 1,740 टन

(श्री भैरोंसिंह)

दिया गया। नागौर में फरवरी के महीने में 624 टन दिया गया और मार्च में केवल 256 टन दिया गया। उदयपुर को फरवरी के महीने में 1,496 टन दिया गया और उसके बाद में जिस जनता से सुखाडिया जी ने मत लिए उन्हीं मतदाताओं को उन्होंने यह इनाम दिया कि जहां वहां की जनता को फरवरी के महीने में 1496 टन मिला था··

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : मैं आपको जानकारी दे दूं कि मार्च और अप्रेल में राष्ट्रपति का शासन था। उस समय सुखाडिया जी को कोई बात नहीं थी।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, शायद गोकुलप्रसाद जी को जानकारी नहीं है···

श्री उपाध्यक्ष : राष्ट्रपति शासन नहीं होता तो शायद यह मालूम नहीं होता।

श्री मदन सिंह : जहां तक गोलियां चली वहां तक सुखाडियाजी का ही था।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, गोकुलप्रसादजी को पता नहीं है कि अप्रेल और मई में आपका शासन आगया होता और अनाज ज्यादा से ज्यादा दे दिया गया होता तो कुछ होता लेकिन उसमें तो कमी होती जा रही है इसलिये मैं कहता हूं कि यह राष्ट्रपति शासन के कारण से नहीं है। सत्यता तो यह है कि चुनावों के दिनों में ज्यादा अनाज दिया और ज्यों ही चुनाव खत्म हुए अनाज का कोटा आपने कम कर दिया और इसमें पक्षपात·····

श्री खेतसिंह : ऐसी बात नहीं है। पहले कन्साइनमेन्ट भारत सरकार से ज्यादा आया था और इस बार कम आया है। आप इस तरह से इसको ट्विस्ट न करें।

श्री विशम्बरनाथ जोशी : पिछले महीने 24 हजार टन आया है····

श्री मदनसिंह : यदि भारत सरकार राजस्थान सरकार को भूखों मारना चाहे तो क्या यह गवर्नमेन्ट उसको देखती रहेगी ?

श्री भैरोंसिंह : इन्होंने (श्री खेतसिह) कहा कि भारत सरकार से कन्साइनमेन्ट उस समय ज्यादा आया और इस बार कम तो लोगों को आपने अनाज तो फरवरी में दे दिया और मार्च में मार दिया····

श्री खेतसिंह : उस अनाज से आप भी तो काफी जीते हैं।

श्री भैरोंसिंह : बिल्कुल सही है। उसको हम भी खाते हैं और जो सेहत बनी हुई है यह भी हम मालूम है और उसके कारण जो रूपरंग बदला है वह भी सब को मालूम है। तो इतना ही नहीं उपाध्यक्ष महोदय यदि गोकुलप्रसादजी इस बात से नाराज है कि इतना अनाज आया इतना नहीं आया··

श्री पी. के. चौधरी : अध्यक्ष महोदय, Members should address the chair and not the galleries or members.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय मैं आपकी मार्फत गोकुलप्रसादजी से कहना चाहूंगा कि उपहार स्वरूप 7 हजार टन मिला उसमें से बीकानेर को कुछ दिया, उदयपुर को कुछ दिया। अब इसमें बाड़मेर, डूंगरपुर बांसवाडा जैसलमेर और उदयपुर इनको तो खूब मिला और बाकी के डिस्ट्रिक्ट्स को नहीं मिला···

श्री खेतसिंह : अकाल था।

श्री भैरोंसिंह : क्या अकाल सुखाडियाजी के चुनाव तक ही था। क्या यह मालूम था कि 22 तारीख को जीतेंगे तो वह भागकर बीकानेर चला जायेगा। ऐसी अकाल की व्यवस्था नहीं थी।

उपाध्यक्ष महोदय, बिस्कुट गरीबों के लिए आये थे उसमें बंटवारे का यह हाल हुआ कि जहां जहां मन्त्री थे वहां वहां तो चले गये और बाकी की जगह पहुंचे ही नहीं खत्म हो गए। बिस्कुटों में भी पक्षपात करते हैं।

अब मैं अन्त में उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि खाद्य नीति तो असफल हुई और अब कई माननीय सदस्यों ने कहा कि व्यापार का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। खाद्य का व्यापार सरकार के हाथों में आना चाहिये। कई माननीय सदस्य ऐसे होंगे जिन्होंने राजस्थान की पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट नहीं पढ़ी। यदि रिपोर्ट पढते तो उनको अन्दाजा हो जाता कि हमने जब जब भी अनाज का व्यापार किया और अनाज की खरीद फरोख्त की उसमें राजस्थान की सरकार को कितना घाटा हुआ है और उस घाटे की पूर्ति के लिए जनता के ऊपर कितने कर लगाने पडे। रिपोर्टस में जुडिशियल इन्क्वायरी के लिए रिकमन्डेशन की हुई है जुडिशियल इन्क्वायरी के साथ ही साथ और कई तरह की इन्क्वायरीज इन्स्टीट्यूट करने के लिए पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी ने रिकमन्ड किया है। जिन्होंने अनाज खरीद किया और अनाज को बेचा गया उसमें कितने अकाउन्ट्स सबमिट हुए, कितने रुपयों का घाटा हुआ और कितना अनाज बेकार गया।

अब हम मोटे तौर पर स्टेट ट्रेडिंग के ऊपर आयें। राजस्थान की सरकार ने अनाज का बिजनेस किया। अब उस बिजनेस में इस साल का बजट देखें जो कि परसों के दिन यहां पेश करने वाले हैं उसके मैंने देखा····

श्री पी. के. चौधरी : अभी का बजट आपने किस तरह से देखा?

श्री भैरोंसिंह : इस विधान सभा में रखा है, यह आप देखलें। मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं।

श्री मदनसिंह : आपने कौनसी चीज नहीं देखी है?

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस अकाउन्ट में 1965-66 के जो एस्टीमेट्स और रिवाइज्ड एस्टीमेट्स हैं उसमें इतना कितना डिफरेन्स आता है। वह तो बजट प्रस्तुत होगा उस समय मैं निवेदन करना चाहूंगा लेकिन इस प्रश्न के ऊपर अनाज की खरीद और फरोख्त के बारे में इस बजट में जो आकडे दिये गये हैं उनके हिसाब से राजस्थान को 1965-66 के अन्दर उपाध्यक्ष महोदय कुल घाटा हुआ है 4 करोड का। 4 करोड 59 लाख का कुल घाटा हुआ है····

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : ये प्रशासनिक बजट है। यह कमर्शियल का नहीं है। स्टॉक रहेगा उसका भी घाटा दिखाया जायगा।

श्री भैरोंसिंह : मैं बताता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में टोटल लौस आता है एक साल के एक्चुअल्स में वह है करीब 4 करोड 59 लाख 68 हजार 56। इसमें

(श्री भैरोंसिंह)

4 आइटम्स हैं। पहला आइटम है Food Supplies and police Enforcement officers दूसरा आइटम है राज्य सरकार द्वारा संग्रह के लिए देशी गेहूं का क्रय याने Purchase of Indigenous wheat by the State Government for buffer stock तीसरा है Purchase of coarse grains by the State Government. और चौथा आइटम है राज्य के बाहर अनाज का विक्रय। तो सबसे ज्यादा घाटा है वह इस आइटम में है–राज्य के बाहर अनाज का विक्रय म अब इस घाटे के बारे में आप एक बात कह कर चल सकते हैं कि ट्रेड अकाउन्ट में इस साल का अकाउन्ट अगली साल में एडजस्ट नहीं हुआ लेकिन आप अगली साल के रिवाइज्ड एस्टीमेट्स और एस्टीमेट्स देखें और उसमें जो प्रोफिट हमें मिलने वाला है उसको देखें तो रिसीट्स जितनी मिलनी चाहिये थी वह डाइरेक्ट रूप में प्रोफिट के अन्दर रिफलेक्ट होंगी लेकिन उसके बाद में भी हम इस घाटे की पूर्ति नहीं कर सकते, घाटा रहता है। यह बात सही है कि 3 करोड का न रह कर 1 करोड रुपये का रहा। यह एक आइटम में रहा और बाकी के 3 आइटम्स हैं उनमें न डैबिट का प्रश्न है, न रिसीट का है, न अकाउन्ट्स के एडजस्टमेन्टा का सवाल है, प्योरली घाटा है। यह बजट में दिया हुआ है। यह मेरी कलम से लिखा हुआ नहीं है, राजस्थान सरकार का लिखा हुआ है। इस सरकार ने जो घाटा बताया है उसके पक्ष में यह दलील दी जाये कि अगली साल हम इसका बुक एडजस्टमेन्ट करने वाले हैं तो पिछली साल का बेलेन्स नैक्स्ट ईयर रिफलेक्ट करता है तो दूसरी साल के अकाउन्टस प्राफिट मे रिफलेक्ट करेगा लेकिन प्राफिट को माइनस करने के बाद में भी सारे हिसाब में करोडों रुपयों का घाटा रहने वाला है। यह भी स्पष्ट है कि राजस्थान सरकार यदि व्यापार को अपने हाथों में लेती है तो राजस्थान के ट्रेड के कारण कितना घाटा होगा और उसकी पूर्ति हम कोई खान खोदकर नहीं कर सकते, छप्पर फाडकर नहीं कर सकते। इसके लिए गरीब जनता पर टैक्स लगाना पडता है तो इन घाटों को यदि रोकना है तो इसकी व्यवस्था हमको करके चलना पडेगा। हमें यह तय करके चलना पडेगा कि प्रोफिट एण्ड लोस के अकाउन्ट्स हम तैयार करते हैं आज राजस्थान की छोटी मोटी सरकार नहीं है, बहुत बडा स्टाफ है, कई एक्सपर्ट्स हैं 1965-66 के लेखे आज तक तैयार नहीं हैं तो ट्रेड अकाउन्ट्स क अन्दर एक बात कह कर चलते हैं कि फाईनेन्शियल एक्सपर्ट्स नहीं हैं लेकिन अनुभव के आधार पर कहता हूं कि जितने भी ट्रेड अकाउन्ट्स हैं वे जितनी देर से पेश होंगे उतना ही घपला उसमें ज्यादा होगा। ट्रेड अकाउन्ट्स जितने जल्दी तैयार होंगे उतने ही घपले कम होंगे। यह बात मानी जा सकती है कि कुछ डेबिट करने के मामले हो सकते हैं, कुछ बुक एडजस्टमेन्ट हो सकते हैं लेकिन दो-दो, तीन-तीन साल तक हमारे प्रोफिट एण्ड लोस के अकाउन्ट तैयार न हों, हम प्रोफोर्मा नहीं बना सके, हम हिसाब के अकाउन्ट सबमिट नहीं कर सके और अकाउन्ट्स का आडिट नहीं करा सके और यदि ऑडिट कराया है, तो मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि आज तक जो स्टेट ट्रेडिंग की बलेन्स शीट है उसको राजस्थान की विधान सभा के अन्दर, इस सदन की मेज पर रखें ताकि पता लग सके

(श्री भैरोंसिंह)
कि हमारे ट्रेड अकाउन्टस की क्या स्थिति है।

अन्त में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में अनाज की आज जिस प्रकार की स्थिति है उस स्थिति को देखते हुए मैं यह मान कर चलता हूं कि राजस्थान सरकार किसी भी प्रकार से इस खाद्य समस्या का समाधान नहीं कर सकी है और न ही भविष्य में समाधान कर सकगी। इसलिये मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं और खास तौर से फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य से जिन्होंने कि एक प्रस्ताव रखा है उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन चीजों को उन्होंने भी डिसएप्रूव किया है उन्हीं चीजों को लेकर मैं भी यह प्रस्ताव लाया हूं और इसलिए आपकी तरफ से और हमारी तरफ से मिल कर जो इस सरकार की गलत खाद्य नीति है उसको यह सदन डिसएप्रूव कर दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह प्रस्ताव पेश करता हूं।

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिये खडे हुए)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री गोकुल प्रसाद।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा (बीकानर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खाद्य की समस्या के ऊपर कल से विचार हो रहा है। देश में खाद्य की समस्या विकट होती जा रही है। अकाल जैसा बिहार और यू. पी. में है उससे कम राजस्थान में नहीं है। 23 जिलों में राजस्थान में भयंकर अकाल है और इस साल जैसा अकाल है वैसा तो पिछले दो तीन सालों में भी नहीं पड़ा है। इस अकाल की सहायता के लिए जो कुछ कर रहे हैं वह पूरी तरह से नहीं हो रहे हैं, काम। जितने काम होने चाहिये थे उतने सरकार नहीं कर पाई है।

जहां तक भारत सरकार से अनाज की सहायता का प्रश्न है, हमें जो अनाज का कोटा हमेशा मिलना चाहिये था उससे भी कम मिलने लगा है। दुर्भाग्य से इस प्रान्त में दो महीने, डेढ महीने तक राष्ट्रपति का शासन रहा और उसका प्रभाव इस प्रान्त पर यह पडा कि जो यहां पर अकाल है, इतना बडा अकाल है कि बिहार से किसी हालत में कम अकाल नहीं है, लेकिन बिहार को अन्धा धुंध सहायता दी जा रही है, क्योंकि वहां की सरकार का प्रचार इतना अधिक रहा है कि उससे भी कहीं ज्यादा अकाल देश के दूसरे भागों में है तो भी भारत सरकार उनको अन्धा धुन्ध सहायता दे रही है और हम चूंकि प्रचार में पिछड़ गए, हमारे यहां के अनाज के कोटे को कम कर दिया गया है। हमें जो पहले 38 हजार टन अनाज मिलता था उसकी जगह अब 26 हजार टन रह गया है। मैं समझता हूं कि सरकार को समय पर चेतना चाहिये। आज एक महीने के करीब होने आया है इस सरकार को बने, लोकप्रिय सरकार की स्थापना हुए। अगर यह पहले से प्रयत्न करते, एक महीने से लगातार प्रयत्न करते, हमारे खाद्य मन्त्रीजी जाकर बैठ जाते दिल्ली में और उनसे कहते कि यदि आप अनाज नहीं देंगे तो हमारे प्रान्त की स्थिति खराब होने जा रही है तो मैं समझता हूं कि भारत सरकार इस पर विचार करती। लेकिन इस ओर कोई प्रयत्न नहीं किया गया और उसका परिणाम यह निकला है कि जो

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

38 हजार टन अनाज मिला था उसकी जगह 24 हजार टन अनाज इसको मिला है। इसका परिणाम यह होगा कि हम गांवों को अनाज नहीं दे पायेंगे। तो क्या राजस्थान सरकार और भारत सरकार यह देखना चाहती है कि बिहार की तरह ही नर कंकाल जब यहां पर गांवों में फिरेंगे उसके बाद यहां पर अनाज उपलब्ध होगा। अगर यही देखना है तो वह समय भी नजदीक आ रहा है। दो तीन महीने बाकी हैं, बारिश नहीं होगी और अगर बारिश भी हुई तो भी बारिश होते ही अनाज नहीं आ जाता है। अनाज हम देखेंगे अक्टूबर नवम्बर में जब खरीफ की फसल आएगी। उस स्थिति में हमें अनाज लेना मुश्किल हो जाएगा। हिन्दुस्तान के दूसरे शहरों में अनाज आठ किलो मिलता है महीने में और यहां पर पांच किलो दिया जाता है बड़े बड़े शहरों में। इस राजस्थान में अनाज की वितरण व्यवस्था में गड़बड़ी है। जो छोटे छोटे शहर हैं उन्हें चार किलो और तीन किलो तक अनाज प्रति माह दिया जाता है और जयपुर शहर में 7 किलो दिया जाता है। बीकानेर और जोधपुर जैसे शहरों में पांच किलो दिया जाता है। जो और भी छोटे शहर हैं, जिनकी आबादी एक लाख से कम है उनको तो और भी कम दिया जा रहा है और जिन गांवों में अकाल पड़ा हुआ है वहां के लिए तो और भी अधिक अनाज चाहिये लेकिन वहां पर उससे भी कम अनाज दिया जाता है। लोग भूखे नहीं रह सकते हैं. जो ज्यादा मेहनत करते हैं उनको ज्यादा खाने को चाहिये। बड़े शहरों को ज्यादा दे दिया और जो छोटे गांव हैं उनको बिल्कुल ही छोड़ दिया तो इस प्रकार की व्यवस्था से सरकार के प्रति असन्तोष बढ़ता है। और अगर सरकार ने ठीक से इन्तजाम नहीं किया तो लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। भूखा आदमी क्या नहीं कर सकता। वह यदि और कुछ कर बैठे तो उसकी जिम्मेदारी किस की होगी। क्या आप यह चाहते हैं कि जैसे पुराने जमाने में होता था, अकाल पड़ते थे, लोग मरते रहते थे और देखते रहते थे, अपने बच्चों को बेचते थे, अगर सरकार यही चाहती है कि इस तरह की हालत पैदा हो जाय और तभी कोई व्यवस्था की जाय तो यह बड़े दुर्भाग्य की बात होगी। हमें अनाज की व्यवस्था जल्दी से जल्दी करनी चाहिये और अनाज हमें जल्दी से जल्दी मंगाना चाहिये।

आपने अनाज की कमी की पूर्ति के लिए लेवी का प्रस्ताव रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, लेवी लेना बुरा नहीं है लेकिन लेवी का नाम ही बुरा है। अगर आप पचास प्रतिशत अनाज तो बाजार में खरीद लेते हैं तो आज भी गेहूं का भाव गंगानगर में सौ रुपये क्विन्टल का है। आपके जयपुर में 108) रु. का भाव है। यह जो एक सौ बीस और सवा सौ रुपये क्विन्टल की बात कही जा रही है यह तो केवल विरोधियों का चक्कर है। 108) का भाव यहां पर है।

श्री रामकिशन (वैर) : मैं खुद लेकर आया हूं।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : मैं गंगानगर की बात कहता हूं। तो मेरा अर्ज करना यह है कि 75) रुपये क्विन्टल के भाव में अनाज लेना बिल्कुल गलत है। इनका भाव बढ़ाना चाहिये। सरकार को भाव निर्धारित कर देने चाहिये कि उच्चतम भाव ये रहेंगे। जब सन् 1965 में सरकार ने गेहूं के उच्चतम भाव निर्धारित कर रखे थे कि कोई भी

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

(2 म. प.)

65) रुपये से ज्यादा में अनाज नहीं बेच सकता उस समय भी भाव इतने ज्यादा नहीं बढ़े थे····

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : मैं आपसे यह अर्ज करता हूं कि 70) रुपये के भाव बढ़ा कर खरीद लेना चाहते हैं तो क्या यह हो सकता है····

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : क्या हो सकता है ?

श्री विजयसिंह रावत : जो आप यह कह रहे हैं····

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : मैं क्या कह रहा हूं उसको आप पहले सुन लीजिये, उसके बाद जो कहना हो कहिये।

श्री विजयसिंह रावत : आप जो भाव बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो क्या सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह भी उसी तरह से बढ़ाने वाले हैं?

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : आप सुन लीजिये मेरी बात को। आज आप लंगोटा (टाई) बांध कर नहीं आए हैं। हमेशा तो लंगोटा बांध कर आते हैं, आज नहीं आए हैं।

तो मैं अर्ज करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि 65) रु. क्विन्टल के जब भाव थे उस समय हमारे वित्त मन्त्री ने यह फतवा दिया कि सरकारी नौकरों को एक एक महीने का वेतन दे दिया जाय अनाज खरीदने के लिये। ज्यों ही वेतन मिला, आठ आठ रुपये क्विन्टल भाव बढ़ गए । दो करोड़ रुपया लेकर सरकारी कर्मचारी जब अनाज खरीदने जाते हैं तो पब्लिक के लोग बीस करोड़ का खरीदेंगे। तो जो अनाज के भाव बढ़ रहे हैं उसका कारण है लोगों की होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ रही है । ब्लैक मार्केटियर्स, जखीरेबाज अनाज को इकट्ठा करके बैठ गए और फिर यहां पर उनके एजेन्ट बोलने लगे कि भावों को फ्री कर दिया जावे। अनाज किसानों से खरीदा गया 35-50 और 45) रुपये के भाव में मक्का इन व्यापारियों के घरों में आ गई, झालावाड़, कोटा और दूसरी जगहों पर और फिर यहां पर कहा गया कि सेल खोल दिया जाय क्योंकि दूसरे इलाकों में अनाज की कमी है। व्यापारी लोग सीधा अनाज भेज देंगे, इससे सरकार का स्टाफ का खर्चा कम हो जाएगा, और दूसरे खर्चे कम हो जायेंगे। इस तरह से खोल देने का नतीजा यह हुआ कि किसानों से जो 45) रुपये में मक्का खरीदी गई उसे 75) और 80) रुपये में बेचा गया। इस तरह से व्यापारियों को खुली लूट का मौका नहीं देना चाहिये। जो स्टेट ट्रेडिंग की खिलाफत करते हैं वे व्यापारियों के एजेन्ट हैं। इन मुनाफाखोरों ने, जखीरेबाजों ने हमारे देश को तंग कर रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि हमारे यहां पर किसानों से 55) रुपये के भाव में मोठ खरीदा गया और किसानों से खरीदने के बाद व्यापारियों ने उसका भाव 90) रु. कर दिया है। उनके घर में पड़े पड़े ही भाव 90) रुपया हो गया है और अब उसे बाहर भेजने के लिए परमिट मांग रहे हैं। बहुत ज्यादा मोठ का स्टाक हो गया है इसलिये परमिट दे दिया जाय, लेकिन अगर आप इसे उनके पास रहने देंगे कि थोड़े दिनों में ही भाव ठीक हो जायेंगे, लेकिन भावों के

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

बढाने का एक तरीका है। सन् 66 के अक्टूबर में राजस्थान में अनाज को लेने के बाद भाव बढ गए। नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी में 23 प्रतिशत गेहूं के भाव चढे। यह सरकार के लिए चैलेन्ज है। हमारे इन भाइयों ने कहा कि फरवरी में 93 आदमियों को पेश कर दिया इसलिये भाव घट गए, लेकिन वे भूल गए कि जब अप्रेल में अनाज आया किसानों के खेतों से तो भाव अपने आप घट गए। और जब सरकार ने नाज बाहर भेजा तो भाव चढने लगे। अभी गंगानगर जिले से 5-7 दिन पहले से गेहूं आना बन्द कर दिया है और कहा कि वहां का नाज वहीं रहेगा और बाहर नहीं जायगा तो इधर भाव बढ गये। वहां से आता रहता तो भाव यहां पर नहीं बढते। वहां पर भाव कम हुए हैं। सरकार को चाहिये कि जहां पर लगान खरीफ की फसल से भी कम है, जहां पर नहरी सिंचाई होती है वहां पर रेट है वह दूसरे इलाकों से आधा है और अनाज बहुत पैदा होता है और खाने से सौ गुना ज्यादा अनाज पैदा करते हैं उन लोगों से सरकार को 50 प्रतिशत अनाज लेना चाहिये, तो 20 हजार टन राजस्थान सरकार को वहां से मिल जायगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप 90) रु. 95) रु. या 100) रु. का भाव कर दें 75) रु. से भाव बढाकर, तो वे लोग अपने आप अनाज दे देंगे जिनके पास नाज ज्यादा है। नाज की बात करेंगे तो दो एकड जमीन जिसके पास सिंचित है उससे नाज लेंगे तो वह तो नाज खा गया। डेढ साल तक शादियां नहीं होने वाली है तो हिन्दू लोग तो विवाहों में उसको लड्डू और पूडी खा गये। उन लोगों से नाज लेने की बात करेंगे तो उनके घरों में नाज नहीं है तो क्या वे मोल लाकर देंगे? तो आप उन लोगों को तो बिल्कुल छोड दें जिनके पास कमाई का जोत बिल्कुल नहीं है और उन इलाकों का नाम मत लें जिनमें रबी की फसल नहीं होती है। खरीफ की फसल दो महीनों में थोडी सी होती है उसके बाद साल भर तक कुछ नहीं होती है। रबी वाले जो हैं उनसे लीजिये जिनके पास घर में खाने से ज्यादा नाज है। 5 एकड से ज्यादा जिनके पास है और जिन आदमी के घर में खाने वाले 5 से कम हों उनसे लीजिये और 5 से ज्यादा हों तो न लें। जिसके घर में खाने वाले ज्यादा होंगे तो उससे नहीं लेना चाहिये। उसको इस तरह सहूलियत दें। और जो मार्केट में अनाज बिकने आता है उसमें से आधा लीजिये और इकट्ठा करें।

सबसे ज्यादा बात तो यह है कि आपकी अकाल की स्थिति तो तभी सुधरेगी जब कि भारत सरकार से आप अनाज ज्यादा लेंगे, और अकाल कब तक पडते रहेंगे और अनाज की कब तक जरूरत पडेगी और उसको कब तक पूरा करेंगे इसकी हमारी योजना होनी चाहिये। एक सीमा निर्धारित हो कि फलां वर्ष के बाद से अकाल नहीं पडने देंगे। मैं समझता हूं कि जगह जगह ट्यूब वैल लगे हुए हैं—बाडमेर में लगे हुए हैं, बीकानेर में लगे हुए हैं। बीकानेर शहर के आस-पास 10-12 लगे हुए हैं लेकिन वे चालू नहीं हैं। वे कहते हैं कि पाइप नहीं हैं। आप ट्यूब-वैल को इमर्जेंसी बनाकर क्यों नहीं लेते हैं? ट्यूब वैल चालू करें तो सिंचित भूमि हो तो

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

काम आगे बढ़े। तो ट्यूब वैल चालू कराने के लिए आपको पूरा इन्तजाम करना चाहिये।

उसके बाद शहरों में पानी उपाध्यक्ष महोदय, खराब हो जाता है। इस जयपुर शहर में 1 करोड गैलन पानी आज चाहिये। वह पानी कई स्थानों में यों ही चला जाता है इसकी तरफ तवज्जह नहीं दी जाती है। करोडों रुपया लगाकर हम नहरें बनायेंगे, भाखरा और चम्बल से नहरें लायेंगे लेकिन शहरों के गन्दे पानी को काम में लेने के लिए कोई योजना नहीं बनाते हैं। जयपुर शहर में पानी करीब करीब एक करोड गैलन रोज का खर्च होता है तो उसमें से 50 लाख गैलन हम समझें कि काम का पानी है। तो एक दफा साल भर में खरीफ और रबी की फसल में 70 हजार गैलन पानी चाहिये और सारे राजस्थान के बडे बडे शहरों को मिलाये तो उस पानी से 2 लाख एकड भूमि सिंचित हो सकती है। तो इसको करने से हमारे यहां पर अकाल का नाम मिट जायगा। हम नहरी इलाको में नहरें लाते हैं और करोडों रुपया खर्च करते हैं लेकिन शहरों के इस पानी से फसलें तीन गुनी हो जायेंगी क्योंकि उसमें खाद मिला हुआ पानी जाता है। इसके लिए आप ड्रेनेज बनाने की योजना बनावें। गवर्नमेन्ट का शहरों की तरफ ध्यान नहीं है। एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट्स आते हैं तो वे राय दे देते हैं कि फलां बान्ध बनाया जाय तो इतनी भूमि सिंचित हो जायगी, लेकिन इसको किया गया तो पानी भी काम में आजायेगा और शहरों की गन्दगी भी मिट जायगी और आस-पास की भूमि भी सिंचित हो जायगी। इससे अकाल का नाम नहीं रहेगा। अकाल को भगाना पडेगा। बिना उसके पार नहीं पडेगा। इसके लिये पहले तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अनाज भारत सरकार से ज्यादा मंगाया जाय और इतना प्रचार अकाल का यू. पी. और बिहार की गवर्नमेन्ट ने किया है तो आपका प्रचार विभाग क्यों सोया हुआ है? यहां राजस्थान में 10 हजार गांवों में अकाल है उन पर ध्यान देना चाहिये।

जनसंघ के नेता श्री भैरोंसिहजी अभी फर्मा रहे थे कि किसानों से लेवी नहीं ली जाय और किसानों से 22 लाख रुपया फर्टिलाइजर पर नफा कमाना चाहते हैं। इसके बारे में, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत सदन को बताना चाहता हूं कि यह बिल्कुल गलत-बयानी है। 22 लाख रुपया फर्टिलाइजर पर नहीं कमाया है। यह कामर्शियल बजट नहीं है बल्कि प्रशासनिक बजट है। जितना खर्च किया है उतना खर्च में लिख दिया है और जितना बेचा है उसका पैसा जमा कर लिया है। इसमें नफा-नुकसान नहीं बताया जाता है। वह तो जब फाइनेन्स एकाउन्ट्स बनते हैं तो बताया जाता है।

यहां पर चार करोड का नाज खरीदा उसके बारे में कहा गया। ये पैसे वालों की दलाली का काम करते हैं। इन दलालों से सावधान रहिये जिन्होंने अभी कहा है। भैरोंसिहजी साहब और उनकी पार्टी के लोगों को और विरोधी लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आप पैसे वालों की दलाली करना छोड दें और राजस्थान की पब्लिक को इनका जो लूटने का इरादा है उसको छोड दें। जितने जखीरेबाज लोग हैं और जिनके पास नाज इकट्ठा हुआ है, जैसे कि अभी कहा गया कि सवाई माधोपुर में पकडा गया और उसको

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)
छोड़ दिया तो आप लोग उनसे मिले हुए हैं। अभी कहा गया कि 2 लाख रुपया चने के लिये दिया गया था खाद्यमंत्री को भूतपूर्व खाद्यमंत्री श्री नाथूराम जी के लिये कहा गया। इसका मुझे पता नहीं कि कहां दिया गया, लेकिन मैं यह बता सकता हूं कि

× × ×
× × ×
× × ×
× × ×

और संयुक्त दल में से रामानन्दजी, जो कामरेड हैं वे कहते थे कि स्टेट ट्रेडिंग हो और उनके दल के लोग कहते हैं कि न हो······

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): हम तो करना चाहते हैं। हम तो कहते रहे हैं 20 वर्ष से लेकिन आप करते नहीं हैं।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : भैरोंसिंह जी साहब कहते हैं और उनके पीछे आप चलते हैं। हमको स्टेट ट्रेडिंग करना पड़ेगा। जब हम छोटी छोटी चीजों को कन्ट्रोल करते हैं कि कपूर इस भाव में बिकेगी और गंदी से गंदी चीज लिपस्टिक इस भाव बिकनी चाहिये, तो नाज जो रोज के काम की चीज है उस पर कन्ट्रोल नहीं होगा और छोड़ दिया जायगा इन भेडियों के लिये ...

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम): लिपस्टिक गन्दी चीज नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर): लिपस्टिक को गन्दी चीज कहते हैं ?

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : अनाज के मुकाबले में। हमारे लिये आप रेजीडेन्सी करते हैं और घर में सरवेन्सी करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करता हूं कि सुबह से शाम दो साल के बच्चे से लेकर बूढे तक को जिसकी जरूरत पडती है जीवन भर तक उसके लिये उनको इन जखीरेबाज भेडियों के सामने खुला छोड दिया है जिन्होंने किसानों से सस्ते भावों में नाज खरीद कर भर लिया है और मंहगे भाव पर बेचते हैं। यह बिल्कुल अन्याय है प्रजा के साथ, राजस्थान की पब्लिक के साथ। भावों का कन्ट्रोल करना चाहिये। उच्चतम भाव निर्धारित कर देना चाहिये। जो उन भावों से ज्यादा भावों में बेचता है उसके साथ देशद्रोही के साथ जैसा व्यवहार किया जाता है वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिये। सबसे सही इलाज जो इस खाद्य समस्या का है वह है स्टेट ट्रेडिंग और उसको करना पडेगा। स्टेट ट्रेडिंग से लोगों को यह लाभ होगा कि उनको पता होगा कि साल भर तक यही भाव अनाज के रहेंगे। वे अपना फेमिली बजट बनाते हैं 65 रु. के भाव से और साल खत्म होते 2 वह 120 रु. क्विन्टल हो जाता है तो उनका सारा-नौकरी पेशा वालों का प्लान खत्म हो जाता है और वे दिवालिया हो जाते हैं। आपने इनके कहने पर उच्चतम भाव हटा लिये और उससे नाज के भाव दुगने हो गये। आपको अपने नाज के खरीदने के भावों को बढाना पडेगा। आप लेवी उन लोगों से लीजिये जिनके पास पैसा है।

मैं खाद्य मन्त्री जी से जो कृषि मन्त्री भी हैं उनसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि चाहे जिनके पास स्टाक हो और चाहे जहां छिपा पडा हो उनके साथ सख्ती से व्यवहार करना चाहिए

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)
विरोधी दल के लोग यह कहते हैं कि कांग्रेस के लोग पकडे जाते हैं उनको छोड देते हैं लेकिन मैं कहता हूं कि कांग्रेस के लोग उनको नहीं छुडाते हैं। राजस्थान प्रान्त भर में अनाज इकट्ठा करने वाले इनके समर्थक लोग हैं। पिछले खाद्य मन्त्री के खिलाफ हर जगह पर इन लोगों ने विरोध किया था और इन लोगों ने उन सब का सपोर्ट किया है। उन्हीं के पैसों से वे यहां जीत कर आये हैं और उनकी दलाली करने के लिये यहां खडे हुए हैं। आप जब तक स्टेट ट्रेडिंग नहीं करते, सख्ती के साथ नहीं करेंगे तो पब्लिक को राहत नहीं मिल पायगी। दूसरे देशों से अनाज मंगाना पडेगा, अकाल की समस्या नहीं मिटेगी। आप स्टेट ट्रेडिंग की तरफ ज्यादा ध्यान रखें और यह कार्य करें यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब हम सरकार की खाद्य नीति पर विचार करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज कहां से, और कैसे इकट्ठा किया जाय? वितरण किस प्रकार से हो? बहस इसी सीमा तक सीमित रह जाती है। मेरी और मेरे दल की यह मान्यता है कि यह जो खाद्य नीति है वह सरकार की कृषि नीति पर आधारित है। आज हमारे देश की या प्रान्त की कृषि नीति सफल होती तो बीस वर्षों के बाद आज जो हालत है वह हालत नहीं देखनी पडती। कहने को तो अभी मेरे माननीय मित्र ने जो पहले तो कहीं से निर्वाचित होकर आये थे और इस बार जो बीकानेर से निर्वाचित होकर आए हैं वे यह कह रहे थे कि हम स्टेट ट्रेडिंग के हिमायती हैं लेकिन मैं यह मानता हूं कि इस देश में कांग्रेस की सरकार यथापूर्व स्थिति स्टेटस को ही कायम रखना चाहती है और आगे नहीं बढना चाहती और इसलिये इस सरकार की दुर्नीतियों का यह परिणाम है। इस देश में इस सरकार की देन है वह है केवल अकाल, भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी। ये चार चीजें इस देश में इस कांग्रेसी सरकार ने बीस वर्ष के शासन काल में दी हैं। अगर उनकी नीति स्पष्ट होती और आज भी यदि नीति स्पष्ट हो तो क्या बात है इस समस्या का हल नहीं हो। इस देश के अन्दर अगर खाद्य स्थिति को सुधारना है, खाद्य उत्पादन के लिये जो भूमि सुधार करने की बातें हैं उनको हम जल्दी क्रियान्वित करें। आज 56 से लेकर 67 होने को आया आज तक आप सीलिंग के कानून को लागू नहीं कर पाये। आप पवित्र घोषणा तो करते हैं, आज भी काफी जमीन पडी हुई है, देश की खाद्य समस्या को हल करना है तो हिम्मत के साथ इस प्रदेश में हमें भूमि सेना तैयार करनी होगी। बन्जर जमीन पर युद्ध स्तर पर खेती आरम्भ करें और उसमें जो पैदावार हो उससे बफर स्टाक का निर्माण करें। आपने कभी किसान का मनोबल बढाने के लिये नहीं सोचा। मैंने चार बार इस सदन में कहा है कि आज जिस प्रकार कोई व्यापारी है, मोटर का व्यापार करता है या और धन्धा करता है उस पर बीमा योजना पहले लागू होती है। आपने कभी यह नहीं सोचा, कुछ इधर से आवाज आती है कुछ उधर से आती है कि लोग खाद्यान्नों के बजाय कोमर्शियल क्रोप्स पैदा करने जा रहे हैं तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपने खाद्यान्न उत्पादन करने वाले किसान के लिये कोई योजना उनको प्रोत्साहन देने के लिये बनायी है क्या? कभी आपने सोचा है क्या कि किसान जो पैदा

(श्री नत्थीसिंह)

करता हूं उसकी फसल बीमा योजना लागू करके उसको सुरक्षा प्रदान की जाय। चाहे अकाल के कारण या अनावृष्टि या अतिवृष्टि के कारण उसकी फसल खराब हो जाती है तो क्या आपने उसको बीमा योजना द्वारा फायदा पहुंचाने की बात सोची है। यदि ऐसा करते हैं तो किसान आश्वस्त रहता है कि यदि हमारी फसल खराब भी हो जाती है तो भी हमें कुछ न कुछ मिनीमम तौर पर मिलेगा। आप फसल खराब के लिये कहते हैं कि इन्द्र का प्रकोप हो गया और दूसरी बातें करते हैं। इस तरह से आपकी योजना सफल होने वाली नहीं है। आज आपने किसान को ऐसा निरीह प्राणी समझ लिया है कि उसका अपना कोई संगठन नहीं है, उसके लिये चाहे जिस तरह से हो ऑर्डर निकाल कर उसको भयाक्रांत किया जा सकता है। इस प्रकार की स्थिति राजस्थान के अन्दर ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती। खाद्य मन्त्री जी से यह कहना चाहता हूं कि आप इस बात का ध्यान रक्खें। इस सदन में कई बार यह बात कही गई, मुख्य मन्त्रीजी का एक प्रकार का तरीका हो गया कि किसान वर्ग के किसी एक आदमी पर खाद्य मन्त्रीजी की टोपी रख दी जाती है और फिर उन्हीं के द्वारा इस प्रकार की नीतियां प्रतिपादित करवाई जाती हैं। मैं खाद्य मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि हालांकि वे चुस्त तो हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे इसके अन्दर कोई क्रान्तिकारी सुधार कर पायेंगे जैसा कि अभी लोक सभा में कहा गया था कि मन्त्री लोग अक्ल से काम न लेकर अकड से काम लेते हैं। उनमें अक्ल की बजाय अकड का ज्यादा समावेश हो गया है इसीलिये वे इस समस्या को हल नहीं कर पाते हैं।

लेवी का प्रश्न और दूसरे प्रश्न हमारे सामने रखे गये हैं। आज किसान आपके द्वारा उठाये गये इस प्रकार क कदम को सहन नहीं करने वाला है। आप इस तरह से उसको भयाक्रान्त करना चाहते हैं लेकिन वह होने वाला नहीं है। मैं यह मानता हूं कि जिनके पास अन्न का स्टॉक है, जो बडा किसान है उनसे अनाज लिया जाय। जो शहरों में गरीब लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके लिये इन्तजाम किया जाय। लेकिन इसके साथ साथ सरकार ने कभी इस बात का ध्यान दिया है कि गांव के अन्दर कितने खेतीहर मजदूर हैं, एक एकड से लेकर पांच एकड तक के कितने किसान हैं? उनके पास साल भर के लिये खाने को अनाज नहीं। क्या आपने कभी उनकी व्यवस्था करने के लिये कदम उठाया है? अकाल और राहत कार्य के नाम पर राजस्थान की जनता को धोखा देना चाहता है उससे काम नहीं चलने वाला है। इस बारे में आपकी नीति स्पष्ट होनी चाहिये। एक मैं बडा उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। आप योजनायें बनाते हैं। आप अनाज उत्पादन के आंकडे देते हैं उसमें कितना फर्क है आप ही देखिये। आपक अकाल सहायता विभाग द्वारा 66-67 में कितना उत्पादन हुआ उसके आंकडे बताये हैं 33.60 हजार टन अनाज का उत्पादन हुआ बताते हैं और दसरी ओर पांच छः रोज पहले मन्त्री महोदय ने कृषि विभाग की रिपोर्ट दी है उसमें एड्मिट किया है कि 66-67 में उत्पादन 37.87 हजार टन हुआ है। इन दोनों में 5 लाख टन का फर्क है। जिस सरकार के अपने विभागों में कोआर्डिनेशन नहीं, समन्वय नहीं, जहां सरकार सही तरीके से अनुमान नहीं लगा सकती वहां यह निश्चित है कि उनके

(श्री नत्थीसिंह)
द्वारा बनायी हुई योजनायें निश्चित रूप से फेल होंगी। राजस्थान में योजनाओं के असफल होने का भी यह एक कारण है . .

श्री रघुनाथ बिश्नोई : वह तो फोरकास्ट है।

श्री नत्थीसिंह : दोनों ही फोरकास्ट हैं क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूं कल हम कांग्रेस पार्टी के मुख्य सचेतक महोदय का भाषण सुन रहे थे। वे कह रहे थे कि हमने खाद्यान्न के मामले में बहुत तरक्की की है, सबको सुविधायें दी हैं। मैं माननीय खाद्य मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि आज राजस्थान में खाद्यान्न की फसल 1 करोड 11 हजार एकड भूमि पर होती है उनमें से 19 लाख एकड सिंचित भूमि है? राजस्थान बनने से पहले जो जमीन थी उस समय भी जमीन के 1/5 पांच हिस्से में खाद्यान्न पैदा होता था। आज भी राजस्थान में जितनी भूमि है उसमें 1/5 पर खाद्यान्न की काश्त होती है तो आपने इसमें तरक्की कहां की है? ऐसी स्थिति में आप कैसे यह आशा करते हैं कि आज किसान से लेवी लेकर भुखमरी की समस्या को हल कर देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर सरकार हिम्मत के साथ एक काम करे और यह तय करे कि उत्पादन के साथ साथ वितरण की जो नीति है वह स्पष्ट होनी चाहिये तब जाकर हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। एक गांव में कहावत चलती है उसको तो मैं उस भाषा में नहीं कह सकता। वह है "अब दे तो जानू" बीस बर्ष से शासन कर रहे हैं। आज बातें करते हैं कि राजाओं को जो प्रिवीपर्स मिलती हैं उसको बन्द करें। लेकिन तब समझ में नहीं आया। लेकिन अब की बार एक चपत मारी गई कांग्रेस के मुंह पर राजस्थान में और हिन्दुस्तान के दूसरे प्रान्त में तो अतुल्य घोष चिल्लान लग गये कि राजा-महाराजाओं का प्रिवीपर्स बन्द करो। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में लोग यह चिल्लाते हैं कि राजा-महाराजाओं का प्रिवीपर्स बन्द करो. . . .

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : इसके लिये तो आपको शुक्रगुजार होना चाहिये।

श्री नत्थीसिंह : तो अब कहते हैं बन्द करो, लेकिन आज भी पूंजीपतियों की जेब में अपने आपको रखे हुए हैं इसलिये ही वितरण व्यवस्था की तरफ स्पष्ट रूप से ध्यान नहीं देना चाहते।

दूसरी बात यह है कि बिडला ने राजस्थान के इलाके में शायद इधर-उधर कुछ किया हो लेकिन आप शाहू जैन को कैसे भूल जायेंगे जिनकी कृपा के कारण ही आप आज यहां बैठे हुए हो। आप पूंजीपतियों की कृपा पर बैठे हुए हो इसलिये ही आपकी हिम्मत नहीं है कि वितरण व्यवस्था की ओर आप ध्यान दें। मैं आपको कहता हूं कि इस मामले में थोडा हिम्मत से काम लो।

मेरे माननीय दोस्त, जनसंघ के नेता अभी कह रहे थे कि चाहे तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जरिये वितरण कराया जाय, और चाहे राज्य-व्यापार किया जाय-किसी भी तरह से अच्छी वितरण की व्यवस्था नहीं हो सकती है। मैं कहता हूं कि यह बात एकदम गलत है। इस सदन में और इस सदन से

(श्री नत्थीसिंह)

बाहर एक इस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है कि सहकारी समितियों और राजकीय माध्यम से जो काम होते हैं, वह जो प्राइवेट सैक्टर के द्वारा काम होते हैं उनसे खराब होते हैं। मैं कहता हूं कि यह बात बिल्कुल गलत है और इस बात को तोड मरोड कर कहा जाता है। इसका कारण यह है कि जैसे आपकी यह वितरण व्यवस्था है, इसके बारे में जो सरकार की नीति है वह बिल्कुल गलत नीति है। वैसे तो आप मुंह से यह वचन बोलते हैं कि हम को-ऑप, रेटिव सोसाइटीज के माध्यम से करेंगे राजकीय माध्यम से करेंगे परन्तु वैसा बोलते समय भी आपकी आंखों के सामने जो तस्वीर रहती है वह दुकानदार और पूंजीपति की रहती है। और दुकानदार और पूंजीपति हैं वह इस सारे काम को इस तरह से करते हैं जिससे आपका यह कोऑपरेटिव मूवमेन्ट है यह फेल हो और राजकीय व्यापार की एजेन्सी खत्म हो। तो राजकीय व्यापार में उनको आप साथ लेकर चलते हैं तो इससे उनके लाभ में कोई अन्तर पडता नहीं है। यह मैंने आपको उदाहरण के तौर पर बताया। जब आप असफलता के लिए उसका दोष मानते हैं तो वह साफ कहते हैं कि आपकी कथनी और करनी में फर्क है, एकदम आपका मिथ्याचरण है। इसलिये मैं यह कहता हूं कि आपकी नीतियों के कारण, आपकी गलत नीतियों के कारण आज देश में यह स्थिति है। उदाहरण के लिए आपने जो एक बात कही है कि आप वितरण व्यवस्था इस तरह कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि आपके सामने कोई मायने इस बात के नहीं हैं सिवाय इसके कि आप हिम्मत के साथ में राजकीय व्यापार और वितरण व्यवस्था की नीति को अपनायें ..

श्री मूलचन्द डागा : हिम्मत है।

श्री नत्थीसिंह : हिम्मत है नहीं ! क्योंकि थोडी देर के बाद ही जब खाद्य मन्त्री बोलेंगे तो इधर-उधर की बात कह देंगे। इसलिये आप से यह राजकीय व्यापार हो नहीं सकता है यह मैं जानता हूं। इसलिये मैं कहूंगा कि जिनके बल पर आप यहां मिनिस्ट्री में बैठे हैं, उन अपने मास्टर्स को नाराज करके नहीं चलना चाहते हैं....

श्री मूलचन्द डागा : ऐसी बात नहीं है।

श्री नत्थीसिंह : आप किसान को तबाह करना चाहते हैं। आपकी नीति किसान को तबाह करने की है। आपने जो किसानों को बीज दिया था, जो मैक्सिकन बीज दिया था, उसका साठ रुपये मन आपने भाव बांधा था, उसका आपने लेवी में 28 रुपये मन भाव बांधा है। इसी तरह से पंचायत समिति ने जो चालीस रुपये मन दिया था उसका आपने 27 रुपये मन भाव बांधा है। आप इस तरह से खुद मुनाफाखोरी करते हैं। इतने हद तक मुनाफाखोरी करते हैं। और जो किसान और पूंजीपति हैं बडे बडे, उनके बीच में आप संत की तरह बैठ जाते हैं। आपकी हालत वही है जो किसी जमाने में बूढे बाघ की हो गई थी। वह जब बुढापे के कारण खुद शिकार नहीं कर पाता था तो वह एक जगह बैठे बैठे कहता-मेरे पास आ जाओ। देखो मेरे नाखून भोंटे हो गये हैं। इसी तरह से आप दो लाख, ढाई लाख की बोली लगा कर विधायकों की ट्रेडिंग कर रहे हैं। आप फूड ग्रेन्स की ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं आप तो

(श्री नत्थीसिंह)

विधायकों की ट्रेडिंग कर रहे हैं । मैं आपको कहता हूं कि इस तरह से को-ऑपरेटिव की नींव मजबूत नहीं होगी बल्कि आपका यह को-ऑपरेटिव मूवमेन्ट डूबेगा आपकी इस तरह की नीतियों के कारण । मैं सोचता था कि कांग्रेस को इतना बडा धक्का लगने के बाद में और देश की बहुत बडी जन संख्या द्वारा विरोधी दलों को समर्थन देने के बाद में तो शायद आपमें थोडी बहुत अक्ल आयेगी लेकिन मुझे दुःख है कि इस धक्के से भी आपने कुछ नहीं सीखा है आगे के लिये आपने इससे कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की है । आज आप कहते हैं कि दो एकड वाले किसानों के ऊपर भी आप लेवी लगायेंगे । मैं कहता हूं कि आप राजकीय व्यापार करिये और राजकीय व्यापार करने की हिम्मत नहीं है तो नुकसान भोगिये । इसमें कोई बात नहीं कि आप नुकसान भोगें । आप बाजार में जाइये और खरीद कर सस्ता बेचिये । लेकिन आप यह नहीं करेंगे और एक बार ऐसा आदेश देंगे कि गंगानगर जिले में से गेहूं बाहर नहीं जायगा । दूसरी तरफ कोई अजीज पहुंचता है तो सरकार के द्वारा परमिट दिया जाता है । उस व्यापारी को ऐसा परमिट दे दिया जाता है कि वह गंगानगर से गेहूं बाहर ले जाय । जब आपके जयपुर शहर में 90-95 रु. क्विन्टल का भाव था उस समय गेहूं बाहर जाता था । इसी तरह से एक तरफ तो भरतपुर में गेहूं 125, 128 रुपये प्रति क्विन्टल मिलता है और दूसरी तरफ किसानों को 60 और 40 के भाव से देकर 28 और और 27 के हिसाब से आप लेना चाहते हैं । तो जो राजकीय व्यापार की बात आप कह रहे हैं, जो स्टेट ट्रेडिंग की बात कह रहे हैं उसकी रूप रेखा यह है । मैं कहना चाहता हूं कि आज आपने जो लेवी की नीति अपनाई है, उसमें अगर आप मेरी पार्टी की बात मानें तो सही मायने में आपके पास आज कोई दिशा नहीं है । आप सब लोग दिशाहीन दल के अंग हैं । आपकी जो नीतियां हैं वह पूर्व की स्थिति को बनाये रखने की हामी हैं । इसलिये आपको यह निश्चित रूप से फैसला कर लेना चाहिये कि जो बडे बडे जमींदार हैं जिनके पास दस बीस एकड जमीन है उन लोगों से तो आप लेवी ले सकते हैं । अगर आप छोटे किसानों से भी लेवी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं लेकिन आपको भाव बढाने पडेंगे । क्योंकि इससे उनका पूरा नहीं पड़ता है । अगर आप यह नहीं करना चाहते तो आप बाजार में जाइये और वहां से खरीदिये । उसमें अगर आपको दस बीस रुपये का नुकसान होता है तो उसको सहन करिये और लोगों को सस्ते भाव पर दीजिये । लेकिन आप इस काम को नहीं करना चाहते और लेवी लगाना चाहते हैं । लेवी लेने में जो समस्यायें आयेंगी आप कहते हैं कि आपने उनको हल कर दिया है । मुझे मालूम नहीं कि आपने समस्या का समाधान कहां किया है । आज हालत यह है कि जो शहराबी जमीन है उसको आप सिंचित जमीन मानते हैं । लेकिन मैं सिंचित जमीन उसको मानता हूं, जिस जमीन में फसल उगने के बाद में पानी दिया जा सकता हो । भरतपुर जिले में मेरे क्षेत्र में विशेष तौर पर शहराबी जमीन के लिये मैं कहता हूं कि बरसात के पानी से खेती होती है । वैसे आप कहते हैं कि आप उस पर लेवी नहीं लेंगे । लेकिन मेरे क्षेत्र के किसानों को सूचित किया गया है कि उनसे लेवी ली जा रही है । उसमें कोई सिंचाई का नाम नहीं है, इसलिये उसका नाम शहराबी निकल

(श्री नत्थीसिंह)

गया है। उस जमीन पर काश्त करने वाले लोगों से कह रहे हैं कि हम लेवी लेंगे।

इसके अलावा जिस क्षेत्र में से मैं आता हूं वह सीमा के दस मील के रेडियस में आता है। मैं आपको बताता हूं कि आप किसानों का मनोबल किस तरह से गिरा रहे हैं। मैं जानता हूं कि खाद्य मन्त्री जी एकदम कहेंगे कि वह एकमात्र किसानों के प्रतिनिधि हैं और केबिनेट में किसानों का एकमात्र प्रतिनिधि होने के साथ साथ वह किसानों का मनोबल बढाने का काम भी कर रहे हैं। लेकिन वह किस तरह से कर रहे हैं उसका आप थोडा मुलाहिजा करिये। जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वह आधे से ज्यादा सीमा के दस मील के अन्दर आने से ऐसे कानून में आता है कि उसको माल ले जाने की इजाजत नहीं मिल सकती है। क्योंकि सीमा उत्तर प्रदेश से लगी हुई है इसलिये किसान भरतपुर में, शहर में माल ले जाना चाहता है, तो उसको इजाजत नहीं मिलती है। वह नहीं ले जा सकता है क्योंकि वह एरिया दस मील के अन्दर है। कुछ समय पहले जब सुरक्षा कोष की बात उठी थी तो इसी क्षेत्र के किसानों ने दस दस नये पैसे फी बीघा से सुरक्षा कोष में दिया था। उस समय लोगों से बडे वायदे किये कि तुमको चीनी देंगे, तुमको सीमेंट देंगे। और जो हमें साइक्लो-स्टाइल्ड नोट मिला है उसमें यह लिखा हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्र में हम 3,351 टन चीनी देंगे, शहरी क्षेत्र में 28 सौ कुछ देंगे लेकिन हालत क्या हुई है। आज इस तारीख तक भरतपुर जिले में मैं इस बात को जानता हूं कि किसी भी पंचायत क्षेत्र में पिछले चार महीने में, जो गांवों में कोटा दिया जाता है, वह नहीं दिया गया है और लोगों को शादियों में चीनी बिल्कुल नहीं मिली है। इतना ही नहीं, जिला प्रमुख और पंचायत समिति बयाना ने प्रस्ताव पास कराके भेजा है लेकिन चार महीने से चीनी का कोटा नहीं आया है। आज तक कलेक्टर की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। वह केवल जबानी कह देते हैं कि वह जांच करवा लेंगे। भरतपुर जिले की आठ पंचायतों के नाम के ऊपर दिखाया गया है कि चीनी का कोटा दिया गया है पन्द्रह-पन्द्रह बोरी, लेकिन सरपंच मेरे पास आये थे और उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे यहां चीनी नहीं आई है। फिर किसको दी गई है इसकी जांच की गई और तो पता चला कि उनको चीनी नहीं दी गई और बडे बडे व्यापारी और आपके विभाग के बडे बडे अधिकारियों ने मिल कर चीनी का ब्लेक मार्केट किया। जब इसके बारे में हल्ला मचा तो अब यह कोशिश की जा रही है कि उनमें से किसी के ऊपर भी मुकदमा नहीं चले और चीनी किसी न किसी जगह पर रखवा दी जाय। आप सहकारिता मन्त्री हैं इसलिये मैं आपको कहता हूं कि आप ध्यान रखिये आपका रसद विभाग सहकारी समितियों को खत्म कर देने को इस दिशा में कदम उठा रहा है और पग पग पर सहकारिता के क्षेत्र में अडचन डाल रहा है। वह चाहता है कि किसी हालत में सहकारी समितियां पनपें नहीं। जो कुछ लोग सहकारिता के सिद्धान्त में निष्ठा नहीं रखते हैं वह नहीं चाहते हैं कि देश के गरीब, साधनहीन लोग जो हैं वह अपने पैरों पर खडे होकर इस देश में समाजवादी व्यवस्था लाने में सहायक हों इसलिये येन-केन-प्रकारेण सहकारिता के ऊपर वह प्रहार करते हैं। सहकारी समिति को जो कोटा दिया जाता है उनको रेट समय पर नहीं दी जाती। और इस बिना पर भरतपुर में कितने ही व्यापारियों का लाइसेन्स रद्द कर दिया गया। आपके

(श्री नत्थीसिंह)

पहले नाथूराम जी थे, वह बदल गये। उनकी जगह आप आ गये। लेकिन फिर भी ऐसे मामलों की सुनवाई नहीं हुई है। होता यह है कि कोटा लेकर इन्डिविजुअल व्यापारी को देते हैं। बीकानेर के माननीय सदस्य होते तो उनको मैं यह बताता कि ब्लेक मार्केटिंग करने में किस तरह मदद दे रहे हैं। एक सोसाइटी को कोटा दिया गया लेकिन एक साल तक जिला रसद अधिकारी ने रेट निकाल कर उनको नहीं दीं। जब उसने पूरी रेट पर वह बेच दिया तो उसका लाइसेन्स इस बिना के ऊपर रद्द कर दिया और फिर उनको कोटा दिया गया जिन्होंने पन्द्रह-पन्द्रह बोरी का ब्लेक मार्केटिंग किया था।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि भरतपुर में किसानों को चीनी नहीं मिली। किसान लोग 50-50 किलो के शक्कर के परमिट अपनी लडकियों की शादी के लिए कटवा कर लाये फिर भी उनको शक्कर नहीं मिली और वहां के व्यापारियों ने 400) रु. क्विन्टल के हिसाब से उनको शक्कर ब्लेक में बेची। यह व्यवस्था है। एक को पकडा गया और उसको कोतवाली में ले जाया गया। मगर हुआ क्या, आपकी कांग्रेस की सारी शक्ति उसके लिये उलट गई। बडे बडे अधिकारी सेठ को बचाने के लिए आ गये। पंडित गोकुलप्रसादजी यहां नहीं हैं अगर होते तो उनको मालूम होता कि कितने व्यक्तिवादी हैं। लोग इस बात की कोशिश करने लगे कि सेठ की जमानत अदालत में जाने से पहले पहले हो जानी चाहिए और हुई। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि चीनी पकडी गई, उसके लिए कोतवाली में कोशिश की गई कि उस चीनी को बदल दिया जावे, उसके बजाय कम बता दी जावे, इस बात की कोशिश की गई। मगर आपने उन व्यापारियों को कुछ नहीं कहा। आपका मुंह उन व्यापारियों के आगे नहीं खुला और आपने यह नहीं कहा कि आपके मुंह में कितने दांत हैं। मैं स्वयं इस बात को जानता था कि क्या होने वाला है इसलिए मैं स्वयं वहां पर गया और कहा कि आप बतावें। खाद्य मंत्री, उद्योग मंत्री, कृषि मंत्री, सब जानते हैं कि पंचायत समिति के आदमी ने 11 बोरी गेहूं की बेची। विकास अधिकारी इंचार्ज और दूसरे लोग सब मौन थे। मैंने जा कर उस बीज की बोरी को पकडा। लेकिन हुआ क्या। एक महीने बाद पाच हजार रुपयों में सौदा होता है। डिप्टी कलेक्टर ने, जिसके भरोसे पर आज हम एडमिनिस्ट्रेशन छोडते हैं, बीज बदल दिया और कह दिया कि भरतपुर की मंडी में अच्छा बीज नहीं है इसलिए आस पास के गांवों से लाया गया। बोरी की बोरी बदल दी गई।

इसलिए मैं यह आपसे कहना चाहता हूं कि जब तक आप अपने रवैये को, अपने नजरिये को नहीं बदलेंगे कोई सुधार होने वाला नहीं है। हम अपने देश में भ्रष्टाचार को मिटाने के बाद बडे किसानों से लेवी लेंगे तो उचित होगा। छोटे किसान हैं जिनके पास पांच बीघा जमीन है उन सबसे आप लेवी मांगेंगे तो उसका नतीजा यह होगा कि वह गरीब किसान बाजार में जाकर मंहगे भाव में अनाज खरीदेगा और आपको देगा। आपको चाहिए तो यह था कि आप किसानों को सुरक्षा देते, उनके मनोबल को बढ़ावा देने की तरफ कदम उठाते, आज आप उसी

Page No. 70

(श्री नत्थी सिंह)

किसान को यह दंड देते हैं कि तुमने गेहूं पैदा किया है इसलिए तुम 24) रु. मन का दंड देकर हमारे प्रोक्योरमेन्ट में अन्न दो। इसके अलावा दूसरी बात आप यह भी पैदा करते हैं कि अगली बार वह किसान आपके पटवारी को दो रुपये देगा और कागजों में लिखा देगा कि उस किसान ने गेहूं पैदा नहीं किये जौ पैदा किये। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपको अपने दिमाग को निश्चित रूप से परिवर्तित करना होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि यह विकासशील देशों की इकोनोमी है और विकासशील देशों में भाव तेज होने जरूरी हैं। मैं यह कहूंगा कि भावों को तेज रखा नहीं जा सकता। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह विकसित और विकासशील देशों में आपकी नीति सही है तो निश्चित रूप से रखी जा सकती है। आप दाम बांध दें चाहे वह खेती में हो या कारखानों में पैदा होने वाली चीजें हों। आप यह तय कर दें कि जितनी लागत हो उससे ड्योढ़ी से ज्यादा कीमत नहीं ली जावेगी। इससे मैं समझता हूं कि अन्य किसानों को भी कोई एतराज नहीं होगा। क्योंकि किसान दूसरी चीजें अनाप-शनाप भावों पर खरीदते हैं। इसलिए अब किसान इतना भोला किसान नहीं है कि यह दूसरी चीजें अनाप-शनाप भावों पर खरीदे और अपनी उपज सस्ते में दे। आज मद्रास की बात कहता हूं क्योंकि और जगह तो मिली जुली सरकार है। मद्रास में जो वायदा किया था उसको सरकार ने निभाया है। 60 नये पैसों में एक किलो चावल खिला दिये और आज कांग्रेस राज्य में 20 वर्षों के बाद भी स्थिति वहां की वहां है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने अपनी नीति को नहीं बदला और छोटे किसानों को बाजार से लेवी के लिए गेहूं लाने को बाध्य किया तो भरतपुर का किसान इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और कई लोग आपको भरतपुर की जेलों में मिलेंगे। जो किसान दे सकते हैं उनसे आप लीजिये। जिनके पास पैदा नहीं हुआ है वे कहां से देंगे। मैंने कलेक्टर से कहा कि गेहूं की फसल सूखे से नष्ट हो गई। आपने अपने रेकार्ड में नहीं लिखा तो हम क्या करें। फसल नष्ट हो रही है यह हमने आपको बता दिया था। आप किसान को मजबूर करना चाहते हैं कि वह अपने किसी बोहरे के पास जावें और अपनी चीजें गिरवी रख और तब आपको लेवी दे तो वैसी नीति को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और उस नीति का हम डट कर मुकाबला करेंगे। आप हिम्मत के साथ बाजार में आएं और मुनाफाखोरी को रोकें। आप स्टेट ट्रेडिंग की योजना को अपनाइये। आप किसान के मन में ऐसे भाव पैदा करें कि जिससे उसको यह मालूम होने लगे कि आप उसको सुरक्षा दे रहे हैं। आप कभी जय किसान और जय जवान कहते हैं। जय जवान की स्थिति जो थी वह तो दांता साहब ने बता दी। किसानों के साथ आपका जो रवैया है वह यह है कि हारवेस्ट के बाद इतने दिनों में उसे लेवी जमा करानी होगी। मैं तो था नहीं मैंने अखबार में पढ़ा। हमारे खाद्य मंत्री ने कहा कि अभी तो किसानों के पास गेहूं जमा है। मैं समझता हूं कि या तो उन्होंने जानबूझ कर ऐसा मिनिस्ट्री की कुर्सी पर रहने के लिए कहना आवश्यक समझ

(श्री नत्थीसिंह)

कर कहा हो या वे वास्तव में किसानों की स्थिति से परिचित नहीं हैं इसलिए उन्होंने ऐसा कहा हो वरना कह नहीं सकते । मैं यह कहना चाहता हूं कि छोटे किसान अपनी पैदावार को 15 दिन में बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं । उनके पास कहां से रहता है, आप प्रोक्योर तभी करेंगे जब उनके पास कुछ हो । आज जिनके पास रखा है उनके पास पहले भी रखा था जिनको आपने नहीं छुआ और न छू सकते हैं । जिनको खन्दों में पड़ा है वे प्रभावशाली लोग हैं जैसे जिला प्रमुख, प्रधान आदि हैं । गरीबों को आप मारना चाहते हैं और आप आंख मीच कर चलना चाहते हैं और आप जानबूझ कर अंधेरे में चलना चाहते हैं ।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

मैं दो मिनट में सब कहना चाहता हूं ।

मैं कांग्रेस के उन लोगों से कहना चाहता हू कि यू. पी. में लेवी लगी है । उनमें हिम्मत थी और उन्होंने अपनी सरकार को झुकाया है और उन्होंने लेवी को व्यवस्था में सुधार किया है । वहां पर बड़े किसान लेवी दे रहे हैं । मगर आज आप इतने आतंकित हैं, आपकी आत्मा इतनी मर गई है कि आप इसके लिए कुछ नहीं कर सकते । आज आप गांवों में जा कर नारे लगाते है, जय किसान जय जवान और यहां आकर उनके खिलाफ कार्य करते हैं । मैं यह कहूंगा कि हम इधर बैठने वाले निश्चित रूप से अन्याय का डट कर मुकाबला करेंगे और उसका विरोध करेंगे । हम आपकी उस नीति का समर्थन करने को तैयार हैं जो गरीबों को लाभ दे सकती है । मगर उस नीति का समर्थन नहीं कर सकते जो भूखे हैं उनको भूखों मारे और जो मरे हुए हैं उनको और मारें । यह नीति कांग्रेस की नीति रही है और आपकी नीति यही आज देश को दिवालीयापन की ओर ले जा रही है, आपकी यह नीति अब चल नहीं सकती ।

श्री उपाध्यक्ष : अभी काफी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं और एक घंटा और 10 मिनट बाकी हैं । इसलिए हर एक माननीय सदस्य को 10 मिनट दिये गये हैं ।

श्री विजयसिंह (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, कल से खाद्य स्थिति पर भाषण चल रहे हैं । उनको सुनने से मैं काफी प्रभावित हुआ । मगर मुझे अफसोस इस बात का है कि हम यहां पर जनता के प्रतिनिधि बन कर आये हैं और पिछले 20 वर्षों से यही सबसे बडी भूल जो इस देश के प्रतिनिधि अब तक करते आये हैं और कर रहे हैं वह यह है कि उन्होंने इस देश को खाद्य नीति में असफल रखा है और जब तक यह भूल नहीं सुधारी जायगी यह देश खाद्य स्थिति में आगे नहीं बढ सकेगा । सबसे बडी भूल यह है कि आज जो किसान छोटी श्रेणी का है और जिस किसान के पास कम भूमि है, लेकिन वह उपजाऊ भूमि है किन्तु उसके पास वह साधन नहीं हैं जिन साधनों से वह उस भूमि को अच्छी तरह जोत कर अधिक से अधिक उपजाऊ बना सके । अगर वे साधन उसे उपलब्ध हैं तो उसके पास पानी नहीं है, अगर पानी उसके पास है तो सरकार की तरफ से कुछ न कुछ ऐसे हालात पैदा कर दिये जाते हैं कि उनके कारण किसान उत्पादन करने में असमर्थ रहता है । सरकार ने आजादी के बाद कई योजनाएं बनाई और बांध बनाये पर वे सारी की सारी योजनाएं और बांध उसी प्रकार से रहे जैसे चकवा चकवी की कहानी हो ......

श्री मूलचन्द डागा : 10 मिनट में यह कहानी सुना दो ।

श्री विजयसिंह : मैं आपको सब सुना दूंगा, आतुर मत होइये । तो अब वह जो योजनाएं बनी हैं, बांध बनाये हैं नहरें निकाली गई हैं, पर नहरें आधे रास्ते के अन्दर आकर अधूरी पड़ी हैं, उनसे किसानों की जमीनों में पानी पहुंच नहीं सकता, जमीनों की सिंचाई नहीं हो सकती और न उत्पादन ही हो सकता है । इन हालात को ध्यान में रखते हुए देखने की कोशिश करें कि आज किसानों की क्या हालत है । आज किसानों पर इतना बर्डन डाल दिया गया है, इतना डर डाल दिया गया है कि वे खाद्यान्न का उत्पादन करने के स्थान पर कोमर्शियल कोमोडिटीज पैदा करने के लिए उत्सुक हो गये हैं । यह राजस्थान सरकार की नीति रही है कि किसानों पर किसी न किसी प्रकार का भय बना रहे । आज किसान हमारे देश के ही नहीं विश्व के जीवन स्रोत हैं, दुनियां की जरूरत की हर चीज का उत्पादन किसान पर निर्भर करता है । अगर किसानों को सरकार वह सुविधाएं देती जिन सुविधाओं का उल्लेख सरकार ने अपनी योजनाओं में कर रखा है, अपनी फाइलों में, कागजों में कर रखा है तो आज हमें इस भयंकर मुसीबत का सामना न करना पड़ता ।

इसका ताजा उदाहरण है, पंपिंग सैट्स का प्रश्न रखा था, मुझे पूरे आंकड़े याद नहीं हैं कि कितने पंपिंग सैट्स सरकार ने किसानों को दिये पर जितने पम्पिंग सैट्स सरकार ने किसानों को दिये हैं अगर इसके सम्बन्ध में जांच बैठाई जाय तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनमें से आधे पम्पिंग सैट्स भी किसानों के नहीं लगे हैं, डेढ़–डेढ़ साल हो गया उनको उलझाया हुआ रखा जा रहा है । मैं भी एक किसान हूं जिसको 14 महीने हो गये हैं एस. डी. ओ. से कलेक्टर तक ऐसा लफड़ा है कि आदमी उसमें फंस जाता है ।

श्री मूलचन्द डागा: राजस्थान के ऐसे किसान हैं तो ठीक है ।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : मन्त्री महोदय के कान पर जूं भी नहीं रेंगेगी ।

श्री विजय सिंह: किसान जो उत्पादन का स्रोत है, उसको सरकार कागजी कार्यवाही से दिखाना चाहती है कि हम कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये किसानों को किस प्रकार से सहायता कर रहे हैं । हमने किसानों की सहायता के लिये कृषि अधिकारी छोड़ रखे हैं, ग्राम सेवक छोड़ रख हैं, किसानों को कई प्रकार के साधन हमने उपलब्ध करा रखे हैं जिनसे कि किसान उत्पादन बढ़ा सके पर असली रूप में देखा जाय तो यह सब ढकोसला है, केवल दिखावा की बात है और मैं तो यह कहूंगा कि यह केवल विदेशों को दिखाने की बात है कि हम कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या क्या कर रहे हैं, हमने कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिये इतनी योजनाएं बना रखी हैं । यह सब दिखा कर विदेशों के सामने हाथ फैलाया जाता है कि हमें खाद्य दिया जाय, हमें कृषि की उन्नति के लिये औजार दिये जायें पर असल में क्या हो रहा है यह देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि यह सब दिखावा मात्र है । आज सभी सदस्य इस पर विचार कर रहे हैं, हर आदमी यह कहता है कि इसका स्टेट ट्रेडिंग सिस्टम किया जाय, भाव गिराये जायं, यह किया जाय, वह किया जाय पर वास्तव में आपके पास अन्न ही नहीं होगा तो किसका स्टेट ट्रेडिंग करेंगे, किसके भाव गिरायेंगे । मकान की नींव ही

(श्री विजयसिंह)
अच्छी नहीं होगी तो कैसे उसे बिल्ड-अप कर सकते हैं। कई माननीय सदस्य कहते हैं कि 70 रुपये से भाव बढा कर बाजार भाव पर लेवी वसूल की जाय पर आपने क्या कभी इस पर विचार किया है कि जो किसान अनाज का उत्पादन करता है उस किसान को पानी पर्याप्त मात्रा में मिलता है या नहीं, साधन पूरे मिलते हैं या नहीं और उसके अन्दर सरकारी कर्मचारी कहां तक सहायता देने में समर्थ हुए हैं। केवल आपकी फायलों में उसका प्रावधान मात्र किया गया है, इसका पता आप अपने खुद के आंकडों से लगा सकते हैं कि खेती के उत्पादन में कमी क्यों आ रही है।

अब मैं थोडा सा अनाज के वितरण के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। जो अनाज हमारे यहां पैदा होता है उसके वितरण के लिये, और जो अनाज विदेशों से आता है उसके वितरण के लिये सरकार की नीति यह रही है कि बडे शहरों में 5 किलो एक महीने में प्रति व्यक्ति देते हैं। शहरों में भी यह पर्याप्त नहीं है पर गांवों के लोगों को जो क्षमता है, गांवों में जो किसान रात-दिन खेतों में काम करते हैं उनके लिये 2 किलो ज्वार एक महीने तक पेट भरने के लिये क्या काफी है? क्या वह किसान दो किलो सडी हुई ज्वार एक महीने तक खाकर खाद्यान्न का उत्पादन बढा सकेगा? लानत है एसी सरकार को और एसी योजनाओं को। यह केवल दिखाने के लिये योजनाएं रखते हैं कि देश के किसानों के लिये हम यह, यह साधन जुटा रहे हैं। असली रूप में देखें तो यह है कि उसमें किसानों के लिये कुछ नहीं किया जाता है। अगर किसानों के लिये कुछ भी किया जाता तो खाद्यान्नों के वितरण के अन्दर गांवों के किसानों और शहरों के आदमियों में फरक नहीं रखा जाता।

जो लेवी सरकार की तरफ से लगाई गई है, उसके सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मैं इस पक्ष में हूं कि लेवी उगाही जाय पर लेवी किन किसानों से उगाही जाय? उत्तर प्रदेश में लेवी रखी है, उसी प्रकार राजस्थान में जिन किसानों के पास, जिन व्यापारियों के पास अनाज है उनसे अनाज निकाला जाय, जिन व्यापारियों के पास कोठे हैं उनसे अनाज निकाला जाय। इसके लिये सरकार अलग ही बोर्ड निर्धारित करे या कमीशन बैठाय जिससे कि अनाज की समस्या का समाधान किया जा सके। राजस्थान में जितना अनाज है उसे बाहर लाया जाय। एक सटर बना दिया जाय और देखा जाय कि निर्धारित प्राइस पर बिकता है या नहीं।

आज सरकार की नीतियां ऐसी असफल रही है कि किसानों और व्यापारियों के बीच में ऐसा जहर खडा कर दिया है कि न तो व्यापारी सरकार के साथ कोऑपरेट करता है और न किसान करता है, और जो नागरिक खेती नहीं करते हैं वे बीच में मारे जाते हैं। व्यापारी, किसान और सरकार के बीच में उलझनें डाली हुई हैं इस पर सरकार को सोचना चाहिये कोई ऐसा तरीका निकालना चाहिये जिससे किसानों को सुविधा मिले, उपभोक्ताओं को सुविधा मिले और देश का उत्पादन बढे और विदेशों से भीख नहीं मांगनी पडे। विदेशों की भीख पर यह देश नहीं चल सकता।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री खेत सिंह!

श्री जुझारसिंह: हमारी पार्टी से तो कोई नहीं बोला है।

श्री उपाध्यक्ष: समय का तो बंटवारा हुआ है।

श्री जुझारसिंह: जनता पार्टी का एक भी आदमी नहीं बोला है।

श्री खेतसिंह: मैं सिर्फ 5 मिनिट बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: इसके बाद जनता पार्टी को मौका देंगे।

श्री खेतसिंह (शेरगढ): उपाध्यक्ष महोदय, दो दिन से खाद्य समस्या पर बहस हो रही है। विपक्ष के नेता ने और सदस्यों ने पूरी तरह से आलोचना की है कि राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही है। अगर राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया होता तो आज तक कई मौते हो गई होतीं।

श्री जसराज (भिनाय): तो क्या आप मौतें चाहते हैं।

श्री विजयसिंह रावत: आप मेरे साथ चलियें तो बताऊंगा।

श्री खेतसिंह: आप सोचने के तरीके को बदलें और वास्तव में जो अच्छा काम है, उसको अच्छा कहने की प्रवृत्ति रखें, बाकी कोरी आलोचना करने से आपको लाभ नहीं होगा।

श्री केसरीसिंह (हिंडौली): यह सब मिनिस्ट्री के लिये चिल्ला भरी जा रही हैं?

श्री खेतसिंह: विकास के कार्यों में सरकार पैसा लगाए तो आप कहें कि बुरी तरह से खर्च कर दिया और बाहर से सहायता लाकर दें तो आप कहें कि हमें फकीर बना दिया। अगर शिक्षा को बढावा दें तो आप कहें कि बेकारी बढा दी। कोई भी विकास का कार्य सरकार करेगी तो आप कहेंगे कि लाभ नहीं हुआ। दो दिन की बहस में एक भी नजर ऐसा नहीं निकला कि 20 साल के अर्से में यह काम सरकार ने अच्छा किया।

श्री विजयसिंह रावत: आप अपने दल से पूछिये कि कौनसा काम अच्छा हुआ?

श्री खेतसिंह: यह बात किसी से छिपी हुई नहीं कि सरकार ने 20 वर्षों में राज्य के अन्दर कितनी प्रगति की है। आज के किसान की और 20 वर्ष के किसान से तुलना करें, विरोधी पक्ष वाले अपने कलेजे पर हाथ रखकर सोचें तो वे भी इस बात को मानेंगे कि पहले के किसान और आज के किसान में आर्थिक दृष्टि से कितना अन्तर है, आज का किसान कितना आगे बढ़ गया है। इन बातों को मेरे नागौर के साथी श्री रामसिंहजी जानते हैं, लेकिन यहां तो आदत की मजबूरी है, खिलाफत करनी है, सही को भी गलत करना है। यदि यही प्रवृत्ति आपकी रही तो मेरी निश्चित मान्यता है कि जिस उद्देश्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें आप ही बाधा डालेंगे और आप जनता के सामने अपना चेहरा नहीं दिखा सकेंगे। तब समय आने पर जनता आप से कहेगी कि आपने ही रोडा अटकाया जिससे जनता प्रगति नहीं कर सकी। इसलिये मैं खासतौर से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस ओर विचार करें और कुछ कन्स्ट्रक्टिव सजेशन्स दें। ऐसी बात कहिये जिससे वास्तव में किसान को राहत मिले। आपने एक भी सुझाव दो दिन में नहीं दिया जिससे जाहिर होता हो कि यह ऐसा सुझाव है जिसको करने से काश्तकार का हित होगा।

(श्री खेतसिंह)

यहां लेवी की बात कही गई। भारत के सभी राज्यों में लेवी लगा रही है और राजस्थान में उस वक्त यह तय किया गया था जिस वक्त राष्ट्रपति शासन था। राजस्थान के एडवाइजर्स ने यह बात दिल्ली में जाकर मन्जूर की थी। उस साथ आपके महामाया प्रसाद, चरण सिंह और राव बीरेन्द्र सिंह ने सबने दिल्ली में यह बात मन्जूर की थी कि लेवी लगनी चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप इसके खिलाफ हैं क्या?

श्री खेतसिंह : मैं कहता हूं कि जिसके पास ज्यादा धान है तो लेना चाहिए। आपने कहा कि जिस समय हम 93 सदस्यों को लेकर दिल्ली गए उस दिन भाव घट गए और ज्योंही दूसरे दिन बदल गए तो भाव बढ़ गए। अगर आप में इतना ही होता होता तो अपने घर को तो सम्भाल कर रखते। आपसे अपना घर तो सम्भला नहीं बाकी आपकी हुकूमत होती तो आप तो बरबाद कर देते। पहले घर को सम्भालने की कोशिश कीजिए। इन माननीय सदस्यों को विश्वास था कि काश्तकार और राजस्थान की जनता का हित इसी में है कि वे कांग्रेस में आएं। आप कुछ भी कहें कि साढ़ू जन को पैसे से खरीद लाए। नोटों की थैलियां तो आप भरकर घूमते थे, हमारे पास पैसा कहां था? खाद्य की परिस्थिति राजस्थान में ही नहीं पूरे भारत के अन्दर विषम है। इस बात को सभी स्वीकार करेंगे। इस स्थिति के कई कारण हैं जो आपसे छिपे हुए नहीं हैं। हालांकि प्रगति हुई है उसके अनुपात में आबादी भी बढ़ी है जिसके कारण समूचे देश में यह संकट है। उसका समाधान तब होगा जब आप और हम ठंडे दिल से बैठकर एक राय से सुझाव दें तो समाधान होगा। एक दूसरे की आलोचना करने से नहीं....

एक माननीय सदस्य : ठंडे दिल का समय कब आएगा?

श्री विजयसिंह रावत : आप बताइये कि आपके क्या सुझाव हैं जिनके द्वारा खाद्य स्थिति अच्छी हो सकती है?

श्री खेतसिंह : मैं निवेदन कर रहा हूं। आप तीन–चार बातों की ओर ध्यान दें। आज खाद्यान्न की कमी है, उत्पादन जितना बढ़ना चाहिये था, वह नहीं बढ़ा है तो इसके लिए क्या करना चाहिये? किस तरह से अपना सहयोग दें जिससे उत्पादन बढ़े। इस बात पर विचार करें तो सही मायने में हम नतीजे पर पहुंच पायेंगे।

सबसे पहले खासतौर से मैं खाद्य मन्त्री से कहना चाहूंगा कि उन्होंने अपने भाषण में कल यह बात कही थी कि 38,000 टन धान अपने को एलॉट होता है और फुलेरा से आने वाले मेरे मित्र ने कहा कि वास्तव में कन्साइनमेन्ट आपने जितनी बताई उतनी आपको मिलती है या कम मिलती है? यदि कम मिलती है तो क्यों? इसके लिए आपको चाहिए कि भारत सरकार से परामर्श करें और पूरी कन्साइनमेन्ट लें। अगर वास्तव में धान अपने पास कम आता है तो कमी होगी। उसकी पूर्ति करने के लिए आप सहयोग दें। आप कहिए कि भारत सरकार से सब मिलकर निवेदन करें कि हमको जो कन्साइनमेन्ट मिलती है उसको बढ़ा दिया जाय। दूसरे

(श्री खेतसिंह)

राज्यों की आबादी के अनुपात से दिया जाता है उस अनुपात में हमको भी दिया जाय।

आप लेवी की बात कहते हैं। लेवी हमारे राज्य में सबसे कम लगाई है। वास्तव में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से भी कम लगाई है। मन्त्री महोदय ने 20 हजार टन लेवी का कहा है। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि कृषक के यहां जितना धान होता है, उसमें से कितना प्रतिशत छोड़कर कितना प्रतिशत लेवी ले रहे हैं? अगर इस बात की ओर ध्यान देंगे तो आपको सही स्थिति मालूम होगी कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इन दोनों के काश्तकारों से अपने यहां पर कम लेवी वसूल की जा रही है।

(3 म. प.)

इसलिये जो लेवी के लिये इतना बड़ा हल्ला मचा रहे हैं ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है और उससे कोई खास परेशानी आने वाली नहीं है। परेशानी की बात है वह यह है कि आने यहां प्रदेश में खाद्यान्न किस प्रकार बढ़ायें कि यह सरप्लस स्टेट हो जाय। इसके लिये अपने यहां काफी गुन्जाइश है। भूमि की दृष्टि से अपने यहां काफी जमीन है। सिंचाई के साधन, ट्यूबवैल्स आदि बनाये जांय और भी तरीके अपनाये जांय तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अपनी स्टेट निश्चित रूप से सरप्लस होगी और दूसरी रियासतों को अपना अनाज दे सकेंगे। इस पर बैठ कर गम्भीरता से यहां विचार करना चाहिये। मैं नम्र निवेदन करूंगा कि आपका भी सोचने का तरीका यह होगा तब ही इस समस्या का समाधान होगा।

कई माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुझारसिंह !

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : मैं कई बार खड़ा हुआ हूं मुझे समय ही नहीं दिया जाता।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : हमें भी थोड़ा समय मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुझारसिंह !

श्री जुझारसिंह : उपाध्यक्ष महोदय

श्री रामचन्द्र आर्य : रोजाना मांग करते हैं और आप मुझे टाइम ही नहीं देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको समय देने के लिये सोच रहा था, लेकिन जब समय दिया जाना होता है तब आप खड़े ही नहीं होते।

श्री दौलतराम सारण : हमारे सदस्य दो दिन से खड़े हो रहे हैं। लिख कर भी दिया है लेकिन समय ही नहीं मिलता।

श्री उपाध्यक्ष : बोलने का समय आता है तब खड़े ही नहीं होते।

श्री विजयसिंह रावत : समय बढ़ा दिया जाय।

श्री दौलतराम सारण : कल भी खड़े हुए, आज भी खड़े हुए लेकिन समय ही नहीं दिया जाता।

श्री उपाध्यक्ष : रामचन्द्रजी एक दफा खड़े हुए थे। प्रस्ताव मूव करने के वक्त खड़े हुए थे, बाद में नहीं हुए।

Page No. 77

श्री रामचन्द्र आर्य : हम मांग करते हैं तो उस समय टाइम ही नहीं देते। इससे हमारे अधिकारों का हनन होता है।

श्री उपाध्यक्ष : यस ! श्री जुझारसिंह।

श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य की खाद्य–समस्या पर दो दिन से बहस हो रही है और दोनों पक्ष के सदस्यों ने बहुत कुछ कह दिया है। मैं सदन का अधिक समय न लेकर केवल मेरे इलाके की समस्या की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

खाद्य–समस्या के कई पहलू हैं। उनमें एक प्रोडक्शन और दूसरा डिस्ट्रिब्यूशन ये दो प्रमुख हैं। इनमें से मैं पहले पहलू प्रोडक्शन को ही लेता हूं। जहां तक प्रोडक्शन का सवाल है हमारे राज्य में पिछले सालों से प्रोडक्शन गिरता जा रहा है। यह कहा जाता है सरकार की ओर से कि पिछले साल अकाल था और उसके पिछले साल भी अकाल था। सरकार की ओर से जो आंकड़े दिये गये हैं उन्हीं को देखें तो आपको विदित होगा कि सन् 1961 से बराबर खाद्य का उत्पादन कम हो रहा है। मन्त्री महोदय स्वयं इन आंकड़ों को देख लें—

सन् 1961-62 खाद्य का उत्पादन 50.74 लाख टन्स हुआ।

सन् 1962-63 खाद्य का उत्पादन 45.67 लाख टन्स हुआ।

सन् 1963-64 खाद्य का उत्पादन 36 लाख टन्स हुआ।

और इस तरह से फूड का प्रोडक्शन गिरता जा रहा है। इस साल अकाल की स्थिति है। 33 लाख टन का उत्पादन है आपके आंकड़ों के अनुसार। फिर आंकड़ों के अनुसार ही 45 लाख टन की खपत है और उत्पादन 33 लाख है। इस प्रकार 12 लाख टन की खाद्य की कमी है।

इस खाद्य की कमी को किस प्रकार से पूरा किया जाय और यहां की जनता को इस डिफिकल्ट पोजीशन से किस प्रकार से निकाला जाय इसके लिये यही बात हो सकती है कि केन्द्रीय सरकार से ज्यादा से ज्यादा अनाज की मदद की अपेक्षा की जाय। जो कोटा गेहूं का दिया जा रहा है उससे अधिक मांगा जाय और जो भी साधन उपलब्ध हैं, जितना भी उपलब्ध है उसका प्रॉपर डिस्ट्रिब्यूशन किया जाय।

डिस्ट्रिब्यूशन में बहुत कुछ घोटाले हैं उसके लिये माननीय सदस्यों ने बताया। मैं उनकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि काफी माननीय सदस्यों ने उन पर प्रकाश डाल दिया है। किन्तु मेरे इलाके में प्रोडक्शन के बारे में जो असर पड़ता है उन बातों को मैं बताना चाहूंगा। राजस्व मन्त्री भी यहां बैठे हैं। वे उस इलाके के रहने वाले हैं उनको वहां की समस्याओं का ज्ञान होना चाहिये इसलिये मैं इस विषय में खास तौर से कहूंगा।

कोटा डिविजन में तीन योजनाओं में खाद्यान्न का कोई प्रोडक्शन नहीं बढ़ा यह मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं। गवर्नमेन्ट की टेन्डेन्सी यह रही है कि वह आंकड़ों से बताये कि प्रोडक्शन बढ़ा है। जैसा मैंने निवेदन किया कि पिछले 6 साल से खाद्य प्रोडक्शन बराबर गिरता जा रहा है उसके लिये सॉल्यूशन ढूंढने की आवश्यकता है।

(श्री जुझारसिंह)

कोटा में सॉइल इरोजन की प्रोब्लम है। मन्त्री महोदय इसको अच्छी तरह से जानते हैं। उसको सीरियस ढंग से डील करने की कोशिश नहीं की गई। जमीन पर जो मिट्टी होती है उसी पर पैदावार निर्भर होती है। टॉप सॉइल बह जाय और प्रोडक्टिविटी को रोकने की कोशिश न की जाय तो पैदावार के लिये जो भी अन्य प्रयास और साधन दिये जाते हैं, जैसे फर्टीलाइजर बांटना, बीज देना आदि वे सब बेकार हो जाते हैं। इसलिये जब तक टॉप सॉइल फर्टीलिटी को बेकार जाने से नहीं बचा सकते, उसको प्रिजर्व नहीं कर सकते तो सब हमारे प्रोडक्शन बढ़ाने के एक्सपेरीमेन्ट बेकार हो जावेंगे। अमेरिका के अन्दर भी इस सम्बन्ध में एक्सपेरीमेन्ट हुए। 1877 में भी प्रयास हुये। साइन्टिफिक नॉलेज आदि से उन्होंने महसूस किया कि फूड का एवरेज प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाया है। सन् 1933 में जाकर उन्होंने यह महसूस किया कि सॉइल कन्जरवेशन है वह अहम चीज है। और प्रॉपर तरीके से इसको हैन्डल नहीं करने से और केवल फर्टीलाइजर देने से, अच्छा बीज देने से और टैक्निकल नो हाउ के जानने से पैदावार नहीं बढ़ सकती। यही स्थिति हमारे इलाके में हो रही है। हमारे क्षेत्र में हर दो तीन मील पर नदियां हैं। इससे सॉइल इरोजन होता है। गली इरोजन है, शाइड इरोजन नहीं है। इससे भयंकर इरोजन होता है। कोटा डिविजन में पहले इसको रोकने के लिये महकमा था। उसका काम ही फर्टीलिटी को कायम रखना था और सॉइल इरोजन को नहीं होने देने का था। पिछले साल में गवर्नमेन्ट ने उस महकमें को ही बन्द कर दिया और कोई कोशिश नहीं की कि सॉइल इरोजन को रोका जाय। दूसरे देशों में भी केवल मॉडल एप्लायन्सेज ही नहीं किन्तु सॉइल इरोजन को रोकने से ही प्रोडक्शन में वृद्धि की है और इससे वहां पर 33.5 प्रतिशत ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है। यहां पर भी यदि इस प्रकार की कोई व्यवस्था की जायगी तो मैं अनुमान लगाता हूं कि एवरेज प्रोडक्शन बढ़ेगा। चम्बल कमान्डेड एरिया बहुत बड़ा एरिया है। उसके साथ काली सिंध, पार्वती, ... हैं। 23 हजार स्क्वायर मील के क्षेत्र में भयंकर इरोजन है। इसलिये उस प्राब्लम को बहुत सीरियसली टैकल करने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि इरिगेशन डिपार्टमेन्ट की ओर से यह पुस्तिका कुछ वर्षों पहले छपी थी उसके लिये पिछले टाइम मैंने सदन में भी निवेदन किया था। जैसी ट्रेजरी बेन्चेज और मन्त्री महोदय की आदत होती है उसको न तो सीरियसली सुनते हैं और न ही उसको सीरियसली लेते हैं। मैं उसको फिर दोहराना चाहता हूं। यह पुस्तिका है गवर्नमेन्ट के इरिगेशन डिपार्टमेन्ट की, चम्बल के किसानों के लिये डिस्ट्रिब्यूट की गई। इसमें जमीन का सर्वे किया गया और कैटेगरीज ऑफ सॉइल को डिफाइन किया गया। इसमें बताया गया है कि वहां पर छः प्रकार की सॉइल है। करीब दो लाख एकड़ जमीन ऐसी है उसको किसी सूरत में अलॉट नहीं किया जाना चाहिये। अगर उसको किसी तरह से अलॉट किया गया तो जमीन में सॉइल इरोजन बढ़ जायेगा। उसमें फॉरेस्ट या सॉइल बाइन्डिंग आदि ऐसी चीज लगाई जाये। उसमें क्लियर डाइरेक्शन्स के बावजूद भी और पुस्तिका के बांटने के बाद भी कॉलोनाइजेशन डिपार्ट-

(श्री जुझारसिंह)

मेरे द्वारा लाखों रुपयों की जमीन स्लोप्स के ऊपर बांटी गयी है और यह इस तरह की बात हुई the right hand does not know what the left hand does. इसी तरह से एक डिपार्टमेन्ट कोई चीज रिकमन्ड करता है और दूसरा डिपार्टमेन्ट उसके ऊपर एक दम अमल नहीं करके बराबर खराब करता जा रहा है।

इसी तरह से वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है, इर्रिगेशन का प्रोब्लम है। आपके इरिगेशन के टारगेट्स में बहुत जबरदस्त शार्टफाल हुआ है, और मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करूं कि थर्ड फाव ईयर प्लान के तहत 8 लाख का टारगेट था उसके अगेंस्ट में 5 लाख का टारगेट एचीव कर सके हैं। यह बात नहीं है कि अकाल कोई परमानेन्ट चीज हो। गंगानगर जहां हमेशा परमानेन्टली अकाल रहता था उसमें आज वर्षों से नहीं है और मनुष्य अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता। जिस तरह से राज्य सरकार क्लेम करती है उनका प्लान डेवलपमेन्ट का नारा जरूर है तो यह प्लान डेवलपमेन्ट तो आप 15 साल से बराबर करते आ रहे हैं फिर भी यह फूड का प्रोडक्शन कम क्यों हो रहा है? आपके इन 15 साल के प्लान डेवलपमेन्ट के अनुसार तो हमें इस स्थिति में पहुंच जाना चाहिये कि पानी बरसे या नहीं बरसे पर हम योजनाओं के तहत अकाल की स्थिति में नहीं रहते और कम से कम खाद्य का आप इतना उत्पादन करते कि जो कि आज से 15 साल पहले कम होता था उतना ही आज ज्यादा होता। पहले एक साल में 50 लाख टन का उत्पादन हुआ है और इस साल में केवल 33 लाख टन ही हुआ है। आप हमेशा इसके लिए इन्द्र भगवान को कोसते हो लेकिन यह सब मनुष्य के हाथ में है। इजराइल और गंगानगर में कोशिश की है तो वहां पर प्रोडक्शन बढ़ा है। यदि प्लान के बाद भी आपका यह नतीजा रहता है कि प्रोडक्शन कम होता है तो इसके लिए किसी को क्लेम करने की जरूरत नहीं है इसके लिए आप ही क्लेम करने के काबिल हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, लेवी के बारे में भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जैसा कि मन्त्री महोदय ने भी एडमिट किया है कि यह लेवी वसूल करने का समय नहीं रहा। मई का एण्ड हो गया है और अभी तक कोई प्रोक्योरमेन्ट सेन्टर कायम नहीं हुए हैं। अभी ऑर्डर्स तहसीलदारों के पास पहुंचे तक नहीं है और मई का एण्ड हो गया है और काश्तकारों ने भी बहुत सा अनाज बेच दिया है।

इसके अलावा मैं सिंचित जमीन के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। कोटा स्टेट में परवन, काली सिंध का या पारवती का प्रोजेक्ट है उससे सिंचाई होती है। लेकिन इस साल किसान लोग एक या दो वाटरिंग ही कर पाये हैं जब कि गेहूं के लिए कम से कम 3 या 4 वाटरिंग की आवश्यकता होती है। लेकिन सरकार ने सब क्षेत्रों को सिंचित क्षेत्र मानकर वही लेवी लगाई है जो कि पूरी तरह से सिंचित गेहूं क्षेत्र के लिए होती है। जब कि सही यह है कि एक या दो वाटरिंग ही वहां पर हुआ है और लेवी पूरी वसूल सिंचित भूमि की सी कर रहे हैं। एक्चुअली उनको ऐसा नहीं माना जाना चाहिये क्योंकि

(श्री जुझारसिंह)

वह एक या दो वाटरिंग ही कर चुके हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस आस्पेक्ट को आपको ध्यान में रखना चाहिये।

इसी तरह से वहां पर कुओं में भी पानी नहीं है। काश्तकारों ने कुओं से पानी अवश्य दिया है लेकिन कुओं में पानी बहुत गहरा उतर गया था और जितना पानी दिया जाना चाहिये उतना नहीं दिया गया है इसलिये आपका माना जाना कि कुओं से जमीन उतनी ही सिंचित है या नहर से सींची जाने वाली जमीन में जितना पानी दिया जाता है उतना ही इन कुओं से पानी दिया गया है तो यह बहुत गलत चीज होगी।

इसी के साथ साथ जो प्राइसेज हैं उनको भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। आपको मार्केट प्राइज और प्रोक्योरमेन्ट प्राइस में मोर देन 100 परसेन्ट का फर्क है। इसलिये यह बहुत ही अव्यवहारिक बात होगी····

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और राज्य सरकार की पॉलिसी पहले भी फेल हुई है और आगे भी फेल होगी।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

श्री जसराज : उपाध्यक्ष महोदय, समय बढाने की कृपा करें।

श्री रामचन्द्र आर्य (नौहर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमको भी बोलने का मौका दिया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर काफी वाद-विवाद हो चुका है इसलिये अब समय बढाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय,··

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, पहले भी सदन की कार्यवाही 6 रोज तक चली और उस समय भी हमको टाइम नहीं मिला और अब भी नहीं मिल रहा है यह तो न्याय संगत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आपको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे।

श्री रामचन्द्र आर्य : लेकिन उपाध्यक्ष महोदय····

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : हमारे साथ में बड़ा अन्याय किया जाता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपकी पार्टी को काफी समय मिल गया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : पार्टी का सवाल नहीं है। हमारी पार्टी को कोई समय नहीं दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें और आपको एडजस्ट करने का प्रयत्न किया जायगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, इनके बाद में मुझे समय मिलना चाहिये।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी को बहुत कम समय दिया गया है और इस पर मैं भी बोलना चाहती हूं।

श्री रामचन्द्र आर्य: हमें कतई समय नहीं दिया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा!

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, सवाल इतना सा है कि मैं केवल रचनात्मक सुझाव ही पेश करना चाहता हूं। पहला सवाल यह है कि राजस्थान लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट के तहत रेवेन्यू मिनिस्टर आदत यह बताने की कृपा करें कि कितने केसेज राजस्थान में आज तक आपने इस एक्ट के अन्तर्गत किस के खिलाफ किये? मुझे मालूम है कि आपने इस एक्ट की जो मन्शा थी, जो इसकी इच्छा थी उसको बालाये ताक रख दिया। इसके कारण हजारों बीघा जमीन जो लोगों के पास है और उसमें वह काश्त नहीं कर पाते हैं हमें चाहिये कि इस एक्ट को हम काम में लायें। दूसरे लैण्ड एक्वीजीशन के अन्दर जो म्युनिसिपैलिटीज और पंचायतें हैं वह जो भी जमीन एक्वायर करते हैं जो जो कुओं की जमीनें हैं या काश्त के काबिल जमीनें हैं उनको एक्वीजीशन में नहीं लिया जाना चाहिये। क्योंकि मैं ने देखा है कि बहुत से मामलों में उन जमीनों को एक्वायर किया जाता है जो कि उपजाऊ होती हैं। तो म्युनिसिपैलिटीज को और पंचायतों को इसके लिए रोकना चाहिये कि जिन जमीनों से अनाज होती है या जहां प्रोडक्शन होता है या हो सकता है उनको नहीं लिया जाये।

तीसरे आज बड़े बड़े बंगलों में जो लॉन लगाये जाते हैं उनको कम किया जाय और सब बंगलों में साग सब्जी पैदा की जाय। सवाल यह है कि आज राजस्थान में जहां भी जमीन है और जहां भी पानी उपलब्ध है वहां लॉन के बजाय सब्जी का उपयोग किया जाये और मंत्री महोदय ही पहले इस काम को शुरू करें और बंगलों में जो बड़े बड़े लान हैं उनको कम कर दें और सब्जी बो दें। आपके कृषि महकमे ने बहुत बड़ी धनराशि, 5 लाख के करीब धनराशि म्युनिसिपैलिटीज को खाद पैदा करने के लिए दी है। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि वह धन राशि उस उपयोग में नहीं आ रही है। सारे के सारे ट्रैक्टर्स और ट्रॉलीज कचरे के काम में लाये जा रहे हैं। आपने एक तरीका किया था कि इस तरह से खाद पैदा किया जावेगा और सारी म्युनिसिपैलिटीज के अन्दर यह ट्रैक्टर्स और ट्रॉलीज उस उपयोग में नहीं आ रही हैं। इसलिए हमें चाहिए कि धान ज्याद पैदा करने के लिए उनका उपयोग करें।

दूसरा सवाल है वितरण का। एक तरीका यह है कि हमको दो प्रकार के राशन कार्ड इश्यू करने चाहिए। एक तो उनके राशन कार्ड जो कि आयकर देते हैं और दूसरे राशन कार्ड उनके जो आयकर नहीं देते हैं। आयकर नहीं देने वालों को अधिक राशन दिया जाये और जो आयकर देते हैं उनको बहुत कम राशन दिया जाय क्योंकि उनके लिए और दूसरी चीजें खाने के लिए कई हैं। उनके लिए दूध है, फल हैं, सब्जी है, अंडे हैं वे यह सब चीजें खरीद सकते हैं लेकिन जो गरीब हैं, मजदूर हैं जिनके पास साधन उपलब्ध नहीं हैं उनको पूरा राशन दिया जाये और उनको आगे लाया जाये। इसी तरह से जो वितरण की प्रणाली होगी वह प्रगतिशील प्रणाली होगी। आप अपनी कुछ टैक्निक को चेन्ज कीजिए और वह यही ही हो सकती है कि जो धनीमानी हैं, आयकर देने वाले हैं उनको

(श्री मूलचन्द डागा)
राशन इसलिए कम दिया जाये ताकि वह बाजार से दूसरी चीजें खरीद करें और अपना जीवन निर्वाह कर सकें। लेकिन जिन लोगों के पास साधन कम हैं उनको पूरा राशन देने की व्यवस्था करनी चाहिए। मैंने देखा कि गांवों में डिलीवरी केसेज में शक्कर का परमिट लेन के लिए बीस-बीस मील दूर जाना पड़ता है और शक्कर लेने जाते हैं उनको पहले ही पांच-छः रुपया खर्च करने के बाद 5-6 किलो शक्कर मिलती है। मैं समझता हूं कि हमारे खाद्य मंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिए और इसके लिए हमें कोई उपाय ढूंढना चाहिए कि गांवों में जहां शक्कर का वितरण होता है वह शक्कर उनको वहीं दे दी जाये या सरपंच के तस्दीक पर ही दे दी जाये ताकि उसको पैसा खर्च करके वहां न जाना पड़े।

दूसरी बड़ी बात हमारे सामने यह है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो खाद की कीमतें हैं वे सबसे ज्यादा हैं। हम 67 प्रतिशत गोबर ईंधन के रूप में जला देते हैं। यह हम लोगों का धंधा है जिसे हम लकड़ी के रूप म इस गोबर को जला देते हैं और उधर 33 प्रतिशत जो गोबर की कीमत आंकी गई है वह 270 करोड रुपये आंकी है, जो बडी भारी उपयोगी वस्तु है जिसका हम इस प्रकार से उपयोग करते हैं।

हमारे यहां पर दो दिन की बहस में यह संयुक्त मोर्चे वाले भाई लोग क्या बहस कर रहे थे, क्या नीति हो यह बात उन्होंने नहीं बताई। भारत की प्रधान मंत्री इन्द्राजी ने बुलाया। आप लोग आइए और ठण्डे दिमाग से सोचिए लेकिन वहां नहीं गए। आज जो अनाज की वसूली करते हैं तो इसको ही आप जजिया कर बताते हैं। अगर यही जजिया कर है तो वह कर तो क्या होगा? आप कैसे इस लेवी को जजिया कर कह रहे हैं?

श्री दौलतराम (देसूरी) : जजिया कर नहीं है तो क्या है ?

श्री मूलचन्द डागा : आपको जरा सोचना चाहिए। जब अन्न की वसूली का सवाल होता है, हिन्दुस्तान की खाद्य समस्या को हल करना चाहते हैं उस समय आप कहते हैं कि यह जजिया कर है और इस तरह से आप किसानों को उकसाना चाहते हैं। कभी किसानों को उकसाते हैं और कभी पूंजीपतियों की गोद में जाकर बैठ जाते हैं...

श्री दौलतराम : आपके साथ में भी पाली का मुनीम नहीं होता तो मालूम हो जाता।

श्री मूलचन्द डागा: आपने इतिहास को नहीं पढ़ा है कि जजिया कर किसे कहते हैं। न आपके पास कोई नीति है, न कोई रास्ता है। सारे के सारे विरोधी दल के नेता, विरोधी दल वाले भाषण करने वाले कहते हैं कि खाद्यान्न के लिए क्या किया। जो सामुदायिक विकास योजनाएं हैं जिसमें पंच, सरपंच, प्रधान, उप-प्रधान, सारी की सारी जमात इकट्ठी होती है। लाखों की तादाद में रुपया बांटा गया है। गांव गांव में लोगों को अन्न उत्पादन की प्रेरणा दी गई है। सामुदायिक विकास योजनाओं के द्वारा लोगों को प्रेरणा दी गई है उस हालत में भी आप कहते हैं कि काम नहीं किया और आप कोई गलतियां भी तो नहीं बतलाते हैं। जब देश के कौने 2 में समस्या को हल करने के लिए, जगह जगह सामुदायिक विकास योजना लागू करने के बाद, इतनी बडी तादाद में खाद का वितरण

(श्री मूलचन्द डागा)
करने के बाद, रासायनिक खाद का वितरण करने के बाद आप यह समस्या लेकर आते हैं। न आपकी कोई टेक्निक है, न आपकी आवाज में कोई परिवर्तन है। आप काम नहीं चाहते हैं, केवल आलोचना करना चाहते हैं। और आलोचना भी बिल्कुल निरर्थक, बिल्कुल बेबुनियाद आलोचना करना चाहते हैं।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ): इसका मतलब है कि उनकी पार्टी इस सारी स्थिति से प्रसन्न है।

(व्यवधान) (शोरगुल)

श्री **मूलचन्द डागा**: घबराइए नहीं, बैठिए। यह तरीका नहीं है खाद्य समस्या के निराकरण का।

(शोरगुल)

श्री मदनसिंह: इसका मतलब यह है कि सरकार जो कुछ कर रही है उससे आपको संतोष है।

श्री मूलचन्द डागा: मुझे पूरा संतोष है। मैं कहता हूं कि जो लोग खाद्य समस्या को मानवता की समस्या न समझ कर राजनैतिक समस्या बनाना चाहते हैं तो इससे देश आगे नहीं बढ़ सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि खाद्य मंत्रीजी के पास, पंचायत मंत्रीजी के पास कितनी शिकायतें आपकी ओर से आ चुकी हैं कि सामुदायिक विकास योजनाओं की वजह से खाद्यान्नों के काम में रुकावट हुई है। कितनी धनराशि बांटी जा रही है, कितना पैसा किसानों में बंटा है और इससे किसान कितना ऊंचा उठा है, यह आप नहीं देख रहे हैं। इसका कारण यह है कि...

श्री दौलतराम: खाद पड़ा रहता है और उसको बांटा नहीं जाता है इसी प्रकार की नीतियां हैं आपकी।

एक माननीय सदस्य: आप तो कान में तेल डाले बैठे हैं, आप पर तो कोई असर नहीं होता है।

श्री मूलचन्द डागा: खाद्य समस्या को हल करने के लिये लेवी वसूल करना चाहते हैं तो...

श्री भैरोंसिंह: माननीय सदस्य यह बात बता दें कि पाली में जो सघन खेती का कार्यक्रम चला उसके रिजल्ट्स कितने अच्छे हैं?

श्री मूलचन्द डागा: इसका कारण है आप लोगों की नीति।

आपका एक तरीका है काम करने का। आप क्या करते हैं, आपकी जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी क्या करती है? कहीं पर हम जब परिवार नियोजन लागू करना चाहते हैं तो इसमें आपका धर्म बीच में आ जाता है, आप धर्म की दुहाई देने लगते हैं, कहीं पर आपका गायों का प्रश्न बीच में आ जाता है। आपने तो एक ही बात अपना रखी है कि किसानों को उकसाना, किसानों के अन्दर प्रेरणा देना नहीं बल्कि उनको काम करने से रोकना - आप चाहते हैं कि उन लोगों में असन्तोष बढ़े क्योंकि आपकी सारी प्रगति उन लोगों पर ही निर्भर है। यह तो राजस्थान की कांग्रेस पार्टी ही है जिसने स्टेबिल

(श्री मूलचन्द डागा)
गवर्नमेन्ट दी है और देश को ऊंचा उठाया है। मेरा खयाल है कि आपने तो एक ही बात सीख रखी है कि शर्म शर्म कहना। यह शर्म शर्म की बातें कहने से देश आगे नहीं बढ़ता है ...

(श्री जसराज बोलने के लिए खड़े हुए)

आप बैठिये, इस प्रकार से काम नहीं होता है, काम करने से होता है। केवल शर्म शर्म चिल्लाने से कोई हमारा नुकसान होने वाला नहीं है।....

उपाध्यक्ष महोदय, जो श्रीमान् खाद्य मंत्रीजी ने **एक प्रस्ताव रखा और** वह इस लिए रखा कि उस पर विचार किया जाय तो दूसरी तरफ से भी एक प्रस्ताव रखा गया कि सरकार असफल रही है। **उन्होंने कारण नहीं बताया कि क्यों असफल रही है।** यहां पर एक प्रस्ताव रखा गया इसलिए कि हम इस समस्या का समाधान के लिए सुझाव चाहते हैं लेकिन सुझाव नहीं दिए गए क्योंकि कोई नीति तो है नहीं। आपकी नीति क्या है?

श्री भैरोंसिंह : यह तो वही बात हुई कि सारी रामायण सुनने के बाद यदि कोई पूछे कि सीता कौन थी और रावण कौन था। दुर्भाग्य से आप यहां नहीं थे इसलिए आपने सुना नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : आपको भी क्या मालूम है कि सीता कौन थी और रावण कौन था। आपमें तो इतनी निराशा आचुकी है कि आपके दिमाग के सब दरवाजे बन्द हो चुके हैं।

(शोरगुल) (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री रामचन्द्र आर्य।

श्री जसराज (भिनाय) : उपाध्यक्ष महोदय, इधर भी ध्यान रखिये।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों के अभी यहां पर भाषण हुए। और उनमें उधर के माननीय सदस्यों ने फरमाया कि विरोधी बैंचों की तरफ से कोई सही सुझाव नहीं आ रहे हैं। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जो आज खाद्य समस्या है यह एक राष्ट्रीय समस्या है, हम सब इस बात को मानते हैं लेकिन इस संबंध में सरकार की जो नीति है, वह अच्छी नीति नहीं है। जिस तरह से एक माननीय सदस्य ने कहा कि आप लोगों की आलोचना करने की आदत है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं आपको प्रत्यक्ष प्रमाण देता हूं कि राजस्थान के अन्दर इस वक्त भी लाखों बीघा जमीन बंजर पड़ी हुई है। वह सरकार की अलाटमैन्ट की गलत नीति के कारण बंजर पड़ी हुई है। अगर सरकार सही ढंग से, भूमिहीन काश्तकारों को भूमि दे, तो लाखों मन ज्यादा अन्न पैदा हो सकता है। लेकिन सरकार की नीति तो यह है कि जमीनों को बेच कर पैसा खड़ा किया जाय। एक तरफ तो व्यापारिक दृष्टि से पैसा कमाने की नीति सरकार रखती है और दूसरी तरफ अन्न उत्पादन की तरफ कतई ध्यान नहीं देती है। जिस तरह से

(श्री रामचन्द्र आर्य)

गंगानगर जिले के अन्दर राजस्थान नहर आई है और उस इलाके में हजारों की तादाद में काश्तकार भूमिहीन मारे मारे फिरते हैं। उनका पेट नहीं भरता है और काश्त करने के लिए उनके पास जमीन नहीं है और दूसरी तरफ राजस्थान सरकार उस जमीन को बोली लगा कर बेचती है और जो बंजर भूमि होती है उसको कोई भी काश्तकार लेने को तैयार नहीं होता है। इसका कारण यह है कि साल भर के बाद में उस जमीन का दुबारा नीलाम किया जाता है। नीलाम करने की सूरत में कौन ऐसा होगा जो तोतोड जमीन को एक साल के लिए काबिल काश्त बनाएगा और उसमें अनाज पैदा करेगा और फिर उस काबिल काश्त जमीन को दूसरे को नीलाम कर दिया जावेगा। तो इस किस्म की गलत नीतियों का कारण इस राज्य की सरकार खाद्य नीति में असफल रही है। मैं कोई सरकार की बुराई नहीं करता हूं लेकिन मैं तो इस भावना से कहता हूं कि नीतियों को सही ढंग से अमल में लाया जाय तो राज्य के अन्दर अन्न की कमी नहीं रहेगी। लेकिन सरकार तो अपनी वही पुरानी, घिसी पिटी नीतियां लेकर आगे चलना चाहती है। जो माननीय सदस्य विरोधी पक्ष की तरफ आवाजें कसते हैं कि इनका काम तो बुराई करना ही है तो ऐसी बात नहीं है। बुराई करने का हमारा काम नहीं है। जो आप बुरा काम करते हैं उसके लिये हमारी तरफ से आपकी बुराई होती है।

हम तो सिर्फ आपकी खाद्यान्न नीति के बारे में कहते हैं ताकि आप ठीक तरह से चल सके। आपकी अगर यही नीति रहती है तो वह दिन दूर नहीं जब हमें भूखों मरना पड़ेगा। इस राजस्थान के अन्दर अकाल क्षेत्रों पर लेवी लगाई गई है। आप इस लेवी को ले लीजिए। हम लेवी के बतई खिलाफ नहीं हैं, मैं कहता हूं कि लेवी वसूल होनी चाहिए। लेकिन लेवी वसूली का कोई सिद्धान्त होना चाहिए, इसका कोई आधार होना चाहिए। इसके अन्दर काश्तकार के खर्चे का कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। और मनमाने ढंग से गेहूं के भाव दर्ज कर दिये गए हैं। काश्तकार को अनाज ले जाने के लिए आठ दस मील तक जाना पड़ता है और उसका कोई किराया नहीं दिया जाता है और इस किस्म के खर्चों का कोई प्रावधान नहीं रखा जावे तो यह कोई अच्छी बात नहीं है। यह बिल्कुल गलत बात है कि सरकार के लेने के बाद दूसरे और देन के बाद दूसरे हों इस प्रकार की नीति सफल नहीं हो सकती। इसलिए हम इस नीति का विरोध करते हैं। यदि आप लोग सही मायने में देखें तो आपकी यह नीति बिल्कुल असफल रही है और आगे चल कर इसके भयंकर परिणाम निकलने वाले हैं। राजस्थान के अन्दर कितने ही लोग ऐसे हैं जो आज बे-रोजगारी की वजह से मारे मारे फिरते हैं और लाखों बीघा जमीन आज बंजड पडी हुई है। अनाज तो आखिर जमीन में ही पैदा होगा, कोई आकाश में तो पैदा नहीं हो सकता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो राजस्थान में भूमि अलाटमैन्ट की व्यवस्था है वह कितनी गलत है। राजस्थान नहर और भाखरा नहर क्षेत्र के अन्दर जो लाखों बीघा जमीन पड़ी हुई है उसकी बोली कराई जाती है। इस प्रकार से एक तरफ तो सरकार यह कहती है कि काश्तकारों को ज्यादा अन्न पैदा करना चाहिए और दूसरी तरफ भूमिहीन काश्तकार बेकार

(श्री रामचन्द्र आर्य)

फिरते रहते हैं और उनको जमीन नहीं मिलती है । इस प्रकार की गलत नीतियों के कारण आज हमारे सामने यह खाद्य समस्या के रूप में परिणाम सामने आए हैं । इस समस्या को हल करना सरकार का फर्ज है और अगर सरकार इस समस्या को हल नहीं कर सकती है तो कोई भी व्यक्ति इस समस्या को हल नहीं कर सकता। यह तो निश्चित बात है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण, वितरण व्यवस्था गलत होने के कारण और सरकार की उत्पादन की गलत नीति होने के कारण आज यह समस्या खडी हुई है । आप यह कहते हैं कि लाखों रुपया आपने पंचायत समितियों के द्वारा छोटे काश्तकार लोगों को वितरित किया है लेकिन फिर भी लाखों लोग भूखों मर रहे हैं । मैं आपको बताता हूं कि मेरी तरफ से एक पंचायत समिति नोहर के अन्दर लाखों रुपयों का घोटाला सामान खरीद में हुआ है । मैंने खुद ने लिख कर दिया था श्री दामोदर लाल जी को जो उस समय पंचायत मंत्री थे लेकिन उन्होंने भी इसे दर गुजर कर दिया था क्योंकि उनके रिश्तेदार बी. डी. ओ. वहां पर बैठे हुए हैं।

पंचायत समिति के अन्दर 1,27,000 रुपये का पेमेन्ट रुका हुआ पडा है। सामान जो खरीदा गया है उसमें 53 फर्स्टएड बाक्स हैं । उनकी कीमत जब कि बाजार भाव 30 रुपया है एक बाक्स की और उसका पेमेन्ट 380 रुपये फी बक्स का हुआ है। इस प्रकार का गबन किया गया है पंचायत समितियों में। इस सरकार की गलत नीति के कारण। सारे के सारे सरकारी रुपये का खुल्ला दुरुपयोग होता है । इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और दूसरी तरफ काश्तकारों से लेवी वसूल करते हैं। उसका हमारी तरफ से विरोध किया जाता है तो कहते हैं कि विरोध पक्ष तो सिर्फ विरोध ही करना चाहते हैं और नीति के बारे में सुझाव नहीं देना चाहते हैं। सुझाव किस को दें सुझाव उसको दिया जाता है जो कि अच्छी तरह से सुनता हो । जो अन-सुनी करें उनको सुझाव देना या नहीं देना एक बराबर है ।

आज दो दिन से खाद्य समस्या पर बहस हो रही है और उसके दरमियान में कांग्रेसी सदस्य भी बोले हैं और ये वाक्य हमारे सामने आये हैं कि विरोधी पक्ष गलत कहते हैं लेकिन हमारी कांग्रेस की खाद्य नीति सफल हुई है, लेकिन मैं कहता हूं कि आपकी नीति सफल हुई है या नहीं इसका परिणाम आगे आयेगा तब मालूम होगा। आप खुद बखुद इस कुर्सी को छोड़ कर जायेंगे, क्योंकि जनता-जनार्दन इसको अब ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर सकती । राजस्थान की दो करोड जनता आपकी जो गलत नीति है इसको दरगुजर नहीं कर सकती ।

लेवी के बारे में मेरा यह विचार है कि लेवी होनी चाहिये, लेकिन लेवी के लिए कोई टाइम पहले मुकर्रर होना चाहिये था वह टाइम था आज से एक महीने पहले जब कि लेवी वसूल होनी चाहिये थी। अभी तक तो लिस्टें ही बन रही हैं, और लिस्टों के बारे में मैं आपको बतलाऊं कि गंगानगर से वह

(श्री रामचन्द्र आर्य)

लिस्ट प्रकाशित हुई है उनमें गलत आंकडे दिये गये हैं। उसमें हिसाब गलत लगाया गया है। इससे भ्रष्टाचार फैलेगा। क्योंकि तीन एकड़ जमीन के पीछे 15 किलो का प्रावधान रखा है तो तीन एकड का मतलब 5 बीघा और 5 बीघा जमीन में इस लिस्ट के मुताबिक 50 किलोग्राम लेवी वसूल करेंगे। इस लिस्ट में कितनी बडी भारी गलतियां हैं और उसमें आप गलत ढंग से वसूली करेंगे और वसूली भी उस वक्त करेंगे जब कि काश्तकार के पास एक किलो अनाज भी नहीं रहेगा और उससे कहेंगे अनाज लाओ तो वह बाजार से खरीद कर जमा करायेगा। इसका प्रभाव उलटा आप पर ही पडने वाला है। हमारी तरफ से आप जितना भी चाहें जुल्म करें इसका नतीजा आपको ही भुगतना पडेगा। इसमें हमारा कोई दोष नहीं होगा। गलत काम आप करेंगे तो भुगतना भी आपको ही पडेगा। आपको हम लोग सही बात कहते हैं। इस पर आप कहते हैं कि गलत सुझाव देते हैं तो म प्रमाण के साथ आपको कहता हूं कि हमारी नोहर तहसील में कोई नहर ऐसी नहीं है जिसके अन्दर 6 मासी पानी लगता हो। भाखरा नहर बरसात में महीने में पन्द्रह दिन चलती है और राजस्थान कैनाल 6 मासी नहर है। उसमें कभी गेहूं में पानी नहीं लगता है, उस इलाके में भी गेहूं की वसूली की जा रही है। इस प्रकार से वसूली करेंगे तो काश्तकारों के साथ अन्याय होगा, और आपकी नीति इसी कारण असफल हो रही है।

आप लोगों ने लेवी की लिस्ट बनाई है मगर लेवी किस प्रकार से वसूल होगी लेवी लेने के कोई आधार तो होने चाहिये? 10 जिले अपने मनमाने ढंग से चुन लिये। जिन इलाकों को माननीय मुख्य मन्त्री महोदय से पूर्ण सहयोग रहा है उन इलाकों को छोड दिया गया है, लेकिन हमारे गंगानगर इलाके के जो एम. एल. ए. उन बैंचों पर बैठे हुए हैं वे मुंह पर पट्टी बान्धे हुए हैं। उनका मुंह इस नीति के विरोध में नहीं खुलने वाला है। वे डरते हैं कि कहीं विरोध करेंगे तो हमें कांग्रेस से निकाल देंगे। और मेरे साथी मूलचन्दजी डागा ने कहा है कि यह विरोधी गलत बातें कहते हैं और हमारी नीति सही है। यह सारी बातें ऐसी लगती हैं कि कांग्रेस के सिवाय दूसरी पार्टी ऐसी नहीं है जिसके द्वारा राज्य चलाया जा सके। लेकिन यह तो महज आपका भ्रम मात्र ही है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो मैं ज्यादा समय न लेकर अपने भाषण को इन शब्दों में के साथ समाप्त करता हूं कि लेवी नहीं लगाई जावे।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत !

श्री रामचन्द्र आर्य: लेवी के मामले में··

श्री उपाध्यक्ष: आपका समय हो गया है इसलिये आप स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य: इस लेवी के कानून को कैन्सिल करना चाहिये। यह काश्तकारों के लिए कलंक है। न यह काश्तकारों के लिए ए [illegible] है और न उपभोक्ता के लिए और न लेवी इस कानून के द्वारा वसूल होगी··

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि··

श्री उपाध्यक्ष : आप अपना स्थान ग्रहण करें। (फिर भी बोलते रहने पर) अब आपको आदेश दे दिया गया है तो आपको पालन करना चाहिये।

श्री रामचन्द्र आर्य : कोई बात नहीं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत!

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूणवत (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, हम हर साल इस सदन में इकट्ठा होते हैं और खाद्य-नीति पर बहस होतीह। उत्तर होते हैं और प्रत्युत्तर होते हैं। मन्त्रीजी अपना लंबा-चौड़ा भाषण देते हैं। न जाने कितने कायदे बनाये जाते हैं। न जाने कितने कायदे राज-पत्र में शाया होते हैं और फिर मिटाये जाते हैं। मैं सोचती हूं कि एक ट्रक भरकर कागज काले किये जाते हैं। न जाने कितनी बातें होती हैं, लेकिन आज हम वहीं हैं जहां कल थे, बल्कि यों कहा जाय कि ज्यों ज्यों इलाज किया गया त्यों त्यों मर्ज बढ़ता गया। आज हमारी स्थिति उतनी ही खराब हो रही है, बल्कि मैं तो यह सोचती हूं कि दिन प्रति दिन खराब होती जा रही है। इस बारे में मैं खाद्य मन्त्रीजी से दो-चार सवाल सीधे और स्पष्ट करना चाहती हूं।

मैं उनसे यह पूछना चाहती हूं कि आज कल हमारे राज्य को केन्द्र से बाहर से आये हुए अनाज का कोटा दिया जाता है तो क्या वह कोटा राजस्थान राज्य का बराबर हमको मिलता रहा है? मैं कह सकती हूं कि नहीं मिलता रहा है। इस महीने में केवल 24 हजार टन प्राप्त हुआ है जब कि हमें इससे कहीं ज्यादा मिलना चाहिये था। यह आज के महीने की ही हालत नहीं है, लेकिन हमको बराबर जितना कोटा मिलना चाहिये था उतना नहीं मिला है। मैं मन्त्रीजी से पूछना चाहती हूं कि उसे प्राप्त करने के लिये आपने क्या क्या कोशिशें कीं? अगर कोशिशें कीं तो उनका असर क्या हुआ? यह मैं मानती हूं कि इस बार सदन में हमारे कुछ उधर विराजने वाले माननीय सदस्यों ने जो बातें बताई हैं वे राजनैतिक रंग लिये हुए हुई थीं कि केवल चुनाव के लिये अकाल घोषित किये गये। मैं मानती हूं कि कि इसका असर केन्द्र पर बुरा पड़ा है और केन्द्र वाले सोचेंगे कि वाकई राजस्थान में इतना अकाल नहीं है। जब कि बिहार के लोगों ने वहां की सारी पार्टियों ने मिल कर अनाज प्राप्त करने के लिये वहां की अकाल की विभीषिका का सच्चा चित्र दिया तो केन्द्र से उनको बराबर कोटा मिला और उससे भी ज्यादा मिला। इसलिये मैं कहती हूं कि विरोधी पक्ष वाले चाहे जितना प्रचार करें लेकिन आपका तो फर्ज यह था कि हमारा कोटा लेकर आते यह कह कर कि हमारे राज्य में भयंकर दुष्काल है और सारी परिस्थिति के सामने केन्द्र के सामने रखी जाती। आप कृपया मुझे इसका उत्तर देने का कष्ट करें।

दूसरा सवाल मैं आपसे यह पूछना चाहती हूं कि जब हमारे राज्य के अन्दर अन्न की इतनी कमी है कि आज राशन भी पूरा नहीं मिलता है और खरीदने पर अनाज उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन आप और हम आज देख रहे हैं कि शादियों की बाढ आगई है उनमें कितना खर्चा हो रहा है यह कोई आपसे छिपा हुआ नहीं है। आज हजारों आदमी शादियों में खाना खा रहे हैं और बुरी तरह से अन्न का दुरुपयोग हो रहा है। यह कैसे हो रहा है?

श्री मदनसिंह (दातारामगढ): गवर्नर महोदय के यहां भी पार्टी है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत: आपका भी मैं उत्तर दे दूंगी। आप बिराजिये। जब आपका यह नियम है कि शादियों में 100 व्यक्तियों से ज्यादा व्यक्ति भोजन नहीं करेंगे तो इस पर आप एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? गांवों में औसर वगैरह होते हैं तो हम देखते हैं कि 50 मण गुड गाला जाता है। लेकिन देखने की बात यह है कि क्या इसके ऊपर किसी ने एक्शन लिया है? किसी ने ऐसी शादियों को टोका है? इन शादियों में शामिल होते हैं अधिकारी गण, मन्त्री गण। मन्त्रियों से भी ऊपर मैं विधायकों को समझती हूं वे भी इन शादियों में सम्मिलित होते हैं बाहें चढा चढा कर जीमने चले जाते हैं।

एक तरफ तो हमने कानून बना रखा है कि सौ व्यक्तियों से अधिक का जीमण नहीं कर सकते लेकिन दूसरी तरफ हजारों व्यक्तियों के भोज होते हैं उनको रोकना दर किनार रहा, आज हमारे में इतनी क्षमता नहीं उसको रुकवाएं बल्कि उसमें जाकर जीमने को सम्मिलित हो जाते हैं। यह किसकी जवाबदारी है? यह हम सब की जिम्मेदारी है चाहे इधर बैठने वाले हों चाहे उधर बैठने वाले मैं आप सज्जनों से पूछना चाहती हूं आज हमारा फर्ज होजाता है, अकाल का वक्त है ऐसी हालत में अनाज के एक एक दाने को संभालकर रखा जाय।

अभी कहा गया कि गवर्नर महोदय ने आज भोज का आयोजन किया है, मैं यह समझती हूं कि वहां नोन सिरियल्स पदार्थ होंगे और मैं यह भी कह सकती हूं कानून से ज्यादा व्यक्तियों को पार्टी में आमन्त्रित नहीं किया होगा। अगर वहां नोन सिरियल्स का प्रयोजन नहीं होता है तो आपका और हमारा यह फर्ज हो जाता है कि हम कल यहां पर सवाल उठायें और यह जानकारी सरकार से लें कि ऐसा क्यों हुआ?

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्ट सवाल माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहती हूं कि हमारे यहां जितने अन्न की कमी बताई जा रही है वास्तव में उतनी कमी है भी या नहीं। क्योंकि एक तरफ तो एक एक दाना तोल तोल कर दिया जाता है और दूसरी तरफ हजारों आदमियों का भोज होता है इससे हमें सन्देह होता है कि वास्तव में अनाज की कमी है या नहीं? आप जानते हैं, आपके अधिकारी जानते हैं, सारा सदन जानता है कि अनाज के जखीरे पड़े हुए हैं। दुकानें भरी हुई हैं, गोदाम भरे हुए हैं, व्यापारियों ने किसान के यहां इकट्ठा कर रखा है किसी के यहां दस क्विन्टल तो किसी के यहां बीस क्विन्टल डाल रखा है यह आपसे या आपके अधिकारियों से छिपा नहीं है आपने इस प्रकार जिन्होंने होर्डिंग कर रखा है उनमें से किसको पकडा है और किसको सजा दी है? पहली बात तो आप बडी मुश्किल से कभी कभी तो रेड करते हैं, किस्मत से यदि कहीं माल मिल जाय तो आपका कानून ऐसा कमजोर है कि अधिकारी गण उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। और अगर किसी ने कदम उठा भी लिया तो रिश्वत का बाजार गर्म हो जाता है उससे उसका कुछ नहीं बिगड पाता। अगर कहीं रिश्वत से काम नहीं चलता है, किसी बडे सेठ को पकड लिया तो बडे बडे लीडर मन्त्रीजी के पास पहुंच जाते हैं सिफारिश लेकर, मन्त्रीजी को दबाते हैं जिससे वे छोड देते हैं। कोटा के जम्बू कुमार जी का मामला आया, उन पर केस चलाया गया लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस तरह से किसी के दबाव में आकर इस तरह का अपराध करने वाले को छोड दिया जाता है तो उसका असर नहीं

(श्री लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

पड़ता। आपको ऐसे मामलों में कितने ही बड़े मुखियाजी आ जायं उनकी बात को नहीं माननी चाहिये।

आपने लेवी के जो भाव निर्धारित किये हैं वे बहुत कम हैं उन को बढाया जावे।

दूसरा जो पटवारी लेवी वसूल करते हैं उनसे किसान का हेरेसमेन्ट होता है और करप्शन भी बढ़ता है। अब क्या होगा कि पटवारी किसी की दो एकड़ भूमि होगी तो उसको तीन कर देगा और किसी की तीन होगी तो दो कर देगा। आज असल में गांव में पटवारी के हाथ में मिनिस्टर का डंडा रहता है उसके लिये आप क्या करेंगे? अगर आप चाहते हैं कि इस सब के बारे में कोई ठोस कदम उठाया जाय तो उसके लिये एक तरीका है। वह तरीका यह है कि स्टेट ट्रेडिंग करें इसके अलावा और कोई रास्ता है। सरकार इसी प्रकार का कदम उठाकर कार्य करे तभी यह टिक सकेगी। यह अन्न का सवाल है। खाने का सवाल है। आप मनुष्य की जिन्दगी के साथ इस प्रकार का खिलवाड न करें, आप इत्मीनान के साथ, ताकत के साथ हकूमत करें ताकत के साथ कानून बनावें और ताकत के साथ ही उनका पालन करवायें तभी जाकर यह समस्या हल हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जसराज।

श्री जसराज (भिनाय) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस खाद्य समस्या पर बहुत कुछ चर्चा हो चुकी है। इसके कारणों पर प्रकाश डाला गया है उस पर कुछ सुझाव भी दिये गये हैं। मैं भी सदन में संक्षेप में कारण बताकर सुझावों पर चला आऊंगा। आज हमें खास तौर से उत्पादन और वितरण पर ध्यान देना चाहिये। इन दोनों क्षेत्रों में सरकार की दोषपूर्ण प्रणाली रही है। इनकी इसी नीति के कारण यह सरकार इन दोनों क्षेत्रों में बुरी तरह से असफल हुई है।

जहां तक उत्पादन का सवाल है उसको अगर हम देखें तो आंकड़ों के आधार पर उत्पादन में थोडी बहुत वृद्धि हुई है। यह भी बताया गया कि हमारी जो काश्त के लिये जमीन थी उसमें भी वृद्धि हुई है। लेकिन जितनी भी जमीन काश्त के लिये अलॉट की गई है उसमें से 65 प्रतिशत जमीन ऐसी अलॉट की गई है जो बिल्कुल काश्त के काबिल नहीं है। इस पर भी आपके नियम इस प्रकार के हैं कि उस जमीन में कुआ बनाकर इम्प्रूवमेन्ट के लिये ऋण लेना चाहे तो तो दस साल तक ऋण नहीं ले सकता। ऐसी जमीन में वृद्धि करके कोई फायदा नहीं हुआ। पांच परसेन्ट जमीन को ऑपरेटिव फार्मिंग को दी है, जैसा कि सारा सदन जानता है। कृषि मन्त्री और सहकारिता मन्त्री भी आप हैं। आप भी यह जानते हैं कि कृषि सहकार कितनी बुरी तरह से फेल हुआ है। पांच प्रतिशत भूमि का भी सदुपयोग नहीं कर पाये हैं। 15 प्रतिशत भूमि ऐसे लोगों को दी गई है, जिनकी किसी पीढी ने न कभी काश्त की है और न आने वाली पीढी करेगी। उन लोगों को भूमि देने के बाद में, मैं समझता हूं, उससे किसी प्रकार का फायदा होने वाला नहीं है ऐसी मेरी मान्यता है।

हमने जितने भी जंगल हैं उनका सफाया कर दिया। अब आप कहते हैं कि जहां भी

(श्री जसराज)
खाली जमीन हो उस पर सब्जी पैदा की जानी चाहिये। लेकिन जिन किसानों ने ऐसी खाली पड़ी हुई जमीन पर काश्त करने की कोशिश की है उसको जुर्म करार दिया गया है। उन पर 91 दफा की तहत मुकदमा चलाया है। देश में अनाज की समस्या है, हर किसान जहां ज्यादा पैदावार करने की कोशिश करता है तो उसको आप जुर्म करार देकर उस पर दफा 91 के तहत कार्यवाही करने की सोचते हैं। उसने पड़त जमीन पर काश्त कर देश की सेवा की है आज उसको जुर्म करार दिया जाता है।

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने चुनाव के दौरान यह आश्वासन दिया था कि जिन काश्तकारों पर 91 के मुकदमें हैं उनको रेगुलेराइज (Regularies) करवा दिया जायगा जिन पर कि उनका कब्जा सन् 65 तक का है। चुनाव के समय इस प्रकार के आदेश भी निकाले गये कि 30 जून तक दफा 91 के मुकदमें स्थगित कर दिये जांय। चुनाव के बाद में अन्य आदेश निकले हैं उनके अनुसार 30 अप्रेल के बाद दफा 91 के तहत मुकदमें पुनः चलाये जाय। इस प्रकार से एक तरफ अनाज की समस्या है दूसरी तरफ जो इसको पूर्ण करने का प्रयास करता है उन पर हम मुकदमा चलाने की बातें करते हैं। इसके साथ साथ मैं एक और निवेदन कर दूं कि आप क्योंकि सहकारी मन्त्री हैं और आप पिछली दफा भी सहकारी मन्त्री थे, इसलिये आपको निवेदन कर दूं कि सहकारी समितियों को क्या समय के ऊपर ऋण उपलब्ध होता है यह आप स्वयं सोचियेगा। क्या उनको खाद और बीज समय पर मिलता है? यह आप स्वयं सोचियगा। फूड ग्रेन्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपने यह प्रावधान रखा है कि सहकारी समितियों के माध्यम से फूड ग्रेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो, जिससे फेअर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। परन्तु आपने दूसरी तरफ फेयर प्राइस शाप्स चालू कर रखी हैं और साथ ही आपने को-ऑपरेटिव सोसाइटीज भी चला रखी हैं। मैं उदाहरण के लिए कहना चाहता हूं कि को-आपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज को आपने अनाज का व्यापार करने का अधिकार तो दे दिया लेकिन उनको आपने कोई सुविधा नहीं दी। न तो आपने उनको अच्छा मार्जिन दिया है और नही उनको कोई फैसिलिटीज दी हैं। उसके बाद में उनको यदि हानि होती है तो वह आपको इन गलत नीतियों के कारण ही होती है। जहां हम यह चाहते थे कि यह सहकारिता का कदम आगे बढ़े और इसके माध्यम से हम कीमतों को बढ़ने से रोक सकें वहां हम देखते हैं कि कीमतें रुक नहीं रहीं हैं और साथ ही यह भी देख रहे हैं कि को-आपरेटिव मूवमेंट फैल हो रहा है। इसी तरह हम आज भी देख रहे हैं कि कोआँपरेटिव मूवमेंट ठीक प्रकार नहीं चल रहा है। आप एक तरफ तो कहते हैं कि आप समाजवाद लावेंगे, आप सहकारिता के द्वारा समाजवाद लायेंगे लेकिन दूसरी तरफ आप कोआपरेटिव को किसी प्रकार की कोई फैसेलिटीज देते नहीं हैं। आपका इसलिये को-ऑपरेटिव मूवमेन्ट को चलने का केवल नारा है। और आज जो कैपिटलिस्ट्स हैं उनको हजारों तरह की फैसिलिटीज देने को तैयार होजाते हैं। इसलिये आज जो अनाज की समस्या है, जो वितरण की समस्या है, जो उत्पादन की समस्या है इन सब समस्याओं को आप ठीक रूप से सम्भालिये तब तो इस देश की यह समस्यायें हल हो सकेंगी।

(श्री जसराज)

इसके साथ ही मैं निवेदन करदूं कि आज किसान को पानी की बहुत आवश्यकता है। उसको खाद की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह खाद तो स्वयं किसी तरह से जुटा सकता है। इसलिये आप कुओं को गहरा करवाइये महरबानी करके। इसके साथ ही आप तालाबों को भी गहरा करवाइये। आप काश्तकारों से पैसा वसूल करते हैं, उनसे आप लगान वसूल करते हैं, उनसे आप पिलाई वसूल करते हैं लेकिन आप तालाबों को गहरा कराने का बिल्कुल प्रयास नहीं करते हैं। मैं आपको अर्ज करदूं कि पचास एकड तक सिंचाई कर सकने वाले तालाब हैं उनको पंचायतों को दे दिया गया है। इसके सम्बन्ध में 1957 में आदेश हो गये थे लेकिन उनको आज तक इम्प्लीमेन्ट नहीं किया गया है। अगर वह तालाब पंचायत को मिल जाते तो पंचायत उनको सुधारने का, गहरा करने का और उनमें से मिट्टी निकालने का प्रयास करतीं। लेकिन न तो आदेश को इम्प्लीमेन्ट किया गया, न उनको पैसा दिया गया और ऐसे आदेश होते हुए भी राज्य सरकार का राजस्व विभाग आज भी वसूल करता है पिलाई का पैसा। इस प्रकार की जो आपकी नीतियां हैं वह सारी की सारी गलत हैं। एक तरफ आप प्रोक्योरमेन्ट की बात करते हैं किन्तु आप फिर समय पर प्रोक्योरमेन्ट कर पाते नहीं हैं और बाजारों में जिस वक्त जाने की आवश्यकता होती है वहां उस समय आप पहुंचते नहीं हैं। इसके बाद में एक व्यापारी की तरह, आप व्यापारी बन कर आते हैं और कम कीमत पर अनाज खरीदते हैं और ज्यादा कीमत पर उसको बेचने का प्रयास करते हैं। यह यदि शोषण नहीं है तो फिर क्या है? एक तरफ आप शोषण विहीन राज्य का निर्माण करना चाहते हैं लेकिन दूसरी तरफ आप इस प्रकार से शोषण करते हैं। आप लेवी वसूल करना चाहते हैं उसमें आप 65-70 के भाव से खरीदना चाहते हैं और बेचने के वक्त ज्यादा कीमत पर बेचते हैं। आप शायद यह विश्वास करके चलते हैं कि आपने किसानों का भला किया है। लेकिन आप स्वयं किसान हैं, आप सोचिये कि आपने कितना भला किसानों का किया है। आप किसान हैं, आप नवयुवक हैं और इसके अलावा आपके अन्दर जोश भी है-इसलिये आपको किसानों का प्रतिनिधि समझते हुए मैं निवेदन करूंगा कि आप खाद्य समस्या को हल करने के लिये अपनी पूरी ताकत लगा दीजिये। को-ऑपरेटिव मूवमेन्ट को आप पूरी तरह से सम्भालिये, उनको समय पर ऋण उपलब्ध करवाइये, उनको सारी फैसेलिटीज समय पर दिलवाइये तब तो समस्या हल हो सकेगी।

एक और अर्ज मैं आपको कर दूं कि राजस्थान के कल्टीवेटर्स के ऊपर टैक्सों का भार बहुत ज्यादा है। ऐसे जो 68 प्रतिशत कल्टीवेटर्स हैं जिनके पास में 1.26 एकड़ जमीन है उनके ऊपर टैक्स का भार 4.244 रुपया है जब कि चार प्रतिशत आपके कल्टीवेटर्स ऐसे हैं जिनके पास भूमि 3.32 एकड़ है और उनके ऊपर 3.24 रुपया टैक्स का भार है। इस प्रकार जिनके पास ज्यादा भूमि है, जो बहुत ज्यादा धनाढ्य हैं उन किसानों के ऊपर टैक्स कम है। ऐसी स्थिति में आप लेवी वसूल करेंगे तो कर का भार गरीब किसान के ऊपर ही ज्यादा पड़ेगा। ऐसे किसानों को उससे फायदा नहीं होगा।

(श्री जसराज)
इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की जो आपकी गलत नीतियां हैं, इनके कारण आप देश को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं और देश के अन्दर भुखमरी फैली हुई है ऐसी नीतियों से आपको बचना होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री आइदान सिंह!

श्री आइदान सिंह (भीनमाल) : उपाध्यक्ष महोदय, कल से बहस चल रही है उसमें हर बार यह बताया गया कि हमारे राजस्थान में अकाल पड़ा और पानी की कमी रही। मैं आपको अपना एक सुझाव देना चाहता हूं। हमारे यहां बहुत पानी है लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसके लिए सन् 1951 से एक स्कीम बन रही थी, स्कीम बनी भी थी लेकिन उसके ऊपर कोई अमल नहीं किया गया और यह कहा गया कि हमारे पास पैसा नहीं है। वह स्कीम ट्यूब वैल्स बनाने की थी। अगर उसके लिए पैसा इधर उधर से छीन कर ट्यूब वैल्स बनाने में लगा देते तो हो सकता था कि 1957 से लगा कर आज तक इस समस्या को कन्ट्रोल में ला सकते थे। आज भी जालौर जिले में इतना सरप्लस पानी है कि अगर हमारी सरकार उस पानी को जमीन से निकाल कर इस्तेमाल नहीं करेगी तो वाटर लोगिंग के कारण सारा इलाका बरबाद हो जायगा। इसके बारे में मैं आपको और बताऊं कि यह स्कीम 1957 में बनी। उसके बादमें 1963 में फिर एक दफा उठाई गई। फिर 1964 में इस समस्या से बचने के लिये 200 ट्यूब वैल्स जालौर जिले में खोदने के लिए स्कीम बनाई गई। जालौर जिले का कुल रकबा दस हजार स्क्वायर माइल है और उसमें से सिंचित एरिया है 2.22 लाख एकड। उसमें से सिर्फ पानी मिलता है आज 10 परसेन्ट एरिया को। जब कि हमारे पास इतना सरप्लस पानी है कि काफी एरिया को पानी मिल सकता है। लेकिन इस खाद्य नीति की सफलता न होने की यह एक बडी भारी वजह है कि उस पानी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इसलिये मैं सदन का ज्यादा समय न लेकर एक ही सुझाव दूंगा कि जालौर में जितना जो पानी है उसे सरकार इस्तेमाल करने के लिए स्कीम बनाये और इस खाद्य समस्या को दूर करे।

दूसरी बात मैं लेवी के बारे में यह कहना चाहता हूं कि अब समय बहुत हो गया है और लोगों के पास में अनाज है नहीं। इसके अलावा जो भाव आपने निर्धारित किये हैं वह भी बहुत थोडे हैं। इसलिये इस साल यह लेवी नहीं ली जाय। और अगर लेवी लेने का सरकार द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है उसके अनुसार लेना जरूरी है तो जिनके पास में ज्यादा जमीन है उनसे ही लेवी ली जाय मैं सदन का अधिक समय न लेकर सुझाव रखता हूं कि जालौर में पानी ज्यादा है और उसके कारण वाटर लोगिंग हो रहा है, यह इसके इलाके को बरबाद करेगा, इसलिये उस पानी को इस्तेमाल में ले लिया जाय और उससे इस खाद्य समस्या को हल किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कृषि मन्त्री अब जवाब देंगे।

श्री श्रवणलाल : माननीय उपाध्यक्ष, मुझे पहले समय नहीं मिला था। दो दिन से बार बार खड़े होने पर भी मुझे आज भी समय नहीं मिला है। मैं निवेदन करता हूं कि मुझे करीब 10 मिनट का समय दे दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : समय खत्म हो गया है इसलिए माननीय कृषि मंत्री बोलेंगे।

श्री श्रवणलाल : यह ठीक है, इससे पहले भी जो विधान सभा का सैशन चला था उस समय भी मैं कई बार यह आशा लेकर खड़ा हुआ था कि समय दिया जायगा। लेकिन उस समय भी मुझे समय नहीं दिया गया। मैं निवेदन करता हूं कि मुझे अधिक नहीं केवल दस मिनट का समय दे दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: सैशन लम्बा चलेगा। बोलने के काफी मौके आयेंगे।

श्री श्रवणलाल: यह ठीक है। लेकिन हमारे जिले का सवाल है। उस जिले के लिए एक भी वर्ड किसी ने नहीं कहा है। इसलिए ज्यादा नहीं मुझे केवल दस मिनट का समय दिया जाय।

श्री मदन सिंह : उपाध्यक्ष महोदय का ना यह है कि इनसे काम होगा नहीं सलिए आपको समय काफी मिलेगा।

श्री परसराम मदेरणा (खाद्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया था फूड स्थिति के सम्बन्ध में, उस पर बहस में माननीय सदस्यों ने, करीब करीब 20 माननीय सदस्यों ने दो दिन में भाग लिया है। माननीय सदस्यों की तरफ से बहुत से सुझाव प्रस्तुत हुए हैं। उन सुझाओं पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रियायें हैं मैं बाद में उनका जवाब दूंगा। लेकिन शुरूआत में मैं यह निवेदन करूंगा, जैसा कि भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि जो कोई भी केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का खाद्य मंत्री रहा है उसे चुनाव में पराजय देखनी पड़ी है। और भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने तो मुझे यहां तक चेतावनी दी कि यदि मैं भी उन पहली पद्धतियों और उन मार्गों पर चलता रहा जो सरकार की नीति खाद्य के सम्बन्ध में रही है तो शायद मुझे भी वही फेट मीट करना पड़े।

(4 म. प.)

जिस वक्त मुझे यह विभाग सौंपा गया था, मैं निश्चित तौर से यह मानता हूं कि यह टिकलिश महकमा है और इसके साथ साथ यह भी जानता हूं कि जो कुछ भी अन्जाम मुझे भुगतने पड़ेंगे उनको मैं अपने कर्तव्यों को निभाते हुए करूंगा। जैसा मैंने कल निवेदन किया था कि खाद्य का मामला कोई राजस्थान का मामला नहीं है और न मैं इस सदन में कोई लम्बे चौड़े आंकड़े रखना चाहूंगा। जब कभी फूड पर डिबेट होती है उस समय राज्य सरकार की तरफ से खेती के उत्पादन के संबंध में और दूसरे जो भी आंकड़े दिये जाते हैं तो माननीय सदस्य उन पर विश्वास नहीं करते इसलिये मैं आंकड़ों के जन्जाल में न पड़ कर मैं अपना भाषण संक्षेप में ही दूंगा क्योंकि कहा जाता

(श्री परसराम मदेरणा)

हैं कि फूड मिनिस्टर एक लम्बा चौडा भाषण देते हैं और करने धरने को कुछ नहीं। इस लिये मेरा भाषण संक्षेप में होगा क्योंकि मुझे काम करना है लम्बा चौडा भाषण नहीं देना है। मैं अपना भाषण 15 मिनट में ही खत्म कर दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा जाता है कि जो कांग्रेस की नीति रही है उसके कारण फूड ग्रेन्स की कीमतों को कन्ट्रोल करने में सरकार असफल रही है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि भावों में जो बढोतरी हुई है वह केवल खाद्यान्नों की कीमतों में ही बढोतरी नहीं हुई है। आप देखिये कि इण्डस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो खेती के धन्धों से नहीं हैं कल कारखानों से जिनका प्रोडक्शन होता है उन चीजों के भाव भी आज बहुत ज्यादा बढे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि केवल खाद्यान्नों के भाव ही नहीं बढे हैं। यह मैं कुछ नहीं कह रहा हूं यह कल के हिन्दुस्तान के डाक एडिशन में आया है उसमें इकोनोमिक सर्वे की रिपोर्ट निकली है उसमें यह दिया है कि पिछले तीन सालों में राज्य सरकारों के द्वारा ओवर ड्राफ्ट करने और हिन्दुस्तान के लगातार कुछ हिस्सों में अकाल पडने की वजह से व आज हमारे फोरिन एक्सचेंज और एक्सपोर्ट अर्निग की पोजीशन जो हुई है उसकी वजह से इनफ्लेशनरी टेन्डेन्सीज बढी है और फूड की स्थिति पर इसका भार पडा है। मगर फूड की स्थिति पर ही इसका भार बढा हो और कीमतें बढी हों यह कहना कतई तौर से गलत है। आज फूड व सभी होल सेल चीजों के भाव बढे हैं और इसको आपको उनके साथ में व्यू करना होगा।

मैं आपको बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आप मुझसे बहुत ज्यादा उम्मीद रखते होंगे। मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता। आज जो इन्फ्लेशन क्राइसेज है उसको रोकथाम राजस्थान की सरकार और वित्त मंत्री नहीं कर सकते। इसके लिये कोई मेजर कदम उठाने पडेंगे तो वे भारत सरकार को उठाने पडेंगे। यह राजस्थान के खाद्य मन्त्री का मसला नहीं है। इकोनोमिक सर्वे की रिपोर्ट है उसमें उन्होंने प्राइसेज बढने के कारण दिये हैं। मैं ज्यादा आंकडों में पडना पसन्द नहीं करूंगा लेकिन खाद्यान्नों से जो संबंध रखते हैं उनको मैं आपके सामने रखता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, रिजर्व बैंक की इकोनोमिक सर्वे की रिपोर्ट आई है उसमें लिखा है :

"It (The Economic Survey) points out that the economic situation during 1966-67 was over-shadowed by severe drought for the second year in succession. While agricultural output was some what higher than in 1965-66, it was well below the record level of 1964-65."

उन्होंने आगे इस बात को भी कहा है

"Imports of foodgrains had to be substantially increased and it was necessary to intensify procurement and distribution controls, and to take special measures to generate incomes in the areas worst affected by drought. Production actually declined in many industries based on agricultural raw materials and the growth rate of industrial output was rather low."

(श्री परसराम मदेरणा)

फॉरिन एक्सचेंज के कारण जो अनाज हम इम्पोर्ट कर रहे हैं उस पर असर पड़ा है।

मेरे निवेदन करने का मतलब इतना ही था कि भावों में वृद्धि हुई है और इकोनॉमिक रिपोर्ट में भी साफ है :

"The rise of 16.5 per cent, in the wholesale price index over the year was a matter for serious concern as it came in the wake of the increase of 25 per cent, in the preceding two years."

एक माननीय सदस्य : लेवी में भाव बढ़े हैं।

श्री परसराम मदेरणा : आप मेरी बात समझे नहीं हैं। मैं आपकी बात बताऊंगा।

श्री जुझारसिंह : दूसरी चीजों की कीमतें बढ रही हैं तो आप 50 परसेंट ऑफ दी मार्केट वेल्यू पर लेवी लेना चाहते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : लेवी और मार्केट प्राइस ...

श्री नत्थीसिंह : जो तरीका आप प्रस्तुत करते हैं उसके औचित्य को क्या आप स्वीकार करते हैं ?

श्री **परसराम मदेरणा** : आपने मुझे कन्क्ल्यूजन पर नहीं पहुंचने दिया। बीच में ही झपट लिया।

"Despite this concern, and in keeping with the need to increase production, remunerative prices for agricultural produces were recognized to be necessary to stimulate output."

मैं इसको पढ़ रहा हूं। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निवेदन करने का मतलब यह है कि प्राइसेज आज बढ रही हैं धान की, ऐसी बात नहीं है। यह एक विशियस सर्कल है जो दूसरी सभी चीजों के साथ जुड़ा हुआ है और इसको अलग से नहीं रख सकते। आज 15 हजार टन के बाद दूसरी चीजों की वसूली करेंगे मांग की वसूली कर लेंगे। यह कहना कि दूसरी प्राइसेज फूड की प्राइसेज के साथ मिली हैं, यह कहना मेरे लिये संभव नहीं होगा।

(4.08 म.प.)

(श्री अध्यक्ष पदासीन)

इसके लिये भारत सरकार किस प्रकार की पाबन्दी लगाती है और राज्य सरकार भारत सरकार के द्वारा दी गई इन्स्ट्रक्शन्स को किस तरह फॉलो करती है। इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट में यह बात भी कही गई है कि दूसरी स्टेटों को हिदायत दी जावे कि ओवर ड्राफ्ट नहीं हों। इसलिये ऑल इण्डिया कॉन्टेक्स्ट में क्या करना है और क्या नहीं, यह वित्त मंत्री के देखने की बात है। जहां तक राजस्थान का प्रश्न है, जो कुछ लेवी ले रहे हैं इन्टर प्रोक्योरमैन्ट करते हैं। माइलों या व्हीट मिलता है उसको आज हम लेते हैं और सीधे ट्रक में जाते हैं और कन्ज्यूमर के पास पहुंच जाते हैं। इससे राजस्थान में भावों में बड़ा भारी हेर-फेर हो जावे इस तरह का आश्वासन सदन को मैं नहीं देना चाहता। लेकिन एक बात निवेदन करना चाहता हूं जैसा कल निवेदन किया था कि

(श्री परसराम मदेरणा)

फूड की समस्या एक जटिल समस्या है। राजस्थान में कोई इससे प्राइसेज गिर जावेंगी यह संभव नहीं है। दूसरी स्टेटों में जैसे महाराष्ट्र में ज्वार के भावों को छोड़ दीजिये या हरियाणा या पंजाब में गेहूं के भावों को छोड़ दीजिये बाकी सब स्टेट्स में खाद्यान्नों के भाव हैं वे राजस्थान से ज्यादा हैं। यह किसी पार्टी की गवर्नमेंन्ट क्यों न हो उसके बस की बात नहीं है। अगर फूड की सिचुएशन डिफिकल्ट नहीं होती तो जहां पर नोन कांग्रेस सरकारें हैं वे भी मजबूती से लेवी नहीं लगाती। उन्होंने भी लेवी मजबूती से लगाई है। मार्केट भाव के साथ साथ प्रोडक्शन प्राइसेज और हैं। कोई भी गवर्नमेंन्ट जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंन्ट हो, पसन्द नहीं करेगी ...

लेकिन अगर ऐसे हालात हैं, जैसा कि मैंने शुरू में निवेदन किया फूड मिनिस्टर को कुछ ऐसी ड्यूटीज अदा करनी पड़ती हैं और इसके साथ ही साथ फाइनेन्स मिनिस्टर को भी ऐसी ड्यूटीज अदा करनी पडती हैं, जो मजबूरी हालत में जिस जगह में बैठा हूं मुझे कन्ज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में बैलेन्स स्थापित करना है और क्योंकि हमें इन दोनों के बीच बैलेन्स स्ट्राइक करना है इसी से हम खाद्य समस्या का टेम्परेरी हल निकालना चाहते हैं। मैंने निवेदन किया कि अभी तो स्टाक बिल्ड करके भावों में ज्यादा हेर फेर नहीं कर सकेंगे लेकिन हम चाहते हैं कि लौंग टर्म पोलिसी है, वह हमारी नहीं भारत सरकार की लौंग टर्म पोलिसी है। पिछले साल भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई थी—फूड ग्रेन कमेटी, 1966—उसने दिसम्बर में रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद माननीय सदस्य रियेलाइज करेंगे कि फूड की सिच्युएशन आज एक अहम समस्या है, और इसे हल करने के लिये एक लम्बी स्कीम बनाकर चलना पड़ेगा।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्थान में लेवी लगाई है उसकी मिकदार दूसरे प्रान्तों में लेवी लगाई है—उत्तर प्रदेश और मध्य-प्रदेश में लेवी लगाई है इसके मुकाबले में जो हमने राजस्थान में लेवी लगाई है उसकी मिकदार उनसे कम है। मध्य प्रदेश से हमारी ग्रेडेड लेवी रेट्स कम हैं। वहां पर मोनोपोली प्रोक्योरमेन्ट किया जा रहा है। मोनोपोली प्रोक्योरमेन्ट में लेवी लेने के बाद किसान के पास सरप्लस अनाज बचा रहता है तो उस बचे हुए अनाज को किसान राज्य सरकार को ही मेग्जिमम प्राइस पर बेच सकता है, मार्केट प्राइस पर नहीं बेच सकता जब कि राजस्थान में हमने यह किया है कि लेवी लेने के बाद किसान के पास जो सरप्लस अनाज बच रहता है उसको वह मार्केट प्राइस पर बेच सकता है। मध्य प्रदेश में इरिगेटेड लैण्ड और अनइरिगेटेड लैण्ड दोनों पर लेवी लगाई है जब कि राजस्थान में केवल इरिगेटेड लैण्ड पर ही लेवी लगाई है। मध्यप्रदेश में एग्जेम्प्शन एक एकड़ से कम पर किया है जब कि राजस्थान में एग्जेम्प्शन दो एकड़ पर किया है। वहां पर अभी एक अखबार की खबर है कि गेहूं के साथ साथ चने पर भी लेवी लगा दी है। अगर चने पर लेवी लगाई है तो मध्यप्रदेश ने गेहूं पर, चने पर और जौ पर लेवी लगाई है, हमने केवल गेहूं पर लेवी लगाई है। उत्तर प्रदेश में इरिगेटेड और अनइरिगेटेड दोनों प्रकार की लैण्ड पर लेवी लगाई है। राजस्थान में जो लेवी लगाई है उसको मध्यप्रदेश के मुकाबले में

(श्री परसराम मदेरणा)
देखें तो वहां पर राजस्थान के मुकाबले दो, तीन, चार एकड़ पर अधिक लेवी लगाई है। आज वैस्ट बंगाल में मोनोपोली प्रोक्योरमेन्ट है, केरल में मोनोपोली प्रोक्योरमेन्ट है··

श्री प्रभीलाल यादव (बहरोड़) : मैं एक बात पूछना चाहता हूं!

श्री अध्यक्ष : भाषण के बाद।

श्री प्रभीलाल यादव : मैं यह पूछना चाहता हूं कि दो तीन एकड़ में जो गेहूं पैदा होता है, उसमें किसान का परिवार खाकर बचत कर सकता है क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य ने जो अभी प्रश्न उठाया है, उसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गेहूं के अलावा किसान कुछ दूसरी काश्त भी करता होगा। दो एकड़ की एग्जेम्प्शन का मतलब है कि दो एकड़ में गेहूं किया है उसका एग्जेम्प्शन किया है, उसके अलावा किसान ने जो भी बोया है, चना भी बोया है, सरसों भी बोई है, तो वह ओपन मार्केट में जो, चना सरसों बेच सकता है। हमने केवल वीट का रखा है और वीट का एरिया रखा है वह सिंचित जमीन का एरिया रखा है।

अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो कुछ लेवी से आज इन्टरनल प्रोक्योरमेन्ट होगा उसके मुकाबले में बहुत अधिक इम्पोर्टेट ग्रेन हम राजस्थान के कन्ज्यूमर्स को दे रहे हैं।

वितरण की व्यवस्था के सम्बन्ध में बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा, उसके सम्बन्ध में मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जितना अनाज हमारे पास है उसका वितरण सही तरीके से हो, यह हमारी नीति है, यह हमारी मंशा है। विरोधी पक्ष के सदस्यों ने फूड समस्या के बारे में कहा कि वितरण ज्यादा तर हो रहा है वह कोओपरेटिव सोसायटीज की ज्यादा चीप ग्रेन शोप्स् हैं उनके जरिये हो रहा है और उन्हें कांग्रेस मैन चलाते हैं और कई प्रकार की गड़बड़िया करते हैं। मैंने इस सम्बन्ध में आंकड़े इकट्ठे करवाये हैं। जो कुछ फेअर प्राइस शोप्स हैं, उनमें से कोओपरेटिव सोसाइटीज की मार्फत जिन फेअर प्राइस शोप्स में अनाज बिकता है उनकी संख्या कुल संख्या के मुकाबले 20 फीसदी है। तो यह कहना कि आज कोओपरेटिव सोसाइटीज के जरिये धान का, माइलो का, जो ग्रेन हम प्रोक्योर करते हैं, उसका वितरण हम कराते हैं यह सही नहीं है।

यह मैं मानता हूं कि वितरण में सुधार होना चाहिये। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने डिस्ट्रीब्यूशन के सम्बन्ध में कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन चाहे ट्रेडर्स के जरिये हो, चाहे गवर्नमेन्ट मशीनरी के जरिये हो चाहे कोओपरेटिव सोसाइटीज के जरिये हो, चाहे चीफ ग्रेन शोप्स के जरिये हो, उसमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिये, ब्लेक मार्केट नहीं होना चाहिये और मुकर्रर भावों के ऊपर उपलब्ध मात्रा में मिलना चाहिये, इसमें दो राय नहीं। लेकिन मैं उसके साथ साथ निवेदन करूंगा कि आज जैसा कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि ट्रेडर्स बेईमानी करते हैं, कोओपरेटिव सोसाइटीज गड़बड़ियां करती हैं, यह कोई एक पार्टी की तरफ से नहीं है। गवर्नमेंट मशीनरी ईमानदार नहीं है तो कोशिश की जायगी कि वह एफिशियेन्टली और ओनेस्टली काम करें—चीप ग्रेन शोप्स

(श्री परसराम मदेरणा)
चलाने वाले ट्रेडर्स गडबडी करते हैं तो मैं नहीं समझता कि एन्फोर्समेंट स्टाफ हर जगह जा कर हर समय चैक कर लेगा क्योंकि 2500 चीप ग्रेन्स की शोप्स हैं। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो कोटा है, इम्पोर्टेड वीट का, इम्पोर्टेड गाइलों का या प्रोक्योर किये गये अनाज का ठीक तरह से वितरण होता है या नहीं, इसको देखने का हर नागरिक का फर्ज है। मैं राजस्थान सरकार की तरफ से आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि डिस्ट्रीब्यूशन में किसी भी प्रकार की गड़बड़ करने वाला चाहे वह एस. पी. हो, चाहे वह एन्फोर्समेंट का ऑफिसर हो, चाहे वह कोई भी प्राइवेट ट्रेडर हो, कोई भी आदमी हो, चाहे कोऑपरेटिव सोसायटी हो, उसे सख्त से सख्त सजा दी जायगी। मैंने पहले ही हिदायत दे रखी है, कलेक्टर्स से कह रखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन में यदि कोई भी किसी प्रकार की गड़बड़ी करता है तो उसको बिना फेवरेटिज्म के सख्त से सख्त सजा दी जाय। जो खाद्यान्नों के मामले में किसी प्रकार की गड़बड़ी करता है वह देश द्रोही है, उसे कभी बर्दाश्त नहीं किया जायगा, उसे सख्त से सख्त सजा दी जायगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): मन्त्री महोदय कह रहे हैं कि हम लोगों से वे सहयोग चाहते हैं कि यदि कोई इस प्रकार की एन्टी सोशियल कार्यवाही करता है तो उसको हम उनके नोटिस में लायें, तो कार्यवाही करने का आश्वासन देना चाहते हैं। इसी सदन में बार बार कई बार इस तरीके के मामले रखे लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। तो फिर कैसे यह विश्वास हो, कैसे एन्करेजमेंट हो कि आप इस तरह की कार्यवाही करेंगे। मैं एक उदाहरण देता हूं कि आपके राजस्थान के कांग्रेस के अध्यक्ष श्री राम किशोर व्यास के सुपुत्र श्री राधा कांत व्यास के खिलाफ पिछले सेशन में चने की निकासी के सम्बन्ध में कुछ आरोप इस सदन में लगाए थे। मैंने मुख्यमंत्रीजी को पत्र भी लिखा था। मैंने उनको लिखा था कि अगर आप स्पेशल इन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट करेंगे तो इसमें कांग्रेस के विधायक व प्रधान भी एवीडेंस देने को तैयार हो जायेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि मुझे उस पत्र का उत्तर तक नहीं मिला। कोई भी इन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट नहीं की गई। मैं अभी भी मन्त्री महोदय से कहूंगा कि वह नए आए हुए हैं। मैं उनकी सीन्सियोरिटी पर संदेह नहीं करता, वह इस मामले को अपने हाथ में लें। वह केवल कहें कि जबसे उन्होंने विभाग संभाला है तबसे जो मामले हैं उनकी जांच करेंगे तो यह सही नहीं होगा....

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री रामानन्द अग्रवाल: मन्त्री महोदय के सामने उस व्यक्ति की लीडरशिप कायम करने के लिये और दूसरे कारण हो सकते हैं लेकिन आप जांच करें तो पता लगेगा कि आप कितने सिन्सियर हैं।

श्री खेतसिंह: बहुत पुरानी बात कह रहे हो।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्यमन्त्री) श्री राम किशोर व्यास के लड़के जो वहां आफिसर थे उनके बारे में इन्क्वायरी की गई और इन्क्वायरी करने के बाद यह आरोप गलत पाया गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल: किससे इन्क्वायरी करवाई?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर !

श्री नत्थीसिंह : व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अगर कांग्रेस के एम. एल. एज को बुलाकर उनसे पूछें और और वे यदि इन्कार करें तो इन्क्वायरी कराएं····

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री नत्थीसिंह: व्यवस्था का प्रश्न है। इस सदन के अंदर माननीय सदस्य के द्वारा आरोप लगाया गया है कि कोई इन्क्वायरी नहीं की गई, उन्होंने कहा कि पत्र लिखा गया लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया, इन्क्वायरी की गई लेकिन गलत पाई गई··

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पत्र लिखने के बाद आपसे स्वयं से भी बात हुई।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरी चिट्ठी का आपने कोई उत्तर नहीं दिया है।

श्री नत्थीसिंह: यह मुख्यमन्त्री और अलवर से आने वाले माननीय सदस्य के बीच की ही बात नहीं है, इससे सदन को अवगत कराना चाहिए। यह व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, आप सदन के अधिकारों की रक्षा करें। यह जो गंभीर आरोप सदन में लगाया गया है, उसका क्या नतीजा रहा ?

श्री अध्यक्ष: यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है आरंभ रखिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मन्त्री महोदय को जवाब देना चाहिए। मुख्यमन्त्री का तो पहले ही पता था।

श्री परसराम मदेरणा : जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बहस के दौरान एक बात की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि आयातित धान का वितरण जो कुछ जिलों में हो रहा था वह फरवरी में ज्यादा था क्योंकि चुनाव थे इसलिये वोटर्स को खुश करने के लिए ज्यादा मात्रा में आयातित गेहूं और दूसरे धान जो इन्टरनल प्रोक्योरमेन्ट से प्राप्त किया था उसका वितरण किया और मार्च में बहुत कम वितरित किया। न मालूम माननीय सदस्य कहां से आंकड़े ले आए लेकिन खाद्य विभाग के पास जो आंकड़े हैं वह सही हैं। माननीय सदस्य ने माइलो और गेहूं के आंकड़े अलग अलग रख दिए होंगे।

श्री भैरोंसिंह : इसमें लिखा है अप्रेल 1966 से मार्च, 1967 तक अयातित खाद्यान्न जिलावार और माहवार अलाटमेन्ट।

श्री परसराम मदेरणा : हो सकता है कि जो आंकड़े माननीय सदस्य प्रस्तुत कर रहे हैं, वह गलत हों।

श्री चन्दनलाल: तो इन आंकड़ों को बाहर फेंक दें ?

श्री परसराम मदेरणा : हो सकता है कि वे गलत हों लेकिन जिलावार मन्थली अनाज का वितरण किया गया है उसके जो आंकड़े खाद्य विभाग के पास हैं वे सही हैं और उन आंकड़ों के आधार पर मैं इतना निवेदन करूंगा कि अजमेर जिले में फरवरी में 3,398 टन माइलो और व्हीट दिया, मार्च में 3,226 टन्स। इसी तरह से बाड़मेर के अन्दर फरवरी में 2,726 टन और मार्च में 3,872 टन दिया जो करीब करीब 1,075 टन ज्यादा है। इसी तरह से उदयपुर में फरवरी में 3,157 टन बांटा गया और मार्च में भी 3,157 टन बांटा गया

(श्री परसरामें मदेरणा)
तो यह कहना कि मार्च में कमी कर दी, यह सही नहीं है।

श्री खेतसिंह : इनकी तो पुरानी आदत है आंकड़ों को इधर उधर करने की।

श्री भैरोंसिंह : यह मैं नहीं कह रहा हूं। यह जो पुस्तिका वितरित की गई है राजस्थान सरकार, अकाल सहायता विभाग की, इसी सेशन में दी है, उस किताब के अन्दर जो आंकडे दिए हैं वे कहते हैं।

एक माननीय सदस्य : टाइप में गलती है।

श्री भैरोंसिंह : तो मन्त्री महोदय कहदें।

श्री परसराम मदेरणा : यह हो सकता है कि एक महीने में माइलो गया है और दूसरे में गेहूं गए हैं····

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गम्भीर मामला है। इस तरह सदन में डॉक्यूमेन्ट्स पेश करना और उसमें जो बातें लिखी हुई हैं उनको गलत साबित करना, यह सदन का बहुत बडा अपमान है।

श्री रामकिशन (वैर) : जो तथ्य सदन में आते हैं उनके आधार पर, सरकार के बारे में सदन अपनी राय बनाता है। सरकार की हर रिपोर्ट में कुछ न कुछ फर्क रहता है। गलत तथ्यों से सदन को अपनी राय बनाने में बड़ा अन्याय हो जाता है।

श्री परसराम मदेरणा : मैं मानता हूं कि आंकड़ों में गलती नहीं होनी चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : यह जो कन्फ्यूजन है इन आंकड़ों के बारे में इसको हमारा विभाग देखेगा कि क्या कन्फ्यूजन है, कहां एरर है, इसके लिए हम सदन को एक सप्ताह के अन्दर सूचित कर देंगे, जहां भी एरर होगी उसको ठीक करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : करेक्ट करने का सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है कि मन्त्री महोदय ने अपनी तरफ से कह दिया कि यह जो आंकडे किताब के आधार पर हैं, जो मैंने सदन में रखे थे वह गलत है, जांच करने की कोई बात नहीं है। तो गलत फीगर्स को लेकर रिपोर्ट सदन में सदस्यों को सर्क्युलेट करना, यह सदन का अपमान है।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय को हस्तक्षेप करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : यह स्पष्टीकरण का प्रश्न है, वह एग्जेम्प्शन हो रहा है, तब तक आप आरम्भ रखें।

श्री परसराम मदेरणा : जो सदन को आंकडे दिए जाते हैं उसके लिए हिदायतें हैं कि स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेन्ट की जांच के बाद एडिमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेन्ट आंकडे रखे। आपने जो डिस्क्रिपेन्सी बताई उसके लिए मैंने डाइरेक्टर आफ स्टेटिस्टिक्स को कह दिया है कि जो आंकड़े आए वह वहीं से वेरिफाई होकर उनकी तरफ से आए कि कि सही है, तब दिए जावें नहीं तो नहीं दिए जायं।

श्री भैरोंसिंह : जो मैंने डिस्क्रिपेन्सी बताई उसके बारे में आपकी क्या राय है?

श्री परसराम मदेरणा : पल्सेज के बैलेन्स को इन्क्लयूड करना चाहिये था, वह नहीं किया गया है अकाल विभाग द्वारा, इसलिये कुछ डिस्क्रिपेन्सी तो वह है। कुछ डिस्क्रि-

(श्री परसराम मदेरणा)
पेन्सी तो आंकडों के जोड़ के अन्दर है। ऊपर कालम तो ठीक है लेकिन नीचे जो जोड़ लगा हुआ है वह सही नहीं है उसमें 70 की गलती है जोड़ के अन्दर जो नहीं होनी चाहिये थी। भविष्य में इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि जो आंकड़े प्रस्तुत किये जांय उनके जोड वगैरह में कोइ गलती नहीं हो। ऐसी हिदायतें दी गई हैं।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय, केवल हिदायतों का ही प्रश्न नहीं है।

अगर इस तरह की कोई डिस्क्रिपेन्सी जोड़ में है तो **It should be seri ously dealt with.**

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, सीरियसली नहीं लेने का प्रश्न नहीं है।

श्री मदनसिंह : on a point of clarification, sir····

श्री परसराम मदेरणा : जो डिस्क्रिपेन्सी रही है जो नहीं रहनी चाहिये थी। उसके लिये मैं सदन से माफी चाहता हूं। इस प्रकार की हिदायत कर दी गई है कि आंकड़ों में इस प्रकार की गलती न रहे। सही आंकड़े माननीय सदस्यों को मिलें।

श्री भरोंसिंह : केवल हिदायत ही न दें। कई बार ऐसी हिदायतें माननीय मन्त्री महोदय कहते हैं कि वे दी गयी हैं उसके बाद भी गलतियां हुई हैं। इसलिये आप एक्शन लें। ऑफिसर्स से रिग्रेट तो कराइये कि इस प्रकार की गलतियां हुई हैं उसके लिये हम खेद प्रकट करते हैं। कम से कम इसका रिकार्ड तो बने।

श्री मदनसिंह : मन्त्री महोदय बोल रहे हैं वह किस आधार पर बोल रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज! यस आप आरम्भ रखिये।

श्री परसराम मदेरणा : बहुत से माननीय सदस्यों ने यह बात कही कि भारत सरकार से जो मन्थली कोटा मिलता है वह पूरा का पूरा कोटा नहीं मिलता है। हमको भारत सरकार से मन्थली कोटा मिलता है और हमारे लिये 38 हजार टन का मन्थली कोटा मुकर्रर किया हुआ है। भारत सरकार से बराबर हम कोशिश करते रहते हैं कि जो निर्धारित कोटा है वह हम को पूरा का पूरा मिलना चाहिये। राजस्थान के बहुत बड़े भू-भाग पर अकाल की छाया है, काफी बडा भू-भाग अकालग्रस्त है। वहां लोगों को सस्ते दामों पर अनाज मुहैय्या कर सकें, फूड ग्रेन्स उनको सप्लाई कर सकें इसलिये हमारा मन्थली कोटा पूरा का पूरा हम को मिलना चाहिये और उसका डिस्लोकेशन नहीं होना चाहिये यह बात सही है कि पिछले दिनों में जो हम को कोटा मिलना चाहिये था वह लेप्स हुआ। मार्च और अप्रेल में कई हजार टन कोटा मिलना चाहिये वह लेप्स हुआ। भारत सरकार इसके लिये कारण बताती है कि पोर्ट पर अनाज नहीं आया इसलिये पूरा नहीं दे सके। मैं निवेदन करूं कि इस बात को माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने भी अपने लेवल पर लिया है। भारत सरकार को चिट्ठी लिखी है और कल टेलीग्राम भी इश्यू किया है। मई का कोटा किसी प्रकार लेप्स नहीं होना चाहिये इसके लिये पूरी कोशिश है। सप्लाई की जो रफ्तार है 38 हजार टन फूड ग्रेन्स मिलना चाहिये वह हम मिले इसके लिये स्टेप्स लिये हैं। भारत सरकार से

(श्री परसराम मदेरणा)
बातचीत करने के बाद में मन्थली कोटा फूड ग्रेन्स का है उसमें कमी नहीं आवेगी। यदि कमी आजाती है तो कन्ज्यूमर्स पर विपरीत असर पड़ता है और सस्ते भावों पर अनाज मुहैय्या करना चाहते हैं उससे महरूम रह जाते हैं। उसके और भी कारण हैं। भारत सरकार के फूड मिनिस्टर ने पार्लियामेन्ट में यह बात बतायी थी कि दूसरी स्टेट्स की मांग ऐसी प्रेसिंग आजाती हैं कि वहां पर भेजना पड़ता है। पोर्ट आदि की डिफिकल्टी आ जाती है। इसलिये कोटा आना बन्द हो जाता है। डिस्लोकेशन होजाता है।

विरोधी दल के नेता ने कहा कि सन् 51-52 में 23 जिलों में अकाल था तो 23 लाख लोग प्रभावित नहीं थे और आज थोड़े से इलाके में अकाल है तो किस प्रकार से इतने लोग प्रभावित हुए। एक जिले में 15 गांव अकाल ग्रस्त हो सकते हैं। वहां पर भी अकाल ग्रस्त इलाका घोषित करना पड़ता है और एक जिले में 400 गांव अकाल ग्रस्त हैं तो वहां भी घोषित करना पड़ता है। इसलिये इसको इस ढंग से आंकना उचित नहीं है। अकाल ग्रस्त पापुलेशन है और स्कैयरसिटी के कारण भाव बढ़ते हैं। दो तीन साल से अकाल है सक्सेसिवली वहां फैमीन कोड के अनुसार रिलीफ के ज्यादा मेजर लिये जाते हैं और लिये जाने चाहिये। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में जो फैमीन के काम शुरू किये गये वे बहुत ज्यादा तादाद में किये गये और राजस्थान के दूसरे अकाल ग्रस्त इलाकों में जो काम शुरू किये गये उनके मुकाबले में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और बाड़मेर में ज्यादा थे। बाड़मेर के अन्दर एक छांट पानी नहीं गिरा यह विरोधी दल के माननीय सदस्य भी जानते हैं। इसी प्रकार बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर में सक्सेसिवली अकाल पड़ता जा रहा है इसलिये वहां पर रिलीफ मेजर्स लार्ज स्केल पर लिये गये। जैसा विरोधी दल के नेता कह रहे थे कि माइलो या वीट अलाट हो रहा था उसकी तादाद में कमी की है, यह कतई नहीं की है। आप देखेंगे कि फरवरी के बाद 300 चार सौ फेयर प्राइस शोप्स और अधिक खोली गयी हैं इसलिये कि अनाज नजदीक से नजदीक जगहों पर मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के सम्बन्ध में बात कही गयी। डिटेल्स में मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि पिछले आठ दस साल में और खास तौर से सन् 52-53 के बाद से राजस्थान में खाद्यान्न के प्रोडक्शन में काफी वृद्धि की है जब कि अच्छी बरसात हुई है और कन्डीशन्स भी अच्छी रही है। कहने को तो जब ड्राट होता है और फेमीन कन्डीशन्स होती हैं तो कहा जाता है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट ने राज्य सरकार ने क्या किया लेकिन आप जानते हैं कि राज्य के अन्दर बांध बने हैं सिंचाई आदि के स्थान इन गत तीन पंचवर्षीय योजनाओं में काफी बढ़े हैं। आप पंचायत समितिओं के सदस्य हैं। कुओं आदि के लिये लोन मिलता है। कुए खोदे गये हैं, नालियां बनी हैं और तालाब बने हैं। पंपिंग सेट के लिये पैसा मिलता है। हाई यील्डिंग सीड का प्रोडक्शन शुरू किया गया है। अखबारों में पढ़ते हैं और आपकी कोन्स्टिट्यूएन्सीज में जहां कहीं जवार बाजरा या मेक्सिकन गेहूं का बीज है वहां प्रोडक्शन बढ़ा है। राजस्थान में ही नहीं जहां भी बरसात नहीं हुई है वहां पर चाहे

(श्री परसराम मदेरणा)

अच्छा बीज और अच्छे इम्प्लीमेन्ट्स मुहया कर दीजिये, खाद दे देजिये, लेकिन पानी नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। बरसात नहीं है तो तालाब और नहरों से पानी नहीं मिलता। कुओं में पानी सूख जाता है और काफी गहरा चला जाता है। बाड़मेर इलाके में कोर्स ग्रेन लाखों टन होता है वह नहीं होने से दूसरे फूड ग्रेन्स पर काफी असर पड़ता है। वहां के किसान यह अनाज खाना पसन्द ही नहीं करते हैं। बाडमेर और सांचोर का इलाका ग्रेनरी समझा जाता है वहां पर पैदावार नहीं होने से उसका राजस्थान के अन्दर दूसरे अनाज पर गहरा प्रेसर पडा है। मैं ऐसी उम्मीद लेकर चलता हूं कि अगले अगस्त-सितम्बर तक काफी डिफिकल्ट टाइम है। इससे निकल जाते हैं तो मुझे आत्म विश्वास है कि आगे वाली जो खरीफ फसल होगी वह राजस्थान में ही नहीं सारे हिन्दुस्तान में अच्छी फसल होगी। और एक फसल भी बढ़िया हो जायेगी।..

श्री नत्थीसिंह : किसी ज्योतिषी से पूछा है ? आजकल मुख्य मन्त्री जी के पास तो बहुत ज्योतिषी हैं।

श्री जुझारसिंह : आपने कहा··

श्री परसराम मदेरणा : मुझ इस बात का विश्वास है कि अच्छी फसल होगी।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर लेवी के सम्बन्ध में प्राइस की बात कही गयी। लेवी के सम्बन्ध में मैंने जैसा कि निवेदन किया कि हम यह भी पसन्द करते हैं कि····

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो लेवी लगाई है और जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं उनसे एक या दो वाटरिंग से ज्यादा पानी नहीं दिया है और जो फुल वाटरिंग की रेट पर लेवी ली जाती है वही लेवी लगाई जा रही है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जैसे कालीसिंध है, परवन है इनसे इरिगेशन डिपार्टमेन्ट ने एक या दो वाटरिंग से ज्यादा गेहूं या चने में नहीं दी है फिर भी रेट आफ कलेक्शन में डिस्टिंक्शन नहीं किया है। इसको मन्त्री महोदय जरा क्लेरीफाई करें।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, लेवी के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए जैसा कि मैंने अभी बताया था, कि माननीय सदस्यों ने कई बातें कहीं। कई माननीय सदस्यों का यह सुझाव था कि सरकार को स्टेट ट्रेडिंग करना चाहिए। स्टेट ट्रेडिंग के जरिये धान की खरीद फरोख्त और उसके वितरण का मामला सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए। कई माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया था कि सरकार को ओपिन मार्केट से परचेजेज करनी चाहिए ताकि किसानों को अपनी उपज की पूरी कीमत मिले और उनका इन्सेन्टिव किसी तरह से मारा नहीं जाय। कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी बात कही कि फूड कारपोरेशन के जरिये ओपिन मार्केट से आप अनाज खरीदवाइये और अगर भाव ऊंचे हों और आप सस्ते भाव पर कन्ज्यूमर्स को देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसीडाइज करना चाहिए। राज्य सरकार ने जितने भी मोड्स आफ लेवी और मोड्स आफ प्रोक्योरमेन्ट्स हैं उनके ऊपर बहुत गहराई से विचार किया है। आज जहां स्टेट ट्रेडिंग की बात आप कहते हैं इसमें तो शुरू में इतना ही निवेदन कर देना चाहता हूं कि स्टेट ट्रेडिंग के मामले में अभी राज्य सरकार इस स्थिति में नहीं है कि हम स्टेट ट्रेडिंग को एकदम स्विच आन कर सकें। इसके लिए कुछ प्रिकाशन्स की जरूरत है।

(श्री परसराम मदेरणा)
हमारे पास में गोडाउन्स नहीं हैं और पूरा का पूरा राज्य सरकार को मार्केट का अनाज खरीदना पडेगा और इसके लिए धीरे धीरे मशीनरी बिल्ट करनी पडती है और उसके बाद में स्टेट ट्रेडिंग की ओर हम स्विच ओवर कर सकते हैं लेकिन वह स्थिति हमारे पास में आज नहीं है। रही मोनोपाली प्रोक्योरमेन्ट की बात, तो जहां मोनोपाली प्रोक्योरमेन्ट है और रेट आफ प्रोक्योरमेन्ट फिक्स कर दी जाती है उसी रेट पर किसानों को अपनी उपज का हिस्सा देना पडता है। जो उसके कन्जम्पशन के लिए जरूरी है उतना वह रख लेता है और बाकी सब उसी कीमत पर जो कोई भी मोनोपाली प्रोक्योरमेन्ट की एजेन्सी है उसको बेचना पडता है। जैसा कि गेहूं के मामले में मध्यप्रदेश की सरकार कर रही है, मैंने इसके डिटेल्स पहले ही बताये थे हमने जो लेवी लगाई है वह सिर्फ इरिगेटेड लेण्ड पर ही लगाई है–

श्री जझारसिंह : इसमें कितनी लेवी वसूल होने का अन्दाजा है ?

श्री परसराम मदेरणा : किसानों की होल्डिंग जो अनइरिगेटेड हैं और इरिगेटेड लेण्ड पर भी दूसरी फसल बोई है चाहे जो हों, चना हो या ईख हो, चाहे सरसों हो या कोई और चीज हो उसके ऊपर कोई लेवी नहीं लेंगे और किसानों को छूट होगी कि वह सरप्लस प्रोड्यूस को बेचकर मार्केट प्राइस पर उसका एडवान्टेज उठा सके। राज्य सरकार ने इसके ऊपर विचार किया और माननीय सदस्यों की यह राय थी कि जो भी हमने भाव मुकर्रर किये हैं वह बहुत कम हैं....

श्री नत्थीसिंह : इरिगेटेड के संबंध में आप किस को इरिगेटेड मानते हैं। जैसे भरतपुर की आप कहें तो वहां पर खेत बोने से पहले जो बरसात का पानी खेतों के अन्दर जाता है वह इरिगेटेड की परिभाषा में नहीं आता है।

श्री परसराम मदेरणा : इसलिये राज्य सरकार ने यह फैसला किया है। क्योंकि अब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के भाव बढ गये हैं और आज जो मार्केट प्राइस है वह 93 रुपये से लकर 125 रुपये तक पहुंच गई हैं। इन भावों को देखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो यह फूड प्रोक्योरमैन्ट ऑर्डर है, इस ऑर्डर से जो भाव राज्य सरकार ने निर्धारित किये हैं और 4 कैटेगरीज जो व्हीट की हैं, उसकी डिफरेन्ट रेट्स हैं। उसमें रैड, बाजिया, गज्जर और कनक के भाव 65), 69॥), 71) और 75 रुपये प्रति क्विन्टल के भाव थे इन सभी रेट्स के अन्दर राज्य सरकार ने 10) रुपये प्रति क्विन्टल की बढोतरी की है। इसका मतलब यह हुआ कि जिस गेहूं का 65) रुपये प्रति क्विन्टल भाव था उसकी प्रोक्योरमैन्ट प्राइस अब 75) रुपये होगी, जिसका भाव पहले 69॥) रुपये था अब उसकी प्रोक्योरमेन्ट प्राइस 79॥) रहेगी, जो कामन व्हीट जिसको गज्जर कहते हैं उसकी पहले जहां 71) रुपये की रेट थी उसकी प्रोक्योरमैन्ट प्राइस अब रहगी और जो कनक है उसके भाव जहां पहले 75) थे अब उसकी प्रोक्योरमैन्ट प्राइस 85) रुपये रहेगी।

श्री **भैरोंसिंह** : एक बात बता दें कि आप प्रोक्योरमेन्ट प्राइस किस आकार पर निर्धारित करते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : प्रोक्योरमैन्ट प्राइस को तय करने के लिए 3-4 बातें कन्सीडरेशन में होती हैं। आज जिस भाव से गेहूं इम्पोर्ट करके दे रहे हैं और उसके खरीदने में लो इन्कम ग्रुप के लोगों को डिफिकल्टीज होती हैं वह फैक्टर हमारे सामने हैं। नेबरिंग स्टेट्स में जहां लेवी ली जाती है पंजाब में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में जो आज लेवी के भाव तय हैं वह भी दूसरा कन्सीडरेशन हैं। तीसरा कन्सीडरेशन है कि आज जो राजस्थान में भाव हैं और जिन भावों के ऊपर अगर प्रोड्यूसर बेच दें और लेवी की वजह से जो फर्क है वह रीजनेबिल इतना रहना चाहिए कि इस लेवी लेने के बाद जब हम वापिस अनाज कन्ज्यूमर्स को देने जा रहे हैं तो मार्केट प्राइस से कम होना चाहिए। यह सब कन्सीडरेशन्स हैं . . .

श्री भैरोंसिंह : कास्ट आफ प्रोडक्शन का फैक्टर भी आप इसमें इन्क्लूड करके चल रहे हैं या नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : कास्ट आफ प्रोडक्शन का जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि यह भावों को बढाने में 10 रुपये का जो हमने इन्क्रीज किया है हालांकि हमारे भाव उतने ही हैं जितने कि मध्य प्रदेश में, अभी जो भाव हैं वह यू. पी. के बराबर हैं। यू. पी. में आज मार्केट प्राइस 110) से 130 रुपये तक है तो राजस्थान में 93 से 115 और 116 हैं।

श्री रामकिशन : राजस्थान में भी 130 का भाव है। राजस्थान का मतलब आप गंगानगर और 3 जिलों को ले लेते हैं। भरतपुर को देखें तो पता चल जायेगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : मैं निवेदन करूं कि जो रिवाइज्ड प्राइसेज अभी खाद्य मंत्री जी ने अनाउन्स की हैं उसमें यू. पी. के अन्दर प्रोक्योरमैन्ट की प्राइस सारी स्टेट्स में पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और यू. पी. में सबसे ज्यादा प्रोक्योरमैन्ट प्राईस यू. पी. में है और यू. पी. की मार्केट प्राइस भी आज हमसे ज्यादा है। उन सारे कन्सीडरेशन्स को ध्यान में रखते हुए जो प्राइसेज रिवाइज की गयी हैं, और जिनको माननीय मंत्री जी ने अनाउन्स किया है, वह यू. पी. की हाईएस्ट प्राइस हैं उनको ध्यान में रखते हुए 85) रुपये राजस्थान में फिक्स-अप कर दिये गये हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: यू. पी. में जो एग्जम्पशन्स दिये हैं . . .

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: वह तो 8 एकड की टोटल होल्डिंग पर है जिसमें चाहे सरसों हो, चाहे ईख हो, चाहे कुछ भी बोया हुआ हो।

श्री रामकिशन: सरसों नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं निवेदन कर दूं कि 8 एकड होल्डिंग एग्जम्प्टेड है अगर उसने दो एकड में भी गेहूं नहीं किया है तो भी लेवी देनी पडेगी,–ऐसा है यू. पी. के अन्दर और हमारे यहां पर गेहूं बोया है तो देना पडेगा नहीं तो नहीं देना पडेगा।

श्री रामकिशन: सरसों की नहीं है। दूसरा और फर्क है कि राजस्थान में प्रति व्यक्ति एकड औसत 7॥ है और यू. पी. में 3 या 4 है। वह हमसे ज्यादा तो लगे ही आप दो एकड़ वालों को कितनों को एग्जम्पशन

(श्री रामकिशन)
दे रहे हैं जब कि एकड़ेज ओकूपेशन राजस्थान में सब से ज्यादा हैं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: एक्डेज बढ़ता है डेजर्ट एरिया की वजह से । इसको छोड़ कर अगर आप एक्डेज निकालेंगे तो यू. पी. और मध्यभारत से ज्यादा नहीं निकलने वाला है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल: क्या सरकार इस बात का आश्वासन देगी कि जिस आदमी की होल्डिंग केवल दो एकड़ या तीन एकड़ है और वह सारी की सारी इरिगेटेड है, सारे में गेहूं बोता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी मिनिमम इकोनोमिक होल्डिंग न होते हुए भी, केवल तीन एकड़ होते हुए भी, उस पर सारे पर उसको लेवी देनी पड़ेगी। अगर उत्तर प्रदेश आठ एकड़ टोटल होल्डिंग से ले रहा हो तो उसमें अगर सारे में ही. गेहूं बोता है तो उस हिसाब से एग्जम्प्ट हो सकता है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: यू. पी. में तो बारानी लैंड भी इन्क्लूडेड है । और, फिर उसने उसमें चाहे चना ही बोया हो या कुछ बोया हो, सारे कन्सीडरेशन्स को साथ लिया है यहाँ सिर्फ रबी की काश्त पर है और वह भी जिसकी इरिगेटेड लैंड होगी आम तौर से मानकर चलना चाहिए कि खरीफ की फसल पर कोई लेवी नहीं होगी और राज्य में इरिगेटेड लैंड पर लेवी ली गई है तो दूसरी जगहों से तो लिबरली ओपरेट करेंगे ।

श्री विजयसिंह: on a point of Order Sir आठ तारीख को पिछले टाइम पर मेहता साहब ने फ्लोर क्रोस किया था तो आपने ओब्जेक्शन किया था और आज मंत्री महोदय ने फ्लोर क्रास किया है । उनको कुछ नहीं कहा जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर ऑर्डर प्लीज । यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री रामकिशन: भरतपुर में बन्ध की जमीनों को क्या आप इरिगेटेड मानेंगे या क्या इसको भी साफ कर दीजिये ।

श्री परसराम मदेरणा: अध्यक्ष महोदय, बहुत से माननीय सदस्यों ने यहां पर जो राजस्थान फूड ग्रेन्स (रेस्ट्रिक्शन्स ऑन बोर्डर मूवमेन्ट) ऑर्डर है उससे हेरेसमेन्ट होता है ऐसा कहा ।

बहरोड़ के बारे में कहा गया । उनकी तकलीफ है । मानता हूं । उनको पंजाब का कुछ हिस्सा पार करके जाना पड़ता है । इसके बारे में इस वक्त तो क्या सहूलियत दी जा सकती है इस बारे में कोई आश्वासन नहीं दे सकता , लेकिन राज्य सरकार इस पर गम्भीर विचार करेगी। आज मार्केट कन्डीशन को देखते हुए और नेबरिंग स्टेटों में कौन कौन से खाद्यान्न के भावों में डिस्पेरिटी है उनको देखते हुए हम क्या सहूलियत दे सकते हैं और इसमें और भी क्या क्या किया जा सकता है यह सारा मामला बैठ कर केबिनेट के सामने ले जावेंगे और इस पर गम्भीर विचार किया जावेगा ।

अध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर बजट के बारे में आंकड़ों के सम्बन्ध में बातें कहीं। आंकड़ों की डिटेल में नहीं जाकर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विभाग के अधिकारियों से मैंने बात की और मालूम हुआ कि डेबिट

(श्री परसराम मदेरणा)
अकाउन्ट्स 65-66 के जो थे वे बाद में एन्टर हुए इसलिये तीन करोड का फर्क मालूम हो रहा था। अब जब बाद में एडजस्ट हो जायेंगे तो यह बात नहीं रहेगी।

दूसरे, दो हैडिंग आपने दिये। अकाउन्ट्स इन्चार्ज से बात करने के बाद यह बात तो निश्चित है कि जैसा मैंने निवेदन किया कि जैसा माननीय सदस्य समझ रहे हैं आइटम नम्बर 3 में 18 लाख के 14 लाख के फीगर दिये हैं गलत हैं, जो दूसरे कालम में जाने चाहिये थे। तो कुल मिलाकर इसमें घाटा नहीं है, ऐसी इत्तला मिली है।

पर ट्रेड अकाउन्ट्स समय पर तैयार होने चाहिये। यह मैं मानता हूं तैयार नहीं होने से भ्रम पैदा होते हैं।

श्री भैरोंसिह : तो फिर बजट में फीगर दिये हैं वे गलत हैं। कोई सीमा भी है इन गलतियों की। यह बजट के फीगर भी गलत होगये। पब्लिकेशन्स जो आपके हैं उनमें के फीगर भी गलत होगये।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने गलत नहीं कहा।

श्री भैरोंसिह : आपने कहा कि लीस नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : अकाउन्ट्स में डेबिट अकाउन्ट्स एन्टर नहीं होने से प्रोफिट नहीं दिखता, नहीं तो प्रोफिट रिफ्लेक्ट होना चाहिये था। तीन करोड कुछ लाख की डेबिट बाद में आई इसलिये यह कहना कि करोडों का घाटा है यह सही नहीं है। एक्चुअल पोजीशन अकाउन्ट्स तैयार होने के बाद ही बता सकूंगा। फिर कोलम नम्बर दो और तीन में कह रहे थे कि निश्चित तौर पर घाटा है। पर मुझे जो इत्तलादी गई है वह यह है कि घाटा नहीं है। अकाउन्ट्स तैयार होने के बाद स्थिति सदन के सामने रख दी जावेगी।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर फूड पालिसी के सम्बन्ध में जो दो दिन तक बहस के दौरान···

श्री अध्यक्ष : सदन की अनुमति से जब तक खाद्यान्न की स्थिति पर बहस समाप्त न हो, तब तक के लिये सदन का समय बढाता हूं।

श्री मदनसिंह : मेरे दो पोइन्ट थे वे मन्त्री महोदय ने नहीं बताये। जो किसान आज तक अपना अनाज बेच चुके हैं तो क्या उन से पैसा लिया जावेगा या बाध्य किया जावेगा कि वे नहीं हैं तो बाजार से खरीद कर लेवी दें?

दूसरा प्रश्न था कि जिस एरिया में आइंदा खडी फसल हो तो उसमें से बांटा की हैसियत से लिया जावे, कैश में नहीं लेकर काइन्ड में लगान लिया जावे तो यह सारी समस्या हल हो सकती है। इन मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दिया और अब भी सुनने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं। फिर मुझे उठना पडेगा।

श्री अध्यक्ष : नहीं, अब नहीं उठना पडेगा।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बातें कहीं उनमें से एक में कहा कि

(श्री परसराम मदेरणा)
किसान ने अपना गल्ला बेच दिया है। तो जैसा मैंने मोशन मूव करते वक्त निवेदन किया था कि हमारा एक्सपीरियेन्स यह रहा है कि किसान को काफी अर्से पहले इत्तला होचुकी है और बाजार में बेचा नहीं है। पन्द्रह बीस दिन पहले से इत्तला है कि लेवी उसे देनी है। इसलिये माननीय सदस्य को यह सूचना दे रहा हूं।

श्री मदनसिंह : बेच दिया गया है।

श्री नत्थीसिंह : क्या सरकार ने उन किसानों को कोई चिट्ठी लिखकर भेजदी थी कि आपसे लेवी ली जावेगी?

श्री परसराम मदेरणा : दूसरा सुझाव दिया गया कि खाद्यान्न का मसला भारत सरकार को अपने हाथ में ले लेना चहिये। तो यह तो भारत सरकार के सोचने की बात है।

एक बात मन्जूर करता हूं जैसा आपने कहा कि सीकर डिस्ट्रिक्ट में लाखों मन अनाज होरडरों के पास पडा है और इसके लिये वे सरकार को को-ऑपरेशन देने को तैयार हैं, अगर सरकार उसे निकालना चाहे तो। मैं माननीय सदस्य का इसमें को-आपरेशन लेना चाहता हूं और मेरे को समय मिला तो सीकर डिस्ट्रिक्ट में जरूर चलूंगा और अगर कोई होर्डर हो तो उसके खिलाफ आपके साथ मिल कर कार्यवाही करूंगा।

श्री मदनसिंह : आज ही चांदपोल के पास में बताऊंगा। आज ही चलिये।

श्री परसराम मदेरणा : मैं अभी सदन की समाप्ति के बाद सीधा आपके साथ चलता हूं। गवर्नर के एटहोम में नहीं जाऊंगा। राज्याधिकारियों को और एनफोर्समेन्ट के अधिकारियों को ओन दी स्पोट कार्यवाही करने के लिये बुला लिया जावे यह भी चाहूंगा।

श्री मदनसिंह : मैं भी एट होम में नहीं चलूंगा। मैं और बताऊंगा कि सरकारी जीप में अनाज के केस हुए, कागज और दूसरी चीजें पकडी गई, दस्तखत हैं पहले आप उनको सजा तो दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आप दोनों ही जावेंगे इसके बाद।

श्री भैरोंसिंह : आप तो दोनों गवर्नर के यहां जावेंगे।

श्री अध्यक्ष : अब तो गवर्नर के यहां नहीं जावेंगे।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : भैरोंसिहजी को फिकर लग गई कि कहीं उनका होर्डर नहीं पकडा जावे।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मन्त्री) : मुखियाजी भी साथ जावेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : अभी माननीय सदस्य श्री रामकिशनजी ने यह प्रश्न उठाया था कि भरतपुर को एज इरिगेटेड इलाका समझा जाता है। पर वास्तव में वहां पर फी एकड पैदावार बहुत कम हुई है। यह ऐसा प्रश्न है जिसे राज्य सरकार एग्जामिन कर लेगी और इसमें कितनी सहूलियतें और रियायतें इलाके के लिये दे सकते हैं उनमें जितनी दी जा सकेंगी देंगे।

श्री रामकिशन : पहले तो आपने कहा था कि इसे शामिल ही नहीं किया। प्रोसीडिंग्स

(श्री रामकिशन)

देख लीजिये। क्लेरिफिकेशन के लिये पूछा था तो कहा था कि सवाल ही नहीं उठता। आज आप इरिगेटेड मानते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : अनइन्डेटेड एरिया और इरिगेटेड एरिया अलग अलग जिलों की दो चीजे हैं। इरिगेटेड एरिया है और चूंकि आपके यहां खास तौर पर प्रोब्लम है एक चीज को राज्य सरकार एग्जामिन करावेगी।

अब जो लेवी की मिकदार में कमी करना है या छूट देनी है तो इन दोनों पर विचार करके निर्णय लिया जावेगा और मैं समझता हूं कि वह निर्णय आज जो लेना है उससे आपको सन्तोष होगा।

श्री भैरोंसिंह : कल तो कह दिया था कि अन इरिगेटेड है।

श्री नाथीसिंह : आज मुख्यमन्त्री और होम मिनिस्टर से बात करने के बाद दूसरी बात कहदी।

श्री रामकिशन : वह सारा इलाका इरिगेटेड नहीं है। इसकी व्यवस्था आपकी दी हुई है कि फसल बोने के बाद पानी दिया जा सकता हो, वही इरिगेटेड होगा। जिसमें फसल बोने के बाद पानी नहीं दिया जावे वह अन इरिगेटेड है या क्या है आपकी परिभाषा के अनुसार ? यह साफ साफ कहें।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने कल पेटा काश्त के लिये कहा था। तालाबों में पानी इकट्ठा होता है तो उसके सूखने के बाद जो सेवज किया जाता है आप पोस्टर उठा कर देख लीजिये। इनअन्डेटेड एरिया का पेटा काश्त से कम्पेरीजन नहीं कर सकते। फिर इनअन्डेटेड एरिया को सिंचित एरिया माना है तो भी माननीय सदस्य को मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि वहां के इस मसले पर राजस्थान सरकार दुबारा गौर करेगी और जो सहूलियतें दी जा सकती होंगी वे सब उनको देने की कोशिश करेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जिस तालाब में पानी कुछ अर्से महीना पन्द्रह दिन पडा रहे और फिर या तो वह सूख जाय या निकालदे और एक ही दिन पानी निकाल दिया है सैलाब में तो उस सारे को इरिगेटेड मान लिया। तालाब में जो पानी पडा है उसमें जो फसल बोई उसको अन इरिगेटेड मानते हैं तो सैलाब को इरिगेटेड कैसे मानेंगे ?

श्री रामकिशन : वह तो इरिगेटेड है ही नहीं।

श्री भैरोंसिंह: पहले वाली कैटेगरी में उदयपुर के तालाब आते हैं और दूसरी कैटेगरी में भरतपुर में आते हैं।

श्री रामकिशन : फिर आप तो जोधपुर के हैं। जहां दोनों ही तरह के नहीं हैं।

श्री **अध्यक्ष**: अब आप चालू करिये।

श्री परसराम मदेरणा: तो अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, यह एक राष्ट्रीय समस्या है। इसको हल करने में जो माननीय सदस्यों के सुझाव आये मैं उन सब पर विस्तार से सोचूंगा। उन सबका जवाब तो अभी नहीं दे पाऊंगा पर उत्पादन में और प्रोक्योरमेन्ट में और वितरण में जो किसानों को हैरेसमेन्ट हो सकता है और उपभोक्ताओं को कठिनाइयां हो सकती हैं या गडबडियां हो सकती हैं उन

(श्री परसराम मदेरणा)
सबको आपके सहयोग से राज्य सरकार दूर करने का पूरा प्रयास करेगी और इस राष्ट्रीय समस्या को सुलझाने में आप सबका मुझे सहयोग मिलेगा ऐसी मुझे आशा है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहना है। बहुत थोड़ा समय लूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं इस खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में जो बहस हुई, उस बहस के जवाब में निवेदन करूंगा कि इस बहस का जो जवाब माननीय मन्त्री महोदय ने दिया उससे यह बात तो स्पष्ट हो गई कि आज हमारी सरकार प्राइसेज को कन्ट्रोल नहीं कर पावेगी। प्राइसेज बढ़ेंगी। यह सरकार उन बढ़ते हुए प्राइसेज को रोक भी नहीं पावेगी। जो आज एग्जिस्ट करते हैं उनमें किसी प्रकार की कमी भी नहीं ला पावेगी।

तो अब राजस्थान सरकार और राजस्थान की जनता के समक्ष यह समस्या है कि इस सरकार ने अपनी अकर्मण्यता से और भ्रष्टाचार से जो संकट खड़ा कर रखा है, जो जनता के समक्ष खाद्यान्नाभाव का और मंहगाई का संकट खड़ा हुआ है, तो उन सारे संकटो के कारण मैं ऐसा समझता हूं कि राजस्थान की हालत, अगर इसी प्रकार की सरकार की नीति और रवैया रहा तो, मैं जनता को आतंकित करने की गरज से नहीं कहता, मैं इसलिये भी नहीं कहता कि लॉ और ओर्डर की सिचुएशन खराब हो जावे, मैं अपने आपको उस श्रेणी में शुमार किये जाने की बात से बहुत दूर समझता हूं, पर सरकार को और जनता को उनके हितों में यह सूचित अवश्य कर देना चाहता हूं कि इस मंहगाई में साधारण आदमी, गरीब और मध्यम वर्ग का आदमी अनाज लेकर खाने की स्थिति में नहीं रहेगा। अब गरीब मजदूर, सरकारी कर्मचारी और सीमित आय वाले व्यक्ति आज की मंहगाई में किसी भी प्रकार से इतनी सी अपनी सीमित आय से अपना रोजगार चला सकेगा, पेट भर सकेगा, यह सम्भव नहीं है और पेट जिसका भूखा है उसके सामने न लोकतन्त्र का उपदेश चलता है, न धर्म का उपदेश चलता है, न नीतियों की दुहाई चलती है। उसके सामने तो खुद के एग्जिस्टेन्स का सवाल है।

पर आप के जवाब से मुझे बड़ा अफसोस हुआ। राजस्थान की राजनीति ही केवल आपका व्यवसाय रह गया है उन लोगों के एग्जिस्टेन्स का सवाल तो भगवान् भरोसे है। इस भगवान् भरोसे के नाम पर निवेदन करूंगा कि आपकी अपनी इन असफलताओं के कारण इस बात का भी ध्यान रखावें कि कहीं गडबडी पैदा न हो जावे। अब मालूम हो रहा है खबरें गांव से शहरों से आ रही हैं कि वहां अनाज नहीं है। लोगों के दिमागों में कुछ आ रहा है कि प्रोक्योर किया जावे। इस पर आप फिर गम्भीरता से विचार करें।

इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में निवेदन करूं कि मैं यहां नहीं था। मुझे बताया गया कि भीलवाडा से आने वाले भीलवाडा से नहीं, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल पर कुछ आरोप लगाये कि उन्होंने व्यापारियों से एक लाख रुपया लिया है। मैं ऐसा समझता हूं कि वे आरोप उनके सामने लगाते तो ज्यादा अच्छा होता। मैं अब तक जहां तक सतीशचन्द्र अग्रवाल को देखता आया हूं या देखा है यह विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि यह आरोप उन पर निराधार है, गलत है, बेबुनियाद है ईर्ष्यावश हमारे आरगूमेन्ट्स को मीट नहीं

(श्री भैरोंसिंह)

कर सकते तो इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप लगाकर चरित्र पर लांछन लगाना चाहते हैं। इतना ही कह कर, जो बातें मैंने कही हैं उनके साथ अपने प्रस्ताव को इस सदन में प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि जो सबस्टेंटिव मोशन श्री भैरोंसिंह शेखावत ने रखा है और जो इस प्रकार है :—

"राज्य की खाद्य स्थिति पर विचार के पश्चात् इस सदन की सम्मति है कि राज्य सरकार खाद्य की समस्या का समाधान करने में पूर्णतया असफल हुई है।"

जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हों वे हां कहें।

(अस्वीकृत)

श्री रामकिशन (वैर): इसके लिये तो ठीक ही है। ये लोग भोजन करके आए हैं।

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रस्ताव श्री पी. के. चौधरी का है, जो इस प्रकार है:

"राज्य की खाद्य स्थिति पर विचार के पश्चात् यह सदन राज्य सरकार की खाद्य नीति का अनुमोदन करता है"।

जो इसके पक्ष में हों वे हां कहें।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सदन की कार्यवाही तारीख 29 को 11 बजे प्रातः तक स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 5.12 म.प. पर दिनांक 29 मई, 1967 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

(कृपया प्रश्न संख्या 89 के भाग 1 का उत्तर देखिये)

(लिस्ट क)

राजस्थान निर्माण से पूर्व भूतपूर्व स्टेट बूंदी द्वारा बताये गये भवन जो भिन्न भिन्न कार्यालयों के काम में लिये जा रहे हैं।

क्रम	नाम भवन	नाम कार्यालय
1	2	3
1.	पोस्ट आफिस बूंदी	पोस्ट आफिस बूंदी
2.	स्टेट मोटर गैरेज	तहसील
3.	लोकअप बूंदी	जिला जेल
4.	लोकअप बूंदी	बो. एस. टी. सी. स्कूल
5.	पी. डब्ल्यू. डी. आफिस बूंदी	ए. ई. एन. बी. एण्ड आर
6.	फरांश खाना बूंदी	पी. डब्ल्यू. डी. बी. एण्ड आर. स्टोर
7.	एस. पी. आफिस बूंदी	एस. पी. आफिस बूंदी
8.	सिटी कोटवाली बूंदी	सिटी कोट्वाली
9.	बंगला नं. 5	छात्रा.बी. एस. टी. सी. स्कूल
10.	वेटरनिरी होस्पिटल बूंदी	वेटेनरी हौस्पिटल
11.	जनाना होस्पिटल बूंदी	जनाना होस्पिटल
12.	एस. आर. होस्पिटल बूंदी	जनरल होस्पिटल
13.	आउट डोर होस्पिटल बूंदी	जनरल होस्पिटल
14.	एक्सरे ब्लाक बूंदी	जनरल होस्पिटल
15.	ओल्ड वेटेनरी होस्पिटल बूंदी	म्यूनिसिपल स्कूल
16.	गर्ल्स स्कूल बूंदी	गर्ल्स हायर सेकेन्ड्री स्कूल बूंदी
17.	आडन्द्र कालेज बूंदी	हायर सेकेन्ड्री स्कूल बूंदी
18.	मुसलिम स्कूल बूंदी	मुसलिम स्कूल
19.	घाबाइयों की बगीची (मिडिल स्कूल बूंदी)	मिडिल स्कूल
20.	इंगलिश मिडिल स्कूल बूंदी	मिडिल स्कूल
21.	छोटा तोपखाना बूंदी	डी. एफ. ओ. आफिस राज. बैंक और जिला लाईब्रेरी, मलेरिया डिपार्टमेन्ट और को-ओपरेटिव सोसाइटी

परिशिष्ट 1

22.	ईश्वरी फ्रूट गार्डन बूंदी	एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट
23.	डिस्टिलरी बिल्डिंग बूंदी	एक्साइज डिपार्टमेन्ट
24.	बडा महाराज की हवेली बूंदी	गर्ल्स प्राईमरी स्कूल संस्कृत स्कूल, वेट एण्ड मेजर आफिस और सेसन जज रेकार्ड
25.	पुलिस स्टेशन चौगान गेट बूंदी	पुलिस आउट पोस्ट
26.	,, मीरां गेट	,,
27.	,, देवपुरा	,,
28.	देवपुरा तहसील	होस्टल बैकवर्ड क्लासेज
29.	कस्टम पोस्ट भूरा गणेश बूंदी	इन्सपेक्टर टैक्सेज आफिस
30.	आयुर्वेदिक होस्पिटल बूंदी	आयुर्वेदिक होस्पिटल
31.	बड़ा तोपखाना बूंदी	वाटर वर्क्स, प्राइमरी स्कूल और बिविंग को-ओपरेटिव सोसाइटी बूंदी
32.	तहसील बिल्डिंग हिण्डोली	रिक्त
33.	वेअर हाउस हिण्डोली	एक्साइज डिपार्टमेन्ट
34.	रेन्जर औफिस हिण्डोली	फोरेस्ट आफिस
35.	हिण्डोली पेलेस	तहसील, होस्टल समाज कल्याण, और पी. डब्ल्यू. डी. रेस्ट हाउस
36.	पुलिस स्टेशन हिण्डोली	पुलिस स्टेशन
37.	पुलिस स्टेशन रामनगर	पुलिस स्टेशन
38.	जिनिंग फैक्ट्री पीच की बावड़ी	स्कूल
39.	पुलिस आउट पोस्ट पेच की बावड़ी	पुलिस आउट पोस्ट
40.	डिस्पेन्सरी एट बासोली	डिस्पेन्सरी
41.	छत्तरपुरा फार्म	अग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट
42.	वेटेनरी होस्पिटल तालेरा	होस्पिटल एण्ड हाई स्कूल
43.	पुलिस स्टेशन डाबी	पुलिस स्टेशन
44.	डिस्पेन्सरी डाबी	डिस्पेन्सरी
45.	जमीदपुरा स्कूल	स्कूल
46.	सवासा स्कूल	मिडिल स्कूल
47.	केशवराय पाटन तहसील	तहसील
48.	पुलिस स्टेशन केशवराय पाटन	पुलिस डिपार्टमेन्ट
49.	होस्पिटल केशवराय पाटन	होस्पिटल
50.	केशवराय पाटन हाई स्कूल	स्कूल
51.	ओल्ड तहसील लाखेरी	तहसील
52.	पुलिस स्टेशन लाखेरी	पुलिस
53.	हाई स्कूल लाखेरी	स्कूल

परिशिष्ट 1

54.	सालमदारा चौकी लाखेरी	पी. डब्ल्यू. डी. स्टोर एण्ड गेंग हट
55.	डिस्पेन्सरी खटकर	मैडिकल
56.	पुलिस स्टेशन खटकर	पुलिस
57.	तहसील गेन्डोली	तहसील
58.	बड़ी हवेली नैनवा	बी. डी. ओ. औफिस
59.	डिप्टी कलैक्टरेट नैनवा	तहसील
60.	सुप्रिन्टेन्डेन्ट की इमारत	पुलिस
61.	कस्टम औफिस नैनवा	एक्साइज तथा वेअर हाउस
62.	पुलिस स्टेशन नैनवा (ओल्ड)	होस्पिटल
63.	पुरानी कोतवाली नैनवा	पुलिस आउट पोस्ट
64.	वेटेनरी होस्पिटल नैनवा	सिविल स्कूल
65.	होस्पिटल नैनवा	तहसील
66.	हाई स्कूल नैनवा	स्कूल
67.	रेन्जर आफिस नैनवा	रेन्जर आफिस तथा रेजीडेन्स
68.	छोटी हवेली नैनवा	पुलिस रेजीडेन्स
69.	मुन्सिफ आफिस नैनवा	म्यूनिसिपल बोर्ड
70.	गढ बिल्डिंग देही	नायब तहसीलदार, गैंगमेन पी. डब्ल्यू. डी.
71.	स्कूल देही	देही स्कूल
72.	रेस्ट हाउस इन्द्रगढ	पी. डब्ल्यू. डी. स्टोर्स एण्ड गैंग हट
73.	पुलिस स्टेशन डबलाना	पुलिस
74.	होस्पिटल इन्द्रगढ	डिस्पेन्सरी

परिशिष्ट-2

(कृपया प्रश्न संख्या 89 के भाग 2 का उत्तर देखिये)

सूची भवन जो सार्वजनिक निर्माण विभाग की मरम्मत लिस्ट पर हैं।

क्रम सं.	नाम भवन	धन राशि खर्च की गई 64-65	65-66	66-67
1	2	3	4	5
1	पोस्ट ऑफिस बूंदी	111-16	703-47	—
2	स्टेट मोटर गैरेज बूंदी	..	529-59	..
3	लोकप बूंदी	..	91-51	54-60
4	,,	..	..	44-28
5	पी डब्लू. डी. ओफिस बूंदी	11-77	..	25-85
6	फर्राशखाना	..	327-44	..
7	एस. पी. ऑफिस बूंदी	820-11	..	..
8	सिटी कोतवाली बूंदी	323-52	..	..
9	बंगला नं. 5	9-20	55-82	..
10	वैटनरी हॉस्पीटल बूंदी	..	450-41	1110-74
11	जनाना होस्पटल बूंदी	..	298-12	224-50
12	एस. आर. हॉस्पीटल बूंदी	1682-93	1377-68	2433-33
13	आउट डोर बूंदी			
14	एक्सरे ब्लाक बूंदी	..	..	..
15	ओल्ड वैटनरी होस्पीटल बूंदी	..	450-41	1110-74
16	गर्ल्स स्कूल बूंदी	501-52	27-55	..
17	हाडेन्द्र कालेज	1754-25	..	84-00
18	मुस्लिम स्कूल बूंदी	151-16	..	..
19	धावाई की बगीची (मिडिल स्कूल बूंदी)	135-69	..	..
20	इंग्लिश मिडिल स्कूल बूंदी	676-93	..	..
21	छोटा तोपखाना बूंदी	726-38	..	486-21
22	डिस्टिलरी बिल्डिंग	1320-85	..	504-05
23	बड़ा महाराजा की हवेली	1443-09	654-00	..
24	पुलिस स्टेशन मीरा गेट	25-36	..	..

25 पुलिस स्टेशन देवपुरा	457-99	..	..
26 तहसील देवपुरा	353-76	..	..
27 आयुर्वेदिक होस्पीटल बूंदी	..	408-82	..
28 बड़ा तोपखाना	..	..	..
29 तहसील भवन हिण्डोली	रिक्त	..	..
30 हिण्डोली पेलेस	..	..	..
31 बड़ी हवेली नैनवा (बी.डी.ओ. नैनवा)	155-82	..	..
32 सुप्रीन्टेन्डेन्ट की इमारत	1800-39	..	..
33 कस्टम ऑफिस नैनवा	171-50	..	..
34 ओल्ड पुलिस स्टेशन नैनवा	..	427-74	..
35 वेटेनरी होस्पीटल बूंदी	..	..	..
36 होस्पीटल नैनवा	..	..	1466-27
37 हाई स्कूल नैनवा	..	376-99	..
38 मुन्सिफ ऑफिस नैनवा	..	95-25	..
39 ईश्वरी फ्रूट गार्डन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट	52-29	..	..

परिशिष्ट–3

(समयाभाव के कारण समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

श्रीमाधोपुर-अजीतगढ़ सड़क

90. (11।सा. नि. मं.) श्री हरलालसिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर)—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) श्री माधोपुर से अर्जीतगढ़ (जिला सीकर) तक पक्की सड़क बनाने की मंजूरी कब व कितनी धन राशि की हुई तथा इस सड़क का पूरा खर्चा (एस्टीमेट) कितना है ?

(2) इस सड़क का सर्वे कब हुआ ? क्या सड़क का कार्य सर्वे होकर ही शुरू हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) अब तक इस सडक पर कितना अर्थ खर्च हुआ है। व अब इस सडक का कार्य क्यों बन्द हुआ व अब कब तक शुरू होगा?

उत्तर

यह सड़क 13 मार्च 67, में 30 हजार रुपये की मंजूर की गई है लागत का अन्दाजा 4,80,000) का है।

3 मील का सर्वे जनवरी, 67 में किया है जी हां।

2881 रुपयों का काम हुआ है धन की कमी की वजह से कुछ नहीं कहा जा सकता है।

कोटा स्टेट के समय की पुलियाओं आदि की मरम्मत

91. (7।सा. नि. मं.) श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी)—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा क्षेत्र में चालू सड़कों के अलावा बहुत से स्थानों पर कोटा स्टेट के समय की पुलियाएं व काज-वे बनाए हुए हैं ? यदि हां, तो कितने स्थानों पर और अनुमानत: कितनी लागत के ?

(2) इन पुलियाओं की मरम्मत के लिये सरकार की क्या योजना है और उनको बचाने के लिये अब तक क्या किया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि मन्डी बारां (रामगंज मन्डी) गागरोन वाला जी की थाक, मऊ की पुलिया (सांगोद-अन्ता) आदि पर मरम्मत नहीं होते रहने से उनके पत्थर उखड गये हैं और उनके टूट जाने की संभावना है ?

(4) क्या सरकार व्यवहारिक योजना बना कर इन पुलियाओं को टूटने से बचाने का प्रबन्ध करेगी ?

उत्तर

(1) जी, हां 61 स्थानों पर लगभग 1589300) रु. की पुलियाएं व काज वे हुए हैं।

(2) विचाराधीन है।

(3) यह पुलिया इस विभाग की मरम्मत लिस्ट पर नहीं है।

(4) यह समस्या विचाराधीन है लेकिन इसका हल फंड्स पर मुनस्सर है।

ग्राम गन्डाला (बहरोड़) के पब्लिक हैल्थ सेन्टर का भवन

92. (25।ग्रह.मं.) श्री अमोलाल यादव (बहरोड)—क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जिला अलवर तहसील बहरोड में ग्राम गन्डाला की जनता ने पब्लिक कन्ट्रिब्यूशन के दस हजार रुपये वास्ते पब्लिक हैल्थ सैन्टर भवन निर्माण जमा करा दिये ह ? यदि हां, तो कब ?

उत्तर

जो हां। दिनांक 27-9-65 को पंचायत समिति के कार्यालय में दस हजार रुपये जमा करा दिये हैं।

प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति

93. (17।शि. मं.) श्री गंगासहाय (कठूमर)—क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार द्वारा पंचायत समिति व नगरपालिका क्षेत्रों में 2 से 3 साल पुराने प्रशिक्षित अध्यापकों को नियुक्त करते समय प्राथमिकता देने के क्रम में कोई आदेश नियुक्त कर्ताओं को दिये गये हैं ? यदि नहीं दिये गये तो, क्यों नहीं ?

उत्तर

कोई आदेश जारी नहीं किये गये हैं। क्योंकि उनकी आवश्यकता नहीं है।

श्रीमाधोपुर—रींगस सड़क

94. (12।सा. नि. मं.) श्री हरलालसिंह खर्रा—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) श्री माधोपुर से रींगस तक सडक को बने कितने वर्ष हो गये और उसके बनने के बाद उस पर सरकार का कितना खर्च हुआ ?

(2) क्या इस सडक को डामर रोड बनाने की स्कीम है ? यदि हां, तो कब तक व अब तक डामर क्यों नहीं हुआ ? और यदि नही, तो क्यों नहीं ?

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

भूमिहीन किसानों, मजदूरों एवं कम आमदनी वाले किसानों के बच्चों को शिक्षा संबंधी सुविधाएं

95. (28।प्र. शा.) श्री भीमसेन (लूणकरणसर)—क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे:—

क्या सरकार राज्य में भूमिहीन किसानों, मजदूरों एव कम आमदनी वाले किसानों के बच्चों को विशेष शिक्षा सुविधाएं तथा जिन गांवों में हिन्डरी स्कूल एव कालेज नहीं है वहां के बच्चों को शिक्षाध्ययन हेतु छात्रवृत्तियां एव छात्रावास की सुविधाएं आदि देने का इरादा रखती है ? अगर हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या व्यावहारिक कदम उठा रही है ?

उत्तर

भूमिहीन किसानों, मजदूरों एवं कम आमदनी वाले किसानों के बच्चों को छात्रवृत्ति

आदि की विशेष सुविधाएं देने की योजना नहीं है। वैसे छात्रवृत्तियां सभी निर्धन एवं योग्य विद्यार्थियों को तथा आठवीं कक्षा तक सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था है। वर्तमान में वित्तीय कठिनाई को देखते हुए छात्रावास की कोई भी योजना नहीं है। इस समय बीकानेर तथा जैसलमेर के बोर्डर एरिया के अन्तर्गत दो छात्रावास चल रहे हैं।

लक्ष्मणगढ़-मंडावर सड़क

30. (291सा. नि. मं.) श्री गंगासहाय (कठूमर)-क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि लक्ष्मणगढ़ से धोलागढ़ होती हुई जो सड़क मंडावर (महुवारोड़) तक जाती है वह केवल कच्ची सडक है ?

(2) क्या यह सही है कि इस सड़क को पक्का बनाने के लिये कई बार सर्वे हो चुका है ?

(3) अब तक इस सड़क पर कितना अर्थ खर्च हुआ है। व अब इस सड़क का कार्य क्यों बन्द हुआ व अब कब तक शुरु होगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2)जी नहीं।

(3) यह कार्य योजना में शामिल नहीं है।

स्थगित प्रश्न

(5-5-67

बालोतरा-सांचोर बस सर्विस का मांग

5. (451प्र. शा.) श्री रघुनाथ विश्नोई-क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सत्य है कि बालोतरा सांचोर बस सर्विस ग्राम हाडेचा निवासियों की मांग होने पर भी ग्राम हाडेचा हो कर नहीं जाती ? अगर हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त बस सर्विस रूट पर ग्राम हाडेचा सिर्फ दो मील ही दूर है और एक व्यापारिक मण्डी भी है? अगर हां, तो बालोतरा-सांचोर बस सर्विस ग्राम हाडेचा से होकर कब तक शुरू कर दी जावेगी ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि ग्राम हाडेचा निवासियों एवं आस- पास के ग्रामवासियों की कई दरख्वास्तें इस विषय में आर. टी. ओ., जोधपुर को दी जा चुकी है? अगर हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(4) क्या यह सही है कि दरख्वास्तों पर कार्यवाही में देर हुई है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सत्य है क्यों कि ग्राम हाडेचा बालोरत सांचोर रूट पर नहीं पड़ता है।

(2) यह सही है कि ग्राम हाडेचा रूट से सिर्फ दो मील है। यह सही नहीं कि हाडेचा व्यापारिक मन्डो है।

(3) यह सही है कि इस बारे में आर. टी. ए. में कुछ दरख्वास्तें आई थीं। और आर. टी. ए. ने वे नामंजूर कर दी थीं। फिर कुछ

दरख्वास्तें आई हैं, वे आर. टी. ए. के विचाराधीन हैं।

(4) देर नहीं हुई है।

स्थगित प्रश्न

(5-5-67)

जोधपुर-पोकरण सड़क पर मरम्मत का कार्य

7. (47 प्र. गा.) श्री खेतसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) 35 मील से 38 मील जोधपुर-पोकरण सड़क पर जो मरम्मत व सड़क की सीधाई का कार्य चल रहा है, वह अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत है अथवा विभागीय कार्य है ?

(2) क्या यह सही है कि 35 मील व 38 मील के दरम्यान जिस गांव की सरहद आई हुई है वह अकालग्रस्त गांव नहीं है ?

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

शुद्धि-पत्र

(कार्य विवरण शुक्रवार दिनांक 26 मई, 1967)

स्तम्भ संख्या 1	पंक्ति संख्या 2	अशुद्धि 3	शुद्धि 4
5	8	ह	है
5	12	मह।	महाराज
5	20	ह	हर
7	अंतिम	64	67
10	11	जाना	जानना
10	24	अका	अकाल
11	1	O।जी	माजी
14	13	( )	।
19	अंतिम से 8	मैन्सिक्रिप्ट्स	मेन्यस्क्रिप्ट्स
21	6	मिनिस्क्रिप्ट्स	,,
21	8	,,	,,
21	10	।	(लोप)
21	अंतिम से 1	आरकाइव्ज	आरकाइज
25	15 व 19	ओ दत्त	ओमदत्त
29	5	मन्टीनेन्स	मेन्टीनेन्स
32	अंतिम से 5	की	दी
34	5	है	है
36	8	गई	कोई
37	3	गाड़ुया	गाडिया
37	10	क	के
37	अंतिम से 6	लगकरणसर	लूणकरणसर
40	17	भरतुर	भरतपुर
42	6	अयक्ष	अध्यक्ष
45	8	आर इसक	और इसके
47	20	क	के
48	1	स्टेटस	स्टेटस
51	शीर्षक	प्रश्नोतर	प्रश्नोत्तर
53	4	रामाकिशन	रामकिशन
53	अंतिम से 5	1166	1966
54	14	दिया	दिया।
54	16	हूं	हूं।
54	अंतिम से 2	डिबट	डिबेट
57	8	Order in the Chamber	Order In the Chamber
60	10	कास्ट्रक्टिव	कन्स्ट्रक्टिव
60	12	ऑफिशियल	आर्टिफिशियल
60	18	ह	है

(ख)

1	2	3	4
60	अंतिम से 8	रो	से
63	13	दसरी	दूसरी
64	17	ह	है
64	23	क	के
65	7	क	के
67	अंतिम से 8	पदा	पैदा
67	अंतिम	सस्टम	सिस्टम
68	अंतिम स 12	आजाइय	आजाइये
68	अंतिम से 6	करन	करने
69	3	प्रों र	प्रोपर
69	6	डिस्ट्राब्यूशन	डिस्ट्रिब्यूशन
69	14	नेशनेलाइजशन	नेशनेलाइजेशन
70	अंतिम से 5	कनून	कानून
72	अंतिम से 16	स्थिरें	स्थिर
72	अंतिम से 11	मोजूदा	मौजूदा
73	6	।	(ल.प)
73	10	जयेगो	जायेगी
73	अंतिम से 4	गिर	गिरा
74	20	नोड़ स है	नीड्स है
75	9	ट्रक्टर	ट्रेक्टर
76	17	उसक	उसके
77	शीर्ष	(श्री के. पी. चौधरी)	(श्री पी. के. चौधरी)
78	3	डके,क्टव	डिफेक्टिव
80	अंतिम से 10	कर है	कर रहे हैं
81	अंतिम से 14	म	में
87	5	उसक	उसके
88	9	मांग क लिय	
88	अंतिम से 11	न	ने
88	अंतिम से 4	लग	लगे
94	3	फ लाइजर	फर्टिलाइजर
97	7	आडर	आर्डर
97	10	दना पडगा	देना पड़ेगा
97	16	बारियां	बोरियां
98	9	बिडलाजी	बिड़लाजी
,,	10	बिडला	बिड़ला
,,	14	ह	है
,,	अंतिम से 14	बिडला क पैसे	बिड़ला के पैसे
,,	अन्तिम से 5	लीगल	लीगली
103	अन्तिम से 3	कोठ	कोठे
104	1	चुल्ल	चुल्लू
105	अन्तिम	डिस्ट्रिब्यशन	डिस्ट्रिब्यूशन
106	11	माने म	माने में
106	अन्तिम से 5	महीन	महीने

(ग)

1	2	3	4
107	13	को	की
107	18	चली	चलीं
109	10	पहुचे	पहुंचे
109	अन्तिम से 9	रिपोर्टस	रिपोर्ट्स
111	2	police	Police
,,	4	Purchase	purchase
,,	5	Indigenous	indigenons
,,	12	म	म ।
112	अन्तिम से 3	स्टड	स्टेट
		बलेन्स	बेलेन्स
,,	,,	सकगी	सकेगी
113	10	पिछ	पिछड़
114	अन्तिम से 16	करेंग	करेंगे
116	2	क भाव	के भाव
	अन्तिम से 6	चाहिय	चाहिये
,,	अन्तिम से 3	रहेंग	रहेंगे
,,	,,	35-50	35-40
118	9	स्टेट्स को	स्टेटस को
126	1	भयाक्रात	भयाक्रान्त
127	17	आपक	आपके
128	अन्तिम से 12	दसरी	दूसरी
	अन्तिम से 9	जानू	जांए
,,	अन्तिम से 1	चिल्लान	चिल्लाने
129	7	ह	है
130	अन्तिम से 12	बलकुल	बिलकुल
131	1	पन्द्रर	पन्द्रह
136	9	सामाजवादी	समाजवादी
,,	अन्तिम से 7	करेंग	करेंगे
,,	अन्तिम से 5	दीवालीयापन	दिवालियापन
141	2	चकव	चकवा
142	अन्तिम से 2	रख हैं	रखे हैं
142	15	हमन	हमने
144	अन्तिम से 13	ट्रडिंग	ट्रेडिंग
144	अन्तिम से 2	एसी सरकार को और एसी	ऐसी सरकार को और ऐसी
,,	अन्तिम से 7	लिय	लिये
145	अन्तिम से 2	किसनों	किसानों
,,	1	बैठाय	बैठाये
146	13	सटर	सेंटर
,,	15	चिल I	चिलम
,,	अन्तिम से 7	कर्यो	कार्यों
147	अन्तिम से 6	॥न	घान
,,	अन्तिम से 4	कतनी	कितनी
,,	9	साय आपक	समय आपके
148	6		
149			

(घ)

1	2	3	4
149	अन्तिम से 9	जन	जैन
,,	अन्तिम से 2	प्राति	प्रगति
,,	अन्तिम से 1	अनुपा	अनुपात
150	4	करन	करने
150	अन्तिम से 3	िलकार	मिलकार
155	1	प्रोब्लम	प्रोब्लम
,,	5	ैदावार	पैदावार
,,	9	जसे	जैसे
,,	11	सइल	सोइल
,,	21	चीन	चीज
157	13	फा व	फाइव
159	अन्तिम से 8	वोलन क	वोलने के
160	अन्तिम से 5	चाहिजे	चाहिये
162	अन्तिम से 9	उनीके लिये	उनके लिये
163	7	लैने के लिये	लेने के लिये
,,	अन्तिम से 13	रूप म	रूप में
166	7	ेल डाले	तेल डाले
,,	13	सघन खती	सघन खेती
169	अन्तिम से 10	आग चलना	आगे चलना
,,	अन्तिम	पड़गा	पड़ेगा
171	3	साने	सामने
172	2	कारण।	कारण
174	अन्तिम से 15	शब्दों में के साथ	शब्दों के साथ
,,	अन्तिम से 8	इस,लय	इसलिये
175	9	चूणवत	चूंडावत
176	9	किय गया	किया गया
179	17	कोई रस्ता	कोई रास्ता
,,	अन्तिम से 2	भा दिये	भी दिये
184	9	नोचिये	सोचिये
187	अन्तिम से 6	हना	कहना
,,	अन्तिम से 5	सलिये	इसलिये
191	अन्तिम से 10	माकट प्राइस	मार्केट प्राइस
197	6	माइलों	माइलो
201	शीर्ष	परसरामें	परसराम
203	अन्तिम से 8	श्री भरोंसिह	श्री भैरोंसिह
204	अन्तिम से 2	हम	हमें
207	2	दे देजिये	दे दीजिये
207	अन्तिम से 9	मुझ	मुझे
208	अन्तिम से 14	फूड कापरेशन	फूड कारपोरेशन
209	अन्तिम से 14	जझारसिह	जुझारसिह
,,	अन्तिम से 7	छट होगी	छूट होगी
232	अन्तिम से 7	बालोरत	बालोतरा

———